राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

जनवरी–मार्च, 1986 वर्ष 9, अंक : 32

संपादक

राजेन्द्र कुशवाहा

उप संपादक

जयपाल सिंह

पत्र व्यवहार का पता:—

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल),
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

*

फ़ोन: 617657

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभियुक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

*

(नि:शुल्क वितरण के लिए)

पृष्ठ

विषय-सूची

अपनी बात 5

1. मानसिक आजादी के लिए हमें अंग्रेजी का सहारा छोड़कर अपनी भाषाओं को बढ़ाना होगा। . . . ज्ञानी जैल सिंह 6–7
2. हिन्दी के प्रति शुद्धतावादी कट्टर दृष्टिकोण त्यागकर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं शिवराज पाटिल 8
3. हिन्दी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण : एक पहल डा० चन्द्रभान रावत 9–10
4. पदनाम तथा उपयोगी शब्दावली के हिन्दी रूपान्तर . . . डा० यस० विजय भास्कर राव 11–14
5. विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की संभावनाएं . . . ऋषभदेव सिंह 15–16
6. रेलों पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार में कठिनाइयां . . . क० वि० प्रधान 17–19
7. राष्ट्रभाषा और हिन्दी . . डॉ० इन्द्रचन्द्र शास्त्री 20–21
8. निर्माण, आवास विषयक अनुवाद की समस्याएं . . . डॉ० रामकुमार मिश्र 22–24
9. राष्ट्रीय विकास में स्थलाकृतिक मानचित्रों का योगदान . . . गुरुवक्श सिंह उबेराय 25–28
10. विदेश मंत्रालय में हिन्दी कार्यान्वयन . वीरेन्द्र गुप्त 29–34
11. हिन्दी चली समन्दर पार : सूरीनाम में भारत के गणतन्त्र दिवस समारोह में हिन्दी को प्रमुखता . . कु० रागिनी सिन्हा 35–36
12. सम्मेलन/समिति समाचार

(क) 1. राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 37–48

2. राजभाषा शील्ड वितरण समारोह एवं केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 15वीं बैठक 49–57

(ख) मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें—

1. योजना मंत्रालय 57–60
2. उद्योग मंत्रालय 60–62
3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय . . . 62–65
4. इस्पात और खान मंत्रालय 65–70

5. सूचना और प्रसारण मंत्रालय 70–72
6. राजस्व और व्यय विभाग 73–74
(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें—. . . 75–93
1. तिरुवनन्तपुरम 2. मैसूर 3. बोकारो 4. गोवा 5. बरौनी 6. भावनगर 7. रतलाम 8. चण्डीगढ़ 9. कसौली 10. गुड़गांव . 11. जयपुर 12. कोटा 13. नई दिल्ली 14. इलाहाबाद 15. मथुरा . . . . .

13. हिन्दी दिवस/सप्ताह
1. मद्रास 2. हैदराबाद 3. वालतेरु 4. गुंटकल 5. कंडला गोदी 6. बम्बई 7. पूना 8. इन्दौर 9. वाराणसी 10. लखनऊ 11. शिमला 12. जयपुर 94–101

14. हिन्दी कार्यशालाएं
(1) हैदराबाद, भारत डायनामिक्स लिमि०, कंचनबाग . .102–103
(2) विशाखापट्टनम, इस्पात परियोजना 103–104
(3) बम्बई, दूरदर्शन केन्द्र 104–105
(4) बडोदरा, गुजरात रिफाइनरी 105
(5) अहमदाबाद, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र . . .105–106
(पुणे, भारत मौसम विज्ञान विभाग 106
(7) पुणे टेलीफोन्स 106
(8) नई दिल्ली, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय . . . 107
(9) नई दिल्ली, लघु उद्योग विकास संगठन . . .107–110
(10) नई दिल्ली, नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमि० .110–111
(11) नई दिल्ली, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन . . .111–112
(12) नई दिल्ली, केनरा बैंक 112
(13) आगरा, केनरा बैंक 112–113
(14) लखनऊ, पूर्वोत्तर रेलवे मण्डल 113

15. विविधा
1. कालीकट विश्वविद्यालय में अनुवाद संगोष्ठी का आयोजन . . . 114
2. असम में राजभाषा का कार्यान्वयन और जनमानस . . 114
3. मध्य रेल मण्डल, रेल प्रबन्धक कार्यालय के परिवहन निरीक्षक का हिन्दी में विशेष योगदान 115–116
4. यूनियन बैंक, चण्डीगढ़ में राजभाषा अधिकारियों की वार्षिक समीक्षा बैठक 116
5. बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता 116
6. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में 125, कार्य दिवसीय गहन हिन्दी प्रारम्भिक पाठ्यक्रम सम्पन्न 116–117
7. नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमि० में वाद-विवाद प्रतियोगिता 117–118
8. सिंडीकेट बैंक, नई दिल्ली में ग्राहक सम्मेलन एवं राजभाषा शील्ड वितरण समारोह 118,
9. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवं उनका युग–विचार गोष्ठी सम्पन्न . .118–122
10. आकाशवाणी, नई दिल्ली में पुरस्कार वितरण . . . 122

11. आकाशवाणी, नई दिल्ली में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने का अनुरोध 122–23
12. बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता . . 123
13. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 49वें सत्र का समापन 123–24
14. हिन्दी विद्वान डॉ० अय्यर के सम्मान में गोष्ठी . . . 124
15. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के 12वें हिन्दी पुस्तकालय का उद्घाटन . 124
16. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्यालय, इन्दौर में पुरस्कार वितरण समारोह 124–125
17. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, वाराणसी का वार्षिक अधिवेशन 125–127
18. पटना में हिन्दी सेवी सम्मान समारोह . . 127–129
19. इस्पात एवं खान मंत्री द्वारा रांची में "राजभाषा" सौरभ का उद्घाटन 129

16. आदेश-अनुदेश—
1. गृह मंत्रालय के कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, की अधिसूचना . 130
2. मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक/निगम तथा केन्द्रीय सरकारी संस्थाओं आदि की पुस्तकों की खरीद के लिए संस्तुति . . 130–131
3. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित तिमाही प्रगति रिपोर्ट का नया प्रोफार्मा 131–136

अपनी बात

"मानसिक आजादी के लिए हमें अंग्रेजी का सहारा छोड़कर अपनी भाषाओं को बढ़ाना होगा।" ये विचार भारत के राष्ट्रपति ने 4 मार्च, 1986 को राजभाषा विभाग द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित राजभाषा शील्ड एवं पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर व्यक्त किए। इस समारोह का पूरा विवरण हम इस अंक में दे रहे हैं जिससे विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य की झांकी आपको प्राप्त होगी।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में यांत्रिक उपकरणों का महत्व असंदिग्ध है। आधुनिक युग के ऐसे उपकरणों में कम्प्यूटर का स्थान सर्वोपरि है। "हिन्दी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण" के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है डा. चन्द्रभान रावत ने अपने सारगर्भित लेख में।

हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के बाद उसके कई रूप दिखाई दे रहे हैं। प्रशासनिक कार्य के लिए ऐसी भाषा होनी चाहिए जो आसान हो और भावों को सरलता से प्रकट कर सके। इसके उपयोगी शब्दावली पर प्रकाश डाल रहे हैं डा. एस. विजय भास्कर राव।

कुछ लोगों का यह भ्रम है विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग सम्भव नहीं है। इस धारणा का खंडन करते हुए इस क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला है श्री ऋषभदेव सिंह ने। श्री सिंह का मत है कि इस क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा न मिलने का एक कारण स्वयं वैज्ञानिकों की उदासीनता भी है।

रेल विभाग में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का काफी कार्य हुआ है। इस सम्बन्ध में प्रकाश डाल रहे हैं श्री कमलाकर प्रधान। राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए उसकी संस्कृतनिष्ठता एवं सारगर्भितता आदि मुद्दों पर डा. इन्द्रचन्द्र शास्त्री ने अपने लेख में विद्वतापूर्ण ढंग से प्रकाश डाला है जिसकी झांकी आपको उनके लेख "राष्ट्रभाषा और हिन्दी" में मिलेगी। वर्तमान द्विभाषिक नीति के अनुसार अनुवाद का काफी महत्व है। निर्माण, आवास विषयक अनुवाद की समस्याओं पर विचार व्यक्त कर रहे हैं डा. रामकुमार मिश्र अपने लेख में।

प्रायः यह कहा जाता है कि तकनीकी विषयों को व्यक्त करने के लिए हिन्दी सक्षम नहीं है। इस धारणा का निराकरण होगा श्री गुरुवक्स सिंह उबेराय के लेख "राष्ट्रीय विकास में स्थलाकृतिक मानचित्रों का योगदान" से।

हिन्दी का क्षेत्र अब सीमित नहीं रह गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में इस के कार्यान्वयन को गति मिल रही है। विदेश मंत्रालय में हिन्दी कार्यान्वयन पर प्रकाश डाल रहे हैं श्री वीरेन्द्र गुप्त।

हिन्दी अब देश की सीमाओं को लांघकर विदेश में भी पहुंच चुकी है। इस अंक में हम सूरीनाम में आयोजित समारोह का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका कार्यक्रम हिन्दी में सम्पन्न हुआ।

इन लेखों के अतिरिक्त विभिन्न सम्मेलनों आदि का विवरण भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। हिन्दी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने की दिशा में की गई कार्यान्वयन समितियों की बैठकों, हिन्दी दिवस समारोहों, हिन्दी कार्यशालाओं का विवरण भी पहले की भांति प्रस्तुत किया गया है। विविधा के अन्तर्गत हिन्दी कार्यान्वयन की दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों पर सचित्र सामग्री प्रस्तुत की जा रही है।

आशा है यह अंक भी आपको अन्य अंकों की भांति आकर्षक और उपयोगी लगेगा। आपके सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

"मानसिक आज़ादी के लिए हमें अंग्रेजी का सहारा छोड़ कर अपनी भाषाओं को बढ़ाना होगा"

—ज्ञानी जैल सिंह

[नई दिल्ली, 4 मार्च, 1986 को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित समारोह में राजभाषा शील्ड और पुरस्कार वितरण करते समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का भाषण]

मुझे राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित पुरस्कार और शील्ड वितरण समारोह में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। राजभाषा के रूप में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने वाले मंत्रालयों और विभाग को शील्ड प्रदान करने की योजना, हिन्दी को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। जिन मंत्रालयों, कार्यालयों और अधिकारियों को ये पुरस्कार मिले हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं।

हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया गया है, जिसका विकास करना और सरकारी कार्यालयों में उसके प्रयोग को बढ़ाना सरकार का काम है। हालांकि, यह काम गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को सौंपा गया है, परन्तु इसमें सभी मंत्रालयों, विभागों और सरकारी निगमों और प्रतिष्ठानों को अपना पूरा-पूरा योगदान देना है। उन्हें अपने कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि हिन्दी को सही अर्थों में राजभाषा का दर्जा मिल सके। किन्तु यह कार्य बड़े प्रेम और सद्भावना के साथ सबको साथ लेकर करना होगा।

हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत दूर-अंदेशी और सोच-विचार के बाद हिन्दी को यह स्थान दिया था। यह इसलिए नहीं कि हिन्दी भारत की सबसे समृद्ध भाषा है, बल्कि इसलिए कि यह देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। मैं यह मानता हूं कि भारत की कई भाषाएं हिन्दी से अधिक समृद्ध और प्राचीन हैं। परन्तु हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो सभी भारतीय भाषाओं में कड़ी का काम कर सकती है। इसमें हर जुबान के शब्द हैं और इसका लचीलापन ही इसे लोकप्रिय बनाने में सहायक है। स्व. जहूर बख्श ने 1919 में कहा था "अब यह बात प्रायः तय हो चुकी है कि बिना हिन्दी के हिन्द का कल्याण होना असम्भव है" हिन्दी से भारत की किसी भी भाषा का टकराव नहीं है। किसी भी क्षेत्रीय भाषा की कीमत पर इसका विकास नहीं किया जा सकता।

भारत की सभी भाषाएं अपनी हैं।

सभी का साहित्य देश का साहित्य है।

हिन्दी इस विशाल देश को एक सूत्र में जोड़े रखने में सबसे ज्यादा सहायक है। इसका विकास हमें लिंक लैंग्वेज के रूप में करना होगा।

महात्मा गांधी ने 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आठवें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा था :—

> "मेरा यह मत है कि हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है, और होनी चाहिए"।

उन्होंने उसी वर्ष दक्षिण में, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का शुभारम्भ भी किया था। महात्मा गांधी शासकों और जनता के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, इसीलिए वे जनभाषा के पक्ष में थे। उन्होंने एक बार कहा था :—

> "अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का उन्हीं के लिए होने वाला है, तो निश्चय ही अंग्रेजी राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखों मरने वालों, करोड़ों निरक्षरों, निरक्षर बहनों, दलितों और इन सबके लिए होने वाला है, तो हिन्दी ही एक मात्र भाषा हो सकती है"।

हिन्दी सबके लिए सुलभ हो और आसानी से लोग इसमें अपने-अपने विचार व्यक्त कर सकें। इसके लिए यह जरूरी है कि हिन्दी को सरल बनाया जाए। अनुवाद का यही उद्देश्य है कि जिसे अंग्रेजी में समझ नहीं आता वह इसे हिन्दी में समझ सकें। मेरा अनुरोध है कि सरकारी दफ्तरों में अनुवाद का कार्य करते समय और मूल रूप से हिन्दी का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजभाषा विभाग ने आसान हिन्दी का प्रयोग करने के सम्बन्ध में जरूरी हिदायतें भी सरकारी कार्यालयों को भेज दी हैं। इस सम्बन्ध में गांधी जी का यह कथन हमारा मार्गदर्शन करता है कि :—

> "भाषा वही श्रेष्ठ है जिसे जन समूह सहज में समझ ले"।

मैं समझता हूं कि केवल राजनीतिक आजादी ही पूरी आज़ादी नहीं है, हमें मानसिक तौर पर भी आजाद होना है और इस मानसिक आजादी को हासिल करने के लिए हमें अंग्रेज़ी भाषा का सहारा छोड़ कर अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाना होगा। गांधी जी कहते थे कि "कोई भी देश सच्चे अर्थों में तब तक स्वतंत्र नहीं है, जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता"। इसलिए जरूरी है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों में और जहां तक हो सके विदेशों में भी हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। संसार के सभी उन्नत देशों की अपनी राजभाषाएं हैं और वे अपने देश की प्रगति के साथ-साथ अपनी भाषाओं का भी विकास करते हैं।

हालांकि दुनिया में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अभी भी सबसे ज्यादा है, मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार में हिन्दी बोलने वाले भी संख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर हैं। इस दृष्टि से भी हमें अपनी इस भाषा का विकास करना है। कई बार हमें विदेशों में अपनी भाषा का प्रयोग न करने पर बड़ी ग्लानि भी उठानी पड़ती है। पं. जवाहर लाल नेहरू ने 1958 में मद्रास में कहा था :—

> "मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल भी यह शोभा नहीं देता कि भारत एक विदेशी जुबान को राजभाषा की शक्ल में अपनाए।"

कई मर्तबा मैं बड़ी अजब परेशानी में पड़ गया। कुछ दूसरे लोगों को भी, जो बाहर के मुल्कों में गए, यही हालत हुई। हमें वहां अपने ही भाइयों से, देशवासियों से अंग्रेजी में गुफ्तगू करनी पड़ी। लोग हैरत से हमें देखते हैं। हमसे सवाल करते हैं। आपकी कोई अपनी जुबान नहीं है क्या जो आपको विदेशी जुबान में बोलना पड़ता है।

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि हिन्दी में विभिन्न विषयों की शब्दावलियां तैयार कर ली गई हैं और इस दिशा में आगे काम हो रहा है। हमें हिन्दी में दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिन्दी को एक जानदार भाषा बनाने के सम्बन्ध में डा. राजेन्द्र बाबू ने कहा था :—

> "हिन्दी संस्कृत नहीं है। हिन्दुस्तान में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख बसते हैं और तो भी वह हिन्दुस्तान है। इसी प्रकार हिन्दी में सभी भाषाओं से उत्तम शब्द हमें मिलेंगे तो भी वह हिन्दी ही रहेगी"।

हिन्दी देश के सभी भागों के लोगों के योगदान से आगे बढ़ेगी।

प्रसन्नता का विषय है कि हिन्दी में काम-काज करने के लिए इलैक्ट्रोनिक उपकरण भी अब हमारे देश में बनने लगे हैं। राजभाषा विभाग ने इन इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की दिल्ली में और देश के अन्य भागों में प्रदर्शनी लगाई है, जिससे लोगों को इनके बारे में जानकारी हो जाए और वे इन उपकरणों का पूरा इस्तेमाल कर सकें। कई संस्थाएं अब द्विभाषी मशीन बना रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे सरकारी काम-काज में ज्यादा सुविधा होगी और काम जल्दी निपटाया जा सकेगा।

मैं यह भी आशा करता हूं कि हमारे देश के इंजीनियर जो संसार के दूसरे देशों के इंजीनियरों से किसी प्रकार भी कम योग्य नहीं हैं, इस विषय में सहायक होंगे। संसार में जो भी टेक्नालोजी के क्षेत्र में प्रगति हो, उसे इस देश के लिए कैसे प्रयोग में लाया जाए, इस पर वे विचार करेंगे और इस टेक्नालोजी को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करके ऐसी मशीनों का निर्माण करेंगे जो इस देश की सभी भाषाएं जानने वाले इस्तेमाल कर सकेंगे और हमें अंग्रेजी पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा।

मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भारत सरकार के करीब-करीब सभी मंत्रालयों और विभागों में 80 प्रतिशत से भी अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है और इन कार्यालयों को अधिसूचित भी किया जा चुका है। परन्तु, यह आश्चर्य की बात है कि ये कार्यालय अभी भी हिन्दी में अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है ? इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में सभी मंत्रालयों, विभागों और दूसरे कार्यालयों के उच्च अधिकारी भाग ले रहे हैं। आप सबको राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करके उनका समाधान खोजना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इन समस्याओं और रुकावटों को दूर करने में सफल रहेंगे और हम अपनी मंजिल पर तेजी से पहुंचने की कोशिश करेंगे।

अन्त में, मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि अगले वर्षों में अन्य मंत्रालय और विभाग भी इसी प्रकार पुरस्कार हासिल कर सकेंगे।

जय हिन्द

"हिन्दी के प्रति शुद्धतावादी कट्टर दृष्टिकोण त्यागकर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं"

—शिवराज पाटिल

[अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में जनवरी 7-1-1986 को आयोजित अखिल भारतीय संगोष्ठी एवं कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर माननीय राज्य मंत्री जी का उद्घाटन भाषण]

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भारत में पहली बार उपग्रह संचार जैसे विषय पर उच्च स्तर की संगोष्ठी हिन्दी माध्यम के द्वारा अहमदाबाद में होने जा रही है तथा अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र अहमदाबाद ने इसमें अगुवाई की है मुझे यह भी प्रसन्नता है कि यह सेमीनार अहमदाबाद में सम्पन्न हो रहा है जो भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान के अधिष्ठाता स्वर्गीय विक्रम साराभाई की जन्मभूमि है तथा यह संगोष्ठी उस महान व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

लगभग पच्चीस साल से अन्तरिक्ष, गतिविधियों के आविर्भाव से अन्तरिक्ष ने पृथ्वी के लाखों लोगों को असामान्य रूप से आकर्षित किया है वास्तव में इस के कारण कुछ अंशों में अपने ही उपग्रह द्वारा पृथ्वी को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल गया है। अन्तरिक्ष विज्ञान शायद उतना ही पुराना है जितना मनुष्य स्वयं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में लिखित प्रमाण तो भारत में बहुत पहले से ही वेदों में निहित है। खगोलीय दूरबीनों के आविर्भाव से पहले अनेकों खगोलीय पर्यवेक्षण-शालाएं देश में स्थापित की गई जिन्होंने अन्तरिक्ष विज्ञान के अनेकों रहस्यों पर प्रकाश डाला। उपग्रह संचार तकनीक अन्तरिक्ष विज्ञान की ही एक शाखा है लेकिन इसका आविर्भाव विश्व में लगभग 20–30 साल पहले ही हुआ है। संचार की विशाल क्षमता रखने के कारण उपग्रह संचार प्रणाली ने पिछले दो दशकों में संचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में उपग्रह संचार प्रणाली का आविर्भाव 1967 में हुआ जब पहला प्रायोगिक भू-उपग्रह केन्द्र (इस्केस) इसी प्रांगण में स्थापित किया गया जहां पर संगोष्ठी सम्पन्न हो रही है। उस के बाद से भारत इस दिशा में अनवरत प्रगति करता गया। "एप्पल" और "इन्सेट" उपग्रह इसके प्रमाण हैं। 1975 में किये गये उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन-परीक्षण (साइट) ने भारत में उपग्रह संचार की उपयोगिता की आधारशिला रखी।

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है तथा यह बहुत उचित अवसर है कि यह संगोष्ठी हिन्दी में आयोजित की गई है। इस में देश के अनेक जानेमाने वैज्ञानिक और अभियन्ता भाग ले रहे हैं जो इस संगोष्ठी को एक नया रूप देंगे तथा उपग्रह संचार जैसी आधुनिक संचार प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर वार्तालाप और विचारविनिमय करेंगे। आज हमारे पास अन्तरिक्ष की उपलब्धियों की अनेकों संभावनाएं हैं। हमें उम्मीद है कि अन्तरिक्ष की महान उपलब्धियों से सम्बन्धित अनेकों निर्णय लेने में यह संगोष्ठी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज उपग्रह संचार प्रणाली केवल मात्र अध्ययन का ही विषय नहीं रह गयी है, बल्कि यह मनुष्य के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गयी है। चाहे सामान्य संचार हो अथवा आपातकालीन संचार, उपग्रह संचार प्रणाली की विश्वसनीयता ने मानव समाज को अत्यधिक प्रभावित किया है।

हिन्दी में आयोजित करने के कारण इस संगोष्ठी का महत्व बहुत बढ़ गया है। इससे उपग्रह संचार जैसे विषय को जन-साधारण तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मुझे आशा है कि यह मात्र राजभाषा अधिनियम के प्रति दायित्वपूर्ति ही नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में इस प्रकार की संगोष्ठियों के इस संस्थान व अन्य संस्थानों में आयोजन के लिए प्रेरणारूप सिद्ध होगी। मैं समझ सकता हूं कि इस प्रकार की संगोष्ठियों के आयोजन में कुछ व्यक्तियों की विचार-पद्धति व मनोवैज्ञानिक बाधाएं बाधक रही होंगी। किन्तु मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का आयोजन भविष्य में इन मानसिक बन्धनों को तोड़ने में सहायक होगा व सभी व्यक्तियों को चाहे वे किसी प्रदेश के हों, अपना तकनीकी कार्य भी हिंदी में करने को प्रेरित करेगा।

इस संगोष्ठी के साथ ही "तकनीकी हिन्दी का विकास" विषय पर एक कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी भारत में हिंदी को अभिव्यक्ति का माध्यम चुनने में जो संकोच व मानसिक बंधन हैं, वे सबको मालूम हैं। इस विषय में मुझे अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। आखिर वे क्या कारण हैं जो हमें अपनी मातृभाषा में स्वयं को व्यक्त करने में बाधक सिद्ध हो रहे हैं? इसका कारण हिन्दी की समर्थता

[शेष पृष्ठ 10 पर]

हिन्दी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण : एक पहल

—डॉ. चन्द्रभान रावत

व्यापक रूप से यह अनुभव किया जा रहा है कि हम तेजी से कंप्यूटर युग में प्रवेश करते जा रहे हैं। शिक्षा, कार्यालय, और अनुसंधान के क्षेत्रों को लेकर कंप्यूटर की बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। भारत सरकार आतुर प्रतीत होती है। शिक्षा की पद्धति के कम्प्यूटरीकरण के लिए। देश के व्यवसायी स्थिति को समझकर कम्प्यूटरों के उत्पादन और संशोधन में सरगर्मी दिखला रहे हैं। यद्यपि भारत में कम्प्यूटरों के प्रयोग, अनुप्रयोग तथा उनके शैक्षिक, सांस्कृतिक प्रयोजनात्मक, वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान के सम्बन्ध में अभी स्थिति इतनी साफ नहीं हुई है, फिर भी संगणकों की खरीद जारी है और भारत सरकार जैसे देश में इनका जाल बिछा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतीत होता है कि 21वीं शती में प्रवेश करने के लिए कंप्यूटर एक सिंहद्वार है।

कम्प्यूटर को लेकर जो एक व्यापक माहौल बनने लगा है उसमें रह-रह कर एक सवाल उगता हुआ दिखलाई दे रहा है—इस सब में हिन्दी की क्या स्थिति होगी। इस सम्बन्ध में राज भाषा विभाग आरम्भ से ही सतर्क रहा है। इलेक्ट्रानिकी विभाग और इलेक्ट्रानिकी आयोग ने देवनागरी कंप्यूटरों की निर्माण की दिशा में कदम भी उठाए। इ.सी.आई.एल. (हैदराबाद), बी.आई.टी.एस. (पिलानी) ने देवनागरी कंप्यूटरों की दिशा में विशेष रुचि ली। डी.सी.एम.-डेटा प्राडक्ट, सी.एम.सी. शब्द संसाधन (लिपि) ने देवनागरी कंप्यूटर बना कर बिक्री के लिए बाजार में प्रस्तुत कर दिये। कंप्यूटर प्रशिक्षण के केन्द्र भी खोले गए। कंप्यूटर अनुरक्षण निगम जैसे विभागों ने कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्यशालाओं की भी योजना बनाई। फिर भी इन सब केन्द्रों और कार्यशालाओं का अन्दरूनी यथार्थ बहुत आशाप्रद नहीं है। मात्र सिद्धान्त और इतिहास की चर्चा इनमें अधिक होती है। किन्तु इनकी व्यावहारिक उपलब्धि हमें कहीं नहीं ले जाती। प्रयत्न चल रहा है कि द्विभाषिक और त्रिभाषिक आवश्यकताओं की पूर्ति कम्प्यूटरों से हो सके। भारत की बहुभाषिक स्थिति में यह आवश्यक भी है।

इस टिप्पणी के साथ मैं आपको दक्षिण भारत की ओर ले चलना चाहूंगा। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा अपनी सभी शाखाओं और अपने सक्रीय केन्द्रों के साथ दक्षिण भारत में एक हिन्दी का इतिहास सिद्ध पर्याय बन गई है। इस संस्था की गतिशीलता इस बात से सिद्ध है कि इसके कार्यक्रम युग की आवश्यकताओं के अनुसार मोड़ लेता गया है। अपने परम्परागत हिन्दी प्रचार के कार्यक्रम के साथ-साथ सभा के हिन्दी शिक्षा के उच्चतर स्तरों पर भी ध्यान केन्द्रित किया। मद्रास तथा हैदराबाद के केन्द्रों पर 'उच्च शिक्षा और संस्थान' नाम से नए विभाग खोले। सभा का ऐतिहासिक वर्चस्व नए मनसूबों में झूल उठा। हिन्दी के एम.ए., एफ. फिल. तथा पी.एच.डी. के पाठ्यक्रम चलाए जाने लगे। परम्परागत साहित्यिक पाठ्यक्रम के स्थान पर एम.ए. में प्रयोजनमूलक, व्यावसायिक, कार्यालयीन और वाणिज्यिक हिन्दी को भारत में पहली बार स्थान दिया गया। यह एक उल्लेखनीय पहल थी।

दक्षिण भारत में हिन्दी माध्यम के प्रशिक्षण विद्यालयों का नितान्त अभाव था। संस्थान ने त्रिवेन्द्रम, बैंगलोर, हैदराबाद और धारवाड में हिन्दी माध्यम के प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की। अभी हाल में स्नातकोत्तर, अनुवाद डिप्लोमा के पाठ्यक्रम का आरम्भ हुआ है। इसका पाठ्यक्रम केवल अनुवाद सिद्धान्त को लेकर नहीं बनाया गया है बल्कि पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक पक्ष भी जोड़ा गया है।

जिस पहल की विशेष रूप से चर्चा करनी है वह है—हिन्दी माध्यम का कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र। दिनांक 10-2-86 को संस्थान के हैदराबाद केन्द्र पर इसका उद्घाटन आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल महामहिम कुमुद बेन जोशी ने किया। संभवतः यह केन्द्र भारत में पहला है। मद्रास केन्द्र पर भी इसका आरंभ किया गया है। केन्द्र का आरम्भ अभी एस.सी.एल. मैक्रो कंप्यूटर (दो सिस्टम) तथा लिपि वर्ड प्रोसेसर (एक सिस्टम) से किया गया है। जल्दी ही एक आठ टर्मिनल वाला मिनि कम्प्यूटर लगाया जाने वाला है। भारत सरकार ने दोनों केन्द्रों के विकास के लिए सत्रह लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है। भविष्य में यह कंप्यूटर केन्द्र रिसोर्स सेन्टर के रूप में विकसित हो जाएगा। यह निश्चित रूप से हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के अध्ययन की कंप्यूटरीकरण तथा हिन्दी माध्यम से कंप्यूटर विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख केन्द्र होगा।

शीघ्र ही एक वर्षीय स्नातकोत्तर कम्प्यूटर डिप्लोमा आरम्भ किया जाएगा। यह डिप्लोमा भाषा शिक्षकों, अनुवादकों, हिन्दी अधिकारियों को कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता प्रदान करने तथा अन्य इलेक्ट्रोनिकी उपकरणों की जानकारी देने में सहायता करेगा। संस्थान में चल रहे प्रशिक्षण विद्यालय के पाठ्यक्रम के साथ भी कंप्यूटर को जोड़ा गया है। यह शिक्षा पद्धति के कंप्यूटरीकरण की भारत व्यापी योजना का भाग होगा। अनुवाद डिप्लोमा कार्यक्रम के साथ भी कंप्यूटर शिक्षा को जोड़ दिया गया है। यह मशीनी ट्रांस्लेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संक्षेप में इस प्रशिक्षण केन्द्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं।

(1) कम्प्यूटर द्वारा हिन्दी के माध्यम से आंकड़ा संसाधन में दक्षता प्रदान करना।

(2) भाषा शिक्षण, भाषा विश्लेषण और भाषा अनुसंधान जैसे भाषायी संदर्भों में कंप्यूटर के प्रयोग को विस्तार देना। और इसकी प्रयोग विधि को आगे बढ़ाना।

(3) हिन्दी या द्विभाषिक शब्द संसाधित्र के प्रयोग द्वारा शिक्षण, संपादन, कोष निर्माण पाठानुसंधान तथा अनुक्रमणिका के कार्यों में दक्षता प्रदान करना।

(4) मशीनी अनुवाद का सिद्धान्त निर्माण करना जो आरम्भ में सीमित कार्पस पर आधारित हो।

कंप्यूटर डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में मशीन पर प्रायोगिक कार्य भी शामिल है।

उपर्युक्त कंप्यूटर डिप्लोमा के पाठ्यक्रम-15 की रूप रचना इस प्रकार है; इसमें चार प्रश्न पत्र रहेंगे :—

प्रथम प्रश्न पत्र :—कंप्यूटर का परिचय—आंकड़ा संसाधन, प्रोगामन और कम्प्यूटर की भाषाएं—प्रोगामन भाषाओं के मुख्य तत्व बेसिका, कोबोल, फुटरान, पास्कल आदि।

द्वितीय प्रश्न पत्र :—कंप्यूटर के अनुप्रयोग (भाषा नियोजन के क्षेत्र)—अनुप्रयोग की सीमाएं—भारतीय भाषाओं के कम्प्यूटरीकरण की समस्याएं—अनुक्रमणिका, अनुस्तरण, पाठालोचन और शैली विश्लेषण—भाषिक अनुसंधान—कम्प्यूटर और भाषा शिक्षा-मशीनी अनुवाद।

तृतीय प्रश्न पत्र :—बहुभाषिक शब्द संसाधित्र—प्रकार और अभिप्रयोग—प्रलेख-प्रलेख मुद्रण—इलेक्ट्रानिक फाइलिंग, लिप्यन्तरण—फार्मेटिंग आदि।

चतुर्थ प्रश्न पत्र :—प्रयोगात्मक—शब्द संसाधित—माइक्रो कम्प्यूटर (द्वयन्क बहुप्रयोगता—हिन्दी पेकेज के साथ)।

यह पाठ्यक्रम गत्यात्मक है। सुविधाओं और यंत्रों की वृद्धि के साथ इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। यही एक पहल है जो भविष्योन्मुख और सम्भावनापूर्ण है। इस श्रृंखला की पहली कड़ी के रूप में इसका एक ऐतिहासिक महत्व होगा।

आचार्य एवं अध्यक्ष, उच्च शिक्षा
और शोध संस्थान, दक्षिण
भारत हिन्दी प्रचार सभा,
हैदराबाद

17

[पृष्ठ 8 का शेष]

व सक्षमता के प्रति प्रश्नचिह्न है अथवा अन्य कोई? भाषा, प्रयोग से व उदार दृष्टिकोण से समृद्ध होती है। जैसा कि इस संगोष्ठी के परिपत्र में भी लिखा है, हमें चाहिए कि हम हिन्दी के प्रति शुद्धतावादी, कट्टर दृष्टिकोण त्याग कर, व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं व यदि हिन्दी की सक्षमता के प्रति कुछ प्रश्न चिह्न सही है तो उसे खुले दिमाग से स्वीकार करें व इन कमियों को दूर करने का प्रयास करें।

अंत में मैं इस संगोष्ठी व कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि इस तरह की संगोष्ठियां देश में तकनीकी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने व तकनीकी हिन्दी को समृद्ध करने में उपयोगी सिद्ध होंगी

पदनाम तथा उपयोगी शब्दावली के हिन्दी रूपान्तर

—डॉ. यस विजय भास्कर राव

हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय 14 सितम्बर 1949 को हुआ और संविधान 26 नवम्बर 1949 को अंगीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यक्त किया गया है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी। यद्यपि यह व्यवस्था संविधान के प्रवृत होने के दिन से ही लागु है किन्तु असली तौर पर यह संविधान के अपनाये जाने से पंद्रह वर्ष बाद अर्थात् जनवरी 1965 से लागू होनी थी। उसी प्रकार 26 जनवरी 1965 से केन्द्रीय सरकार के अनेक कार्यालयों में सरकारी काम हिन्दी में होने लगा। उसके बाद हिन्दी के काम का क्षेत्र और उसकी मात्रा निरन्तर बढ़ती जा रही है।

हिन्दी को राजभाषा के रूप में घोषित करने के बाद हम हिन्दी को कई रूपों में देखते आए हैं जैसे साहित्यिक हिन्दी प्रशासनिक हिन्दी, कार्यलयीन हिन्दी, बोलचाल की हिन्दी आदि। लेकिन आजकल हिन्दी को एक नवीन रूप देने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं और उसमें थोड़ी सफलता भी पा चुके। पहले-पहल स्वतंत्र संग्राम के समय लोग हिन्दी को ही व्यवहारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया और वही लोगों में एकता लाने में सफलता पाई। वहीं हिन्दी विकसित होते होते भारतीय गणतंत्र के उदय के साथ-साथ राजकाज और प्रशासन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकी और हिन्दी की एक नई विद्या का आविर्भाव हुआ और वही आज प्रशासनिक हिन्दी के नाम से जानी जाने लगी।

प्रशासनिक कार्य के लिए हमें ऐसी भाषा का सृजन करना चाहिए जो आसान हो और भावों को सरलता से प्रकट कर सके।

कुछ लोगों का कहना है पहले पहल हमें हिन्दी के शब्द कठिन दिखाई पड़ते हैं लेकिन यह गलत है क्योंकि प्रयोग के अभाव के कारण ऐसा लगता है जब हम अमल में लाते हैं वही सरल और सुबोध दिखाई पड़ने लगती है। उदाहरण के लिए हम अंग्रेजी शब्दों के लिए तो विदेशी शब्द होने पर भी ऐसे कुछ शब्द हैं तो आसानी से सब समझ सकते हैं जैसे इंजनीयर मैनेजर, एजेन्ट, डाक्टर, स्टेशन, टिकट, बस, बैंक, स्टैंड आदि। लेकिन Superintendent, Psycologist, Constitution आदि जो शब्द हैं उच्चारण में ही कठिनता का अनुभव होते हैं। बस, रेल, मोटर, सिगनल, ड्राइवर, मेल, एक्सप्रेस, कन्डक्टर, प्लेट फार्म, गार्ड आदि शब्द जो हैं आम जनता भी समझ सकती है अर्थात् ये सब अंग्रेजी शब्द होने पर भी प्रयोग में होने के कारण समझ रहे हैं उसी प्रकार हिन्दी शब्दों को भी कुछ समय तक अमल में लाये तो जनता आसानी से समझ सकती है।

वैज्ञानिक व तकनीकी शब्द हमारे पास मूलतः पाश्चात्य देशों से आये और हम उसे हिन्दी में रूपान्तरित करें तो अपने आप ही प्रचलन में न होने से दुरूह तो वह होगा ही। इलैक्ट्रानिकी जैसी नवागत प्रवधि में प्रत्येक शब्द को यदि अनुवाद करना चाहें तो दुरूहता और पेसीदगी तो समझ आएगी ही। कारण यह है कि पूरी तकनीक पाश्चात्य देशों की देन है वहां से हम इसे आयातित कर रहे हैं। हम अनुवाद करके उपयोग में लाना चाहते हैं तो कठिन है इसलिए विदेशी शब्द होने पर भी मूल शब्दों का यथार्थ हिन्दी में भी प्रयोग करने पर सब आसानी से समझ सकते हैं।

कुछ हिन्दी और अंग्रेजी शब्दों को परख कर देखें तो प्रयोग में हिन्दी शब्द ही सरल दिखाई पड़ते हैं जैसे :—

Assistant	सहायक
Editor	संपादक
Chief	मुख्य
Special	विशेष
Calculator	गणक
Architectural	वास्तु
Antiquity	पुरावस्तु
Ambassador	राजदूत
Administration	प्रशासन
Congratulations	शुभकामनायें
Greetings	बधाई

कुछ अंग्रेजी शब्दों को हिन्दी में अनुवाद करके प्रयोग करने पर विपरीत से दिखाई पड़ते हैं जैसे :—

Welfare Officer	कल्याण अधिकारी
Accountant General	महालेखाकार
Director	निदेशक
Labour	श्रम
Collector	समाहर्ता
Chairman	सभापति
Caretaker	रखवाला
Booking Clerk	टिकट बाबू
Liaison Officer	सम्पर्क अधिकारी

हम हिन्दी भाषा का प्रयोग जल्दी से जल्दी अमल में देखना चाहते हैं तो हिन्दी भाषा शब्दों को, उच्चारण में और लिखने में भी सरल बनाकर लोगों के बीच में ले जाने चाहिए। तब आम जनता भी हिन्दी को समझ सकती है और प्रयोग कर सकती है।

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में तरह-तरह के अधिकारी होते हैं उनमें से कुछ अंग्रेजी पदों के हिन्दी रूपांतर निम्न प्रकार के हैं :—

Officer	अधिकारी
Authority	प्राधिकारी
Chairman, President	अध्यक्ष, सभापति
Managing Director	प्रबन्ध निदेशक
General Manager	प्रधान प्रबन्धक, महा प्रबन्धक
Secretary	सचिव
Joint Secretary	संयुक्त सचिव
Deputy Secretary	उप सचिव
Assistant Secretary	सहायक सचिव
Additional Secretary	अपर सचिव
Manager	प्रबन्धक, मैनेजर
Controller	नियंत्रक
Controlling Officer	नियंत्रण अधिकारी
Administrative Officer	प्रशासन अधिकारी
Personnel Officer	कार्मिक अधिकारी
Public Relations Officer	जन सम्पर्क अधिकारी
Planning Officer	योजना अधिकारी
Vigilance Officer	सतर्कता अधिकारी, चौकसी अधिकारी
Welfare Officer	कल्याण अधिकारी
Law Officer	विधि अधिकारी
Labour Officer	श्रम अधिकारी, श्रमिक अधिकारी
Liaison Officer	सम्पर्क अधिकारी
Medical Officer	चिकित्सा अधिकारी
Disbursing Officer	वितरण अधिकार
Establishment Officer	स्थापना अधिकारी
Co-ordinating Officer	समन्वय अधिकारी
Claims Officer	दावा अधिकारी
Works Manager	कर्मशाला प्रबन्धक, कारखाना प्रबन्धक
Production Manager	उत्पादन प्रबन्धक
Plant Manager	संयंत्र प्रबन्धक
Superintendent	अधीक्षक, अधीक्षिका
Supervisor	पर्यवेक्षक

Accountant	लेखाकार
Audit Officer	लेखा परीक्षा अधिकारी
Chief	मुख्य
Incharge	प्रभारी, इंचार्ज
Director (Finance)	निदेशक (वित्त)
Sr. TA to CMD	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का वरिष्ठ तकनीकी सहायक
Sr. TA to Director (C)	निदेशक (निर्माण) का वरिष्ठ तकनीकी सहायक
Dy. General Manager (Materials)	उप महा प्रबंधक (सामग्री)
Dy. General Manager (Project Monitoring & Works)	उप महा प्रबंधक (परियोजना अनुश्रवण व संकर्म)
Assistant General Manager (P&D)	सहायक महा प्रबंधक (पी व डी)
Assistant General Manager (D&E)	सहायक महा प्रबंधक (डी व ई)
Assistant General Manager (I&S)	सहायक महा प्रबंधक (लोहा व इस्पात)
Chief Personnel Manager	मुख्य कार्मिक प्रबंधक
Chief Engineer (Civil)	मुख्य अभियंता (सिविल)
Chief Finance Manager	मुख्य वित्त प्रबंधक
Clerk	लिपिक, क्लर्क
Dispatch	प्रेषक
Peon	चपरासी
Engineer	अभियन्ता, इंजीनियर
Foreman	फारमैन
Surveyor	सर्वेक्षक
Store Keeper	भंडारी
Technical Examiner	तकनीकी परीक्षक
Time Keeper	समयपाल, टाइमकीपर
Financial Adviser	वित्त सलाहकार
Implementation Officer	कार्यान्वयन अधिकारी
Marketing Officer	पणन अधिकारी
Pay and Accounts Officer	वेतन और लेखा अधिकारी
Project Officer	परियोजना अधिकारी
Purchase Officer	क्रय अधिकारी
Verification Officer	सत्यापन अधिकारी
Reception Officer	स्वागत अधिकारी
Safety Officer	संरक्षा अधिकारी
Sanitary Inspector	सफाई निरीक्षक
Section Officer	अनुभाग अधिकारी
Records Keeper	अभिलेखपाल
Stenographer	आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर
Typist	टंकक, टाइपिस्ट

इसके साथ-साथ विज्ञान और तकनीकी से संबंधित अनेक पदों को यथातथ हिन्दी में लिख सकते हैं या अनुवाद करके भी अमल में ला सकते हैं। जो भी हो सब शब्द सरल होने चाहिएं।

अब तक सब कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अंग्रेजी में ही सरकारी कामकाज करने का अभ्यास हो रहा है। इसलिए यह अस्वाभाविक नहीं है कि आरम्भ में हिन्दी में काम करना कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है और कुछ कठिनता का भी अनुभव होता है। मगर यह कठिनता बहुत समय तक नहीं ठहरती। कुछ महीनों के अभ्यास से सब यह अनुभव करते हैं कि हिन्दी में सभी कामकाज उतनी ही सुविधा से हो जाता है जो अब तक अंग्रेजी में हो रहा है। अब यहां कार्यालय के काम पर आने वाले कुछ शब्दों का हिन्दी रूपान्तर यहां प्रस्तुत किया जाता है।

Speak	बात कर
Please Speak/Discuss	कृपया बात कर जाइए
Approved	अनुमोदित
Sanctioned	स्वीकृत/मंजूर
Forwarded	अग्रेषित
Recommended	संस्तुत, सिफारिश किया गया
Agreed	सहमति है
Please see me	कृपया मिलें
Please show me papers	कृपया कागज दिखायें
Please put up on file	कृपया फाइल पर प्रस्तुत करें
Seen, Thanks	देख लिया, धन्यवाद
Please Advise all concerned	सर्व सम्बन्धित को सूचित करें
Please advise position	कृपया स्थिति बतायें
Pend. for the present	अभीनिर्णय रोक रखा जाए
Reply at once	उत्तर तुरन्त भेजा जाए
Await for reply	उत्तर की प्रतीक्षा कीजिये
Regret	खेद है
For Information only	केवल सूचना के लिए
Submitted for Orders	आदेश के लिए प्रस्तुत है
Submitted for Information	सूचना के लिए प्रस्तुत है
Kindly Acknowledge	कृपया पावती भेजिए
Put up	प्रस्तुत करो
For Guidance	संदर्शन के लिए
For necessary action	आवश्यक कार्रवाई के लिए
Report	प्रतिवेदन
Draft	मसौदा, प्रारूप, ड्राफ्ट
Note	टिप्पणी, नोट
Memo	ज्ञापन
Application	आवेदन पत्र
Representation	अभिवेदन
Demi Official Letter	अर्ध सरकारी पत्र
Official Letter	सरकारी पत्र
Unofficial Letter	अशासनिक पत्र
Endorsement	पृष्ठांकन
Notification	अधिसूचना
Resolution	संकल्प
Reminder	अनुस्मारक
Statement	विवरण
Reply	उत्तर
Approval	अनुमोदन
Please refer	कृपया ध्यान दें
Copy	प्रतिलिपि
Office	कार्यालय
Orders	आदेश

[शेष पृष्ठ 21 पर]

विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की संभावनाएं

—ऋषभदेव सिंह

संविधान की धारा 343 के द्वारा हिन्दी को भारत संघ की भाषा का स्थान प्राप्त है, संविधान के द्वारा ही हिन्दी भाषा की लिपि देव नागरी है और धारा 351 के अनुसार हिन्दी के प्रचार-प्रसार का दायित्व भारत सरकार के कन्धों पर है। लेकिन अफसोस की बात है कि संविधान द्वारा इतना कुछ होते हुए, स्वतंत्र भारत के 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी, विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग नहीं के बराबर है। जब कि इस क्षेत्र में अंग्रेजी का प्रयोग बरकार ही नहीं, बढ़ा है। देश में उद्योग धंधों के साथ-साथ विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। उद्योगों के अतिरिक्त वर्तमान कृषि का रूप तकनीकी हो गया है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां की 75 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी रूप में कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित अधिकांश जनसंख्या हिन्दी भाषी है फिर भी कृषि की उच्चशिक्षा के लिए माध्यम भाषा अंग्रेजी ही है। इस लिए मन में बार-बार यह प्रश्न उठता है कि अब तक विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी को उचित स्थान क्यों नहीं मिल सका? और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं?

भारत को भाषाओं के आधार देशों का समूह कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। यह इस महान देश की एक विशेषता है जिसे हम एकता में अनेकता मानते हैं। देश में कुल 15 भाषाएं और अनेकों बोलियां बोली जाती हैं। इन्हीं भाषाओं में अंग्रेजी भी शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी ही एक विदेशी भाषा है जो सभी प्रांतों में बोली, पढ़ी और लिखी जाती है हालांकि अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बहुत कम (लगभग दो तीन प्रतिशत) है। जब विभिन्न भाषाई क्षेत्रों से छात्र उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र होते हैं तब अंग्रेजी भाषा ही माध्यम के रूप में उभरती है। इसका मूल कारण, हिन्दी भाषा को संघ भाषा का दर्जा मिलने के बाद भी अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा के लिए तैयार न कर पाना है। इस काम में ढिलाई के लिए कारण अनेकों हैं जिनमें राजनीतिक दाव-पेंच भी शामिल है।

वास्तव में ढिलाई के कारणों से ही भारत सरकार कभी भी स्पष्ट रूप से अंग्रेजी को तिलांजलि नहीं दे सकी और न ही हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के लिए माध्यम भाषा के रूप में स्वीकार कर सकी। इस ढुल-मुल नीति का नतीजा यह हुआ कि दक्षिणी प्रांतों के भाइयों ने समझा कि हिन्दी उनके ऊपर थोपी जा रही है जब कि यह सच नहीं था। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी को सभी क्षेत्रों में प्रमुख माध्यम भाषा के रूप में बनाए रखना भारतीय भाषाओं के ऊपर कुठाराघात है। इस लिए दक्षिणी प्रांतों के भाई अंग्रेजी को कलंक मानते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि हिन्दी भाषी प्रांतों में भी हिन्दी को प्रमुख भाषा का स्थान नहीं मिल सका है। पिछले 35 वर्षों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या बढ़ी है यह उपर्युक्त बात का प्रमाण है। इन स्कूलों में हिन्दी को सहयोगी भाषा का स्थान दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी का स्थान प्रथम बना रहने के कारण ही, विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग नहीं बढ़ पाया।

विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी को बढ़ावा न देने में भारतीय वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों का भी हाथ कम नहीं है। पहले विशेषज्ञों का कहना था हिन्दी भाषा में तकनीकी शब्दों की कमी है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने शब्दावली तैयार करके तकनीकी शब्दों की कमी को दूर कर दिया है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि हिन्दी के शब्द, अंग्रेजी की अपेक्षा कठिन और समझ में न आने वाले हैं। संभवतः भारतीय वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ इस बात से अपरिचित है कि 16वीं सदी में जब युरोपीय देशों में आधुनिक विज्ञान का शुभारम्भ हुआ तो अंग्रेजी भाषा के सम्मुख ऐसी ही समस्या थी क्योंकि अंग्रेजी भाषा में विज्ञान लैटिन भाषा से आरम्भ हुआ। धीरे-धीरे प्रयासों एवं अभ्यासों के बल पर अंग्रेजी विज्ञान के लिए उपायुक्त भाषा बन गयी। मुझे अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ हिन्दी को बढ़ावा देने की दिशा में हमेशा से ही उदासीन है। उदासीन ही नहीं बल्कि यदि किसी विद्यार्थी या वैज्ञानिक ने इस ओर कदम बढ़ाया तो अंग्रेजी का पिट्ठू बन कर उसे हतोत्साहित किया और उसके काम में अड़ंगा डाला। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नयी दिल्ली के विभागाध्यक्ष द्वारा हिन्दी में लिखे गए शोध प्रबन्ध को स्वीकार न करना, इसी बात का सबूत है।

जहां तक वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में सरकार द्वारा हिन्दी को बढ़ावा देने का प्रश्न है, निश्चय ही इसका अभाव महसूस किया जाता है। संभवतः वैज्ञानिक मामलों में सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति इसका कारण है लेकिन यदि सरकार द्वारा हिन्दी भाषा में लेखन करने वाले वैज्ञानिकों को कुछ प्रोत्साहन मिला होता तो निश्चय ही विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी को बहुत बढ़ावा मिला होता। यदि प्रोत्साहन के रूप में पदोन्नति या दक्षता बढ़ोतरी का आर्थिक लाभ देने की

योजना अब से भी शुरू की जाय तो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ समय बाद हिन्दी, विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में, एक सशक्त माध्यम भाषा के रूप में उभर कर आ सकती है और अंग्रेजी का विकल्प बन सकती है। यहां यह बताना अप्रासंगिक नहीं है कि हिन्दी अपनी खूबियों के कारण आधुनिक कम्प्यूटर प्रणाली में अग्रणी स्थान बना लेगी। भारत सरकार ने द्विभाषित यांत्रिक उपकरणों के विकास तथा निर्माण के लिए सक्रिय कदम उठाया है और इस क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की पर्याप्त संभावना है।

हमारे देश में हर प्रकार की शिक्षा रोजी-रोटी से जुड़ी है। विज्ञान के छात्र हिन्दी माध्यम से पढ़ाई कर के रोजी-रोटी पाने में आशंकित हैं, हिन्दी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को रोजी-रोटी देने के मामलों में सरकार से वरीयता की आशा की जा सकती है। अच्छा तो यह हुआ होता कि हिन्दी को संघ की भाषा का दर्जा प्रदान करने के साथ ही घोषणा हो गयी होती कि हिन्दी में विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्रों को रोजी-रोटी की कठिनाई न होगी। इस घोषणा से विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी को बढ़ावा मिलता। नौकरी देने में कम से कम हिन्दी भाषी प्रांतों की राज्य सरकारों ने भी यदि ऐसी नीति अपनाई होती तो भी विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बहुत आगे बढ़ गया होता। यह कार्य न होने से विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य यथावत अंग्रेजी में चल रहा है। हिन्दी के पक्ष में गोष्ठियों, बैठकों और भाषणों का आयोजन होता है, सरकारी विभागों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है, हिन्दी को बढ़ावा देने वालों के लिए पारितोषिक देने की योजना है, लेकिन हिन्दी में विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को रोजी-रोटी पाने या पदोन्नति में कोई सुविधा नहीं है। इस एक प्रमुख कारण माना जा सकता है जिसकी वजह से विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी पनप नहीं सकी।

किसी भी नीति को आगे ले जाने के लिए कुछ अगुवा होते हैं जिनका कर्तव्य बनता है कि वे जिस नीति को बढ़ावा देने के लिए समाज से अपेक्षा करते हैं, उस पर वे खुद अमल करें। हिन्दी को राजभाषा का स्थान देने के लिए तत्कालीन नेताओं ने अपनी आवाजें बुलन्द की थीं। उस समय ऐसा लगा था मानों इस देश में अंग्रेजी अपनी आखिरी सांस ले रही है लेकिन नेताओं के ही दम से अंग्रेजी फिर फलने-फूलने लगी। आज भी अंग्रेजी के हिमायतियों की कमी नहीं है लेकिन खुशी की बात है कि इन परिस्थितियों में भी हिन्दी में विज्ञान करने वाले वैज्ञानिक उभरने लगे हैं हालांकि इनकी संख्या अभी बहुत कम है।

विगत दिनों हमारी भावी शिक्षा-नीति के विषय में राष्ट्रीय स्तर पर बहस हुई है और जो मोटी बात सामने उभरी है वह यह है कि संपूर्ण देश में शिक्षा का मांप दण्ड एक होना चाहिए। इस बहस में हिन्दी को उचित स्थान (प्रथम स्थान) और सम्मान दिलाने का प्रयास कमजोर रहा। ऐसा कुछ नहीं जान पड़ता कि निकट भविष्य में विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी को उचित स्थान मिल सकेगा। हमारे देश में स्थिति यह है कि सरकार जिस काम में हाथ लगाती है उधर ही हवा बहने लगती है। इस लिए यह आवश्यक जान पड़ता है कि विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी को उचित स्थान दिलाने के लिए सरकार सामने आए। यदि सरकार सामने आती है तो कोई अनुचित न होगा क्योंकि हिन्दी के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार के कंधों पर ही है। इस काम में सफलता के लिए सरकार को प्राय दो कदम उठाने की आवश्यकता है। पहले कदम के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का समान रूप से मूल्यांकन और दूसरे कदम के रूप में हिन्दी माध्यम से पढ़े विद्यार्थियों को रोजी-रोटी पाने में कुछ वरीयता। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कुछ अधिक मान्यता देनी होगी। इन दो कदमों से ही हिन्दी का स्थान ऊंचा हो जाएगा। यह काम, कम से कम हिन्दी भाषी राज्य सरकारें प्रांतों में तुरन्त ही कर सकती हैं।

बहुत से लोगों के मन में शंका उठ सकती है कि क्या उच्च शिक्षा (विशेष कर विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में) का माध्यम हिन्दी बन सकती है। इस तरह शंका की अब कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के शब्द भण्डारों की कमी को पूरा कर लिया गया है। अब कमी केवल शब्दों के प्रयोग की है। बार बार प्रयोग से शब्द समझने में अंग्रेजी से भी आसान हो जाएंगे। यदि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाय तो विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी को, दक्षिणी प्रांतों में भी, अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह बात मैं निजी तौर पर दक्षिण भारत के दोस्तों से हुई वार्ता के आधार पर कह रहा हूं। दोस्तों ने मुझे बताया है कि उन राज्यों में भी लोग अंग्रेजी से खुश नहीं हैं और वे चाहते हैं कि देश की एक राष्ट्रीय भाषा हो। यदि उनके दिलों में यह बात बैठा दी जाय कि उनके ऊपर हिन्दी लादी नहीं जा रही है बल्कि यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता है तो उन्हें हिन्दी को अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हिन्दी अपनाने के विषय में यह सवाल उठाया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श में बाधा पड़ सकती है। यदि रूस, चीन और जापान के लिए भाषा बाधा नहीं है तो भारत के लिए ही क्यों है? हमारे साथ बहुत से लोग इस बात से सहमत हैं कि विज्ञान तथा तकनीकी का लाभ गांवों तक तभी पहुंच सकता है जब इसकी भाषा हिन्दी हो। अंग्रेजी की कमी को, अलग से अंग्रेजी पढ़ कर दूर किया जा सकता है। यदि विज्ञान और तकनीकी का लाभ गांवों तक पहुंचाना है तो भारत सरकार को विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ निश्चय करना होगा अन्यथा यह कार्य अगले 100 वर्षों में भी पूरा न हो सकेगा।

सी. डी. 20ए
हरी नगर, नयी दिल्ली-110064

रेलों पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार में कठिनाइयां

—कमलाकर प्रधान

हिन्दी का प्रचार-प्रसार और कभी रेलों पर कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप इधर से गार्ड बाबू ने एक हाथ से सीटी बजाई फुर्रर और दूसरे हाथ में झण्डी दिखाई "टा टा" उधर से ड्राइवर ने भी विसल बजाई कूउ और वो चली रेल—झुक झुक झुक झुक—लगी हवा से बातें करने। उसमें हिन्दी कहां से आ टपकी और उसके प्रचार और प्रसार की गुंजाइश कहां-कहां है और तो और उसकी जरूरत भी क्या जान पड़ी? यह किस खपती दिमाग का शगल से आखिर? अरे भाई स्टेशन मास्टर बोलता है, थर्टी टू डाउन राइट टाइम और कण्डक्टर बोलता है "नो रूम" बस, बड़े मजे में चल रहा है सब काम। आप अपनी हिन्दी को घुसेड़ोगे तो कहां?

आम आदमी के सोच की दौड़ तो यहीं तक जा सकती है जब तक कि उसे यह न मालूम हो कि इन दो पटरियों पर नाक की सीध में दौड़नेवाली रेल को चलाने के लिए कोई बीस लाख कर्मचारी काम करते हैं जिनमें से लगभग पांच लाख लोगों को लिखा पढ़ी का काम करना पड़ता है। इसके अलावा रेल विभाग भी भारत सरकार का एक महकमा है।

दूसरी बात यह है कि रेलों पर हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के लिए एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में कमल लेकर क्रान्ति का सन्देश लेकर सर पर कफन बांध कर कोई शहीदों की टोली निकली है या गले में रुद्राक्ष माला धारण कर हाथ में इकतारा और करताल लिये कोई सन्त-मण्डली हिन्दी-भक्ति के आन्दोलन को जगाने और भक्तिरस में सराबोर करने चल पड़ी है और उनके रास्ते में कोई और गजब कोई बाधाएं निर्माण कर रहा है? किसे करना है यह प्रचार और प्रसार किसकी जिम्मेदारी है यह?

दरअसल बात ऐसी कुछ भी नहीं है। हमारी बात तो अपने सरकारी कामकाज तक ही सीमित है। भारत सरकार का कामकाज किस तरह से चले इस बारे में नियम भारत के संविधान में लिखे हैं। हर देश का अपना संविधान होता है और देश के नागरिक उसका पालन करते हैं। वैसे नौकरी पर आने के पहले दिन ही हम संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ तो लेते हैं लेकिन उसमें हमें लागू होनेवाली कौन-कौन सी बातें हैं इसकी कभी खैर खबर रिटायर होने तक भी नहीं लेते और यहीं सारी गड़बड़ है। हिन्दी की संवैधानिक स्थिति न जानने के कारण हमारे लोग अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने की जहमत ही नहीं उठाते।

सरकारी कामकाज हिन्दी में किये जाने के रास्ते में कठिनाइयां दो तरह की पाई जाती हैं। पहली किस्म की वह हैं जो दरअसल में मौजूद हैं और दूसरी महज मानसिकता के कारण है।

जिनको 20 साल से अधिक नौकरी हो गई है उन्हें लम्बे अर्से तक अंग्रेजी में सोचने बोलने और लिखने की आदत पड़ गई है। इन लोगों को यदि हिन्दी में लिखने के लिए कहा जाए तो वे पहले अंग्रेजी में सोचते हैं फिर उसको हिन्दी बनाकर लिखने की कोशिश करते हैं। इस कारण उनके विचार कागज पर उतरने में रुकावट सी होती है। इसी तरह से अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान न होने से उनकी अभिव्यक्ति में सहजता नहीं आती। परिणामतः भाषा पर अधिकार के अभाव में उनकी कार्य-कुशलता पंगु बन जाती है और कोई ज्येष्ठ कर्मचारी अपने आपको ऐसी स्थिति में डालने के लिए तैयार नहीं रहता। कुल मिलाकर वह अंग्रेजी में ही लिखना अधिक पसन्द करता है। ऐसा व्यक्ति जब कोई अधिकारी होता है तो वह अपने हिन्दी के ज्ञान की कमी निवारण के लिए अपना शब्द भण्डार बढ़ाने और नये शब्द नये प्रयोग सीखने के बजाय अपने अधीनस्थों पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालता है अंग्रेजी में ही लिखने के लिए।

प्रशासन की भी ऐसी मनशा नहीं है कि केवल भाषा के कारण से किसी की कार्यकुशलता कम हो जाए या प्रभावित हो और इसीलिए गृह मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, प्रधान कार्यालय, मण्डल कार्यालय सभी स्तरों पर यह बार-बार दोहराया जाता है कि सरकारी कामकाज में बोलचाल की हिन्दी का प्रयोग किया जाए। अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषा के आम अहम शब्दों का प्रयोग करने में झिझके नहीं।

हम तो उस पहली पीढ़ी के लोग हैं जिन पर दोहरी जिम्मेदारी है—पहली तो हिन्दी से अंग्रेजी में परिवर्तन की और दूसरी अगली पीढ़ी के लिए स्वाधीन देश की अपनी भाषा का प्रयोग वसियत के रूप में छोड़ जाने की।

इसके अलावा हमारी मानसिकता कई प्रकार से हमारे रास्ते में आती है।

समाज का उच्चतम् वर्ग अपने आपको अलग और श्रेष्ठ महसूस करता है और सर्वहारा से कट कर हट कर रखने के लिए अंग्रेजी बोलने और लिखने के द्वारा अपनी श्रेष्ठता जताने की कोशिश करता है। विशेष कर अधिकारी वर्ग में यह ग्रंथी होती है और वे अंग्रेजी में काम कर के अपने अहम की तुष्टि करते रहते हैं।

ये लोग एक बुनियादी तथ्य को भूल जाते हैं कि इन विभिन्न वेष-भूषाओं के अन्दर "मानव मानव है सब समान" वही दो हाथ और पांववाला पूच्छाविहीन प्राणि, लेकिन यह मानव एक दूसरे से अलग या श्रेष्ठ, कम या अधिक बनता है उसके संस्कारों से या ज्ञान-साधना से और अंग्रेजी यह एक माध्यम है ज्ञान नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों से प्रान्तीयता की संकीर्ण भावना को भी व्यापक रूप से खाद-पानी दिया जा रहा। वे अहिन्दीभाषी लोग जो थोड़ा प्रयास करने पर हिन्दी में पढ़-लिख सकते हैं वे भी जान-बूझ कर हिन्दी में काम नहीं करते और न नई पीढ़ी को करने देते हैं।

एक तो ये लोग इस ढंग से सोचते हैं कि मानो हिन्दी में काम करना याने कुछ नीचे गिरना है और दूसरी ओर यह तर्क भी दिया जाता है कि हमें अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा एक अतिरिक्त भाषा हिन्दी भी सीखनी पड़ती है, जब कि हिन्दी भाषी आदमी को एक भाषा कम सीखनी पड़ती है और यदि अंग्रेजी राजकाज की भाषा हो तो सभी बराकर रहेंगे, सभी को एक अतिरिक्त भाषा सीखनी पड़ेगी।

यह बात कुछ हद तक सही होने के बावजूद इसका एक दूसरा पक्ष भी है। यह तो निर्विवाद है कि भारत एक बहुभाषी देश है। इसका यह मतलब तो नहीं कि हम हमेशा हमेशा के लिए छोटे-छोटे खेमों में बंटे ही रहें। कहीं तो एक दूसरे के साथ समन्वय करना होगा और उस दशा में आखिर हमारी संपर्क भाषा क्या होगी ? वहीं होगी न जिसे अधिक से अधिक लोग समझ सकें, जिसमें अपने विचार व्यक्त कर सकें, जिसे सीखने में अन्य भाषा-भाषियों को अपेक्षाकृत कम प्रयास करना पड़े और जो व्याकरण तथा प्रयोग की दृष्टि से जटिल न हो। ऐसी भाषा हिन्दी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश तो हिन्दीभाषी प्रदेश ही हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और पंजाब ऐसे राज्य हैं कि इनकी भाषाएं हिन्दी से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं और इनकी लिपियां में भी बहुत कम अन्तर है। इसके अलावा दक्षिण भारत की चारों भाषाएं तमिल, तेलगु, कन्नड और मलयालम संस्कृत बहुत होने कारण इन भाषाओं के कई शब्द भी हिन्दी शब्दों से मिलते-जुलते हैं। इन्हें केवल लिपि सीखने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। इन सब के बाद जो बचता है वह शेष भारत की तुलना में बहुत थोड़ा प्रदेश ऐसा बचता है जिन्हें बिलकुल नये सिरे से हिन्दी सीखनी पड़ेगी। ठीक इसके विपरीत इस देश में केवल 2 प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी जानते हैं। ऐसी स्थिति में इस देश की समन्वय और सम्पर्क की भाषा हिन्दी से अधिक उपयुक्त कोई अन्य नहीं हो सकती और अंग्रेजी तो किसी भी हालत में नहीं।

इन सब बातों के होते हुए जो लोग हिन्दी में काम करना चाहते हैं और करते भी हैं उन्हें सामना करना पड़ता है स्टेशनरी की कमी का। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) यह व्यवस्था तो देती है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की दस्तावेज जैसे सामान्य आदेश, विभागीय अधिसूचनाएं, टेण्डर, लाइसेन्स, परमिट, करार, प्रशासकीय रिपोर्ट तथा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानेवाली रिपोर्ट आदि हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जाएं या बनाएं जाएं लेकिन इस कारण से स्टेशनरी का जो दोहरा खर्च होना है उसके लिए अतिरिक्त स्टेशनरी की कोई व्यवस्था सरकारी कार्यालयों में नहीं की जाती।

इसके साथ ही अक्सर यह शिकायत की जाती है कि हिन्दी में स्टेंसिल किये हुए स्पष्ट नहीं छपते। यही स्थिति अंग्रेजी पत्रों की होती है तो कोई किसी के पास शिकायत लेकर कभी नहीं जाता, आगे पीछे का सन्दर्भ जोड़ जाड़ कर काम चला लिया जाता है, लेकिन हिन्दी के शब्दों से अच्छी तरह परिचित न होने के कारण, यह शिकायत तो बड़ी मासूमियत से पेश कर ही दी जाती है।

हालांकि रेलों पर अब बहुत बड़ी संख्या में हिन्दी टाइप राइटरों की व्यवस्था कर दी जा चुकी है फिर भी जिसे "फूल-फ्लेज्ड" कहा जा सके ऐसा काम करने के लिए तो हिन्दी टाइप-राइटरों की संख्या अपर्याप्त ही है।

अब यह तो नहीं कहा जा सकता कि हिन्दी में सहायक साहित्य नहीं है, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा विधिक विषयों पर बहुतसी सामग्री भारत सरकार द्वारा हिन्दी में अब तक प्रकाशित की जा चुकी है। लेकिन होता यह है कि कार्यालयों में यह सामग्री पहुंचने पर फाइलों तथा रैकों की ही शोभा अधिक बढ़ाती है, बजाय इसके कि उसका कोई अवलोकन या अनुशीलन करें और प्रत्यक्ष प्रयोग करते समय उसकी सहायता लें।

इसका जाहिर परिणाम कुल मिलाकर यह कि इन मामलों में हिन्दी अभिव्यक्ति किस प्रकार की जाती है इसकी जानकारी नहीं रहती और फिर "या अंग्रेजी तेरा सहारा"।

सब से बड़ी बात तो यह है कि संविधान ने जिस कार्यवाही के लिए 9+1 धाराओं में व्यवस्था दी है, जिसके लिए अलग से "राजभाषा अधिनियम" जारी किया गया है और उसे कार्यान्वित करने के लिए "राजभाषा नियम 1976" जारी किये गये हैं वहां इन सब के अनुपालन में चूक होने पर किसी भी प्रकार की दण्डात्मक व्यवस्था नहीं है। नतीजा सामने है कि स्वाधीनता के 35 वर्षों बाद, संविधान लागू होने के 30 वर्ष बाद भी हम इन व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन में प्रेम और सद्भाव की दुहाई दिये चले जा रहे हैं और पता नहीं कब तक देते रहना होगा क्योंकि राजभाषा अधिनियम की भाषा और आशय संविधान की 9+1 धाराओं में निरूपित व्यवस्थाओं को लागू कराने के बजाय उन्हें अर्गलाएं पहनाने के लिए अधिक लगता है। यह बात विशेष कर अधिनियम की धारा 3(3) में अधिक महसूस होती जहां यह निर्धारित किया गया है कि जब तक संघ के सभी घटक राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग हिन्दी को राजभाषा के रूप में लागू करने हेतु सहमति प्रदान नहीं करतीं तब तक हिन्दी सार्वभौम रूप से राजभाषा के पद पर आसीन नहीं हो सकती।

राजभाषा नियम की धाराएं भले ही अनुपालन की जिम्मेदारी प्रशासकीय अधिकारियों पर डाले लेकिन प्रत्यक्ष रूप में यह काम हिन्दी संगठन के कर्मचारियों को ही करना पड़ता है। इसलिए

हिन्दी संगठन के लिए कर्मचारी चुनते समय पर्याप्त दूरदर्शिता जरूरी है। जैसा कि ऊपर बताया गया है राजभाषा अधिनियम में उल्लंघन के लिए कोई दण्डात्मक व्यवस्था नहीं है, इसलिए हिन्दी के कार्यकर्ताओं को मिशनरी भावना से समर्पित वृत्ति से काम करना जरूरी है। पाया यह जाता है कि हिन्दी संगठन में अधिकांश कर्मचारियों को राजभाषा कार्यान्वयन के उद्देश्यों के बारे में स्पष्टता नहीं होती। राजभाषा संम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाओं को न तो वे ठीक से जानते हैं और न ही उन्हें जानने की उन्हें जिज्ञासा है। वह तो केवल तात्कालिक लाभ को देखकर मंडरानेवाले वेतन-भोगी लोगों का हजूम सा नजर आता है। ऐसे लोगों से किस प्रगति की अपेक्षा की जाए? ये स्वयं ही हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अवरोध ही सिद्ध होते हैं। उचित चयन किया जाए तो इसका भी निराकरण किया जा सकता है।

—सहायक हिन्दी अधिकारी
रतलाम

[पृष्ठ 15 का शेष]

एक शब्द के लिए कई पर्याय हो सकते हैं जैसे "Draft" के लिए प्रारूप, मसौदा, ड्राफ्ट आदि इन में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार "File" के लिए मिसिल या "फाइल" में से कोई भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। मेरा मत है कि यदि किसी शब्द का हिन्दी पर्याय मालूम नहीं है तो हम उसी शब्द को देवनागरी में लिखने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। यह सर्वविदित है कि सरकारी काम-काज की अंग्रेजी भी साहित्यिक अंग्रेजी नहीं होती और उसके असंख्य प्रयोग साहित्यिक अंग्रेजी की दृष्टि से बड़े अटपटे लगते हैं। किन्तु जैसे हर व्यवसाय और पेशे की अपनी भाषा बन जाती है उसी प्रकार सरकारी कार्यालयों की विशेष प्रकार की अंग्रेजी की तरह हिन्दी की भी अपनी विशेष शैली बन जाए तो कोई हानि नहीं है। आशा है भविष्य में सरकारी कार्यालयों के सब कार्यकलाप हिन्दी में अमल करने में सफलता पायेंगे।

हिन्दी अधिकारी
विशाखापटनम पत्तन न्यास

राष्ट्रभाषा और हिन्दी

—डॉ० इन्द्रचन्द्र शास्त्री

भाषा विचारों का वाहन है और निधि भी। वाहन के रूप में उसके दो कार्य हैं (1) हमारे विचारों को दूसरों तक ले जाना और (2) दूसरों के विचार हमारे पास लाना। निधि के रूप में वह प्राचीन विचारों का संग्रह है। जिसे पुस्तक, शास्त्र आगम, वेद आदि शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। प्रथम कार्य के लिए उस भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी जिसे अधिक से अधिक लोग समझते हैं। द्वितीय के लिए उस भाषा को जो नूतन विकास एवं नए विचारों को शीघ्र आत्मसात् कर सके। तृतीय बात के लिए उसका सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होना आवश्यक है। चौथी बात भावनापक्ष से संबंध रखती है। प्रस्तुत लेख में उपयुक्त चारों दृष्टियों को लेकर राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

प्रांतीय भाषाएं

दीर्घकालीन संघर्ष और बलिदान के पश्चात् हमारा देश स्वाधीन हुआ। किन्तु लोकतन्त्र की स्थापना होते ही स्वार्थों में प्रतिस्पर्द्धा चल पड़ी। संघर्षकाल में हम प्रांत, धर्म, जाति, भाषा, वर्ग आदि भेद भूल गए थे, किन्तु लोकतन्त्र में मतसंग्रह के लिए उन्हें उभारा जाने लगा। जब कोई जननायक साधारण संघर्ष में पराजित हो जाता है तो कोई न कोई आधार बनाकर नया दल खड़ा कर लेता है और देश की अखंडता को छिन्नभिन्न कर डालता है इसी मनोवृत्ति के फलस्वरूप राष्ट्रभाषा के प्रश्न ने राजनीतिक रूप ले लिया। और राष्ट्रीय अखंडता की उपेक्षा करके प्रांतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

अंग्रेजी शासन में पंजाब के निवासी उर्दू और अंग्रेजी पढ़ते रहे। पंजाबी सिक्खों की धर्मभाषा थी। उसके अतिरिक्त उसका प्रयोग साधारण बोलचाल और लोकगीतों तक सीमित था, किन्तु जब उर्दू का स्थान हिन्दी लेने लगी तो आंदोलन खड़ा हो गया। उच्चकक्षा तक समस्त संस्थाओं में पंजाबी को अनिवार्य कर दिया गया। उसे सीखना प्रत्येक अधिकारी के लिए अनिवार्य हो गया। बंगाल तथा महाराष्ट्र से आए हुए बूढ़े डाक्टरों और अधिकारियों ने कका खखा गगा घघा सीखना शुरू किया। इस प्रकार उनका मूल्यवान समय अनावश्यक कार्य में खर्च होने लगा।

दूसरीओर हम उन विद्यार्थियों को लें जिन्होंने पंजाबी माध्यम द्वारा उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। स्वाभाविक रूप से उनका मानसिक धरातल गुरुवाणी और सिक्खों द्वारा किए गए कुछ युद्धों तक सीमित है।

तीसरी बात प्रादेशिक अस्मिता की है। धर्मसंस्था ने देवता गुरु और शास्त्र के नाम पर अपनी परम्परा को उत्कृष्ट और दूसरी को हीन समझने को कहा। प्रादेशिक भाषाओं का प्रश्न खड़े होने पर वही संकुचित अस्मिता भाषा के नाम पर पनपने लगी।

मानसिक धरातल जितना संकुचित और छिछला होता है, अहंकार उतना ही तीव्र होता है। वह दूसरे से घृणा करना सीखता है जिससे एक और वैमनस्य फैलता है, दूसरी ओर नूतन विकास के प्रति उपेक्षा होने लगती है।

हरियाना पंजाब का ही एक भाग था। यहां रहने वालों को गर्व था कि हम बचपन से ही हिन्दी बोलते हैं। जिस प्रकार व्रजभाषा को हिन्दी से पृथक नहीं किया जा सकता उसी प्रकार हरियाने की भाषा हिन्दी का ही एक रूप है। किन्तु पृथक राज्य बनते ही स्थानीय बोली के विकास के लिए प्रयत्न होने लगे और केन्द्र से रुपया मिल गया। यह कहना कठिन है कि भाषा के लिए रुपये की आवश्यकता थी अथवा रुपया प्राप्त करने के लिए भाषा का प्रश्न उठाया गया।

राजस्थान के लोग मीरा को लेकर गर्व करते आए हैं। वहां के भाट एवं चारणों ने वीररस की जो कविताएं बनाई हैं वे हिन्दी का गौरव बढ़ाने वाली हैं। किन्तु वहां भी राजस्थानी के विकास का आंदोलन चल रहा है। इस प्रकार हिन्दी का क्षेत्र उत्तरोत्तर संकुचित होता जा रहा है।

स्वाधीनता प्राप्ति से पहले के बीस बरसों को लिया जाय तो दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार तेजी से बढ़ रहा था। दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा की ओर से स्थान-स्थान पर कक्षाएं लगती थीं और स्थानीय जनता उत्सुकतापूर्वक सीखती थीं। महात्मागांधी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं के प्रति उनके मन में सच्ची श्रद्धा थी। किन्तु स्वाधीनता के पश्चात् चुनावों के अभियान शुरू हुए और कृत्रिम आधारों को लेकर नए-नए दल खड़े होने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम द्रविड हैं और आर्य लोग अपनी संस्कृति हम पर लादना चाहते हैं। इस प्रकार चार हजार वर्ष पहले के द्वेष को उभारा गया। ईसाइयों को यह कहकर उभारा गया कि हिन्दी हिन्दुओं की धर्म भाषा है और उसे ईसाइयों पर लादना धार्मिक स्वतन्त्रा पर प्रहार है। वे अंग्रेजी के समर्थक बन गए। हम मानते हैं कि दक्षिणी भाषाएं साहित्यिक दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं। फिर भी उन्हें अन्य राज्यों के साथ विचारविनिमय का साधन नहीं बनाया जा सकता।

एक बात और है। राम, कृष्ण, शिव, बुद्ध, महावीर आदि धर्म प्रवर्तक उत्तर भारत में हुए। जिन्हें भारतीय संस्कृति देवता के रूप में पूजती है। प्रत्येक परंपरा को समुन्नत करने वाले महान् आचार्य दक्षिण भारत में हुए। उन्होंने जो ग्रंथ

लिखे उत्तर भारत बड़े आदर के साथ पढ़ता है। शंकराचार्य ने सारे भारत में पीठों की स्थापना की। रामानुज, मध्व निंबार्क आदि आचार्यों का प्रभाव भी भारत व्यापी है। इस समय भी दोनों प्रदेश भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते थे। किन्तु संस्कृत ने सांस्कृतिक अखंडता को दृढ़ किया। हिन्दी संस्कृत का ही परिवर्तित रूप है। जो भाषा पुस्तकों में रूढ़ हो गई वह संस्कृत बनी रही और जो बोलचाल द्वारा बदलती गई उसने हिन्दी का रूप ले लिया। ऐसी स्थिति में इसका विरोध किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

संस्कृत

कुछ संस्कृत विद्वानों का कथन है कि राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। इस प्रस्ताव के पीछे मुख्य तत्व भावना है। हम मानते हैं कि संस्कृत अधिकतर भारतीय भाषाओं की माता है, किन्तु इसी आधार पर नहीं कहा जा सकता कि वह सर्वत्र उपयोगी सिद्ध हो सकती है। माता का आदर होना चाहिए। किन्तु वह पत्नी का स्थान नहीं ले सकती। उसके लिए ऐसी स्त्री चाहिए जिसमें जीवन उछल रहा हो। भाषा की भी यही बात है। संस्कृत रूढ़ हो चुकी है। उसके साथ जनसाधारण का संबंध टूट चुका है।

संस्कृत का वाहन पक्ष अत्यंत दुर्बल है। उसके द्वारा हम अपने विचारों को अधिक लोगों तक नहीं पहुंचा सकते।

वैज्ञानिक भारत में आश्चर्यजनक विकास हो रहा है। राजनीति तथा अन्य क्षेत्रों में भी उथल पुथल मची है। संस्कृत के द्वारा हम इस आधुनिक विकास एवं परिवर्तनों को नहीं जान सकते। यही कारण है कि संस्कृत के पंडित प्राचीन युग के स्वप्न देखते रहते हैं। वे नवीन प्रकाश को नास्तिकता कह कर आंखें बंद कर लेते हैं और प्राचीनता के अंधेरे में विश्राम लेना चाहते हैं।

फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संस्कृत अत्यंत समृद्ध भाषा है। उसमें निहित अनेक तत्व अब भी जीवन के लिए मूल्यवान हैं। उनके पर्यालोचन के लिए आवश्यक है कि संस्कृत का अध्ययन चलता रहे। किन्तु उसे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

एक बात और है। हिन्दी को समृद्ध बनने के लिए नए विचारों का स्वागत करना होगा। इसके लिए नए शब्द बनाने होंगे और यह कार्य संस्कृत द्वारा ही संपन्न हो सकता है। संस्कृत में जितने मूलधातु हैं तथा तद्धित एवं कृदंत द्वारा नए शब्द बनाने की जितनी प्रक्रियाएं हैं उतनी शायद ही अन्य किसी भाषा के पास होंगी। जो व्यक्ति हिन्दी में प्रौढ़ता प्राप्त करना चाहता है उसके लिए संस्कृत की पृष्ठ भूमि अत्यंत आवश्यक है।

हिन्दी

हिन्दी का वाहन पक्ष अत्यंत शक्तिशाली है। भारत की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसे इतने आदमी बोलते हों। समझने वालों की संख्या तो और भी अधिक है। पंजाबी, बंगाली, गुजराती तथा दक्षिणी लोग हिन्दी नहीं बोलते। फिर भी समझते सभी हैं। इस दृष्टि से हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा बनने का अधिकार है। दूसरा पक्ष विचारों के आयात का है। इसके लिए विश्व में अंग्रेजी का प्रथम स्थान है। वह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। कोई विचारधारा कहीं उठे, कहीं कोई नया आविष्कार अथवा प्रयोग हो तत्काल अंग्रेजी में आ जाता है। अंग्रेजी जानने वाला यह दावा कर सकता है कि वह विश्व में होने वाले नूतन परिवर्तनों से अपरिचित नहीं है। किन्तु यह दावा इस आधार पर नहीं होता कि सारे प्रयोग अंग्रेजी बोलने वाले देशों में ही होते हैं। रूस की अपनी भाषा है और वहां आए दिन नए प्रयोग होते रहते हैं। जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है और फ्रांस में फ्रेंच। अंग्रेजी का उपयुक्त दावा केवल अनुवाद के आधार पर है।

हिन्दी भी यह दावा कर सकती है, इसके लिए अनुवाद की मशीनरी को आधुनिक और शक्तिशाली बनाना होगा। आधुनिक का अर्थ है प्राचीनता के झगड़े में न जाकर प्रचलित शब्दावली को स्वीकार करना। उदाहरण के रूप में स्टेशन, रेलगाड़ी, इंजन, मशीन आदि शब्द इतने प्रचलित हो चुके हैं कि उनके स्थान पर संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग व्यर्थ का बोझ होगा। शक्तिशाली बनाने का अर्थ है अभिव्यंजना को समृद्ध एवं प्रौढ़ बनाना। भाषा में यह योग्यता होनी चाहिए कि नए विचार के लिए शब्द घड़ सके। हिन्दी को यह योग्यता संस्कृत से ही प्राप्त हो सकती है।

तीसरी बात निधि की है। मानना होगा कि हिन्दी का निधि पक्ष संसार की समृद्ध भाषाओं की तुलना में दुर्बल है। किन्तु इस आधार पर न तो किसी विदेशी भाषा का समर्थन किया जा सकता है और न प्राचीन भाषा का। आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी को राष्ट्रीयता का आवश्यक अंग मानकर उसे समृद्ध बनाने की ओर ध्यान दिया जाए।

चौथी बात भावना की है। इस दृष्टि से प्रांतीय भाषाओं का स्थान सर्वप्रथम है। प्रत्येक प्रांत का नागरिक नाट्य संगीत आदि का आनंद जितना अपनी भाषा में ले सकता है, उतना दूसरी भाषा में नहीं। किन्तु यदि प्रांतीय बोलियों को छोड़ दिया जाय तो यह स्थान हिन्दी को ही मिल सकता है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां हिन्दी के चित्रपट लोकप्रिय न हों। बंगाल और मद्रास का रहने वाला मजदूर भी हिन्दी संगीत का आनन्द लेता है और उन गीतों को गुनगुनाता है। उत्तेजनापूर्ण भाषण सुनकर उत्तेजित हो उठता है और भक्तिपूर्ण प्रवचनों में भावविभोर हो जाता है। हृदय के साथ इतना संबंध अन्य किसी भाषा का नहीं है। अंग्रेजी में हम जो वादविवाद करते हैं, उनमें बुद्धि की प्रधानता रहती है, हृदय की नहीं। इसी प्रकार जब संस्कृत को सुनते हैं तो पवित्रता का वातावरण बन जाता है। हृदय में आदर भावना उत्पन्न होती है। बालक को पिता या धर्मगुरु की उपस्थिति में जो अनुभूति होती है, वही अनुभूति हमें संस्कृत से होती है। इसके विपरीत हिन्दी में साथी की अनुभूति होती है। जीवन में मार्गदर्शन के लिए पिता की आवश्यकता होती है, किन्तु वह पनपता है साथियों में।

सिंचाई तथा बिजली के लिए स्थान-स्थान पर बांध बन रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने खुल रहे हैं और देश का औद्योगीकरण किया जा रहा है उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि हम सांस्कृतिक एकता में बंध जाएं। इसके लिए किसी एक ही भाषा में विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के नागरिक एक साथ बैठकर वार्तालाप करें, एक दूसरे के हंसी मजाक एवं उपहास का आनन्द लें और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखें। इस प्रकार देश अखंडता की ओर बढ़ेगा और यह हमारी बहुत बड़ी शक्ति होगी।

भूतपूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग
इंस्टीट्यूट आफ पोस्टग्रेजुएट स्टडीज
दिल्ली विश्वविद्यालय

निर्माण-आवास विषयक अनुवाद की समस्याएं

—डॉ० रामकुमार मिश्र

निर्माण और आवास विषयक अनुवाद की समस्याओं पर विचार करने से पूर्व पृष्ठभूमि और अनुवाद के सैद्धांतिक पक्ष पर विहंगम दृष्टि डालना आवश्यक है।

पृष्ठभूमि : अनुवाद का इतिहास बहुत पुराना है। दूर अतीत में भिन्न भाषा-भाषी व्यक्ति जब एक दूसरे के सम्पर्क में आए तब अनुवाद की आवश्यकता अनुभव की गई। किसी के साहित्य को अन्य भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की आवश्यकता लिखित अनुवाद की जन्मदात्री बनी। यह आवश्यकता पहली बार कब और कहां महसूस की गई, कहना कठिन है। अनुवाद के सिद्धान्तों और समस्याओं का विवेचन अनेक विद्वानों द्वारा अनेक भाषाओं में किया जा चुका है। आज यह अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता बन गया है। विश्व के अनेक देशों ने अनुवाद और उसकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया है।

स्वतंत्र भारत के लिए अनुवाद का विशेष महत्व है। भारत सरकार को राजभाषा के रूप में अंग्रेजी विदेशी शासकों से विरासत में प्राप्त हुई। भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। परिस्थितिवश हिंदी को अपेक्षित स्थान अभी तक नहीं मिल पाया। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को लाने की प्रक्रिया में अंग्रेजी का वर्चस्व यथावत बना हुआ है। संक्रमण की यह प्रक्रिया दीर्घ से दीर्घतर होती जा रही है। संक्रमण काल में सरकारी कामकाज में कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी के साथ हिन्दी का प्रयोग अथवा यों कहिए कि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य है। इस द्विभाषिक स्थिति ने भारत सरकार के लिए अनुवाद कार्य को महत्वपूर्ण बना दिया है। इस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाना अनुवादक का कर्तव्य है। अनुवाद को मूल से अधिक सुग्राह्य और सुपाठ्य बनाना अनुवादकला का कौशल है।

राजकाज की भाषा हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली और अनूदित हिन्दी प्रायः आज भी विवाद का विषय बन जाती है। यह स्थिति हिंदी भाषा के स्वस्थ विकास और प्रसार में बाधक है। इससे आज का अनुवाद दिग्भ्रांत-सा हो सकता है। इन परिस्थितियों में अनुवादक का दायित्व और भी बढ़ जाता है।

विगत अनेक दशकों से भारत सरकार के कामकाज में हिन्दी का उपयोग किया जाता रहा है। निर्माण और आवास मंत्रालय और उसके कार्यालय भी इसके अपवाद नहीं है। इन कार्यालयों में 30 वर्ष पूर्व भी हिंदी में टिप्पणियां और मसौदे लिखे जाते थे। उस समय तक हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली उपलब्ध नहीं थी। धीरे-धीरे अनेक कार्यालयों और विभागों ने अपनी-अपनी पारिभाषिक शब्दावली रची और उसका प्रयोग किया। इस प्रयास में शब्दावली में एकरूपता का होना संभव नहीं था। साठ के दशक के प्रारम्भ में इस कार्य को विधिवत् सम्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। विधिक शब्दावली का कार्य राजभाषा (विधायी) आयोग ने हाथ में लिया। इससे पूर्व शिक्षा मंत्रालय (हिन्दी प्रभाग) द्वारा तैयार की गई शब्दावली तथा अन्य कोशों आदि में उपलब्ध शब्दावली के प्रयोग की एक परम्परा चल पड़ी थी। अंग्रेजी के एक शब्द के लिए अनेक पर्याय प्रचलित हो चले थे। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विभिन्न विषयों में प्रकाशित पारिभाषिक शब्दावली और विधायी आयोग की विधिक शब्दावली ने सरकारी हिन्दी में एक नई दिशा का बोध कराया। शब्दों के सूक्ष्म भेदों की ओर हिंदी लिखने वालों और अनुवादकों का ध्यान गया। प्रचलित शब्दों के स्थान पर नये शब्दों को प्रचलन में लाना एक कठिन कार्य है। अनुवादक के समक्ष हिंदी के अनुमोदित शब्द का प्रयोग करने की विवशता थी और पाठक के सामने प्रचलित शब्दों का मोह। इस द्वन्द्व में हिन्दी भाषा और शब्दावली पर तीक्ष्ण प्रहार हुए। हिन्दी पर दुरूह होने का आक्षेप लगाया जाने लगा। इससे अनुवादक के मन में निराशा पैदा हुई। एक नई चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई। हमारे अनुवादक ने इस चुनौती का सामना किया और नयी शब्दावली को पूरी निष्ठा से अनुवाद में स्थान दिया और उसे प्रतिष्ठित करने में अपना योग दिया।

सैद्धांतिक पक्ष : आज अनुवाद के सैद्धांतिक पक्ष का विस्तार हो चुका है और इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सिद्धान्त की विशिष्ट शाखा माना जाता है। उसे एक भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा के समान कथ्य में रूपांतरित करने की व्यावहारिकता के आधार पर व्यावहारिक भाषा विज्ञान की शाखा कहना उचित ठहराया जाता है।

अनुवाद के सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत अनुवाद के सामान्य और विशिष्ट सिद्धांतों के अलावा अनुवाद का व्यावहारिक पक्ष भी आता है। आज के वैज्ञानिक युग में अनुवाद कार्य मशीन के माध्यम से भी किया जा रहा है। अतः मशीनी अनुवाद के सिद्धांत भी इसकी परिधि में आ जाते हैं। हम यहां संक्षेप में सामान्य सिद्धांतों और व्यावहारिक पक्ष पर ही विचार करेंगे।

अनुवाद में दो भाषायें निहित होती हैं। एक मूल पाठ की भाषा और दूसरी अनुवाद की भाषा। स्पष्ट है कि अनुवादक को दोनों ही भाषाओं का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। अनुवाद की भाषा यदि मातृभाषा हो तो अधिक समीचीन है। भाषा के अतिरिक्त अनुवाद का विषय अथवा कथ्य विशेष महत्व रखता है क्योंकि कथ्य को दूसरी भाषा के माध्यम से व्यक्त करने के लिए अनुवाद

की आवश्यकता होती है। इस कार्य को भलीभांति सम्पन्न करने के लिए अनुवाद की विषय-वस्तु की जानकारी भी अनुवादक के लिए आवश्यक है। अनुवादक को भाषाओं और विषय पर सम्यक अधिकार न होना अनुवाद की सबसे बड़ी समस्या है। अतः अनुवाद के व्यावहारिक पक्ष पर विचार करने के लिए अनुवाद की समस्याओं को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाषा गत और दूसरा विषय गत समस्याएं।

भाषा गत समस्याएं :—

प्रत्येक भाषा की अपनी सीमाएं होती हैं। एक भाषा अधिक समृद्ध हो सकती है तो दूसरी पिछड़ी हुई। यह पिछड़ापन अभिव्यक्ति की क्षमता (शब्द भंडार) का अथवा व्याकरण ध्वनि आदि का हो सकता है। भाषा की इस अक्षमता के कारण कभी-कभी भावों और विचारों को ज्यों-का-त्यों अभिव्यक्त करना सर्वथा साध्य नहीं हो पाता है। मूल की कुछ जानकारी तिरोहित रह सकती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य द्रष्टव्य हैं :—

"The pupil was in the class room".

उक्त वाक्य का हिंदी अनुवाद करते समय शिक्षार्थी के लिंग को जान पाना दुस्साध्य है। यदि संदर्भ सहायक नहीं होता तो इस वाक्य का सही अनुवाद संभव नहीं। ऐसे शब्दों के लिए यथा संभव उभयलिंगी शब्दों की खोज की जानी चाहिए। पदनाम शब्दावली को उभयलिंगी मानकर इस समस्या के समाधान का प्रयास किया गया है।

कुछ शब्द और अभिव्यक्तियां भाषा में ऐसी होती हैं जिनका दूसरी भाषा में अनुवाद सम्भव नहीं होता। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का "कजिन" शब्द ऐसा है जिसका सटीक पर्याय हिंदी में नहीं है। उसका अर्थ चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, फुफेरी बहन आदि कुछ भी हो सकता है। ऐसे शब्दों का व्याख्यापरक अनुवाद अपेक्षित होता है।

अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग प्रायः होता है किन्तु हिंदी में उनका यथावद्ध अनुवाद संभव नहीं होता, उदाहरण के लिए :—

1. A line in reply will be appreciated.
2. I hope you will appreciate the position.

ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिए किसी एक हिंदी शब्द से काम नहीं चल पाता। अतः ऐसी अभिव्यक्तियों के लिए हिन्दी में प्रचलित अभिव्यक्तियों को रखना अपेक्षित है। शब्दानुवाद का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उक्त वाक्यों का अनुवाद क्रमशः इस प्रकार किया जा सकता है :—

1. उत्तर भिजवाने की कृपा करें।
2. आशा है आप स्थिति को समझने की कृपा करेंगे।

अंग्रेजी में कुछ अभिव्यक्तियां ऐसी भी हैं जिनका प्रायः प्रयोग होता है किन्तु उनका हिंदी में अनुवाद करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता और यदि अनुवाद किया जाता है तो पढ़ने में अटपटा लगता है। ऐसी ही कुछ अभिव्यक्तियां निम्नलिखित हैं :—

'I am to add', 'I am further to add'

'undersigned is directed to say'.

इस प्रकार के वाक्यांशों के शब्दानुवाद का प्रयास न करके हिंदी की प्रकृति के अनुकूल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अनुवाद में पर्याय का प्रश्न "अनुवाद के स्तरों" से जुड़ा होता है। यहां अनुवाद के स्तर से अभिप्राय मूल भाषा की उस भाषाई इकाई के आकार से है जिसकी अनुवाद के लिए उठाया जाता है। वह इकाई ध्वनि, शब्द, मुहावरे या वाक्य कुछ भी हो सकती है। उपयुक्त अनुवाद वही होता है जो प्रत्येक मामले में अपेक्षित स्तर पर किया जाता है और उसे अनुवाद की भाषा में समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु मुहावरों और कहावतों का अनुवाद इकाई के स्तर पर (शब्दानुवाद) संभव नहीं होता उसे समग्र रूप में अनूदित करना होता है। अनुवाद की भाषा में उसके समकक्ष समग्र अभिव्यक्ति भाषा की प्रकृति के अनुरूप और सहज संप्रेषणीय होती है। राजकाज की भाषा में ऐसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग प्रायः नहीं होता। इसलिए यथार्थता की परिधि में रहकर अनावश्यक पांडित्य प्रदर्शन से बचना चाहिए।

विषय गत समस्याएं :—

अनुवाद का प्रयोजन एक भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा में संप्रेषणीय बनाना है। अतः अनुवाद भाषा का नहीं भाव का अथवा कथ्य का होना चाहिए। शाब्दिक अभिव्यक्तियों का क्रमिक विकास अर्थ के रूप में होता है। वह अर्थ अभिधेय, लक्ष्य व्यंग्य हो सकता है। अभिव्यक्ति का लक्ष्य शब्द न होकर अर्थ होता है। शब्द केवल साधन है साध्य नहीं। जिस प्रकार के अनुवाद की चर्चा यहां कर रहे हैं उसमें अर्थ की सुनिश्चितता आवश्यक है। नियतार्थ व्यक्त करने वाला सटीक अनुवाद कठिन कार्य है। यह अनिवार्य है कि अनुवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका भिन्न (अनावश्यक) अर्थ नहीं निकाला जा सके। अतः अनुवाद में भाषा को इसप्रकार बांधा जाए कि अनेकार्थता की सम्भावना न रहे। वाक्य विन्यास के इस प्रयास में भाषा बोलचाल की भाषा से कुछ दूर हो सकती है। यथा तथ्य अभिव्यक्ति की दृष्टि से इससे कतराना नहीं चाहिए। शब्दानुवाद से बचने और पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग के दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं :—

1. There is no electricity in these quarters but their immediate allotment is being suggested to avoid loss of revenue and pilferage of government material, apart from providing a roof to the needy officers.
2. The quarters have been declared dangerous, formal orders for freezing vacancies are under issue.

हिन्दी अनुवाद क्रमशः

1. इन क्वाटरों में बिजली नहीं है किन्तु इनके तत्काल आबंटन का सुझाव दिया जा रहा है ताकि राजस्व की हानि और सरकारी सामान की चोरी को बचाया जा सके और जरूरतमंद अधिकारियों को मकान मिल जाए।

2. क्वाटर खतरनाक अवस्था के घोषित किए जा चुके हैं। रिक्तियों के आबंटन पर रोक लगाने के औपचारिक आदेश जारी किए जा रहे हैं। इनमें रेखांकित स्थल दर्शनीय हैं।

सूक्ष्मतम अभिव्यक्तियों के लिए सटीक शब्द का प्रयोग अनुवाद की भाषा में आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार ने दो

आयोगों के माध्यम से शब्दावली निर्माण का कार्य किया है और आज हिन्दी के पास समुचित शब्दावली है। पारिभाषिक शब्दावली ने जहां अनुवाद के काम को सरल बनाया है वहां उसे ऐसा बांध दिया है कि सूक्ष्म भेद को ध्यान में रखकर किसी भी अंग्रेजी शब्द के लिए निर्धारित किए गए हिन्दी पर्याय का प्रयोग अनिवार्य है। सूक्ष्म अर्थभेद की दृष्टि से निर्धारित कुछ पर्यायों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :—

अंग्रेजी शब्द	हिन्दी पर्याय
dismissal	बरखास्तगी/पदच्युति
removal	निष्कासन/हटाया जाना
termination	सेवान्त/समाप्ति (सेवा की)
discharge	सेवा मुक्ति

किसी शब्द के सही अर्थ को ध्यान में रखकर उपयुक्त पर्याय चयन अनुवादक के लिए कठिन कार्य है और यह समस्या अनुभव से ही हल हो पाती है। अंग्रेजी भाषा में एक ही शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में पाया जाता है। Hand शब्द का अर्थ संदर्भ के अनुसार हाथ, घड़ी की सुई या मशीन का पुर्जा हो सकता है। इसी प्रकार Section के पर्याय कार्यालय के भाग के लिए "धारा" शब्द निर्धारित है। संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना होता है।

संपदा के संदर्भ में Transfer शब्द के लिए स्थानान्तरण शब्द का प्रयोग प्रायः अनुवाद में हो जाता है। वस्तुतः स्थावर संपत्ति का स्थानान्तरण असंभव है। इसलिए हस्तांतरण शब्द का प्रयोग अपेक्षित है। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है :—

Because of the shortage of Bungalow type accommodation we have not been able to provide some of the Ministers in office with appropriate accommodation.

ऊपर के वाक्य में रेखांकित अंश का अनुवाद अनुवादक को परेशान कर सकता है। इसके अनुवाद का यह रूप देखने को मिला—बंगला टाइप आवास की कमी के कारण हम कुछ मंत्रियों को कार्यालय में उचित आवास उपलब्ध कराने में संघर्ष नहीं हो सके हैं। यहां रेखांकित भाग का अनुवाद सही नहीं है। वस्तुतः इसका अर्थ "पदासीन मंत्रियों" है।

अनुवाद की एक बड़ी समस्या अंग्रेजी के संक्षिप्त रूप (एब्रिवियेशन) है। इनको सही अर्थ में समझ पाने में अनुवादक गलती कर सकता है। निर्माण कार्य संबंधी सामग्री में ऐसे रूप प्रायः प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक अनुवादक इंजीनियर नहीं हो सकता। इस समस्या को सुलझाने के अभाव में अनुवादक अपना कार्य नहीं कर पाता कुछ उदाहरण देखिए :—

1. It is proposed to provide a R.C.C. beem over the well below ground level.
2. Items may be analysed based on market rates for materials and D.S.R. 1974 for labour.

अनुवादक को चाहिए कि संक्षिप्त रूप की सही जानकारी पहले प्राप्त करे। पूरे शब्द रूप मिलने पर ही उनका अनुवाद किया जाए। इस मामले में गलती की संभावना अधिक रहती है। इसलिए विषय विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए।

सिंहावलोकन :—

हिंदी को राजभाषा स्वीकार किए जाने के बाद केन्द्र सरकार के कामकाज में द्विभाषिक स्थिति पैदा हो गई है। इसके लिए अनुवाद कार्य अनिवार्य हो गया है इस कार्य का दायित्व विभिन्न कार्यालयों में अनुवादकों और संबंधित अधिकारियों पर है। इस कार्य में जो समस्याएं आती हैं वे प्रायः सभी कार्यालयों में समान हैं। फिर भी विभाग में किए जा रहे तकनीकी या विधि संबंधी अथवा अन्य विशिष्ट कार्य के अनुसार वहां के अनुवाद की समस्याएं कुछ भिन्न हो जाती हैं। निर्माण और आवास के मामले में जहां एक ओर इंजीनियरी संबंधी तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है वहां दूसरी विधिक शब्दावली का भी व्यवहार होता है।

उपर्युक्त कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग मूल और अनुवाद के रूप में कई दशकों से होता रहा था। इस क्षेत्र में प्रचलित शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा था। अधिकारिक वैज्ञानिक, तकनीकी और विधिक शब्दावली उपलब्ध होने पर पहले से चली आ रही शब्दावली जो अनुपयुक्त जान पड़ी उसके स्थान पर अधिकारिक शब्दावली के प्रयोग को प्रतिष्ठित करने में अनुवाद की मुख्य भूमिका रही है। पर्याय-चयन की समस्या का जागरूक रह कर हल किया गया है।

नीचे एक ऐसी तालिका प्रस्तुत है जिसमें कुछ अंग्रेजी शब्दों के पूर्व प्रचलित और नए हिंदी पर्यायों का अंतर स्पष्ट हो जाता है:—

अंग्रेजी शब्द	पूर्व प्रचलित पर्याय	नया/स्वीकृत पर्याय
Estates	राज संपत्ति	संपदा
Public premises	लोक परिसर	सरकारी-स्थान
Unauthorised	अनधिकृत	अप्राधिकृत
Allotment	नियतन	आबंटन
Sharing	सहभोग	भागीदारी

ऐसे शब्द बड़ी मात्रा में हैं जिनका पूर्व प्रचलित भ्रामक प्रयोग समाप्त करने का प्रयास अनुवाद कार्य द्वारा किया गया है। ऐसा करना भाषा के स्वस्थ विकास और तकनीकी शब्दावली के प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक है।

□□□

राष्ट्रीय विकास में स्थलाकृतिक टोपोग्रैफिकल मानचित्रों का योगदान

गुरुबक्श सिंह उबेराय*

श्री गुरुबक्श सिंह उबेराय, निदेशक, उत्तरी सर्कल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून; ने विशिष्ट स्थान सहित मास्टर डिग्री उत्तीर्ण करने के पश्चात् 2 वर्ष तक डिग्री तथा आनर्स कक्षाओं में अध्यापन किया और सन् 1954 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की प्रथम श्रेणी सेवा में प्रविष्ट हुए। इन तीन दशकों में उन्होंने विभाग में कई महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाया। श्री उबेराय विशेष कर राष्ट्र की कई विकासशील परियोजनाओं सिंचाई/जल विद्युत परियोजनाओं, वन विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं तथा नगर एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए तथा टोपोग्रैफिकल एवं विशेष सर्वेक्षण करवाने के लिए उत्तरदायी रहे हैं।

जब वे मानचित्र प्रकाशन निदेशालय के उपनिदेशक रहे तो उन्होंने प्लास्टिक रिलीफ मानचित्र बनाने की प्रक्रिया को विकसित करने में विशेष योगदान दिया। वे भारतीय सर्वेक्षकों के संस्थान तथा राष्ट्रीय मानचित्रकला संस्था के सदस्य हैं। इसके अलावा वे कई अन्य व्यावसायिक निकायों के भी सदस्य हैं। उन्होंने कई संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की हैं तथा कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है। कई व्यावसायिक एवं तकनीकी लेखों को लिखने तथा राष्ट्र में मानचित्रों के बारे में जागरूकता लाने का श्रेय श्री उबेराय को ही है।

प्रस्तावना

भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के पुराने विभागों में से एक है जिसकी स्थापना सन् 1767 में हुई थी। यह विभाग भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है। यह विभाग राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण का एक मात्र राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्य कार्य 1:50,000 पैमाने पर राष्ट्र के मानचित्र तैयार करना है। छोटे पैमाने के मानचित्रों तथा सामान्य मानचित्रों का संकलन भी इन मानचित्रों से किया जाता है। सर्वेक्षण और मानचित्रण की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है कि 1:50,000 पैमाने पर पूरे राष्ट्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा कुछ थोड़े से नक्शों को छोड़ कर सब मानचित्र मुद्रित भी किये जा चुके हैं। ये मानचित्र, मानचित्र निर्गम एवं अभिलेख कार्यालय, हाथीबड़कला, देहरादून में तथा विभिन्न अभिकर्ताओं के पास खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। यह व्यवस्था भी कर दी गई है यदि कोई खास मानचित्र कभी स्टाक की कमी के कारण उपलब्ध न हो तो निदेशक मानचित्र प्रकाशन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून उस मानचित्र की अभिलेख प्रति से ब्रोमाइड प्रति तैयार करवा करके दे देंगे। ब्रोमाइड प्रति तैयार करने की लागत मानचित्र मांगकर्ता को देनी होगी। सामान्य मानचित्र तो विभिन्न पैमानों पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय विकास में स्थलाकृतिक मानचित्रों की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए 1:25,000 पैमाने पर भी राष्ट्र के कुछ भागों का सर्वेक्षण शुरू किया जा चुका है। आजादी के बाद राष्ट्र के बहुत से क्षेत्रों की लगभग 500 राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं का विशिष्ट पैमानों एवं समीप रेखा अन्तरालों पर सर्वेक्षण किया जा चुका है और लगभग 100 से अधिक परियोजनाओं के सर्वेक्षण का कार्य हाथ में है। इनके विस्तृत विवरण सम्बन्धित क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का संक्षिप्त विवरण, इसके कार्य, उत्पादन तथा सर्वेक्षण विभाग से मानचित्र प्राप्त करने की विधि तथा अन्य सम्बन्धित सूचनाएं "सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र" नामक पैम्फलेट में दी गई हैं। इस पैम्फलेट की प्रति, भारत के महासर्वेक्षक, हाथीबड़कला, डाक बाक्स सं. 37, देहरादून, उत्तर प्रदेश से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

स्थलाकृतिक (टोपोग्रैफिकल) मानचित्र

यहां पर यह बताना आवश्यक है कि स्थलाकृतिक (टोपोग्रैफिकल) मानचित्र क्या है। स्थलाकृतिक (टोपोग्रैफिकल) मानचित्र वह मानचित्र है जो पर्याप्त बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं ताकि मानचित्र का इस्तेमाल करने वाले को यह ज्ञान हो सके कि उसकी वास्तविक अवस्थिति तथा उसके इर्द-गिर्द सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थितियां क्या हैं और मानचित्र में वह कहां पर है। 1:50,000 पैमाने के मानचित्र 150' अक्षांश और 15' देशान्तर के अन्तर्गत आने वाली समस्त भू-सूचनाएं दर्शायी गई होती हैं। जब हम इन मानचित्रों को मेज पर रखकर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानचित्र में दिखाया गया भू-भाग हमारे सामने खड़ा हो। वास्तव में मानचित्र उस विशेष स्थान का शत प्रतिशत प्रतिरूप होता है। अतः स्थलाकृतिक

*निदेशक, उत्तरी सर्कल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डाक बाक्स सं. 3, 17 ई. सी. रोड, देहरादून (उ.प्र.)—भारत।

(टोपोग्रैफिकल) मानचित्र वह साधन है जिसके माध्यम से हमें कमरे में बैठे-बैठे भू-भाग की सम्पूर्ण जानकारी हो जाती है। हम कह सकते हैं कि मानचित्र एक ठोस परिशुद्ध सत्य जागजात होता है।

किसी भी परियोजना के योजनाकारों, प्रशासकों को किसी स्थान की विकास परियोजना स्थापित करने या परियोजना स्थल चुनने तथा उसकी साध्यता, उपयुक्तता, सुलभता देखने के लिए उस स्थान के स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। क्योंकि उन्हें डाकघर, रेलवे स्टेशन, विश्रामगृह, पुलिस स्टेशन, प्रशासनिक सीमाएं, जिला, तहसील, ब्लाक, नगरपालिका, संचार व्यवस्था, जलस्रोत, वन क्षेत्र, बस्ती, आबादी, भू-उपयोग व उसके वर्गीकरण आदि की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से कुछ सूचना तो 1:50,000 पैमाने के मानचित्रों में पहले ही दी गई होती है लेकिन कुछ सूचनाएं उसमें और जोड़नी पड़ सकती हैं ताकि मानचित्र को उनके इस्तेमाल के लिए और अधिक उपयोगी व विशिष्ट बनाया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र के प्रत्येक भाग के 1:250,000 पैमाने पर मानचित्र उपलब्ध हों ताकि ऐसे अवसरों पर मानचित्र आसानी व सुविधा से प्राप्त हो सकें। ऐसे अवसरों पर मानचित्रों की उपयोगिता और उनका महत्व और भी विस्तृत हो जाता है। बड़े पैमाने के मानचित्रों में प्रत्येक जिले, तहसील, ब्लाक आदि की सीमाएं प्रदर्शित रहनी चाहिएं ताकि विकास परियोजनाओं को बनाते समय योजनाकारों को उस क्षेत्र की प्रशासनिक स्थिति आदि की जानकारी मानचित्र देखते ही तुरन्त ज्ञात हो सके। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि स्थानीय प्राधिकारियों जैसे जिलाधीश, तहसीलदार, क्षेत्र विकास अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों के 1:50,000 पैमाने पर बने मानचित्रों का अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि जब भी योजनाकार इन स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करें तो उन्हें सही सूचनाएं उपलब्ध रहें। इससे स्थानीय प्रशासन को भी सुविधा प्राप्त होगी तथा उपयुक्त व संगत सूचनाएं हर समय उपलब्ध रह सकेंगी। योजनाकारों के सम्पर्क करने पर स्थानीय प्राधिकारी भी सही विचार विमर्श कर सकेंगे और योजनाकारों की आवश्यकता को समझ कर पूरी करने में समर्थ हो सकेंगे।

इसमें एक बात विशेष महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में 1:50,000 पैमाने के मानचित्र प्रत्येक ज़िले के मुख्यालय में उपलब्ध रहने चाहिए तथा वे अद्यतन रखे जाने चाहिए। उसमें जो परिवर्तन हो गए हों उनको मानचित्र में समाविष्ट कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही पूरे देश में हर मुख्यालय में उस क्षेत्र के हवाई फोटोग्राफ भी मौजूद रहने चाहिए।

समन्वयक (इन्टग्रैटिक) सर्वेक्षण

योजनाकारों को परियोजना क्षेत्र के सम्बन्ध में अन्य सूचनाओं की भी आवश्यकता पड़ती है जैसे भू-भाग, जलस्रोत, मिट्टी, भू-उपयोग, जंगल, बस्तियां आदि-आदि इस प्रकार का एक प्रयोग शीट नं. 63 एन/5 घाघरा गडके खाड़ी में किया गया है। वहां के योजनाकारों तथा स्थानीय प्राधिकारियों से यह जानकारी प्राप्त की जाएगी कि विकास सम्बन्धी योजना बनाने में उनको इससे क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हुईं।

चूंकि स्थलाकृतिक (टोपोग्रैफिकल) मानचित्र एक प्राधिकृत वास्तविक भू-अभिलेख होता है और उसमें भूमि सम्बन्धी सभी जानकारियां होती हैं। इसलिए उस क्षेत्र में पर्यावरण-भू-भागीय आकृतियां, सांस्कृतिक, विवरण आदि में जो सामायिक परिवर्तन होते हैं वे तुरन्त ज्ञात हो जाते हैं। यदि हम पहले किए गए सर्वेक्षण के आधार पर बनाए गए मानचित्र की अब किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बनाए गए मानचित्र से तुलना करें तो हमें उस क्षेत्र में हुए सामायिक परिवर्तन तुरन्त देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के अध्ययन किसी भी क्षेत्र के किए जा सकते हैं।

स्थलाकृतिक मानचित्रों की निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है।

(1) क्षेत्रीय विकास

(2) डाम बनाने में डाम की स्थिति और उसका अधिकतम उपयोग जैसे सिंचाई, जलविद्युत शक्ति उत्पादन, जल आपूर्ति योजनाएं, मत्स्य पालन आदि

(3) सड़क तथा रेल लाइन बिछाना

(4) डाम क्षेत्र में जल मग्न होने वाले क्षेत्र, जलाशय में जल राशि, डाम का निर्माण तथा लागत का अनुमान सम्पूर्ण परियोजना में कार्य, तकनीकी आर्थिक सहायता और अध्ययन, सम्पूर्ण मापन एवं विश्लेषण।

(5) नगर व ग्रामीण नियोजन

(6) तेल पाइप लाइनों तथा जल पाइप लाइन बिछाने में

(7) खनिज पदार्थों की उपलब्ध मात्रा आंकने में तथा इन संसाधनों की व्यवस्था करने में

(8) विभिन्न परियोजना संबंधित आवासीय कालोनियां तथा निर्माण क्षेत्रों को बनाने के लिए

(9) वन व्यवस्था, वन रोपण, तथा सामाजिक वन योजनाएं

(10) भू-संरक्षण साधन जैसे सुरक्षात्मक बांध कहां तथा कितने ऊंचे बनाए जाएं ताकि भू-स्खलन को रोका जा सके

(11) बाढ़ नियंत्रण तथा बाढ़ से संबंधित चेतावनी आदि सूचनाएं

(12) कृषि में कुल उत्पादन आंकने में

(13) विकास का एवं विकास प्रकृति का अध्ययन करने के लिए स्थलाकृतिक एवं एरियल फोटो का अध्ययन।

(14) विशिष्ट सद्देश्यों को भू-आकार सत्य प्रतिरूप तथा अन्य आंकड़े/प्रतिरूप का अध्ययन इन मानचित्रों से स्थानीय सूचनाओं का पूर्ण हवाला तथा स्थानीय वास्तविक स्थितियां प्राप्त होती हैं।

(15) क्षेत्रीय विकास एवं जन संख्या के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के विधिवत् संकलन और उनको स्थानीय रूप में प्रदर्शित करना

(16) पेयजल प्रावधान का अध्ययन तथा गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना तथा सुनियोजित विकास के लिए इन सूचनाओं को चित्र के रूप में प्रस्तुत करना

(17) विषयगत सूचनाओं को एकचित्र करना तथा उनको उचित व सही दिशाओं में प्रदर्शित करना

(18) शिक्षण उद्देश्यों के लिए—छात्रों को भू-आकार ऊंचाइयों, ढाल नगर, जंगलात, बस्तियों तथा उनके आस-पास वहां के प्राकृतिक संसाधन व सांस्कृतिक विवरणों से अवगत करने के लिए

(19) संचार व्यवस्था में मानचित्र एक अति सुन्दर माध्यम है। जिससे विभिन्न विवरण, आवृत्तियां आंकड़ों का ज्ञान हो सकता है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जब तक जिन विकास परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया उनमें से कुछ निम्न हैं।

1. हमीरपुर नगर सर्वेक्षण (उ. प्र.) 1
1:10,000, समोच्चोंया अन्तरान 0.5 मीटर
2. किशाऊ डीन परियोजना (मोसर डाम साइट) 5
1:2,000, स. अ. 5 मीटर
3. वार्गी डाक्दरजन परियोजना 36
1:15,000, स. अ. 0.5/1.0/2.0/5.0 मीटर
4. बाढ़ नियंत्रण प्रबंधक सर्वेक्षण (उ.प्र.) 47
1:15,000, स. अ. 0.25/0.5 मीटर
5. वन सर्वेक्षण कर्नाटक तमिलनाडू 105
1:15,000,
6. हदान्यूयार सिंचाई परियोजना (केरल) 39
1:10,000,
7. पायसविनी सिंचाई परियोजना जलाशय क्षेत्र 14
1:10,000,
8. नेवल एकादमी (तमिलनाडू) 2
1:5,000,
9. रसोई जल आपूर्ति परियोजना, महाराष्ट्र 2
1:15,000,
10. खड़कवासला परियोजना (नहर क्षेत्र सर्वेक्षण) महाराष्ट्र 1:10,000, 43
11. मन्नुगुरू कोयला क्षेत्र परियोजना (आन्ध्र प्रदेश) 5
1:10,000,
12. विशाखापट्टनम स्टील प्लांट परियोजना (आन्ध्र प्रदेश) 1:10,000, 42
13. महानदी नदी किनारा (रिवर बैंक) पुनर्व्यवस्था क्षेत्र सर्वेक्षण (उड़ीसा) 26
4"=1 मील
14. नरमदा सागर नियंत्रण क्षेत्र परियोजना 38
1:15,000,
15. न्यू पेंच डाइवर्सजन परियोजना (म.प्र.) 10
1:15,000, स. अ. 1 मीटर
16. गढ़शंकर लिफ्ट सिंचाई योजना (पंजाब) 4
17. उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्य सीमा डिमारकेशन 10
18. दिल्ली क्षेत्रीय योजना सर्वेक्षण 11
19. पाइप लाइन सर्वेक्षण मथुरा से जलन्धर —
20. कोयला कारोहाइडल ट्रांस बेसिन एरिया 8
1:10,000, स. अ. 2 मीटर
21. आई.बी. कोल फील्ड सर्वेक्षण उड़ीसा 28
1:15,000, स. अ. 3 मीटर
22. तलचर सुपर थरमल परियोजना (उड़ीसा) 4
23. बिहार सिंचाई परियोजना 80
1:25,000, से. अ. 2.5/1.25 मीटर
24. रानीगंज कोयला क्षेत्र सर्वेक्षण 52
1:10,000
25. कल्याणी नगर सर्वेक्षण 9
1:10,000
26. तिस्ता बेराज परियोजना 10
1:15,000
27. लखवाड़ व्यासी परियोजना उ. प्र. डाम के निर्माण और सुरंग बिछाने के लिए प्लेनीमीट्रिक और ऊंचाई आधार बिन्दुओं का निर्धारण
28. अप्पर कोलाब परियोजना उड़ीसा और सुरंग निकालने के लिए सर्वेक्षण आधार बिन्दुओं का निर्धारण
29. अप्पर इन्दिरावती परियोजना उड़ीसा सुरंग निकालने के लिए आधार बिन्दुओं का निर्धारण
30. दवीघाट जल विद्युत परियोजना, नेपाल 11
1:1,000 स. अ. 1 मीटर
31. रेगांव-गोरसन पैसेन्जर रोपवे, 4
1:10,000 स. अ. 2.5 मीटर
32. मास्टर प्लान सिंगरौली क्षेत्र 1
1:10,000 स. अ. 5/2.5 मीटर
33. पिथोड़ागढ़ मैग्नेसाइट परियोजना 3
1:1,000 स. अ. 1 मीटर
34. अनपारा थर्मल परियोजना (कालोनी क्षेत्र) 1
1:2,500 स. अ. 1 मीटर
35. बलिया नगर मानचित्र 1
1:10,000 स. अ. 2 मीटर

सामान्य अभिरुचि के कुछ मानचित्र

इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सामान्य अभिरुचि के भी कुछ मानचित्र तैयार किए हैं जैसे भारत और निकटवर्ती देश, भारत का सड़क मानचित्र, भारत का रेल मानचित्र, भारत का भौतिक मानचित्र, भारत का प्लास्टिक रिलीफ मानचित्र तथा भारत के प्रमुख नगरों और पर्यटक स्थलों के परिदर्शी मानचित्र।

सुझाव

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृतिक मानचित्रों का विभिन उपयोगों में महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि पूरे राष्ट्र के हर भाग के मानचित्र स्थानीय जिला पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों/विद्यालय, शिक्षण संस्थान व स्कूलों में उपलब्ध रहने चाहिए इनमें 1:250,000 और 1:50,000 और 1:25,000 (जो भी उपलब्ध हों) साथ ही सामान्य सुरक्षा नियमों को ध्यान में

रखते हुए वे मानचित्र आम जनता के लिए भी उपलब्ध होने चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में एक छोटा सा मानचित्र सेल भी स्थापित किया जा सकता है जिसकी देख-रेख जिला स्तर पर जिलाधीश के अधीन हो सकती है। मानचित्रों के विषय में जागरूकता लाने के लिए यह भी आवश्यक है कि छात्रों को विश्वविद्यालय स्कूल आदि में निम्नलिखित मानचित्रों का अध्ययन कराया जाए। राष्ट्र की सुरक्षा सेवा में भी मानचित्रों के अध्ययन का बड़ा महत्व है।

1. भारत और निकटवर्ती देश—मानचित्र पैमाना 1:2.5 मिलियन
2. राज्य मानचित्र पैमाना—1:1 मिलियन
3. 1:250,000 पैमाने का मानचित्र जिसमें विश्व/विद्यालय/विद्यालय स्थित हों।
4. 1:50,000 पैमाने का स्थानीय मानचित्र जिसमें विद्यालय स्थित हों।
5. मानचित्रों में अलग-अलग शीट के नम्बर के लिए निर्देशिका होनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार मानचित्र निकाल कर देख सकें।
6. जिन क्षेत्रों के मानचित्र प्रतिबंधित हैं उनके भी 1:250,000 और 1:50,000 पैमाने के सिविल मानचित्र तैयार किए जाने चाहिए और उनमें जो भी प्रतिबंधित सूचनाएं हैं उनको हटा दिया जाना चाहिए। ताकि आम जनता को भी बिना किसी प्रतिबंध के मानचित्र उपलब्ध कराए जा सकें।
7. सैनिक/सिविल महत्व के फोटोग्राफों को छोड़कर सभी एरियल फोटोग्राफों को विश्वविद्यालय, कालेज व सामान्य उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वे भी एरियल फोटोग्राफों से लाभ उठा सकें और इस तकनीक को पूरा विकसित कर सकें।

□□□

विदेश मंत्रालय में हिन्दी कार्यान्वयन

—वीरेन्द्र गुप्ता

एक—भारत सरकार और विदेशी सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार का माध्यम

1. उन सभी देशों की सरकारों के साथ, जहां भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है, सभी पत्र-व्यवहार तथा जिनमें बातचीत अथवा नीति के प्रश्न शामिल हैं तथा ऐसे प्रकार के पत्र-व्यवहार, जिनमें ऐसे प्रश्न प्रारंभ में न उठते हों या शामिल हों परन्तु जो अंततः इसी दिशा में अग्रसर हों, केवल विदेश मंत्रालय के माध्यम से ही किए जाने चाहिएं जो इस बात का निर्णय करेंगे कि ये किस रूप में तथा किस ढंग से ये पत्र-व्यवहार किए जाएं।

वे पत्र जो उक्त श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते, आगे भेजने या पत्र-व्यवहार के लिए संबद्ध देश में भारत सरकार के प्रतिनिधियों को सीधे संबोधित किए जाएं और साथ-साथ इसकी एक प्रति विदेश मंत्रालय को भेजी जाए।

2. किसी ऐसे देश में, जहां भारत का स्थानीय रूप से स्थापित मिशन नहीं है या किसी दूसरे देश में भारतीय मिशन के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, वहां की सरकार को भेजे जाने वाले किसी भी पत्र को, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो, विदेश मंत्रालय को छोड़कर किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा सीधे संबोधित नहीं किया जाएगा।

3. विदेश मंत्रालय के अलावा भारत सरकार के मंत्रालय दिल्ली स्थित विदेशों के प्रतिनिधियों के साथ सीधे पत्र नहीं भेजेंगे परन्तु उन्हें (प्रतिनिधियों को) संबद्ध पत्रों की प्रतियां भेजी जाएं या अनौपचारिक रूप से उन्हें यह सूचना भेजी जाए कि सामान्य माध्यम से उनकी सरकारों को कतिपय पत्र भेजे गए हैं।

4. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के तकनीकी अधिकारियों और विदेशों में उनके समकक्ष अधिकारियों अथवा गैर-सरकारी तकनीकी संगठनों के साथ पूर्णतः तकनीकी मामले में सीधे पत्राचार की अनुमति है बशर्ते कि इस प्रकार के सभी पत्राचारों की प्रतियां साथ-साथ विदेश मंत्रालय और संबद्ध देश में भारत के प्रतिनिधियों को भेजी जाएं। यदि वैज्ञानिक मामलों के संबंध में इस प्रकार के पत्राचार में नमूनों का आदान-प्रदान अपेक्षित हो तो इस प्रकार का आदान-प्रदान भी किया जाए बशर्ते कि साथ-साथ विदेश मंत्रालय और संबद्ध देश में भारत के प्रतिनिधियों को पूरे विवरण दिए जाएं।

प्रतिबंधित स्वरूप की अथवा "गोपनीय" मामले से संबद्ध वैज्ञानिक सूचना विदेश में किसी गैर-सरकारी तकनीकी संगठन या ऐसे कार्यालयों को नहीं भेजी जाएगी। जब कभी भी इसके बारे में संदेह हो तो सबसे पहले संबद्ध मंत्रालय से परामर्श लिया जाए।

दो—विदेश स्थित भारतीय मिशनों के बीच पत्राचार का माध्यम

1. ऐसे मामलों के बारे में पत्राचार, जिनमें विदेश नीति संबंधी बातचीत या प्रश्न शामिल हों या भविष्य में शामिल किए जाएं, केवल विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश स्थित भारतीय मिशन प्रमुख के साथ किया जाए। तकनीकी प्रश्नों के बारे में पत्राचार जिनमें बाद में विदेश नीति संबंधी मामले अथवा बातचीत शामिल होने की संभावना न हो, भारत सरकार के समुचित मंत्रालय और उस तकनीकी अधिकारी, जिसे संबद्ध भारतीय मिशनों में उस मंत्रालय द्वारा काम सौंपा गया हो या जहां ऐसा कोई तकनीकी अधिकारी न हो वहां मिशन प्रमुख के बीच पत्राचार किया जाए बशर्ते कि विदेश मंत्रालय को पूरी तरह से सूचित रखा जाए जब तक कि इसका संबंध पूर्णतः नैमित्तिक मामलों से न हो। विदेश मंत्रालय से इतर भारत सरकार के मंत्रालयों और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के बीच गैर-तकनीकी स्वरूप के मामलों के बारे में पत्राचार विदेश मंत्रालय के पूर्व परामर्श और सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। भारतीय मिशनों द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों के साथ इन मामलों पर कार्रवाई करने से पहले उन्हें विदेश मंत्रालय से इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि किसी विशिष्ट प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

2. विदेश स्थित भारतीय मिशनों में काम करने वाले अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों के संबंध में प्रशासनिक मामलों के बारे में सभी पत्राचार, जिनमें मूल सिद्धान्तों में संशोधन या विदेशों में प्रतिनियुक्ति की शर्तें, कार्यकाल, यात्रा का अनुमोदित तरीका राजनयिक दर्जा प्रदान करना, परस्पर वरीयता का निर्धारण आदि जैसे व्यापक क्षेत्र के सामान्य मसले शामिल हों, मिशनों द्वारा हमेशा विदेश मंत्रालयों में संयुक्त सचिव (प्रशासन) को संबोधित किए जाने चाहिए। लेकिन पोस्टिंग, अवकाश आदि नैमित्तिक वैयक्तिक मामलों के संबंध में मिशन सीधे अन्य संबद्ध मंत्रालयों से पत्राचार करते रहेंगे।

3. भारत सरकार और प्रतिनिधिमंडलों या विशेष मिशनों के बीच पत्राचार सीधे भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालय को या उसके द्वारा प्रतिनिधिमंडल या विशेष मिशन प्रमुख को संबोधित किया जाए बशर्ते कि इसकी प्रतियां साथ-साथ विदेश मंत्रालय और संबद्ध देश में भारतीय मिशन प्रमुख पृष्ठांकित की जाएं।

4. विदेश स्थित भारतीय मिशन प्रमुखों को सरकारी पत्रों और तारों का प्रारूप जब तक वे तकनीकी या नैमित्तिक स्वरूप की न हों, प्राथमिक रूप से संबद्ध मंत्रालय तैयार करेगा और विदेश मंत्रालय के पास उसकी स्वीकृति तथा जारी करने के लिए भेजा

जाएगा। जहाँ विदेश मंत्रालय प्राथमिक रूप से संबद्ध हो वहाँ वह इस प्रकार के पत्र भेजने से पहले भारत सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों की सहमति लेगा।

तीन- भारत सरकार और नई दिल्ली स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों के बीच पत्र व्यवहार का माध्यम

टिप्पणी : इस खंड में "विदेशी राजनयिक मिशन" शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आई एल ओ, यूनेस्को, यू. एन. डी. पी., खाद्य एवं कृषि संगठन आदि के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

1. भारत सरकार और नई दिल्ली स्थित विदेशी मिशनों के बीच सभी सरकारी पत्र विदेश मंत्रालय को उसके द्वारा संबोधित किए जाएं।

2. नैमित्तिक या तकनीकी मामलों के बारे में अनौपचारिक पत्राचार या विचार-विमर्श, जिसमें नीति संबंधी बातचीत या प्रश्न शामिल न हों, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों द्वारा दिल्ली स्थित विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ सीधे किया जाए। मंत्रालय इस बात का फैसला करेंगे कि इस प्रकार के अनौपचारिक पत्रों की प्रतियां विदेश मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएं या नहीं

जब भारत में विदेशी मिशन अन्य मंत्रालयों के अधिकारी के साथ प्रारंभ में महत्वहीन मामलों के बारे में संपर्क करता है परन्तु जो बाद में अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएं तब यह आवश्यक है कि विदेश मंत्रालय को यथाशीघ्र उस मामले की जानकारी दी जाए।

सभी मंत्रालयों को विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ पूर्णतः नैमित्तिक स्वरूप से इतर बातचीत का सार रिकार्ड करने और इसकी बैठक की कार्यवृत की एक प्रति इसके तत्काल बाद विदेश मंत्रालय को पृष्ठांकित करने की प्रथा पर अमल करना चाहिए। इनमें विदेशी सरकारों तथा उनके मिशनों द्वारा प्रायोजित सरकारी/गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडलों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बीच विचार-विमर्श के कार्यवृत का रिकार्ड शामिल करना चाहिए। इस प्रकार के कार्यवृत की प्रतियां विदेश मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।

3. भारत में भारत सरकार के किसी मंत्रालय और विदेशी मिशन के प्रतिनिधियों के बीच भावी बातचीत या विचार-विमर्श की सूचना विदेश मंत्रालय को काफी समय पहले हमेशा दी जानी चाहिए जो यह निर्णय करेगा कि इसमें प्रतिनिधित्व किया जाएगा या नहीं और किस स्तर पर।

4. जब विदेशी मिशन वे पत्र, जो विदेश मंत्रालय को संबोधित किए जाने चाहिए, सीधे अन्य मंत्रालयों को संबोधित करते हैं तब अन्य मंत्रालयों को यथाशीघ्र अवसर पर विदेश मंत्रालय से परामर्श लेना चाहिए और इसका उत्तर विदेश मंत्रालय या संबद्ध मंत्रालय द्वारा भेजा जाना चाहिए जो यह नम्र निवेदन भी करेगा कि ऐसे पत्र भविष्य में विदेश मंत्रालय को संबोधित किए जाने चाहिए।

5. भारत सरकार और विदेशी सरकारों के बीच संधियों, करारों, टिप्पणियों के आदान-प्रदानों आदि के बारे में बातचीत और इन्हें सम्पन्न करने से संबद्ध सभी मामले, जिसमें पाठों को अन्तिम रूप देना, हस्ताक्षर और इन संधियों के अनुसमर्थन आदि शामिल हैं, विदेश मंत्रालय के परामर्श से निपटाये जाएंगे।

6. तकनीकी और अगोपनीय स्वरूप के पूर्णतः तथ्यगत आंकड़े एकत्र करने के लिए विदेशी मिशनों (उनके व्यापार एजेन्ट आदि शामिल हैं) और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, जिनमें उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं, के बीच सीधा पत्राचार किया जाए। लेकिन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को विशिष्ट पूछताछ के स्वरूप या निहितार्थ के बारे में प्रशासनिक मंत्रालय से हमेशा सलाह लेनी चाहिए। प्रशासनिक मंत्रालय जब आवश्यक होगा, विदेश मंत्रालय से परामर्श लेगा।

7. कतिपय उत्पादों के भारत में उत्पादन तथा निर्माण के बारे में या विकास योजनाओं के बारे में, जिनके विवरण सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त रखने पड़ते हैं, विदेशी व्यापार कमिश्नरों द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अक्सर पूछताछ की जाती है। अतः इस बात का सुनिश्चय करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई भी सूचना न दी जाए चाहे वह कितनी ही अहानिकर प्रतीत क्यों न हो, जिससे सुरक्षा का संबंध होने या उस पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो। लेकिन जहां सूचना प्रकाशित की गई हो और आम जनता के पास उपलब्ध हो वहां यह सूचना विदेशी व्यापार कमिश्नरों को भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। संदेह की स्थिति में संबद्ध मंत्रालयों और संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को आसूचना ब्यूरो (गृह मंत्रालय) से परामर्श लेना चाहिए जो, यदि आवश्यक होगा, सैनिक आसूचना ब्यूरो के निदेशक या विदेश मंत्रालय से परामर्श लेगा।

8. भारत सरकार के अधिकारियों को नई दिल्ली स्थित राजनयिक मिशनों में नहीं जाना चाहिए। विदेशी मिशन ही भारत सरकार में प्रत्यायित हैं न कि भारत सरकार विदेशी मिशनों में। अतः इन मिशनों के प्रतिनिधियों के लिए यह आवश्यक है कि वे भारत सरकार के अधिकारियों के पास जाएं न कि भारत सरकार के अधिकारी मिशनों में जाएं।

8-क. किसी विशिष्ट अवसरों पर जैसे विभिन्न वर्षगांठों के अवसर, पर संदेशों के लिए विदेशी मिशनों से प्राप्त अनुरोध विदेश मंत्रालय को भेजना चाहिए।

9. विदेशी सरकारों/संगठनों से भारत में व्यक्तियों/संगठनों को सभी निमंत्रण विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। मंत्रियों या गणमान्य व्यक्तियों की भावी यात्राओं की सूचना विदेश स्थित मिशनों को समय पर देने का सुनिश्चय करने के लिए यह अनिवार्य है कि इस प्रकार की यात्राओं के बारे में सरकारी पत्राचार विदेश मंत्रालय को करना चाहिए। लेकिन बाद में मार्ग में अतिथियों के कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना देने के लिए तार द्वारा संदेश अन्य मंत्रालय सीधे संबद्ध मिशनों को भेज सकते हैं परन्तु इसकी सूचना विदेश मंत्रालय को दी जाए।

10. विदेशी मिशन, जिनमें कौंसलावास शामिल हैं, अपने अमले तथा मिशनों में रोजगार ढूंढने वाले व्यक्तियों के पूर्ववृत

का सत्यापन करने के लिए वे स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ सीधे पत्राचार करने के लिए प्राधिकृत हैं।

चार—राज्य सरकारों और

(क) भारत स्थित विदेश मिशनों

(ख) विदेश स्थित भारतीय मिशनों और

(ग) विदेशी सरकारों के बीच पत्राचार का माध्यम

(क) राज्य सरकारों और भारत स्थित विदेशी मिशनों के बीच पत्राचार

1. भारत स्थित विदेशी मिशनों के साथ सभी सरकारी पत्राचार सामान्यत: विदेश मंत्रालय को ही संबोधित और उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि कोई विदेशी मिशन कोई पत्र सीधे राज्य सरकार को, जिसमें मंत्रियों, सरकार के वरिष्ठ कर्मचारियों आदि को विदेश आने का निमंत्रण शामिल हो, भेजता है तो इन आमंत्रित व्यक्तियों को विदेश मंत्रालय से यथाशीघ्र अवसर पर परामर्श लेना चाहिए। विदेश मंत्रालय द्वारा उत्तर भेजा जाएगा जो विकल्प के रूप में राज्य सरकार से उत्तर भेजने के साथ-साथ यह अनुरोध करने के लिए कहेगा कि भविष्य में इस प्रकार के पत्र विदेश मंत्रालय को संबोधित किए जाये।

2. एक ओर विदेशी सरकारों के प्रधान कौंसलों, कौंसलों और व्यापार प्रतिनिधियों तथा भारत में राष्ट्रमंडल देशों के उप हाई कमिश्नरों के बीच और दूसरी ओर राज्य सरकारों के बीच तकनीकी विषयों पर अगोपनीय स्वरूप की तथ्यात्मक सूचना के लिए अनुरोध जैसे नैमित्तिक मामलों के बारे में सीधे पत्राचार के लिए कोई आपत्ति नहीं है। संदेह की स्थिति में विदेश मंत्रालय से सलाह अवश्य ली जानी चाहिए। यदि सुरक्षा संबंधी प्रश्न उठे तो गृह मंत्रालय और/या विदेश मंत्रालय से परामर्श लिया जाना चाहिए।

3. ऐसे पत्राचार, जो एक ऐसे मामले से संबंधित हों, जिसमें प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नीति का प्रश्न या जिसमें, यद्यपि प्रारंभ में न सही परन्तु अन्तत: नीति का मसला उठे, केवल विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

4. भारत में राज्यों के महा निबंधक, जन्म, मृत्यु एवं विवाह विदेशी राष्ट्रिकों के जन्म, मृत्यु एवं विवाह के प्रमाण-पत्र संबद्ध विदेशी मिशनों को सीधे भेज सकते हैं।

(ख) राज्य सरकारों और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के बीच पत्राचार

1. नैमित्तिक मामलों के बारे में पत्राचार राज्य सरकारों और भारतीय मिशनों के बीच सीधे किया जा सकता है बशर्ते कि इस प्रकार के पत्रों की प्रतियां विदेश मंत्रालय तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

निम्नलिखित प्रकार के मामले इस श्रेणी में आते हैं :—

(क) विदेश में या भारत में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के जन्म, मृत्यु, निवास-स्थान के पते, पूर्ववृत, ठौर-ठिकाने और कल्याण से संबंधित पूछताछ ।

(ख) भारतीय या विदेशी यात्रा प्रलेख प्राप्त करने के लिए कतिपय आवेदकों द्वारा दिए गए विवरणों का सत्यापन ।

(ग) विदेशी सरकारों के तथा राज्य सरकारों के भूतपूर्व कर्मचारियों की सेवाओं तथा उनकी डाक्टरी जांच आदि का सत्यापन ।

(घ) विदेश स्थित मिशनों या भारत में राज्य सरकारों से विविध प्रकार की सहायता के लिए भारतीय राष्ट्रिकों की याचिकाएं और शिकायतें ।

अपवाद

निम्नलिखित के बारे में पत्राचार विदेश मंत्रालय के माध्यम से जारी रहेगा ।

(1) राज्य सरकारों और दक्षिण अफ्रीका या इसकी एजेंसियों के बीच सभी पत्राचार चाहे उनका स्वरूप कुछ भी हो ।

(2) न्यायिक प्रलेखों का प्रेषण । लेकिन जब एक बार ये प्रलेख भेज दिए गए हों तो इस मामले में आगे के सभी पत्राचार संबद्ध राज्य सरकार और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के बीच किया जाएगा और इन पत्राचारों की प्रतियां सूचना के लिए विदेश मंत्रालय को भेजी जाएं ।

2. राज्य सरकारों के अधीनस्थ कार्यालय विदेश स्थित भारतीय मिशनों से सीधे पत्राचार करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं ।

अपवाद :

(1) लाइसेंसिंग प्राधिकारी तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों के बीच :—

भारतीय शस्त्र अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकृत भारत के लाइसेंसिंग प्राधिकारी विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस के पुनरीक्षण के सिलसिले में सम्बन्धित मिशनों के साथ सीधे पत्राचार कर सकते हैं, किन्तु किए गए पत्राचार की प्रतियां साथ-साथ विदेश मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

(2) लोक निदेशक/शिक्षा निदेशकों तथा भारतीय मिशनों के बीच:—

राज्यों के लोक निदेशक/शिक्षा निदेशक या समकक्ष पदों के अन्य पदधारी विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ उनके इस अनुरोध पर सीधा पत्राचार कर सकते हैं कि वे उन अध्यापकों की शैक्षिक अर्हताओं और उनके द्वारा की गई सेवा की पुष्टि करें जो शुरू में भारत में सेवारत थे।

(3) जन्म, मृत्यु और विवाह महानिदेशकों तथा भारतीय मिशनों के बीच :—

जब विदेश स्थित किसी भारतीय मिशन या केन्द्र को कोई भारतीय नागरिक जन्म, मृत्यु या विवाह संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति के लिए अनुरोध करे तो मिशन संबंधित राज्य सरकार के जन्म, मृत्यु तथा विवाह महानिदेशक के साथ सीधे पत्राचार कर सकता है। इस प्रकार का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जो शुल्क लगे, मिशन या केन्द्र को महानिदेशक की ओर से उसे भी वसूल करना चाहिए। जिस लेखा खाते में यह शुल्क रखा जाएगा उसे महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) जब कोई विदेशी सरकार भारतीय मिशनों को भारत मूल के किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आपात प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करे जिसे कि वह स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भारत वापस भेजना चाहती है तो जब तक इससे विपरीत कोई विशिष्ट आदेश मौजूद न हों तो तब तक मिशन को भारत में जिला प्राधिकारियों से सीधे संपर्क करना चाहिए और अपने आपको इस बात से संतुष्ट करना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति भारत के संविधान या/और नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार और इस प्रकार के कार्यकारी अनुदेशों, जिन्हें भारत सरकार नागरिकता के संबंध में जारी कर सकती थी या भविष्य में जारी कर सकती है, के अनुसार भारत का नागरिक है। इस प्रकार के पत्राचार की प्रतियां विदेश मंत्रालय को भी साथ-साथ पृष्ठांकित की जानी चाहिए। यदि विदेश स्थित मिशन/केन्द्र यह समझता है कि इस प्रत्यावर्तन विशेष में राजनैतिक बातें शामिल हैं या भारतीय राष्ट्रिकों को बड़ी संख्या में वापस भेजा जा रहा है तो इस आपात प्रमाण पत्र जारी करने या सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन पर अपनी सहमति देने से पहले विदेश मंत्रालय से भारत सरकार के पहले आदेश प्राप्त करने चाहिए।

(ग) राज्य सरकारों और विदेशी सरकारों के बीच

राज्य सरकारों का विदेशी सरकारों से सीधे पत्राचार नहीं करना चाहिए। सामान्यता इस प्रकार के पत्रों पर संबंधित विदेश सरकारों द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है किन्तु वे इन्हें उपयुक्त भारतीय प्राधिकारी को भेज देते हैं। विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार का उपयुक्त माध्यम विदेश मंत्रालय में भारत सरकार और संबंधित देश में भारतीय राजनायिक केन्द्र, या, जहां कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं है; वहां वह चैनल है जिसे विदेश मंत्रालय उपयुक्त समझे।

विदेशी अनुरक्षण आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी भारतीय न्यायालय दैनिक मामलों यथा इस प्रकार के अनुरक्षण आदेश, और उनके तहत किए जाने वाले भुगतान के प्रेषण के संबंध में विदेशी न्यायालयों के साथ सीधे पत्राचार कर सकते हैं।

(5) केन्द्र/राज्य सरकारों तथा विदेश स्थित गैर-सरकारी व्यक्तियों/संगठनों के बीच पत्राचार का माध्यम

भारत सरकार के मंत्रालय, उनके संबद्ध और अधीन कार्यालय, राज्य सरकारों तथा भारत में अन्य सरकारी संगठन दिन-प्रतिदिन के कामकाज में विदेशों में स्थित उपयुक्त गैर-सरकारी व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों से सीधे पत्राचार कर सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार के सारे पत्राचार की प्रतियां संबंधित भारतीय राजनयिक या कौंसल प्रतिनिधियों और विदेश मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाए ताकि उनके पास पूरी सूचना उपलब्ध रहे और वे इस प्रकार की कोई और सूचना या सलाह दे सकें जिसे कि इस प्रकार के संगठनों द्वारा मांगा जाए तथा उनके पास इस प्रकार के संगठनों और भारतीय प्राधिकारियों के बीच मौजूद संबंधों के बारे में भी सीधी जानकारी रहे।

सरकारी संगठन शब्द में पालिका समितियां, जिला बोर्ड, पत्तन आयुक्त के निकाय या पालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबन्ध के संबंध में कानूनी रूप से पात्र या सरकार द्वारा जिम्मेदार ठहराए गए अन्य प्राधिकारी भी शामिल हैं।

(6) स्थानीय निकायों तथा विदेशी सरकारों के बीच

राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि जब उन्हें विदेश यात्रा के निमंत्रण सहित विदेशों से कोई भी पत्र प्राप्त हो तो उन्हें इन पत्रों को प्रस्तावित उत्तर के साथ राज्य सरकार को भेजना चाहिए। यदि इस पत्राचार का मामला दैनिक और गैर राजनयिक स्वरूप का है तथा यह पत्र विदेशी सरकार के प्राधिकारी से नहीं है तो राज्य सरकार स्थानीय निकायों को सीधे पत्राचार करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। किन्तु यदि कोई राजनैतिक मसला उठाया गया है या ऐसा लगता है कि इस पत्राचार में महत्वपूर्ण और दुविधाजनक स्थिति की बातें अन्तर्निहित हो सकती हैं तो मामले पर विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की सलाह ली जानी चाहिए।

(7) भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र और इसके विशिष्टीकृत अभिकरणों तथा अन्य अन्तः सरकारी संगठनों के बीच पत्राचार का माध्यम

संयुक्त राष्ट्र, इसके मुख्यालय संगठन, विशिष्टीकृत अभिकरणों, क्षेत्रीय आयोगों, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अन्य अन्तः सरकारी संगठनों के साथ सारा पत्राचार सामान्यतः विदेश मंत्रालय द्वारा सीधे ही या न्यूयार्क में भारत के स्थायी मिशन के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस बात के लिए कि विदेश मंत्रालय और जहां आवश्यक हो न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का स्थायी मिशन अपने-अपने अभिलेखों को ठीक ढंग से रख सके, जब विदेश मंत्रालय को आगे के प्रेषण के लिए इस प्रकार के पत्र भेजे जाएं तो यह आवश्यक है कि मूल पत्र के साथ प्रत्येक पत्र की दो-दो अतिरिक्त प्रतियां भी साथ लगाई जाएं।

तथापि, विभिन्न संबंधित मंत्रालयों द्वारा दैनिक मामलों पर पत्राचार संयुक्त राष्ट्र के विशिष्टीकृत अभिकरणों/और इसके सहायक संगठनों के साथ सीधे ही किया जा सकता है बशर्ते कि इसकी प्रतियां साथ-साथ ही विदेश मंत्रालय तथा जहां आवश्यक हो न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के स्थायी मिशन को भी पृष्ठांकित की जाए।

(8) विविध

1. भारत के मंत्रालयों, या अन्य सरकारी प्राधिकारियों द्वारा विदेशी फर्मों या उद्योगों को सीधे दिए गए आर्डरों या उनके साथ की गई संविदाओं या ऐसी संविदाओं जिन पर कि बातचीत चल रही है, के बारे में संबंधित देश में भारतीय मिशन को भी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। ऐसा न करने से संबंधित भारतीय मिशन तब बड़ी दुविधाजनक स्थिति में पड़ जाते हैं जब उनसे इस प्रकार के मामले के बारे में पूछताछ की जाती है और उनके पास इसकी कोई सूचना नहीं होती है।

2. भारत की यात्रा का निमन्त्रण

भारत में सरकारी, अर्ध-सरकारी संस्थानों या संगठनों या स्थानीय निकायों को चाहिए कि वे विदेश मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से परामर्श किए बिना किसी भी विदेशी सरकारी या गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल को भारत की यात्रा पर आने का निमंत्रण न दें। ऐसा करना वांछनीय भी नहीं है कि गैर-सरकारी संगठन इस प्रकार के निमंत्रण दें। जब भी यह बात ध्यान में आती है कि किसी भी संगठन, चाहे वह सरकारी हों या गैर-सरकारी द्वारा विदेशी प्रतिनिधिमंडल को निमंत्रण दिया जा रहा है तो संबंधित संगठन को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वह विदेश मंत्रालय के माध्यम से ही इस प्रकार का निमंत्रण दे। उपर्युक्त संदर्भ में "निमंत्रण" शब्द में मेलों या प्रदर्शनियों में भाग लेने के निमंत्रण भी शामिल हैं।

इस प्रकार के मामलों में विदेश स्थित भारतीय मिशनों को चाहिए कि वे भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ केवल विदेश मंत्रालय के जरिए ही पत्राचार करें।

विदेशों की यात्रा कर रहे भारतीय प्रतिनिधिमंडल

[illegible] कोई संगठन, चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी, [illegible]रतीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजना चाहता है तो [illegible]लाह दी जानी चाहिए कि वह विदेश की यात्रा के लिए [illegible]निधिमंडल को भेजने का निमंत्रण विदेश मंत्रालय [illegible]र स्वीकृति के बिना स्वीकार न करें। इस प्रकार के [illegible] यह भी बता दिया जाना चाहिए कि यदि विदेश मंत्रालय को इस संबंध में कुछ नहीं बताया जाता है तो उनके लिए यह संभव नहीं होगा कि वे इन प्रतिनिधिमंडलों को पासपोर्ट इत्यादि के मामले में या किसी अन्य प्रकार की कोई आवश्यक सुविधा दे सकें। यदि दौरा करने वाले व्यक्ति/प्रतिनिधिमंडल को विदेश में किसी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है तो उसे इसके लिए विदेश मंत्रालय को तत्काल अनुरोध करना चाहिए। भारत में स्थित विदेशी मिशन को सीधे कोई अनुरोध नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा करने के लिए समय उपलब्ध नहीं है तो विदेश स्थित भारतीय मिशन को सीधे अनुरोध किया जा सकता है और इसकी प्रति साथ-साथ विदेश मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाए। इस प्रकार के पत्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस प्रकार की विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता है। यदि यात्रा इस प्रकार की है कि उसमें भारत सरकार भी सीधे संबंधित है तो इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या :—

(क) वहां पहुंचने के समय और यात्रा के दौरान परिवहन की आवश्यकता है।

(ख) होटल के आवास की आवश्यकता है। यदि है तो उनका स्तर तथा वेतन और उनके साथ आने वाले परिवारों का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

(ग) विदेश स्थित मिशन को कोई भुगतान करना होगा। यदि हां तो आवश्यक संस्वीकृति यथाशीघ्र और प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने से पहले अवश्य भेज दी जानी चाहिए। इन सभी संस्वीकृतियों में इस बात का जहाज के किराए की दर की पात्रता, दैनिक भत्ते, शामिल हैं यानी प्रतिपूरक भत्ते, रेल या हवाई जहाज के किराए की दर की पात्रता, दैनिक भत्ते, इत्यादि तथा क्या कोई वेतन या भत्ते विदेशी मुद्रा में दिए जाने हैं।

विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों को जिन भारतीय यात्रियों के लिए मुलाकात आदि का समय तय करने तथा होटल में उनके लिए आवास आरक्षित करने, और उन्हें अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है। उस समय दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ता है। यदि उक्त भारतीय यात्री अपने न पहुंच पाने की पर्याप्त समय पहले सूचना नहीं देते हैं अथवा इतना विलम्ब से आते हैं कि पहले से व्यवस्थित सारा कार्यक्रम चौपट हो जाता है। इससे सम्बन्धित मिशन की छवि तो प्रभावित होती ही है, भविष्य में भारतीय यात्रियों के लिए उचित व्यवस्था करने सम्बन्धी उसकी क्षमता पर भी असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित देश में समग्र रूप से इसकी प्रतिष्ठा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, भारतीय यात्रियों को उनके लिए बनाए गये कार्यक्रम पर पूर्णतया अमल करना चाहिए। और अगर अपरिहार्य कारणों से उन्हें इसमें तबदीली करनी पड़े तो उनका यह प्रयास होना चाहिए कि उन्हें सभी सम्बन्धित पक्षों से क्षमायाचना करते हुए अपने कार्यक्रम पर अमल न कर पाने के सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी उन्हें अवगत करा दें। अगर वे उनके लिए बनाए गये कार्यक्रम पर पूर्णरूपेण अमल करें तथा, यदि वे अपरिहार्य कारणों से उस पर अमल नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें अपने कार्यक्रम को बदलने सम्बन्धी आवश्यकता और कारणों की सूचना सभी सम्बन्धित पार्टियों को समय रहते दे देनी चाहिए।

विदेश स्थित सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं का निरीक्षण करने और उनका दौरा करने के सम्बन्ध में सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में सम्बन्धित देशों में स्थित भारतीय मिशनों को समय रहते ही लिखा जाए ताकि जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, भारत से उनकी रवानगी अथवा जिस देश का उन्हें दौरा करना है, उसमें उनके पहुंचने से पहले उनके कार्यक्रम की पूरी सूचना उन्हें दी जा सके।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों का यह दायित्व है कि वे विदेशों में रह रहे भारतीय राष्ट्रीकों के हितों की रक्षा करें और आवास, वीजा आदि जैसे मामलों में उनकी सहायता करें। मिशन अपना दायित्व पूरा कर सकें इसके लिए भारतीय यात्रियों को चाहिए कि वे अपने पूरे यात्रा क्रम की सूचना भारतीय मिशनों को समय रहते ही दे दें, और यदि वे ऐसा नहीं कर सकें तो उन्हें वहां पहुंचते ही मिशनों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए, और वहां पहुंचने के बाद अपने कार्यक्रमों की जानकारी भी मिशनों को देनी चाहिए।

दौरे पर जाने वाले सरकारी अथवा गैर-सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमण्डल को यह सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय प्राधिकारियों के साथ अपनी बातचीत शुरू करने से पहले यथा-स्थिति भारतीय मिशन के प्रमुख अथवा मिशन के सम्बन्धित अधिकारी से इस सम्बन्ध में संक्षिप्त ब्यौरा प्राप्त कर लें।

जब भारतीय मिशनों को, सरकारी कार्य के लिए दौरे पर जाने वाले प्रतिनिधिमण्डलों के लिए उचित आवास आरक्षित करने के लिए कहा जाय तो वे भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्राधिकृत दरों पर समुचित आवास उपलब्ध कराने का भरसक प्रयत्न करें। इस प्रकार उपलब्ध कराया गया आवास को प्रतिनिधिमंडल के लिए सरकार द्वारा सरकारी आधार पर उपलब्ध कराया गया आवास समझा जाएगा। यदि किसी कारण-वश ऐसे आवास का उपयोग नहीं किया जा सके तो उसके परिणामतः आरक्षण को रद्द करवाने के लिए होने वाले फालतू खर्चों को उस प्राधिकारी के नामे खाते डाला जायगा, जिसके निदेश से मूल रूप से आवास की व्यवस्था की गई थी। सरकार द्वारा प्रायोजित यात्राओं पर विदेश जाने वाले अधिकारियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे भारतीय मिशनों द्वारा उपलब्ध करायें गये आवास स्वीकारें। निजी कार्य के लिए विदेश जाने वाले भारतीय राष्ट्रीकों के लिए होटल आवास की व्यवस्था करना अथवा उनकी यात्रा की व्यवस्था करना विदेश स्थित भारतीय मिशनों का दायित्व नहीं है और न ही उनकी इन मांगों को पूरा करने के लिए कोई संसाधन है। ऐसी मांगों को हतोत्साहित करना चाहिए।

(4) **सार्वजनिक निकाय और गैर सरकारी व्यक्ति :—**

भारत स्थित सार्वजनिक निकाय अक्सर विदेश स्थित भारतीय मिशनों से सीधा सम्पर्क कर उनसे यह अनुरोध करते हैं कि वे प्रस्तावित प्रदर्शनियों, खेल-कूद प्रतियोगिताओं आदि की जानकारी विदेशों में स्थानीय सरकारों और अन्य संगठनों को दें। उनसे यह भी अनुरोध करते हैं कि वे किसी न किसी सिलसिले में उनके द्वारा अपेक्षित सूचना अथवा अन्य सामग्री उन्हें उपलब्ध करायें। गैर सरकारी व्यक्तियों अथवा सार्वजनिक निकायों को यह हिदायत देना व्यवहार्य नहीं है कि वे भारतीय मिशनों के जो भी अनुरोध-पत्र भेजें वे सभी विदेश मंत्रालय की मार्फत भेजें। इन अनुरोधों को स्वीकार किया जाये अथवा इन्हें किस हद तक स्वीकार किया जाय, यह निश्चय करना मामले के गुण-वगुणों को देखते हुए मिशन प्रमुख के विवेक पर निर्भर करेगा। यदि मिशन गैर-सरकारी व्यक्तियों अथवा निकायों के अनुरोधों को अनुचित अथवा अनुपयुक्त मानता है तो वह उन्हें नामंजूर कर सकता है और उनसे यह कह सकता है कि वे आवेदन भारत सरकार की मार्फत भेजें।

(5) **भारतीय छात्र और विदेश स्थित मिशन :—**

विदेश में शैक्षिक अथवा व्यवहार्य प्रशिक्षण के लिए भारत से भारतीय छात्र नियमानुसार संबंधित भारतीय मिशनों से सीधा पत्र-व्यवहार नहीं करेंगे। उन्हें उस विश्वविद्यालय के माध्यम से आवेदन करना चाहिए जिसमें कि उन्होंने अपनी अंतिम पढ़ाई की है या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से आवेदन किया जाना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वे प्राइवेट छात्र थे या भारत में किसी संगठन में पहले से ही कार्य कर रहे हैं। फोरमैन स्तर तक की प्रशिक्षण सुविधाओं के आवेदनपत्रों की छानबीन श्रम और रोजगार मंत्रालय करेगा तथा उससे ऊपर के स्तरों की व्यावहारिक प्रशिक्षण के आवेदनपत्रों की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जो भारतीय छात्र पहले ही विदेश में हैं वे संबंधित मिशनों के साथ सीधा पत्राचार कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के पत्राचार की प्रतियां भारत सरकार को भी भेजी जाएं।

(6) यदि संबंधित छात्र स्वयं अपने खर्च पर या राज्य स[illegible] के तत्वाधान में अध्ययन कर रहा है या व्यवहारिक प्रशिक्ष[illegible] रहा है तो गैर प्राइवेट भारतीय छात्रों से ऋणों की वसूली [illegible] अनुरोधों तथा उन छात्रों के स्वागत समारोहों के [illegible] शिक्षा मंत्रालय को नहीं भेजा जाना चाहिए जो वि[illegible] पर भारत लौट रहे हैं इस प्रकार के सभी पत्र सीधे [illegible] को भेज जाने चाहिए।

अवर सचि[illegible]
विदेश मंत्रालय भ[illegible]

सूरीनाम में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में हिन्दी को प्रमुखता

सूरीनाम की आम जनता को भारत के प्रति विशेष लगाव है और यहां के भारत वंशी अपनी भाषा-बोली, रहन-सहन और संस्कृति के कारण मानसिक रूप से बहुत गहराई के साथ भारत से जुड़े हैं। जनसंख्या, संम्पन्नता, शिक्षा, व्यवसाय और सांस्कृतिक चेतना के कारण यह इस देश का सबसे प्रभावी वर्ग है। भारत की प्रगति से इन्हें गर्व होता है; वहां की घटनाएं इनके मर्म को छूती हैं।

सूरीनाम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य ही नहीं, एक उपाध्यक्ष भी है अतः भारतवंशियों के अलावा भी सम्पूर्ण देश भारत की तीसरी दुनियां के देशों का एक ऐसा नेता मानता है जो विश्व की महाशक्तियों और सम्पन्न देशों के समक्ष विकासशील देशों की बात निर्भीकता पूर्वक कह सकता है।

भारत के 37वें गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर भारतीय राजदूत महामहिम श्री बच्चू प्रसाद सिंह के आवास पर आयोजित एक स्वागत समारोह में सूरीनाम के राष्ट्रपति महामान्य श्री एल. एफ. रामदत्तमिसिर ने अपने देश और अपनी सरकार की इन्हीं भावनाओं का इजहार करते हुए कहा कि भारत न केवल औद्योगिक रूप से सम्पन्न देशों के प्रति तीसरी दुनियां के देशों का समर्थ प्रवक्ता ही है वरन् वह हम सबके लिए अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एक उदाहरण भी है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के प्रेरणाप्रद नेतृत्व में भारत ने अपनी आन्तरिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को जिस प्रकार हल किया है और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक-मंदी के वर्तमान वातावरण में भी जिस प्रकार भारत ने आर्थिक प्रगति बनाए रखने और अपनी सत्तर-करोड़ से अधिक आबादी के बीच एकता बनाए रखकर देश को स्थिरता प्रदान करने में जो सफलता पाई है, वह अनुकरणीय है और यह निश्चय ही भारत के नेतृत्व वर्ग की योग्यता और कुशलता का प्रमाण है। हमारा विश्वास है कि यह उस महान प्राचीन भारतीय प्रज्ञा का ही परिणाम है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती हुई महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु और श्रीमती इन्दिरा गांधी गांधी जैसी महान नेताओं के माध्यम से आज युवक पर, महान नेता श्री राजीव गांधी तक पहुंची है।

महामान्य राष्ट्रपति ने भारत और सूरीनाम के बीच घनिष्ट और सौहार्दपूर्ण संबंधों की वर्तमान स्थिति के प्रति अपनी सरकार की ओर से संतोष और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सद्भावना और समझ-बूझ बढ़ाने के लिए वर्तमान राजदूत और उनके स्टाफ द्वारा किये गये प्रयत्न की मैं सराहना करता हूं।

दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के विस्तार और मैत्री संबंधों को और अधिक दृढ़ होने तथा भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह एवं भारतीय जनता की सुख-समृद्धि की कामना करते हुए राष्ट्रपति ने अनुरोध किया कि उनके देश की ये भावनाएं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी जाएं।

इससे पूर्व, समारोह में उपस्थित सूरीनाम के राष्ट्रपति, उनकी धर्मपत्नी, प्रधानमंत्री श्री उदेनहुत एवं उनकी धर्मपत्नी, विदेश मंत्री श्रीकी सिम, अन्य मंत्रियों, राजनयिकों तथा अन्य गण्यमान नागरिकों का स्वागत करते हुए भारत के राजदूत महामहिम श्री बच्चू प्रसाद सिंह ने आजादी के लिए भारतीयों के लम्बे संघर्ष और उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे दूरदर्शी नेताओं के महान योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जो संविधान हमें दिया उस पर चलकर भारत ने न केवल आंतरिक प्रगति की है वरन् वह दुनियां भर में उपनिवेशवाद और शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहा है और विश्व शान्ति और मानव मात्र के सुख व समृद्धि के लिए सतत् प्रयत्नशील रहा है।

भारत और सूरीनाम के बीच घनिष्ट संबंधों का उल्लेख करते हुए महामहिम ने कहा कि एक शताब्दी से भी अधिक पुराने ये संबंध पिछले वर्षों में और मजबूत हुए हैं। भारत और सूरीनाम दोनों ही देश गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्तों में न केवल आस्था रखते हैं बल्कि परमाणु आयुधों के प्रसार पर रोक और विश्व शान्ति के लिए मिलकर काम भी कर रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी तथा अन्य विश्व नेताओं द्वारा विश्व शान्ति के लिए जारी की गई "दिल्ली-घोषणा" में सूरीनाम के सहयोग और समर्थन ने दोनों देशों को और नजदीक ला दिया है। महामहिम ने कहा कि इसके अलावा भी तकनीकी तथा अन्य क्षेत्रों में यात्राओं और सम्पर्कों के कारण दोनों के बीच संबंध दृढ हुए हैं। पिछले वर्ष प्रोफेसरों के एक दल की सूरीनाम यात्रा से दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पिछले वर्ष फ़रवरी में सूरीनाम क्रान्ति की पांचवी वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय संसद के सदस्य श्री वी. के. थुंगन सूरीनाम आये थे। उस अवसर पर सूरीनाम की सरकार और जनता ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष और तीसरी दुनियां के देशों के लिए आजीवन लड़ने वाली विश्वनेता और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर राजमार्ग का नामकरण करते हुए जो उद्गार व्यक्त किए उससे सभी बहुत प्रभावित हुए। सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री डा. एल. एफ. रामदत्तमिसिर, श्रीमती मिसर, सूरीनाम की सरकार और जनता के सुख व समृद्धि की कामना करते हुए भारत के राजदूत महामहिम श्री बच्चू प्रसाद सिंह ने कहा कि मेरा विश्वास है

कि हमारे दोनों देशों के बीच यह मैत्री संबंध लगातार और मजबूत होते जाएंगे।

गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर स्थानीय थालिया सभागार में भारतीय नृत्य और संगीत का एक रंगारंग कार्यक्रम, पिछले वर्षों की भांति, भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के छात्रों/प्राध्यापकों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर भी सूरीनाम सरकार के अनेक मंत्रीगण, राजनयिक तथा भारी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर भारत के राजदूत महामहिम श्री बच्चू प्रसाद सिंह ने उपस्थित कला-प्रेमी नागरिकों का स्वागत करते हुए भारतीय कला परम्परा और वर्तमान औद्योगिक-राजनीतिक प्रगति के बीच विकसित हो रहे संबंधों पर प्रकाश डाला और भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह का संदेश हिन्दी और अंग्रेजी में दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि भारत सदा ही निःशस्त्रीकरण विश्व शांति और सब देशों के साथ मैत्री के आदर्श पर चलता रहेगा।

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के छात्रों/प्राध्यापकों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शकों द्वारा बहुत पसन्द किया गया। छात्राओं द्वारा समवेत स्वर में प्रस्तुत स्वागत गान, कुमारी कविता थानी एवं कुमारी रागिनी सिन्हा द्वारा प्रस्तुत वन्दना नृत्य तथा पुनः कु. रागिनी सिंह द्वारा प्रस्तुत एकल भावनृत्य की दर्शकों ने बहुत सराहना की। सांस्कृतिक केन्द्र के संगीत प्राध्यापक प्रो. प्रेमसिंह किनोट द्वारा गाए गये ख्याल, भजन और गजल गायन के माध्यम से दर्शकों को भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली का परिचय मिला। तबला प्राध्यापक श्री जमीर अहमद खान द्वारा प्रस्तुत एकल तबलावादन तथा छात्रों के संयोजन के साथ प्रस्तुत तालवाद्य कचहरी कार्यक्रम भी आकर्षण का केन्द्र रहे। अंत में नृत्य शिक्षिका श्रीमती पूर्णिमा पाण्डे द्वारा प्रस्तुत कथकनृत्य तथा उनके द्वारा निर्देशित पहाड़ी लोकनृत्य की भी बहुत सराहना की गई।

कार्यक्रम के अन्त में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक श्री एम. जेसुदास ने दर्शकों तथा कलाकारों को उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

प्रस्तुति : रागिनी सिन्हा

9. दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर परिसर में संसदीय राजभाषा समिति के सांसद सदस्यों के साथ 7 फरवरी 86 को आयोजित औपचारिक बैठक में प्रबन्ध-निदेशक श्री डी० मुखर्जी

सम्मेलन/समिति समाचार

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी

नये वर्ष के प्रारम्भ में ही राजभाषा विभाग ने हिन्दी में उपलब्ध इलैक्ट्रानिक उपकरणों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 जनवरी, 1986 को एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ। यह अवसर था राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी में उपलब्ध उपकरणों की प्रदर्शनी के आयोजन का। भारत के गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण ने इसका उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में गृह मंत्री जी ने कहा कि देश की सम्पर्क भाषा हिन्दी ही हो सकती है इसलिए इसे संघ सरकार की राजभाषा का पद दिया गया है। यह ठीक है कि हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग अभी जारी है किन्तु केवल इस आधार पर हमें हिन्दी के प्रचार-प्रसार के प्रयास में किसी प्रकार की कमी नहीं लानी है। उन्होंने कहा कि नये वर्ष में केन्द्रीय सरकार के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए ठोस कार्य करना चाहिए।

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित द्विभाषी उपकरणों की प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह के अवसर पर—गृह मंत्री दाएं से कु. कुसुमलता मित्तल, सचिव, राजभाषा विभाग, श्री एस. बी. चव्हाण गृह मंत्री, श्री पी. ए. संगमा गृह राज्य मंत्री, श्री देवेन्द्र चरण मिश्र संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

गृह मंत्री जी ने आगे कहा कि यांत्रिक तथा इलैक्ट्रानिक उपकरणों में रोमन के साथ-साथ देवनागरी लिपि में काम करने की सुविधा उपलब्ध हो जाने से राजभाषा के प्रयोग की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा। उन्होंने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि आजादी के 38 वर्षों के बाद भी केन्द्रीय सरकार के कामों में राजभाषा का पूरी तरह प्रयोग नहीं हो रहा है। मंत्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजभाषा के प्रचार-प्रसार में लगे लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिन प्रदेशों में हिन्दी का पूरी तरह विकास नहीं हुआ है वहां के लोगों को इसे अपनाने में कोई कठिनाई महसूस न हो। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री पी. ए. संगमा भी उपस्थित थे।

अपने स्वागत भाषण में राजभाषा विभाग की सचिव कु. कुसुमलता मित्तल ने राजभाषा के कार्यान्वयन में हो रही प्रगति तथा आधुनिक कार्यालयीन उपकरणों में देवनागरी के प्रावधान

के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। कु. कुसुमलता मित्तल ने कहा कि द्विभाषी उपकरणों की प्रदर्शनी देश के अन्य बड़े शहरों में भी लगाने का प्रस्ताव है। विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने सूचित किया कि यांत्रिक तथा इलैक्ट्रानिक उपकरणों के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा विभाग द्वारा साहित्य का प्रकाशन तथा वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग का यह प्रयास है कि आधु-निक उपकरणों में देवनागरी की व्यवस्था के क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी न रह पाये, क्योंकि वर्तमान युग में किसी भी भाषा का विकास और प्रगामी प्रयोग काफी हद तक यांत्रिक सुविधाओं पर आश्रित है।

गृह मंत्री जी अपने उद्घाटन भाषण के बाद प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन करने के लिए विज्ञान भवन एनेक्सी में पधारे।

द्विभाषी उपकरणों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए जाते हुए गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण और गृह राज्य मंत्री श्री पी. ए. संगमा

विज्ञान भवन एनेक्सी में आयोजित द्विभाषी उपकरणों की प्रदर्शनी का गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण ने रेशमी फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया।

द्विभाषी उपकरणों की प्रदर्शनी का विज्ञान भवन एनेक्सी में उद्घाटन करते हुए गृहमंत्री श्री एस. बी चव्हाण साथ में हैं गृह राज्य मंत्री श्री पी. ए. संगमा, राजभाषा विभाग की सचिव कु. कुसुमलता मित्तल, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र एवं सहायक निदेशक (तकनीकी) श्री ए. के. रोहतगी

इस प्रदर्शनी में जिन उपक्रमों ने भाग लिया वे हैं—कंप्यूटर मैंटीनेन्स कार्पोरेशन, डी. सी. एम., काल सिस्टम, ऊषा कम्प्यूटर, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स, लाजिक सिस्टम, रेमिंगटन, बाडमा तथा राभा कोंटल।

प्रदर्शनी में प्रदर्शित उपकरणों का स्थानाभाव के कारण केवल संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं :

'लिपि' बहुभाषी शब्द संसाधक (वर्ड प्रोसेसर)

जो कम्प्यूटर किसी लिपि के शब्दों की प्रोसेसिंग करता है, उसे शब्द संसाधक (वर्ड प्रोसेसर) कहते हैं। सी.एम.सी., लिमि. हैदराबाद ने अब कम्प्यूटरों व अन्य आधुनिक प्रणालियों में राजभाषा हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। भारत सरकार द्वारा स्थापित इस कारपोरेशन का 'लिपि' वर्ड प्रोसेसर अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी और किसी एक भारतीय भाषा (अर्थात् तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बंगाली, असमिया या मराठी) में एक साथ, एक ही समय, कार्य कर सकता है। लिपि के पांच प्रमुख भाग हैं :—

1. 16-बिट कंप्यूटर जिस पर 'लिपि' आधार है।
2. 2 फ्लापी डिस्क ड्राइव जिन पर प्रलेखों का भंडारन होता है।
3. ध्वनि-निर्धारित कुंजी पटल जिससे 'लिपि' पर तीन भाषाओं का टंकण सरलता से किया जाता है।
4. टेलीविजन जैसा दृश्य पटल जिस पर टंकित लेख को दर्शाया जाता है।
5. उच्च स्तर का प्रिन्टर जिस पर मुद्रित दस्तावेज अन्य किसी उपलब्ध प्रणाली के मुद्रण से कहीं बेहतर है।

बहुभाषी शब्दसंसाधक "लिपि" की कार्यप्रणाली को देखते हुए गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण

'लिपि' पर भंडारित लेख को किसी भी समय दोबारा प्राप्त कर उसमें संशोधन आदि सरलतापूर्वक किया जा सकता है। बहु-डाक की सुविधा, फाइलिंग का व्यवस्थित ढंग, भाषाओं का मशीनी लिप्यंतरण और ऐसी कई सुविधाएं 'लिपि' को वास्तव में एक बहुउपयोगी यंत्र बनाती हैं, विशेष रूप से भारतीय कार्यालयों के लिए यह मशीन अब तैयार है। विपणन के साथ प्रशिक्षण और मशीनरी रख-रखाव की जिम्मेदारी भी पूरी तरह सीएमसी की ही है।

देवनागरी टाइपराइटर

इस टाइपराइटर का निर्माण मांग के अनुसार किया जा रहा है। इस प्रकार के टाइपराइटर को मैसर्स गोदरेज, रायला, रेमिंगटन आदि कम्पनियां निर्मित कर रही हैं। यह यंत्र बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

देवनागरी पोर्टेबल टाइपराइटर

यह टाइपराइटर यात्रा के समय आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। इस समय इस टाइपराइटर का निर्माण रेमिंग्टन कम्पनी कर रही है। यह यन्त्र बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

देवनागरी पिनप्वाइंट टाइपराइटर

इस प्रकार के टाइपराइटरों से छोटे वाले अक्षर छपते हैं। चैक तथा विभिन्न प्रकार के बिल तैयार करने में इस टाइपराइटर का प्रयोग होता है। इसका निर्माण गोदरेज एवं रायला कम्पनियां कर रही हैं।

देवनागरी बुलेटिन टाइपराइटर

इस टाइपराइटर से मोटे टाइप वाले अक्षर छपते हैं। इनका प्रयोग सूचना-पट तथा रेलवे आरक्षण इत्यादि में होता है। इस टाइपराइटर को गोदरेज कंपनी निर्मित कर रही है।

देवनागरी टाइपराइटरों का निरीक्षण करते हुए गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण

देवनागरी इलैक्ट्रिक टाइपराइटर

संचार मंत्रालय अपने सरकारी उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमि., मद्रास से देवनागरी इलैक्ट्रिक टाइपराइटर बनवाने लगा है। मांग भेजने पर यह टाइपराइटर उपलब्ध हो सकता है। इस यन्त्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) जब यन्त्र की मोटर बन्द होगी, कुंजी पटल कार्य नहीं करेगा।

(2) यदि दो करैक्टर एक साथ दब जाते हैं तो कुंजीपटल कार्य करना बंद कर देगा।

(3) एक मिनट में 920 स्ट्रोक लगा सकते हैं।

(4) जब मोटर कार्य कर रही होती है तो टाइपराइटर की टाप प्लेट आटोमैटिक बन्द हो जाती है।

द्विभाषी इलैक्ट्रिक टेलीप्रिंटर

प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति की 19वीं बैठक में द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए संचार मन्त्री ने सदस्यों को सूचित किया कि इस कार्य के लिए हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमि. मद्रास ने एक विदेशी कम्पनी के साथ करार किया है जिसकी अनुमति मई, 85 में प्राप्त हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 महीने में इसका प्रोटोटाइप (प्रयोग शाला माडल) तैयार हो जाएगा और 9 से 12 महीने में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। द्विभाषी

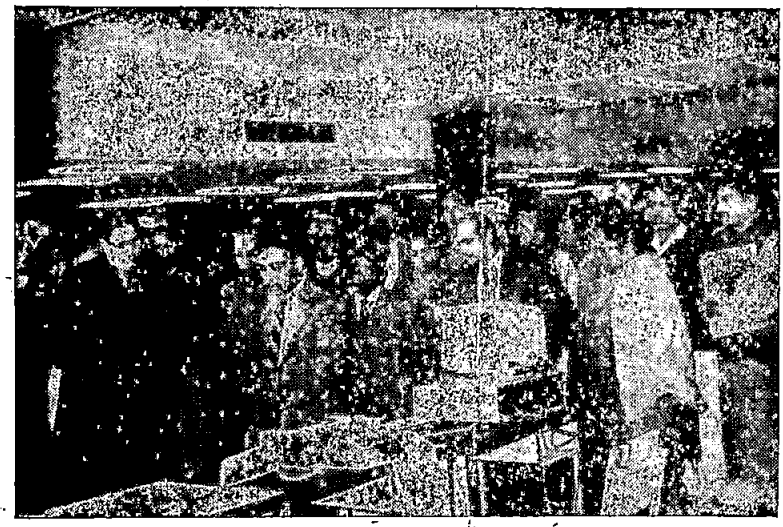

ऊषा कम्प्यूटर द्वारा निर्मित (देवनागरी-रोमन) वर्ड-प्रोसेसर का निरीक्षण करते हुए गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि. मद्रास द्वारा निर्मित देवनागरी टेलीप्रिंटर और देवनागरी इलैक्ट्रिक टाइपराइटर की कार्यप्रणाली को देखते हुए गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण एवं गृह-राज्य मंत्री श्री पी. ए. संगमा। साथ में बाएं ओर हैं राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र

इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर के उत्पादन के संबंध में संचार मंत्रालय ने सूचित किया है कि इसके उत्पादन पर निगरानी रखने के उद्देश्य से संचार मंत्रालय में एक निगरानी दल का गठन किया गया है। द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर के उत्पादन में अपेक्षित गति लाने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर लिमि., मद्रास को आवश्यक अनुदेश दे दिए गए हैं।

पतालेखी मशीन

देवनागरी में पते लिखने वाली मशीन अब बाजार में उपलब्ध है। इस पतालेखी मशीन के द्वारा पतों की विवरणियां, सूचियां, बिजली तथा पानी के बिल, बीमा परिपत्र, पहचान टोकेन, रेल तथा रेल वैगनों के लेबल देवनागरी में तैयार किये जा सकते हैं। इसका निर्माण मैसर्स ब्राडमा आफ इंडिया लिमिटेड कर रहा है।

मैसर्स ब्राडमा आफ इण्डिया लि. द्वारा निर्मित देवनागरी में पते लिखने वाली मशीन का निरीक्षण करते हुए गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण। साथ में हैं राजभाषा विभाग की सचिव कु. कुसुमलता मित्तल

रावा कोंटल प्रा. लि. द्वारा प्रदर्शित बहुभाषी वर्ड-प्रोसेसर का निरीक्षण करते हुए गृहमंत्री श्री एस. बी. चव्हाण

द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर

इस प्रकार के टाइपराइटरों में मेमोरी होती है जिसको प्रदर्शित (डिसप्ले) किया जा सकता है। इस प्रदर्शन (डिसप्ले) को देखने से अशुद्धियों का ज्ञान हो जाता है। इन अशुद्धियों को तुरन्त दूर करके फिर से टाइप कर लिया जाता है। इस प्रकार के टाइपराइटर में डेजी व्हील होता है। इसकी सहायता से रोमन तथा देवनागरी में विभिन्न प्रकार के अक्षरों को टाइप किया जा सकता

द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर का अवलोकन करते हुए गृहमंत्री श्री एस. बी. चव्हाण तथा गृहराज्य मंत्री श्री पी. ए. संगमा

है। ऐसे टाइपराइटरों की सहायता से रिपोर्ट और चार्ट आदि आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। इस टाइपराइटर की उत्पादकता साधारण टाइपराइटर से कई गुना अधिक होती है। द्विभाषी (रोमन-देवनागरी) इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और कुछ महीनों में बहुत सस्ते माडल भी आने वाले हैं। इस प्रकार के टाइपराइटरों का उत्पादन मै. रेमिंग्टन कम्पनी द्वारा शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है।

(क) "सिद्धार्थ" द्विभाषी (देवनागरी-रोमन) कम्प्यूटर

डी.सी.एम. डाटा प्रोडक्टस द्वारा निर्मित "सिद्धार्थ" द्विभाषी कम्प्यूटर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस यंत्र की विशेषता यह है कि एक 'की' को दबा देने से यह देवनागरी लिपि में काम करने लगता है। "सिद्धार्थ" को एक शक्तिशाली देवनागरी शब्द संसाधक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस कम्प्यूटर के उपयोग करने से संपादन, मूल पाठ के संशोधन, टाइप और फिर टाइप इन सभी परेशानियों से बिल्कुल मुक्ति मिलती है। "सिद्धार्थ" क्रय-आदेशों को दर्ज करता है और मान्य करता है, कीमत और छूट का हिसाब लगाता है, बीजक और चालान बनाता है, खातों में प्राप्त रकमों को अद्यतन करता है। सभी वर्णनात्मक तथ्य-आंकड़े देवनागरी या अंग्रेजी में मुद्रित किए जा सकते हैं।

(ख) "सुलेख" द्विभाषी (देवनागरी-रोमन) कम्प्यूटर

मैसर्स कैल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली और मैसर्स सोफ्टेक प्राइवेट लि., नई दिल्ली ने एक साथ मिलकर यह द्विभाषी कम्प्यूटर तैयार किया है।

इस यन्त्र की विशेताएं :

(1) हिन्दी, अंग्रेजी टाइपराइटर के अनुरूप कुंजीपटल।
(2) हिन्दी, अंग्रेजी या दोनों भाषाओं का इच्छानुसार प्रयोग।
(3) एक कुंजी से अंग्रेजी हिन्दी शब्दानुवाद।
(4) विभिन्न आकार में मुद्रण।
(5) शब्दकोश में शब्दों का बढ़ाना-घटाना सम्भव।
(6) डाटा प्रोसेसिंग का प्रावधान।
(7) वर्ड प्रोसेसिंग का प्रावधान।

टाइप करते समय कोई गलती हो जाती है तो 'सुलेख' एक विशेष ध्वनि से सूचित करेगा अतः गलती को स्क्रीन पर ही ठीक किया जा सकता है। इस यन्त्र में शब्दकोश का प्रावधान है जिसमें एक अंग्रेजी शब्द के कई हिन्दी अर्थ तुरन्त स्क्रीन पर आते हैं तथा उनमें से इच्छानुसार शब्द चुनकर और एक कुंजी दबाने से हिन्दी शब्द स्वचालित ढंग से अंग्रेजी की जगह आ जाता है।

(ग). बहुलिपीय रंगीन कम्प्यूटर

इसका विकास प्रौद्योगिक तौर पर भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास ने किया है। एक ही कुंजी पटल से तीन लिपियों के अति-

रिक्त कम्प्यूटर द्वारा हिन्दी एवं तमिल अक्षरों का इच्छानुसार रंग एवं आकार का चयन किया जा सकता है, संगीत की रचना की जा सकती है, घड़ी की तरह समय का प्रदर्शन किया जा सकता है, रंग-बिरंगी चित्रकारी की जा सकती है, "क्यू शीट" का साद कागज पर अंकन किया जा सकता है, शब्द संसाधन किया जा सकता है, सूचना प्रदर्शन के लिए विशेष एवं गतिशील प्रभावों का प्रयोग किया जा सकता है, शीर्षक के प्रदर्शन के लिए खिड़की का सृजन किया जा सकता है, इत्यादि। इसका प्रयोग मद्रास दूरदर्शन केन्द्र में हो रहा है।

द्विभाषी कम्प्यूटर टर्मिनल

इस प्रकार के द्विभाषी टर्मिनल का प्रोटोटाइप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने विकसित किया है। द्विभाषी (रोमन-देवनागरी) कम्प्यूटर टर्मिनल वर्तमान कम्प्यूटरों की क्षमता का उपयोग करने में सहायक होंगे।

द्विभाषी रूप में उपलब्ध यांत्रिक उपकरणों की संभवतः यह पहली प्रदर्शनी थी। यह प्रदर्शनी 2 जनवरी से लेकर 3 जनवरी, 1986 तक आम जनता के लिए लगी रही। पहली बार लोगों को यह जानकारी मिली कि राजभाषा हिन्दी अब आधुनिक यांत्रिक सुविधाओं से सम्पन्न हो चुकी है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा अनेक व्यापारी संगठनों के लोगों ने भी इस प्रदर्शनी को देखा और इससे प्रभावित हुए। हमारा विचार है कि इस प्रकार की प्रदर्शनी अन्य नगरों में भी आयोजित की जाए। बंगलौर सम्मेलन के अवसर पर भी हम इसे आयोजित कर रहे हैं।

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन और उनकी उपलब्धियां

हिन्दी के सम्मेलनों का आयोजन हमारी कोई मौलिक उद्भावना नहीं है। हिन्दी के सम्मेलन सन् 1910 से बराबर होते चले आ रहे हैं। इन्दौर में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में सन् 1918 में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने हिन्दी के प्रचार और प्रसार को अपने रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग बना लिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के अभिनन्दन समारोह पर आयोजित इलाहाबाद में हिन्दी मेले का विवरण देने के लिए अभी भी कुछ व्यक्ति मौजूद हैं। इन सम्मेलनों से हिन्दी का और विशेष रूप से हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि में बहुत बड़ा योगदान हुआ है। अब स्थिति बदल चुकी है। संविधान ने हिन्दी को देवनागरी लिपि में राजभाषा स्वीकार किया है। हिन्दी का राजभाषा के रूप में प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन हिन्दी साहित्य के प्रचार और प्रसार से भिन्न है। इस परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग ने जो सम्मेलन आयोजित किए हैं उनका स्वरूप नितान्त भिन्न है। इन सम्मेलनों का उद्देश्य रहा है। राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिस्थापित करने की दिशा में आने वाली कठिनाइयों पर विचार-विमर्श करना और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बीच हिन्दी की मानसिकता और राजभाषा के रूप में तीव्र गति प्रदान करना।

देश के विभिन्न प्रान्तों में क्षेत्रीय भाषाओं में काम हो रहा है। प्रायः सभी प्रान्तों में भाषा के कार्यान्वयन की समस्याएं एक जैसी ही हैं। इन समस्याओं पर समय-समय पर आयोजित समारोहों में विचार-विमर्श होता रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों का एक सम्मेलन सितम्बर, 1976 में बंगलौर में हुआ था। बाद में ऐसा ही सम्मेलन राजभाषा विभाग के तत्वाधान में मार्च, 1978 में दिल्ली में भी हुआ था। 1982 तक इसी प्रकार बहुत-से सम्मेलन आयोजित हुए। इन सम्मेलनों में हिन्दी प्रशिक्षण, अनुवादकों की समस्या, पदों के सृजन की समस्याओं आदि पर ही चर्चा होती रही। प्रभावी ढंग से राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में कोई महत्त्वपूर्ण चर्चा इन सम्मेलनों में नहीं हो पाई तथा न ही ये कोई दिशा प्रदान कर सके।

सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन का दायित्व राजभाषा विभाग का ही है। अतः इस सम्बन्ध में राजभाषा विभाग में महत्त्वपूर्ण चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ। विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति में सुधार लाने के लिए उपायों पर विचार किया गया। वार्षिक कार्यक्रम को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय किया गया कि अखिल भारतीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा सम्मेलन आयोजित कराये जाए ताकि विचार विमर्श द्वारा, इन निर्णयों को कार्यान्वित किया जा सके। विभिन्न सम्मेलन आयोजित करने में राजभाषा विभाग का मुख्य उद्देश्य यह था।

क—देश में स्थित विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति में सुधार लाया जाए और इस प्रकार राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में प्रगति लाई जा सके।

ख—वार्षिक कार्यक्रम के विभिन्न मदों पर विचार करके उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

ग—इस बात पर बल दिया कि मूलरूप से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जाए। इसके लिए सभी कार्यालयों में सभी कार्यशालाएं आयोजित करके कर्मचारियों को हिन्दी में लिखने का अभ्यास कराया जाए और इसे परिणामपरक बनाया जा सके।

घ—विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था पर विचार किया जा सके।

ङ—हिन्दी सम्बन्धी प्रकाशनों की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके एवं उनकी उपादेयता पर बल देकर हिन्दी कार्यान्वयन में सुधार लाया जाए।

च—विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी में सम्बन्धित पदों, सेवा सम्बन्धी स्थिति पर विचार किया जाए। इसके अनुपालन में आने वाली कठिनाईयों के विषय में चर्चा कर, उन्हें दूर किया जाए तथा राजभाषा विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग दिया जा सके।

छ—चूंकि सरकारी उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन निरीक्षण का दायित्व राजभाषा विभाग पर है। अतः यह आवश्यक समझा गया कि इनके सम्मेलन भी बुलाए जाएं ताकि इनकी समस्याओं पर पृथक् रूप से विचार किया जा सके। इसलिए कुछ बड़े तथा छोटे सम्मेलन भी आयोजित कराए गए।

ज—केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि देश के सभी कार्यालयों में यांत्रिक उपकरण द्विभाषी रूप में ही खरीदे जाएं।

इसके लिए राजभाषा विभाग ने विभिन्न नगरों में यांत्रिक सुविधाओं के विषय में प्रदर्शनियां भी आयोजित कराईं। 2 जनवरी, 1986 को विज्ञान भवन में आयोजित प्रदर्शनी भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है।

इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि संचार-मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया है कि द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर शीघ्र बनाया जायेगा। आयोजित हुए विभिन्न सम्मेलनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

नई दिल्ली में 28 अगस्त, 1982 को आयोजित सम्मेलन।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 28 अगस्त, 1984 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों, सदस्य सचिवों, हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इन नगरों में स्थित कार्यालयों में हिन्दी कार्यान्वयन से सम्बन्धी कठिनाइयों पर विचार किया गया। श्रेष्ठ निष्पादन पर कुछ अधिकारियों/अध्यक्षों/सदस्य सचिवों को पुरस्कृत किया गया।

नई दिल्ली में 24-9-84 को आयोजित केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति की बैठक।

विज्ञान भवन नई दिल्ली में 24-9-84 को केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/संयुक्त सचिवों/उप सचिवों तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हिन्दी कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा हुई। मंत्रालयों/विभागों में श्रेष्ठ निष्पादन पर विभिन्न अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया।

नई दिल्ली में 2 फरवरी, 85 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन।

राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों एवं हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारियों का एक राजभाषा सम्मेलन 2 फरवरी, 1985 को गृह राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में श्रेष्ठ निष्पादन पर विभिन्न अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। इस सम्मेलन में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सम्मेलन का समापन श्री अशोक गहलोत राज्य मंत्री पर्यटन के द्वारा किया गया।

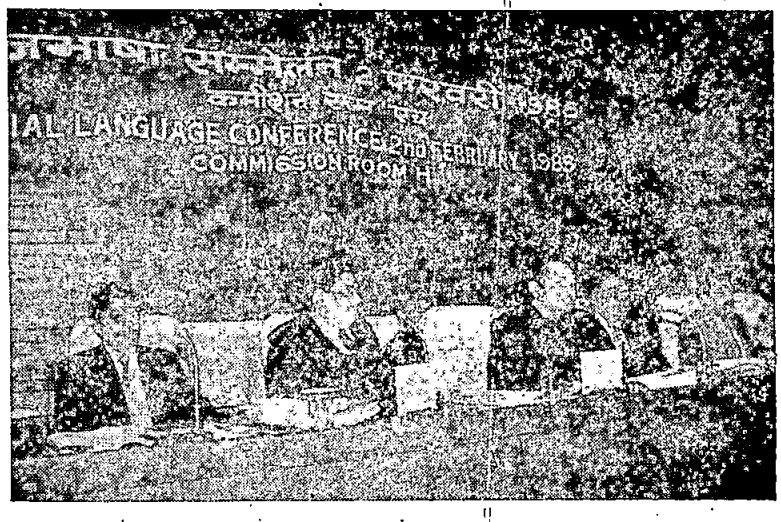

नई दिल्ली में 2 फरवरी, 85 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन के समापन के अवसर पर : बाएं से—श्री गोविंद दास बेलिया, उपसचिव राजभाषा विभाग, श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, श्री अशोक गहलोत, राज्य मंत्री पर्यटन, श्री राजकुमार शास्त्री, राजभाषा सचिव, श्री बी. पी. सिंह उपसचिव राजभाषा विभाग।

नई दिल्ली में 30-3-85 को सचिवों का राजभाषा सम्मेलन।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का एक राजभाषा सम्मेलन 30-3-85 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार हुआ। राजभाषा हिन्दी में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया।

बम्बई में 14-6-1985 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन।

बम्बई में 14-6-1985 को क्षेत्रीय स्तर पर गृह राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पश्चिमीय क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 27 कार्यालयों को ट्राफियां तथा प्रशंसा पत्र दिए गए। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा एयर इन्डिया ने इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन में बांये से श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, गृह राज्य मंत्री, कु. कुसुमलता मित्तल, सचिव राजभाषा विभाग, श्री सी. आर. महाजन उपसचिव, राजभाषा विभाग पीछे बैठे हैं श्री वी. पी. सिंह, उपसचिव राजभाषा विभाग।

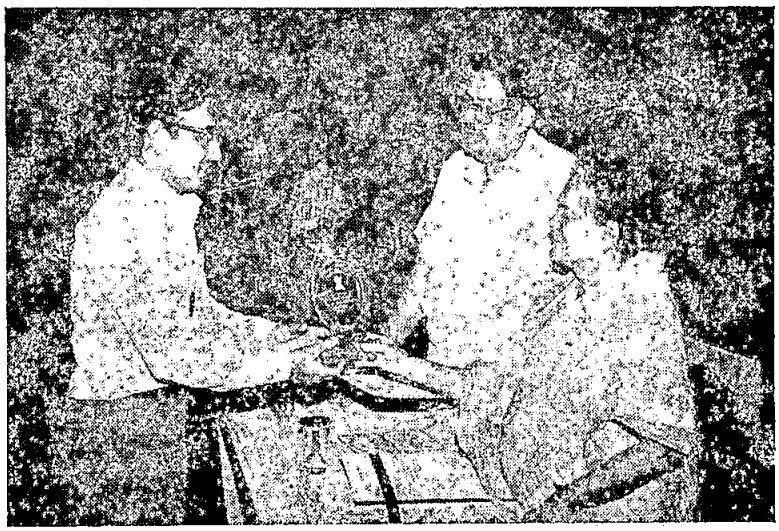

बम्बई क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा पुरस्कार प्रदान करते हुए।

विज्ञान भवन में आयोजित 19 सितम्बर, 1985 को राजभाषा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी—बांये से गृह राज्य मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खान, गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण, प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, राजभाषा विभाग की सचिव कु. राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र।

नई दिल्ली में 19-9-85 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 19-9-85 को गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक भव्य ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें कई मंत्रियों, संसदीय एवं सलाहकार समितियों के सदस्यों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों/सदस्य/सचिवों ने भाग लिया। सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि प्रधान मंत्री जी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सभी अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए, राजभाषा हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने की प्रेरणा दी। उत्तम निस्पादन पर 14 अधिकारियों को ट्राफियां प्रधान मंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान की गईं।

त्रिवेन्द्रम में 27-9-85 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन

त्रिवेन्द्रम में 27-9-85 को क्षेत्रीय स्तर पर एक राजभाषा

27-8-85 को त्रिवेन्द्रम में केरल विधान सभा के अध्यक्ष श्री सुधीरन द्वारा अनुवाद पाठ्यक्रम का उद्घाटन बांए से—केरल विधान सभा के अध्यक्ष श्री सुधीरन, राजभाषा विभाग की सचिव कु. कुसमलता मित्तल, दांए सिरे पर केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक श्री भैरवनाथ सिंह, अतिथियों को सम्बोधित करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र

सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें दक्षिण क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों/सचिवों/सरकारी उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हिन्दी में अच्छा कार्य करने के लिए दक्षिण क्षेत्र के 12 अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। इसके आयोजन में बैंक आफ ट्रावणकोर तथा केनरा बैंक त्रिवेन्द्रम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पटना में 29-10-85 को यांत्रिक सुविधाओं से सम्बन्धित प्रदर्शनी का आयोजन।

द्विभाषी अथवा हिन्दी में उपलब्ध यांत्रिक सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक प्रदर्शनी 29-10-85 को पटना में आयोजित हुई। इसका उद्घाटन बिहार की शिक्षा मंत्री ने किया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न कम्पनियों ने देवनागरी तथा द्विभाषी उपकरणों का प्रदर्शन किया।

पटना में पंजाब नेशनल बैंक के तत्वावधान में हुए राजभाषा सम्मेलन में पुरस्कार बांटते हुये राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 2 जनवरी, 1986 से 3 जनवरी, 1986 तक द्विभाषी इलैक्ट्रानिक उपकरणों की प्रदर्शनी का आयोजन।

द्विभाषी इलैक्ट्रानिक उपकरणों की प्रदर्शनी विज्ञान भवन एनेक्सी में दिनांक 2 जनवरी से 3 जनवरी, 1986 तक राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी इसलिए आयोजित की गई है कि लोगों को मालूम हो कि द्विभाषी (देवनागरी-रोमन) उपकरण भी देश में बनने लगे हैं। केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि केवल द्विभाषी उपकरण ही खरीदे जाएं।

इस समय द्विभाषी इलैक्ट्रानिक उपकरण जो बन रहे हैं मुख्य रूप से कम्प्यूटर, वर्ड प्रोसेसर, इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर हैं। देवनागरी में इलैक्ट्रिक टाइपराइटर, पता लेखी मशीन, पोर्टेबल टाइपराइटर, बुलेटिन टाइपराइटर, पिन प्वाइन्ट टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर उपलब्ध हैं। इनकी विस्तृत जानकारी आपको प्रारम्भ में ही दी जा चुकी है।

सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन

नई दिल्ली में, 1983, 1984 में राजभाषा विभाग के सहयोग से सरकारी उपक्रमों का राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलनों में लगभग सभी सरकारी उपक्रमों के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। राजभाषा कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में अच्छे निष्पादन के लिए कुछ उपक्रमों को पुरस्कृत भी किया गया।

बंगलौर सम्मेलन

ऐसा अनुभव किया गया कि सुदूर स्थित क्षेत्रों में राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन काफी प्रभावशाली होता है। अतः राजभाषा विभाग के निर्णय के अनुसार 17 जनवरी, 1986 को बंगलौर में क्षेत्रीय स्तर पर एक राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें दक्षिण प्रदेशों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों/सदस्य सचिवों, सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों के भाग लेने की सम्भावना है।

इस प्रकार उपरोक्त सम्मेलन राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में बहुत सहायक हुए हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर इन सम्मेलनों में चर्चा होती रही है। इन सम्मेलनों में चर्चित कठिनाइयों पर राजभाषा विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में काफी प्रगति हुई है।

पटना सम्मेलन के अवसर पर श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग पत्रिका का विमोचन करते हुये।

इस्पात नगर के मोहन कुमार मंगलम पार्क में संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरे पर आए सांसदों एवं अधिकारियों के साथ दुर्गापुर स्टील प्लांट के प्रबन्धक निदेशक श्री डी० मुखर्जी।

राजभाषा शील्ड वितरण समारोह
एवं
केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 15वीं बैठक

4 मार्च, 1986 का दिन राजभाषा हिन्दी के इतिहास में एक स्मरणीय दिन के रूप में माना जाता रहेगा। इस दिन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राजभाषा शील्ड वितरण समारोह एवं केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 15वीं बैठक का राजभाषा विभाग द्वारा आयोजन किया गया। राजभाषा शील्ड भारत के राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी के करकमलों द्वारा प्रदान की गई। ठीक 11.00 बजे विज्ञान भवन में राष्ट्रपति जी पधारे। मंच पर उनके आने के तुरन्त बाद ही पूरा हाल गीत

राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह जी का राजभाषा समारोह में आगमन—
दांए से, राष्ट्रपति जी, माननीय अरुण नेहरू, गृह राज्य मंत्री,
डा. मनजीत कौर एवं श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव
(रा. भा.)

और नाटक प्रभाग के कलाकारों द्वारा गाये गये राष्ट्रीय गान की सुमधुर वाणी से गूंजित हो उठा। सभी आदर के साथ खड़े होकर राष्ट्रीय गान की पंक्तियों को मन ही मन गुनगुनाने लगे। राष्ट्रीय गान के समाप्त होने पर राष्ट्रपति जी ने आसन ग्रहण किया और उनके साथ ही बांयीं ओर बैठे माननीय गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण और उनके बाद राजभाषा सचिव कु. कुसुम लता मित्तल। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अरुण नेहरू, डा. मनजीत कौर और राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र दायीं ओर बैठे।

महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हुये माननीय गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण ने राष्ट्रपति जी के द्वारा अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर सम्मेलन में पधारने की कृपा करने के लिये आभार प्रकट किया। गृह मंत्री जी ने कहा "भारत बहुभाषी देश है। विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न भाषायें बोली जाती हैं,

राष्ट्रपति जी आसन ग्रहण करते हुए—दाएं से—कुमारी कुसुम लता मित्तल, सचिव राजभाषा विभाग, गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण, राष्ट्रपति जी, गृह राज्य मंत्री श्री अरुण नेहरू, डा. मनजीत कौर एवं राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र

इन सबका अपना-अपना महत्व है। कोई भी भाषा किसी से कम नहीं है, परन्तु सम्पर्क सूत्र के रूप में एक सम्पर्क भाषा की भी आवश्यकता है।''

''राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्षों पर है।'' यह कहा गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो।''

राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में सर्वोत्तम निष्पादन के लिए राष्ट्रपति जी से प्रथम पुरस्कार के रूप में राजभाषा शील्ड ग्रहण करते हुए रक्षा सचिव श्री शशी कान्त भटनागर।

"प्रायः देखने में आया है कि जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का अच्छा ज्ञान रखते हैं वे भी हिन्दी में कार्य करने में संकोच करते हैं। राजभाषा विभाग के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण योजना से प्रशिक्षित कर्मचारी भी प्रशिक्षण के बाद उसका पूरा लाभ नहीं उठाते और जहां उन्हें हिन्दी में कार्य करना चाहिये वहां भी नहीं करते। आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा नामित व्यक्ति उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। यहां तक कि 40 प्रतिशत नामित व्यक्ति या तो प्रशिक्षण की कक्षाओं में नियमित रूप से जाते नहीं या परीक्षा में नहीं बैठते। इस प्रकार जिस आशा से योजना चलाई गयी है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। यह उच्च अधिकारियों का दायित्व हो जाता है कि वे जिन कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण के लिये नामित करें, वे अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से जाएं तथा परीक्षा में भी भाग लें। इसके साथ-साथ इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिये कि जिन कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने हिन्दी में प्रशिक्षण लिया है वे हिन्दी में कार्य करें।"

अन्त में गृह मंत्री जी ने राजभाषा हिन्दी के श्रेष्ठ निष्पादन के लिये विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को पुरस्कृत करने के लिये राष्ट्रपति जी से निवेदन करने से पूर्व पुनः सबका ध्यान दिलाते हुए कहा "आप सबका यह दायित्व है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ायें और पुरस्कार प्राप्त करने के अधिकारी बनें।"

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव जी ने इस अवसर पर राष्ट्रपति जी की उपस्थिति को अत्यन्त गरिमापूर्ण और गौरवमय बताते हुए यह स्पष्ट किया कि राजभाषा शील्ड एवं पुरस्कार केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार दिए जाते हैं और इनका निर्धारण कार्यान्वयन सम्बन्धी आंकड़ों एवं निरीक्षणों के आधार पर किया जाता है। तत्पश्चात् उन्होंने राष्ट्रपति जी से निवेदन किया कि वे अपने करकमलों से पुरस्कारों का वितरण करें और उपस्थित अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें आशीर्वचन दें।

राष्ट्रपति जी ने निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए और साथ-साथ उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों का परिचय भी संयुक्त सचिव द्वारा दिया जाता रहा :—

राजभाषा शील्ड प्रथम पुरस्कार रक्षा मंत्रालय

1. श्री असीम चटर्जी, संयुक्त सचिव
2. कर्नल चितरंजन सावंत, निरीक्षण अधिकारी
3. श्री बच्चूलाल मीणा, सहायक

राजभाषा ट्राफी द्वितीय पुरस्कार विधायी विभाग

1. श्री के. सुब्रह्मनियम, संयुक्त सचिव
2. श्री जगदीश प्रसाद, कारबार कार्यपालक
3. श्री ए. एस. तनवर, अवर श्रेणी लिपिक

हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्तम निष्पादन के लिए राष्ट्रपति जी से द्वितीय पुरस्कार ग्रहण करते हुए विधायी विभाग के सचिव श्री एस. रमैय्या

राजभाषा क्लब के उद्घाटन के पश्चात् माननीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री कृष्णचन्द्र पन्त को प्रदर्शनी में चित्रों के विषय में जानकारी देती हुई हिन्दी अधिकारी श्रीमती पुष्पा सक्सेना ।

राजभाषा ट्राफी तृतीय पुरस्कार रेल विभाग

1. श्री शिव सागर मिश्र, निदेशक (राजभाषा)
2. कु. उषा कालड़ा, उ. श्रे. लिपिक
3. श्री शिव दयाल, सहायक

प्रोत्साहन पुरस्कार ट्राफी इलैक्ट्रानिकी विभाग

1. श्री सानुजित घोष, संयुक्त सचिव
2. श्री सरदार सिंह रावत, सहायक
3. श्री आलम सिंह बिष्ट

पूर्ति विभाग

1. श्री पी. एस. हरिहरन, संयुक्त सचिव
2. श्री जयसिंह रावत, उच्च श्रेणी लिपिक
3. श्री राकेश कुमार पूरी, अवर श्रेणी लिपिक

खान विभाग

1. श्री बाल्मीकी प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव
2. श्री दुर्गा प्रसाद गुप्त, उप सचिव
3. श्री ताराचन्द शर्मा, अनुभाग अधिकारी

पुरस्कार वितरण करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह जी ने बड़े सुस्पष्ट, दृढ़ और संयत शब्दों में कहा :—

"मुझे राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। राजभाषा के रूप में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने वाले मंत्रालयों और विभागों को शील्ड प्रदान करने की योजना, हिन्दी को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। जिन मंत्रालयों, कार्यालयों और अधिकारियों को ये पुरस्कार मिले हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं।

हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया गया है जिसका विकास करना और सरकारी कार्यालयों में उसके प्रयोग को बढ़ाना सरकार का काम है। हालांकि, यह काम गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को सौंपा गया है, परन्तु इसमें सभी मंत्रालयों, विभागों, सरकारी निगमों और प्रतिष्ठानों को अपना पूरा-पूरा योगदान देना चाहिए।

उन्हें अपने कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि हिन्दी को सही अर्थों में राजभाषा का दर्जा मिल सके। किन्तु, यह कार्य बड़े प्रेम और सद्भावना के साथ सबको साथ लेकर करना होगा।

हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत दूर-अंदेशी और सोच-विचार के बाद हिन्दी को यह स्थान दिया था। यह इसलिए नहीं कि हिन्दी भारत की सबसे समृद्ध भाषा है, बल्कि इसलिए कि यह देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली है।

मैं यह मानता हूं कि भारत की कई भाषाएं हिन्दी से अधिक समृद्ध और प्राचीन हैं। परन्तु हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो सभी भारतीय भाषाओं में कड़ी का काम कर सकती है। इसमें हर जुबान के शब्द हैं और इसका लचीलापन ही इसे लोकप्रिय बनाने में सहायक है।

स्व. जहूर बख्श ने 1919 में कहा था "अब यह बात प्रायः तय हो चुकी है कि बिना हिन्दी के हिन्दी का कल्याण होना असम्भव है।". हिन्दी से भारत की किसी भी भाषा का टकराव नहीं है। किसी भी क्षेत्रीय भाषा की कीमत पर इसका विकास नहीं किया जा सकता। भारत की सभी भाषाएं अपनी हैं। सभी का साहित्य देश का साहित्य है।

हिन्दी इस विशाल देश को एक सूत्र में जोड़े रखने में सबसे ज्यादा सहायक है और सहायक रहेगी। इसका विकास हमें लिंक लैंग्वेज के रूप में करना होगा। महात्मा गांधी ने 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आठवें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा था :—

"मेरा यह मत है कि हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है, और होनी चाहिए।" उन्होंने उसी वर्ष दक्षिण में, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का सुभारम्भ भी किया था। महात्मा गांधी शासकों और जनता के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, इसीलिए वे जनभाषा के पक्ष में थे। उन्होंने एक बार कहा था :—

> "अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का उन्हीं के लिए होने वाला है, तो निश्चय ही अंग्रेजी राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखों मरने वालों, करोड़ों निरक्षरों, निरक्षर बहनों, दलितों और इन सब के लिए होने वाला है, तो हिन्दी ही एक मात्र भाषा हो सकती है। गांधी जी ने एक बार यह भी कहा था कि अंग्रेजी भाषा ने हमें निकम्मा और लालची बना दिया है।"

हिन्दी सबके लिए सुलभ है और आसानी से लोग इसमें अपने विचार व्यक्त कर सकें, इसके लिए यह जरूरी है कि हिन्दी को सरल बनाया जाए। अनुवाद का यही उद्देश्य है कि जिसे अंग्रेजी समझ में नहीं आती वह इसे हिन्दी में समझ सके। मेरा अनुरोध है कि सरकारी दफ्तरों में अनुवाद का कार्य करते समय और मूल रूप में हिन्दी का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजभाषा विभाग ने आसान हिन्दी का प्रयोग करने के सम्बन्ध में जरूरी हिदायतें जारी कर दी हैं। इस सम्बन्ध में गांधी जी का यह कथन हमारा मार्ग-दर्शन करता है कि :—

"भाषा वही श्रेष्ठ है जिसे जन-समूह सहज में समझ ले।"

मैं समझता हूं कि केवल राजनीतिक आजादी ही पूरी आजादी नहीं है, हमें सामाजिक तौर पर भी आजाद होना है और इस मानसिक आजादी को हासिल करने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा का सहारा छोड़कर अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाना होगा। गांधी जी कहते थे कि "कोई भी देश सच्चे अर्थों में तब तक स्वतंत्र नहीं है, जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता।" इसलिए जरूरी है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों में और जहां तक हो सके विदेशों में भी हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। संसार के सभी उन्नत देशों की अपनी राजभाषाएं हैं और वे अपने देश की प्रगति के साथ-साथ अपनी भाषाओं का भी विकास करते हैं। हालांकि दुनिया में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अभी भी सभी भाषाओं से ज्यादा है, मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार में हिन्दी बोलने वाले भी संख्या में चौथे नम्बर पर आते हैं। इस दृष्टि से भी हमें अपनी इस भाषा का विकास करना है। कई बार हमें विदेशों में अपनी भाषा का प्रयोग न करने पर बड़ी ग्लानि भी उठानी पड़ती है। पं. जवाहर लाल नेहरू ने 1958 में मद्रास में कहा था कि :—

> "मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल भी यह शोभा नहीं देता कि भारत एक विदेशी जुबान को राजभाषा की शक्ल में अपनाएं। कई मर्तबा मैं बड़ी अजब परेशानी में पड़ गया। कुछ दूसरे लोगों की भी, जो बाहर के मुल्कों में गए, यही हालत हुई। मुझे वहां अपने ही भाइयों से, देशवासियों से अंग्रेजी में गुफ्तगू करनी पड़ी। लोग हैरत से हमें देखते थे। हमसे सवाल करते थे कि आपकी कोई अपनी जबान नहीं है क्या, जो आपको विदेशी जबान में बोलना पड़ता है?"

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि हिन्दी में विभिन्न विषयों की शब्दावलियां तैयार कर ली गई हैं और इस दिशा में आगे काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि शब्दावली तैयार करने वाले हमारे विद्वान बहुत अच्छी कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे यह प्रार्थना करनी है कि वे अनुवाद करने वाले, नये शब्द बनाने वाले जैसे साइकिल है उसको दुपहिया या जैसे स्कूटर है उसको तिपहिया या तीन पहिये वाला कहते हैं। अनुवाद ठीक है लेकिन इसी तरह से ये जो उर्दू वाले हैं उन्होंने कैबिनेट का अनुवाद काबीना किया है। अगर काबीना किया है तो कैबिनेट क्यों नहीं रहने देते, लोगों की समझ में आती है और इसी तरह हिन्दी वालों ने अकेडमी का अनुवाद किया है अकादमी। ये बिगाड़कर शब्द को क्यों रखते हैं। जब अंग्रेजी जानने वाले लोग यहां हैं तो जरूर कहेंगे कि इनके अकेडमी कहनी नहीं आती। शब्द को अपना लो; अपने साथ रखो। इसीलिए मेरी यह प्रार्थना है कि शब्द में कशिश हो। वह किसी भी भाषा का हो उसको शामिल कर लेना चाहिए। हिन्दी में यह शक्ति है कि वह हजम कर सकती है और जिस शब्द में खूबसूरती और कशिश न हो वह छोड़ देना

चाहिए चाहे किसी भाषा का हो। क्योंकि भाषा की सुंदरता, भाषा की कशिश लोगों में आयेगी। दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिन्दी को एक जानदार भाषा बनाने के सम्बन्ध में डा. राजेन्द्र बाबू ने कहा था :—

> "हिन्दी संस्कृत नहीं है। हिन्दुस्तान में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख बसते हैं और तो भी वह हिन्दुस्तान है। इसी प्रकार हिन्दी में सभी भाषाओं से उत्तम शब्द हमें मिलेंगे तो भी व हिन्दी ही रहेगी।" हिन्दी देश के सभी भागों के लोगों के योगदान से आगे बढ़ेगी।

प्रसन्नता का विषय है कि हिन्दी में काम-काज करने के लिए इलैक्ट्रोनिक उपकरण भी अब हमारे देश में बनने लगे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इलैक्ट्रानिक विभाग में भी हिन्दी आ गई है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि वहां हिन्दी का कुछ नहीं था। राजभाषा विभाग ने इन इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की दिल्ली और देश के अन्य भागों में प्रदर्शनी लगाई है, जिससे लोगों को इनके बारे में जानकारी हो जाए और वे इन उपकरणों का पूरा इस्तेमाल कर सकें। कई संस्थाएं अब द्विभाषी मशीन बना रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे सरकारी काम-काज में ज्यादा सुविधा होगी और काम जल्दी निपटाया जा सकेगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि हमारे देश के इंजीनियर जो संसार के दूसरे देशों के इंजीनियरों से किसी प्रकार भी कम नहीं हैं, इस विषय में सहायक होंगे।

संसार में जो भी टेक्नालोजी के क्षेत्र में प्रगति हो, उसे इस देश के लिए कैसे प्रयोग में लाया जाए, इस पर वे विचार करेंगे और इस टेक्नालोजी को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करके ऐसी मशीनों का निर्माण करेंगे जो इस की सभी भाषाएं जानने वाले इस्तेमाल कर सकें और हमें अंग्रेजी पर निर्भर नहीं रहना पड़े।

राष्ट्रपति जी ने भारत सरकार के वरिष्ठतम् विभागाध्यक्षों और सचिवों को सम्बोधित करते हुए कहा उन्हें यह ख्याल होना चाहिए कि वे अपने नीचे के अधिकारियों का हिन्दी में काम करने के लिए हौसला अफजाई करें। यदि वरिष्ठतम् अधिकारी राजभाषा हिन्दी में काम करने लगेंगे तो उनके नीचे के अधिकारी भी हिन्दी में काम करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। राष्ट्रपति जी ने यह आशा प्रकट की कि सीनियर अफसरों को इसमें कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि अब तो काफी वक्त गुजर गया है और वे हिन्दुस्तान की आजाद हवा में पैदा हुये और जवान हुये हैं। राष्ट्रपति जी ने यह भी उल्लेख किया कि हमारा देश दुनियाभर के एडमिनिस्ट्रेशनों में एक शानदार स्थान रखता है। इसलिए उनको यह नहीं समझना चाहिये कि राजभाषा में काम नहीं हो सकता। वे बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि दुनियाँ भर में भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सम्मान और सत्कार है। राष्ट्रपति जी ने आगे बताया :—

"मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भारत सरकार के करीब-करीब सभी मंत्रालयों और विभागों में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान है और इन कार्यालयों को अधिसूचित भी किया जा चुका है। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि ये कार्यालय अभी भी हिन्दी में अपना कार्य

सम्मेलन का एक दृश्य, बाएं से दूसरे—श्री प्रकाश नारायण, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, जिन्होंने रेल विभाग में हिन्दी के उत्तम निष्पादन के लिए प्रदत्त पुरस्कार को ग्रहण किया।

राजभाषा सम्मेलन का एक विहंगम दृश्य जिसमें प्रथम पंक्ति में बांयीं ओर से पहली सीट पर बैठे हैं मंत्रिमण्डल सचिव श्री पी. के. कौल।

नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है ? इस अवसर पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में सभी मंत्रालयों, विभागों और दूसरे कार्यालयों के उच्च अधिकारी भाग ले रहे हैं। आप सबको राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करके उनका समाधान खोजना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इन समस्याओं और रुकावटों को दूर करने में सफल रहेंगे और हम अपनी मंजिल पर तेजी से पहुंचने की कोशिश करेंगे। अन्त में, सभी पुरस्कार विजेताओं को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि अगले वर्षों में अन्य मंत्रालय और विभाग भी इसी प्रकार पुरस्कार हासिल कर सकेंगे। धन्यवाद। जयहिन्द।''

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद राजभाषा विभाग की सचिव कु. कुसुम लता मित्तल ने बड़े मार्मिक शब्दों में महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए राजभाषा सचिव कु. कुसुम लता मित्तल जी ने कहा ''हमारे राष्ट्रपति जी उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया है और इसी राष्ट्रीयता की भावना का परिचय हमें इससे भी मिलता है कि राष्ट्रपति जी देश विदेश में हिन्दी में ही अपने विचार व्यक्त करते हैं जिससे हम सभी को प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रपति जी ने जो अभी हमारा मार्गदर्शन किया है उसके लिए भी हम उनके अत्यन्त आभारी हैं। हम उन्हें पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सभी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए भविष्य में और अधिक प्रयास करेंगे।

सरकारी भाषा नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार की यह जिम्मेदारी है कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें और उसे लागू करायें। इसी को ध्यान में रखते हुये राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम बनाता है और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी मंत्रालय और विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध करता है। इससे हिन्दी के कार्यान्वयन में कुछ तेजी अवश्य आई है लेकिन अभी उसमें बहुत कुछ करना बाकी है और इसके लिए सभी विभागों की कार्यान्वयन समितियां प्रयास कर रही हैं। प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन होता है और कई प्रोत्साहन योजनायें चलाई जा रही हैं। 1984-85 में जिन मंत्रालयों एवं विभागों ने हिन्दी के प्रचार और प्रसार में अच्छा कार्य किया है उन्हें आज राष्ट्रपति जी के कर-कमलों द्वारा पुरस्कृत किया गया है। वे बधाई के पात्र हैं और हमें आशा है कि अन्य विभागों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और वह भविष्य में और अच्छा कार्य करेंगे और अगले वर्षों में उनका कार्य इतना अच्छा होगा कि वे भी पुरस्कार प्राप्त करेंगे।

अन्त में मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति जी तथा माननीय गृह मंत्री जी एवं गृह राज्य मंत्री जी को राजभाषा विभाग और आप सबकी ओर से तथा अपनी ओर से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने आज समय निकालकर हम सभी का उत्साहवर्धन किया। इस धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् पुरस्कार वितरण की कार्रवाई समाप्त हुई।''

अपराह्न में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 15वीं बैठक के लिये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के संयुक्त सचिव

राष्ट्रपति जी सम्मेलन के समापन पर विदा लेते हुए

राजभाषा विभाग की सचिव कु. कुसुम लता मित्तल की अध्यक्षता में एकत्रित हुये। सबसे पहले केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसके बाद पिछली बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर विचार विनिमय हुआ।

राजभाषा विभाग की सचिव कु. कुसुम लता मित्तल ने बताया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में अनेक सुझाव प्राप्त हुये। उन्होंने यह सुझाव दिया कि प्रोफार्मा में संशोधन करने के लिये एक उपसमिति गठित कर ली जाए जो इस प्रोफार्मा में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करे। सचिव जी के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और एक उपसमिति गठित कर दी गई।

सम्मेलन के समापन के अवसर पर मंत्री मण्डल सचिव श्री पी. के. कौल से चर्चा करते हुए राष्ट्रपति जी। दायीं ओर हैं गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण।

चित्र समाचार

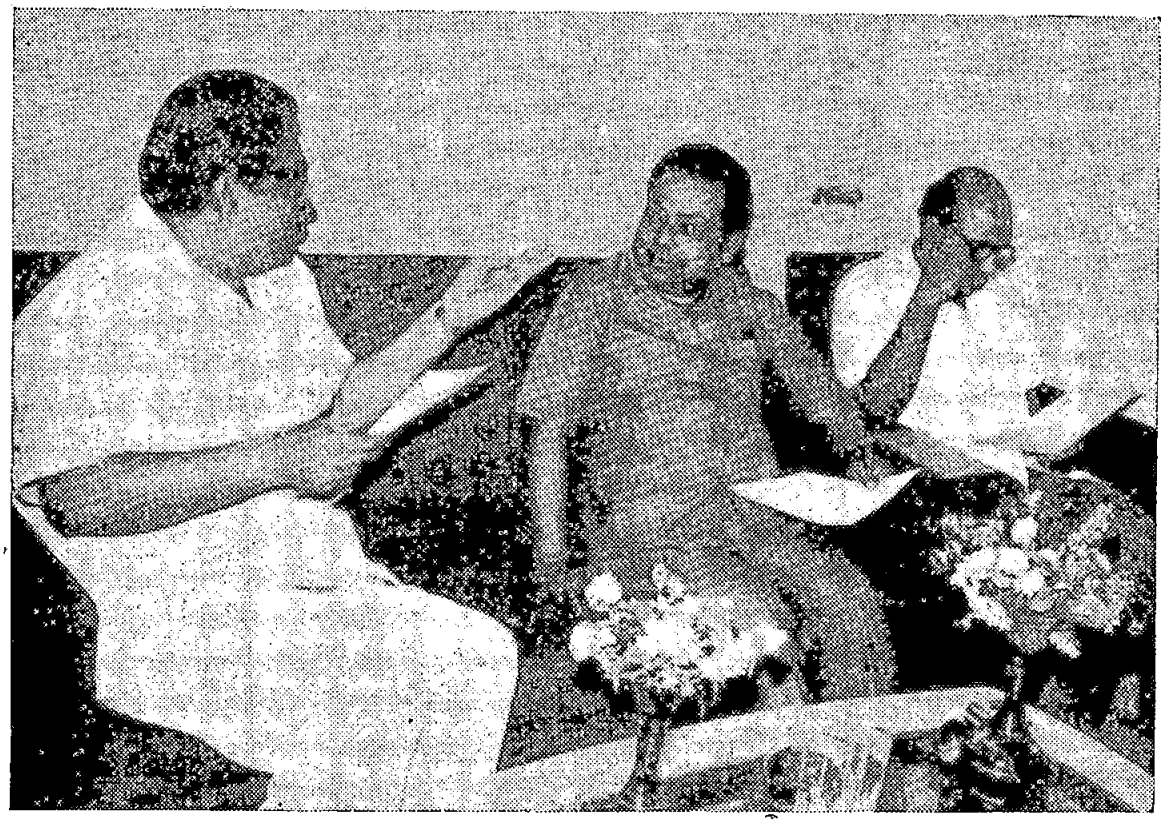

"मिटको" कार्यालय में राजभाषा नीति के संबंध में चर्चारत राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र एवं मिटको के अध्यक्ष/सह-प्रबन्ध निदेशक एवं पटना नगर राज भाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष डॉ० वीरेन्द्र मधुकर तथा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के उप-कुलपति डा० बी० एस० कुमार ।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० हैदराबाद में निरीक्षण के पश्चात् बैठक में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ।

राजभाषा विभाग के उपसचिव (कार्यान्वयन) श्री सी० एल० महाजन के सेवानिवृत्ति के अवसर पर उपनिदेशक (कार्या०) बम्बई द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र।

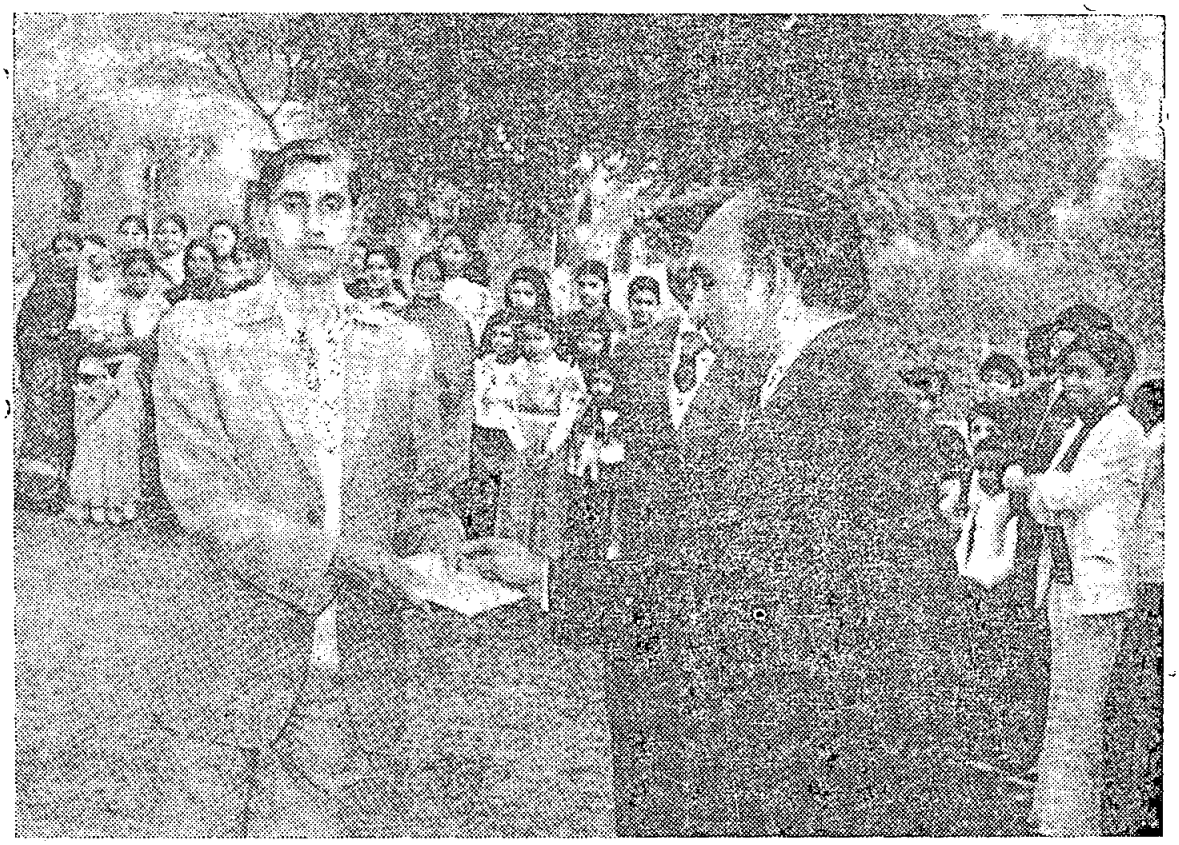

सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत श्री रामकृष्ण लि० श्रे० प्रथम को पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री का० के० अप्पाराव, अधीक्षक अभियन्ता, आकाशवाणी, अलीगढ़।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, वाराणसी की बैठक के अवसर पर के० स० हि० परिषद् नगर समन्वय समिति, वाराणसी द्वारा प्रकाशित "राजभाषा स्मारिका" का विमोचन करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र एवं स्मारिका के प्रधान संपादक तथा न० रा० का० समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण कांत राय, निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, वाराणसी।

सैण्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया, खान मार्केट, नई दिल्ली की हिन्दी शाखा घोषित किए जाने के अवसर पर आयोजित समारोह का चित्र बाएं से--श्री जगदीश सेठ (बैंकिंग प्रभाग), श्री एम० एल० मैत्रेय (राजभाषा विभाग) एवं श्री एस० के० गावा, महाप्रबन्धक, सैन्ट्रल बैंक।

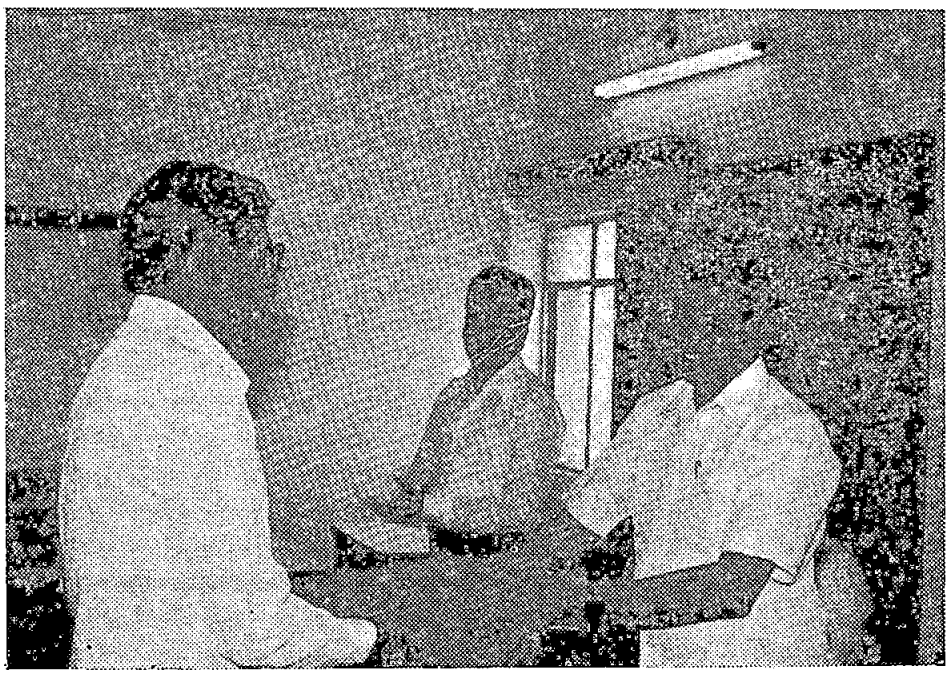

काण्डला गोदी श्रमिक बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री म०प० रामचन्द्र रेड्डी, हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले सहायक प्रशासकीय अधिकारी श्री ह० तु० छुशालाणी को पुरस्कार देते हुए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव प्रो० यशपाल "हिन्दी सप्ताह" के पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ।

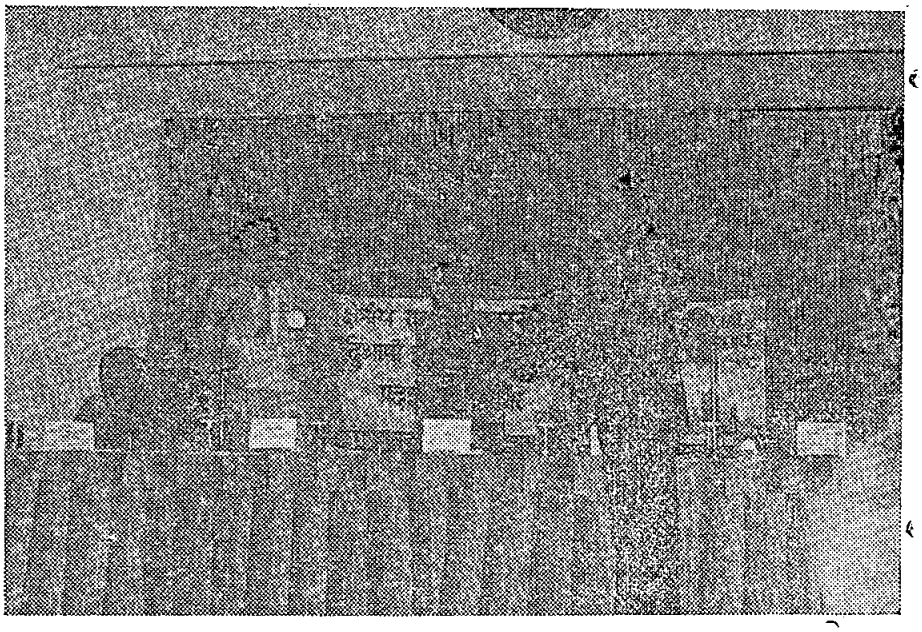

केनरा बैंक के मण्डल प्रबन्धक श्री आर० एस० एल० प्रभु क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन बेंगलूर, में सचिव, राजभाषा, कु० कुसुमलता मित्तल से पुरस्कार ग्रहण करते हुए ।

सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में तीन-दिवसीय हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए राजभाषा विभाग के उप सचिव श्री गोविन्द दास बेलिया ।

राजभाषा सचिव ने इस बात पर बल दिया कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत जिन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के 80 प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है उन्हें शीघ्र अधिसूचित किया जाए। सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को उनके मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिसूचित किया जाता है। राजभाषा सचिव ने यह अपेक्षा प्रकट की कि सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग राजभाषा विभाग के पास अधिसूचित सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों की सूचना शीघ्र भेजे। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हिन्दी के कार्यान्वयन को नयी दिशा प्रदान करने के लिये यह आवश्यक है कि नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों को 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया जाए ताकि सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से हिन्दी में काम किया जा सके।

बैठक में उपस्थित वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने यह स्पष्ट किया कि पदों को सृजन तथा पदों के भरने में लगी रोक के सम्बन्ध में कुछ भ्रम है। वस्तुतः स्थिति यह है कि यह रोक सामान्य रूप से सभी पदों के लिये लगी हुई है किन्तु यह एक नितान्त (एबस्यूल्यूट) रोक नहीं है। संवैधानिक एवं विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये यदि आवश्यकता है तो विशेष रूप से प्रस्ताव बनाकर निर्धारित प्रक्रिया के अधीन वित्त मंत्रालय को भेजा जाए। अपवाद स्वरूप में इस प्रकार के विशेष प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय अपनी सहमति प्रदान कर सकता है।

राजभाषा सचिव का मत था कि कार्यशालाओं के आयोजन का बड़े लाभदायक परिणाम प्राप्त हुये हैं। कार्यशालाओं से जहां एक ओर हिन्दी की मानसिकता का वातावरण बनता है वहीं दूसरी ओर हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक झिझक भी दूर होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सम्भव हो तो प्रत्येक तिमाही एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिये।

बैठक के अन्त में श्री सी. आर. महाजन, उप सचिव (कार्यान्वयन) ने सचिव राजभाषा के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया और इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया।

(ख) मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

1. योजना मंत्रालय

1. योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक योजना राज्यमंत्री श्री अजित कुमार पांजा की अध्यक्षता में दिनांक 21, जनवरी, 1986 को सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे—

अध्यक्ष

1. श्री अजित कुमार पांजा,
   योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री

सदस्य

2. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव,
   संसद सदस्य
3. श्री सूरज प्रसाद,
   संसद सदस्य
4. श्रीमती केसर बाई क्षीरसागर,
   संसद सदस्य
5. श्रीमती शांता बेन मकवाना,
   सदस्य, गुजरात विधान सभा
6. श्री गंगा शरण सिंह
7. श्री कृष्ण दत्त
8. श्री युगल किशोर चतुर्वेदी
9. श्री मुकुल चंद पांडे
10. श्री भगवती शरण सिंह
11. श्री शिव कुमार वत्स

अधिकारीगण

12. श्री सी. जी. सोमैया,
    सचिव, योजना आयोग
13. श्री के. एन. सिंह,
    सचिव, सांख्यिकी प्रभाग
14. श्री बादल राय
    सलाहकार (योजना आयोग)
15. श्री एस. एन. राय,
    मुख्य कार्यकारी अधिकारी
    (एन. एस. एस. ओ.)
16. श्री के. सी. अग्रवाल,
    निदेशक (प्रशासन)
17. श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, उप सचिव
    राजभाषा (सचिव, राजभाषा के
    प्रतिनिधि)
18. श्री रघुनंदन ठुकराल,
    मुख्य संपादक, योजना
19. श्री महेन्द्र झम,
    मुख्य सूचना अधिकारी
20. श्री ओम प्रकाश वर्मा
    उप निदेशक (राजभाषा)

2. बैठक के माननीय सदस्यों और अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष ने हिन्दी में बोलने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि वह हिन्दी भाषा नहीं जानते, लेकिन अगर धीरे-धीरे बोली जाए तो समझ सकते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे अगली बैठक में अपना भाषण हिन्दी में तैयार करेंगे। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि विभिन्न अपरिहार्य कारणों से लगभग

दो वर्ष से समिति की कोई बैठक नहीं हो सकी है। संक्षेप में, उन्होंने योजना आयोग और सांख्यिकी विभाग में हिन्दी में किए गए कार्य के बारे में बताया और आशा व्यक्त की कि माननीय सदस्यों के योग्य मार्गदर्शन से योजना मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग में अधिक से अधिक प्रगति करना संभव हो सकेगा। कुछ सदस्यों ने मंत्री जी द्वारा अंग्रेजी में दिए जा रहे भाषण का विरोध करते हुए कहा कि यदि मंत्री जी बंगला या अन्य किसी भारतीय भाषा में बोलते तो वे ज्यादा पसंद करते। मंत्री जी ने हिन्दी सीखने की और अगली बैठक में हिन्दी में बोलने की अपनी इच्छा जाहिर की।

3. अनेक सदस्यों ने यह बात महसूस की कि उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न और दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में जो उत्तर दिए गए हैं, वे संतोषजनक नहीं हैं और अस्पष्ट तथा टाल-मटोल करने वाले भी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर संक्षेप में दिए जाएं और तथ्य उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। अध्यक्ष महोदय, ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे उनके सुझावों से संबंधित उत्तर स्वयं देखेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की कम शिकायतें हों।

4. **श्री कृष्ण दत्त ने कहा कि :**

(क) हिन्दी की उपेक्षा की जा रही है। राजभाषा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

(ख) हिन्दी में किए जा रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए योजना मंत्रालय में अलग से दो वरिष्ठ पद होने चाहिए।

(ग) मूल पुस्तकें हिन्दी में लिखवाई जानी चाहिएं और अनुवाद के भी प्रबंध किए जाने चाहिएं और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त स्टाफ और बजट प्रावधान की भी स्वीकृति दी जानी चाहिए।

(घ) योजना आयोग को हिन्दी में एक पत्रिका प्रकाशित करनी चाहिए ताकि लोगों को, योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से हिन्दी की प्रगति की जानकारी हो सके। इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं।

(ङ) हिन्दी-भाषी राज्यों के साथ पत्राचार केवल हिन्दी में किया जाना चाहिए।

5. **श्रीमती शान्ताबेन मकवाना ने कहा कि :**

(क) स्वतंत्रता प्राप्त करने के 38 वर्ष के बाद भी हम ऐसा वातावरण नहीं बना सके हैं जिससे हमारी राजभाषा-हिन्दी को गर्व का स्थान मिल सके। हिन्दी का प्रयोग पहले नीचे के स्तर से शुरू किया जाना चाहिए।

(ख) नए और पुराने स्टाफ के लिए एक या दो परीक्षाओं की व्यवस्था की जाए।

(ग) हिन्दी-भाषी राज्यों से प्राप्त हिन्दी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए।

(घ) हमें एक ऐसा समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए जिससे हिन्दी को मजबूत आधार प्राप्त हो सके।

(ङ) देश के सभी विभागों में हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था की जानी चाहिए और हिन्दी टाइपराइटरों तथा हिन्दी आशुलिपिकों की अधिकतम सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

(च) सरकारी कर्मचारियों के लिए परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी होना चाहिए।

6. **श्री मुकुल चन्द पाण्डेय ने कहा कि :**

(क) योजना आयोग में हिन्दी में कार्य आशा के अनुकूल नहीं हो रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में गैर-सरकारी सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। अन्य मंत्रालय भी ऐसा ही कर रहे हैं।

(ख) हिन्दी सप्ताह और हिन्दी दिवस का आयोजन किया जाना चाहिए।

(ग) राज्य सरकारें ऐसा महसूस करती हैं कि केन्द्रीय सरकार को उनके द्वारा हिन्दी में भेजे गए पत्रों पर उचित रूप से विचार नहीं किया जाता है।

(घ) योजना आयोग 332 पत्रिकाएं अंग्रेजी में और केवल 10 पत्रिकाएं हिन्दी में मंगवाता है। इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी की तुलना में हिन्दी को क्या स्थान दिया गया है।

(ङ) हिन्दी के खाली पद तत्काल भरे जाएं।

(च) योजना आयोग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित आंकड़े व्यापक रूप से रखे जाएं ताकि विभिन्न विषयों पर आवश्यक सूचना दी जा सके।

(छ) पारिभाषिक शब्दावली समिति फिर बनाई जाए।

7. **श्री सूरज प्रसाद, संसद सदस्य ने कहा कि :**

(क) हिन्दी जानने वाले उन अधिकारियों की संख्या, जो अपना काम हिन्दी में नहीं करते, और अनुवाद में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जाए।

(ख) हिन्दी-भाषी राज्यों को सभी पत्र हिन्दी, या हिन्दी और अंग्रेजी दोनों, में ही लिखे जाने चाहिएं।

8. **श्रीमती केसरबाई क्षीरसागर ने कहा कि :**

(क) निमंत्रण पत्र हिन्दी में छापे जाने चाहिएं। पत्र व तार भी हिन्दी में लिखे और भेजे जाने चाहिएं।

(ख) हिन्दी के अधिक से अधिक टाइपराइटर खरीदे जाने चाहिएं।

9. श्री भगवती शरण सिंह ने कहा कि :

(क) पहले उपाध्यक्ष, श्री एन. डी. तिवारी, योजना दस्तावेज के साधारण हिन्दी भाषा में लिखने के लिए सहमत थे परन्तु दस्तावेज मूल रूप से हिन्दी में नहीं लिखा जा रहा है।

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों से आयोग में प्राप्त पत्रों, का उत्तर केवल हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी भाषा में हों। राज्य सरकारें, यदि आवश्यक होगा, तो अनुवाद के लिए प्रबंध करेंगी। रूस में इसी प्रकार की नीति अपनाई गई थी। मास्को में किसी भी भाषा में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल रूसी भाषा में ही दिया जाता था।

(ग) सबसे पहले, हमें यह अनुमान लगाना चाहिए कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम का कितना भाग पूरा हो चुका है और कितना पूरा किया जाना बाकी है।

(घ) हिन्दी के संबंध में लिए गए निर्णयों से अधिकारियों को परिचित कराने के लिए कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए।

(ङ) क्षेत्रीय भाषाओं के विद्वान, अंग्रेजी भाषा में लिखे गए लेखों की अपेक्षा अधिक अच्छे लेख लिख सकते हैं। तदनुसार, "योजना" में प्रकाशन के लिए, मुख्य सम्पादक द्वारा इस पत्रिका में प्रकाशन के लिए हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में मूल लेख प्राप्त किए जा सकते हैं।

10. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, संसद सदस्य ने कहा कि :

(क) योजना मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति के प्रति कोई सम्मान नहीं है।

(ख) बैठक के स्थान के बारे में कोई सूचना-पट्ट नहीं पाया गया।

(ग) हमने जो प्रश्न उठाए हैं उनके उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं और इससे साफ पता चलता है कि हिन्दी का कोई प्रचार नहीं किया गया है। यदि हम केवल अंग्रेजी में बोलें और आप केवल अंग्रेजी में ही उत्तर दें तब इस बैठक की क्या आवश्यकता है?

(घ) जब तक सचिव से लेकर चपरासी तक सभी अधिकारी हिन्दी नहीं जानेंगे तब तक, इसका प्रचार नहीं हो सकेगा। उन्हें राजभाषा नियम आदि तथा वार्षिक कार्यक्रम पढ़ना चाहिए।

(ङ) पहले तो, वार्षिक कार्यक्रम 1985-86 को ही पूरा किया जाना चाहिए, इस प्रयोजन के लिए राजभाषा अधिनियम व नियम पढ़े जाने चाहिए।

(च) सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए योजनाबद्ध स्कीम होनी चाहिए।

(छ) हिन्दी पत्रिकाओं की खरीद के लिए योजनाबद्ध स्कीम होनी चाहिए।

(ज) पूरा काम हिन्दी में किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए पारिभाषिक शब्द, संदर्भ साहित्य और शब्दकोश आवश्यक हैं। तभी किसी कठिनाई का जायजा लगाया जा सकता है।

(झ) राजभाषा कार्यान्वयन समिति में संसद सदस्यों को नामित किया जाए।

(ञ) वर्ष में समिति की चार बैठकें होनी चाहिए।

(ट) बजट प्रावधान में पुस्तकों के लिए रखी गई राशि का 25 प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाना चाहिए और इस प्रतिशत को धीरे-धीरे बढ़ाया जाना चाहिए।

(ठ) किसी विशेष अनुभाग में सब काम मूल रूप से हिन्दी में ही किया जाना चाहिए।

(ड) हिन्दी के और अधिक टाइपराइटर खरीदे जाने चाहिए ताकि हिन्दी में काम की मात्रा को बढ़ाया जा सके।

(ढ) "योजना" की अंग्रेजी में 21,000 प्रतियां प्रकाशित की जा रही हैं, जबकि हिन्दी में केवल 12,000 प्रतियां।

(ण) हमारी योजना की, हमारी सांस्कृतिक परम्परा के साथ कुछ संबद्धता होनी चाहिए। योजना हिन्दी में, वह भी साधारण भाषा में, तैयार की जानी चाहिए थी।

(त) हिन्दी व अंग्रेजी के टाइपराइटरों तथा हिन्दी व अंग्रेजी के आशुलिपिकों की संख्या क्या है?

(थ) जांच बिन्दु (चैक प्वांइट) मजबूत होने चाहिएं। यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिए कि सभी पत्र राजभाषा नियमों के अनुसार जारी किए जाएं।

(द) हिन्दी के अविलम्ब प्रयोग के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जब तक अधिकारी हिन्दी में काम करना आरंभ नहीं करेंगे तब तक अधीनस्थ स्टाफ को अपना कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।

11. योजना के प्रकाशन के संबंध में सदस्यों के अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, "योजना" के मुख्य सम्पादक, श्री आर. ठुकराल ने सदस्यों को बताया कि "योजना" अंग्रेजी के अतिरिक्त, 10 अन्य भाषाओं में प्रकाशित की जा रही है और पिछले महीने से पंजाबी तथा कन्नड़ में भी इसका अंक निकलना शुरू होगा। जहां तक अंग्रेजी में छपी प्रतियों के मुकाबले हिन्दी में छपी प्रतियों की कम संख्या का संबंध है, उन्होंने कहा कि प्रतियों की छपाई, मांग पर निर्भर करती है। हिन्दी में मूल लेख प्राप्त करने के संबंध में उनका मत था कि उन्हें हिन्दी में मूल लेख प्राप्त नहीं हो रहे हैं, हालांकि वे उनका स्वागत करेंगे।

12. सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों और पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में निदेशक (प्रशासन) ने कहा कि समिति के सदस्यों की अगवानी करने के लिए स्वागत कक्ष पर दो अधिकारी तैनात किए गए थे और वे कुछ सदस्यों को बैठक के स्थान, कमरा नं. 122 में छोड़ कर भी गए। बहुत कम अधिकारी राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के बारे में जानते हैं और हम लोग हमेशा यही प्रयत्न करते रहे हैं कि राजभाषा अधिनियमों और नियमों के उपबन्धों के अनुसार जहां तक सम्भव हो सके, हिन्दी में ही काम करें। हिन्दी में किए जा रहे काम को दिखाने के लिए उन्होंने कुछ फाइलें प्रस्तुत कीं। उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों के जरिए हमेशा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाते रहे हैं। पिछले समय में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रचार करने के लिए बैठक और कार्यशाला का भी आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें हिन्दी और संस्कृत आती है और वह हर रोज "धर्मयुग" और "हिन्दुस्तान" जैसी पत्रिकाएं पढ़ते हैं। योजना आयोग में हिन्दी के प्रयोग में जो कठिनाइयां आती हैं उसका कारण योजना आयोग के कार्य का तकनीकी स्वरूप है और इसके बहुत से विषयों पर हिन्दी में किताबें और सामग्री उपलब्ध नहीं है।

13. अध्यक्ष महोदय ने बैठक का समापन करते हुए कहा कि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों और पूछे गए विभिन्न प्रश्नों पर नोट तैयार किए जाएंगे। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में सामने आने वाली सभी समस्याएं, यदि कोई हों, बताई जाएंगी। समिति की अगली बैठक में समस्याएं और उनके सम्भव समाधानों पर विचार-विमर्श किया जा सकेगा। सदस्यों को ये नोट अगली बैठक के कम से कम 10 दिन पूर्व ही भेज दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगली बैठक में इन सुझावों पर क्रम से विचार-विमर्श किया जाएगा ताकि प्रत्येक सुझाव पर विस्तार से विचार-विमर्श हो सके।

14. यह आम सहमति से तय हुआ कि हिन्दी सलाहकार समिति की अगली बैठक अध्यक्ष महोदय की सुविधानुसार अप्रैल, 1986 के दूसरे सप्ताह में की जाए।

15. अध्यक्ष महोदय और सदस्यों के पारस्परिक धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

2. उद्योग मंत्रालय

उद्योग मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी की अध्यक्षता में 21 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारी उपस्थित थे :—

अध्यक्ष

1. श्री नारायण दत्त तिवारी,
उद्योग मंत्री

सदस्य

2. श्री सुधाकर पाण्डेय,
सांसद

3. श्री रामचन्द्र भारद्वाज,
सांसद

4. श्री ओम मेहता

5. श्री अनिल कुमार अग्रवाल

6. श्री युगल किशोर चतुर्वेदी

7. डा. वीरेन्द्र कुमार दुबे

8. कुमारी प्रेम लाल,
मुख्य लेखा नियंत्रक (औद्योगिक विकास विभाग)

9. श्री बृजेन्द्र सहाय
संयुक्त सचिव (औद्योगिक विकास विभाग)

10. श्री अतुल्य प्रसाद सरकार,
संयुक्त सचिव (औद्योगिक विकास विभाग)

11. श्री शोभन कानूनगो,
संयुक्त सचिव (सरकारी उद्यम विभाग)

12. श्री के. एस. बेन्स,
संयुक्त सचिव (सरकारी उद्यम विभाग)

13. श्री वीर कुमार मजोत्रा
संयुक्त सचिव (कम्पनी कार्य विभाग)

14. श्री ए. वी. गोकक,
विकास आयुक्त (सीमेंट)

15. जे. एस. जुनेजा,
लघु उद्योग निगम लिमिटेड

16. श्री प्रत्यूष सिन्हा,
निदेशक

17. श्री मदन गुप्त,
निदेशक (विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय)

18. श्री ओम प्रकाश भारद्वाज,
औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो,

19. श्री आर. एन. बंसल,
सदस्य, कम्पनी ला बोर्ड

20. श्री र. उ. त्यागी
महाप्रबन्धक (एन. आई. डी. सी.)

21. श्री आर. धंजन,
प्रबन्ध निदेशक, भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड

22. श्री अ. प्र. महेश्वरी,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय सीमेंट निगम

23. श्री आर. एस. गुप्त,
महा निदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

24. श्री वी. एल. मल्होत्रा,
महाप्रबन्धक, लघु उद्योग निगम लिमिटेड

25. श्री अंगद प्रसाद
वरिष्ठ अभियन्ता, एन. आई. डी. सी.

26. श्री सोम चतुर्वेदी,
विशेष कार्य अधिकारी, सरकारी उद्यम विभाग

27. श्री बी. के. सिंह,
उप-प्रबन्धक, लघु उद्योग निगम लिमिटेड,

28. श्री श्रीधर कबटियाल,
डेस्क अधिकारी, राजभाषा विभाग

29. श्री वीरेन्द्र कुमार चानना,
संयुक्त सचिव एवं सदस्य सचिव

उद्योग मंत्री जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया और बैठक में उपस्थित होने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया। मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में किए जा रहे उपायों और कार्यों का संक्षिप्त विवरण देते हुए मंत्री जी ने निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया :—

1. हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों को हिन्दी में अपना कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

2. हिन्दी टिप्पणी/आलेख सम्बन्धी नकद पुरस्कार योजना तथा अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी टाइप व आशुलिपि का कार्य करने वालों के लिए चलाई गई प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।

3. निबन्ध व वाक् प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

4. हिन्दी दिवस व हिन्दी सप्ताह मनाया गया।

5. हिन्दी शिक्षण, हिन्दी टाइप व हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को भेजा गया।

6. अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का पता लगाने के लिए कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

7. हिन्दी में काम करने के लिए सहायक साहित्य के रूप में विभाग व केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा प्रकाशित शब्दावलियां उपलब्ध कराई गईं।

8. मंत्रालयों के सभी विभागों व कार्यालयों में कार्यान्वयन समितियां गठित कर ली गई हैं और उनकी बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं।

9. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है।

10. उन सभी कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, राजपत्र में अधिसूचित करा दिया गया है।

11. राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन और वार्षिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानक के अनुसार न्यूनतम आवश्यक हिन्दी कर्मचारियों की अविलम्ब नियुक्ति करने व देवनागरी टाइपराइटरों आदि की व्यवस्था करने, कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से करने, कर्मचारियों को हिन्दी, हिन्दी टंकण व आशुलिपि में प्रशिक्षण देने, उत्पादों पर विवरण हिन्दी में भी देने "लोगों", मोहरें, नामपट्ट, पत्रशीर्ष द्विभाषी रूप में तैयार करा लेने के लिए सभी कार्यालयाध्यक्षों को आदेश दे दिए गए हैं।

12. औद्योगिक विकास विभाग में ऐसे सभी डेस्कों/अनुभागों को, जिनके अधिकारियों की पूरी श्रृंखला हिन्दी जानने वालों की है, कार्यक्रम में निर्धारित सभी कार्य द्विभाषी रूप में अथवा यथापेक्षित हिन्दी में करने के निदेश दिए गए हैं। यह भी निदेश दिया गया है कि प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह के प्रथम कार्यदिवस को विभाग में सारा काम केवल हिन्दी में ही किया जायेगा।

13. अन्त में मंत्री जी ने दैनिक कार्य का कुछ न कुछ अंश हिन्दी में करने की आवश्यकता पर बल देते हुए मंत्रालय के सभी अधिकारियों व नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के अध्यक्षों आदि से अनुरोध किया कि वे इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दें।

कार्य सूची पर चर्चा आरम्भ करते हुए श्री सुधाकर पाण्डेय व श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने अनुरोध किया कि समिति की एक बैठक प्रत्येक तिमाही में अवश्य ही रखी जाए। मंत्री जी ने बैठक नियमित रूप से आयोजित करने का निदेश दिया। श्री ओम मेहता ने पिछली बैठक में लिए गए इस आशय के निर्णय का, कि बैठक में विचारार्थ सामग्री सदस्यों को द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराई जायेगी, उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि भविष्य में कार्यसूची व उसके साथ भेजी जाने वाली सामग्री सदस्यों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाये। किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ सदस्यों के इस अनुरोध का, कि कम से कम हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भेजी जाने वाली सामग्री और समग्र पत्राचार तो हिन्दी में ही किया जाये, उल्लेख किए जाने पर मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति जाननी चाही। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने के कारण मंत्री जी ने आदेश दिया कि इस मुद्दे पर राजभाषा सचिव से परामर्श कर लिया जाये और तदनुसार कार्रवाई की जाये।

श्री पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि हिन्दी पदों के सृजन पर प्रतिबंध नहीं है, यह 19 नवम्बर, 1985 को वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्पष्ट कर दिया था। अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि निर्धारित मानक के अनुसार हिन्दी पदों के सृजन का कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाये। औद्योगिक विकास विभाग में उप-निदेशक का पद तदर्थ आधार पर तत्काल भरा जाये। औद्योगिक विकास विभाग में उप निदेशक का पद 1 नवम्बर, 1985 से रिक्त पड़ा होने की ओर मंत्री जी का ध्यान डा. दूबे ने आकृष्ट किया। रिक्ति को कम से कम तदर्थ आधार पर न भरने पर सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की तथा मंत्री जी से अनुरोध किया कि

इस पद को तदर्थ आधार पर तत्काल भरा जाय। श्री सुधाकर पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि तदर्थ आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तावित पदोन्नति में रुकावट डालने का राजभाषा विभाग को कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए सम्बन्धित विभाग स्वयं व्यवस्था करने में सक्षम है। मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में तत्काल कार्रवाई करने का निदेश दिया।

श्री पाण्डेय के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया कि मंत्रालय के जिन कार्यालयों/उपक्रमों आदि को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी में प्रशिक्षण दिलाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनसे कहा जाये कि हिन्दी टंकण व हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण देने की वे अपनी निजी अथवा राजभाषा विभाग के सहयोग से व्यवस्था कर लें ताकि प्रशिक्षण देने का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

श्री पाण्डेय ने विचार प्रकट किया कि कर्मचारियों का अन्तः विभागीय स्थानान्तरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि प्रत्येक डेस्क/अनुभाग में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों का सन्तुलन रहे जिससे हिन्दी में काम करने में असुविधा न हो।

श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने अनुरोध किया कि एक विभागीय पत्रिका निकाली जाये जिसमें मंत्रालय के सभी विभागों/कार्यालयों की समेकित प्रगति दर्शायी जाये।

हिन्दी में मूल पत्राचार की संख्या बढ़ाई जाये। इसके लिए कर्मचारियों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाये।

मंत्रालय के अधिकारी बोर्ड की बैठकों में या कार्यालयों का निरीक्षण करते समय हिन्दी की प्रगति के बारे में भी मालूम करें। श्री सुधाकर पाण्डेय ने कहा कि पब्लिक सेक्टर में काफी अच्छा काम हो रहा है, उन्हें सिर्फ थोड़े प्रोत्साहन की जरूरत है। निर्णय लिया गया कि सभी संयुक्त सचिव अपने अधीनस्थ सार्वजनिक उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग का स्थिति की समय-समय पर समीक्षा कर लिया करें।

श्री रामचन्द्र भारद्वाज ने अनुरोध किया कि उत्पादों पर व औषधियों आदि पर मार्किंग, लेबलिंग वगैरह का काम होता है उसे हिन्दी में भी शुरू किया जाये। लाइसेन्स देते समय इसके लिए जोर दिया जा सकता है।

श्री युगल किशोर चतुर्वेदी ने राजस्थान-उदयपुर, कोटा आदि में स्थित कार्यालयों की हिन्दी कर्मचारियों व यांत्रिक सुविधाओं की कमी की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट किया और अनुरोध किया कि वहां स्थित कार्यालयों में हिन्दी कर्मचारियों और अन्य सुविधाओं की आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाये।

श्री ओम मेहता ने कहा कि मारुति में अभी हिन्दी में काम शुरू नहीं हुआ है, वहां हिन्दी में काम शुरू किया जाये।

अन्त में मंत्री जी ने सभी उपस्थित सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए बैठक की कार्यवाही का समापन किया।

(3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक श्रीमती मोहसिना किदवाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 21, जनवरी, 1986 को आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे —

1. श्रीमती मोहसिना किदवाई
   स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री — अध्यक्ष
2. श्री विट्ठल भाई एम. पटेल
   संसद सदस्य — सदस्य
3. श्री वी. तुलसी राम
   संसद सदस्य — सदस्य
4. डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी
   संसद सदस्य — सदस्य
5. श्री वी. सत्यनारायण रेड्डी
   संसद सदस्य — सदस्य
6. श्रीमती शान्ति पहाड़िया
   संसद सदस्य — सदस्य
7. श्री कमला प्रसाद सिंह
   संसद सदस्य — सदस्य
8. श्री आर. वेंकट कृष्णन
   अध्यक्ष, मद्रास हिन्दी प्रचार संघ — सदस्य
9. श्री शिवकान्त मिश्रा
   सम्पादक, जवाहर इंडिया, लखनऊ — सदस्य
10. श्री विभूति मिश्र
    हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद — सदस्य
11. श्री शंकर राव लोंढ़े
    राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा — सदस्य
12. श्री रामनारायण कालरा, नादेड — सदस्य
13. श्री मनुभाई पटेल — सदस्य
14. श्री काशीनाथ उपाध्याय "भ्रमर" — सदस्य

15. प्रो. राजाराम शास्त्री, वाराणसी
सदस्य

16. श्री आनन्द प्रकाश
प्रतिनिधि, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद
सदस्य

17. कुमारी कुसुमलता मित्तल,
सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार
सदस्य

18. श्री पी. के. उमाशंकर
अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
सदस्य

19. डा. एस. एन. मुखर्जी
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक
सदस्य

20. डा. (श्रीमती) स्नेह भार्गव,
निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
सदस्य

21. प्रो. मलिक मोहम्मद,
अध्यक्ष, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग
सदस्य

22. श्री एस. के. सुधाकर,
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित

22. श्री पी. आर. दास गुप्ता
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

23. श्री पी. पी. चौहान,
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

24. डा. (श्रीमती) लता सिंह
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

25. श्री पी. के. मेहरोत्रा,
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

26. श्री आर. एम. भार्गव,
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

27. वैद्य शिवकुमार मिश्र,
सलाहकार (आयुर्वेद एवं सिद्ध)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

28. श्री गोविन्द दास बोलिया,
उप सचिव, राजभाषा विभाग

29. श्री सर्वेश्वर झा,
निदेशक (प्र. एवं सतर्कता)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

30. डा. पी. एस. जैन,
सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

31. श्री प्रेम लाल शर्मा,
उप-निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य और प. क. मंत्रालय

32. श्री विष्णु दयाल माथुर,
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

33. डा. केदार प्रसाद सिंह
34. डा. आर. सी. गुप्ता
} पुरस्कार विजेता

35. श्री जितेन्द्र लाल सूद
हिन्दी अधिकारी,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

36. श्री चन्द्रभान शर्मा,
हिन्दी अधिकारी,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

37. श्री बहादुर सिंह वोरा,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

38. श्रीमती सुशीला रोहतगी,
हिन्दी अधिकारी,
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

प्रारम्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें नव वर्ष की बधाई दी। उन्होंने दो नये सदस्यों, श्री बिट्ठल भाई एम पटेल और श्री वी. तुलसीराम का विशेष रूप से स्वागत करते हुए कहा कि ये दोनों सदस्य हिन्दी की पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधि हैं और विभिन्न कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं। अतः मंत्रालय में हिन्दी का कामकाज बढाने में इन दोनों सदस्यों के सुझाव खासतौर से अहमियत रखेंगे। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि मंत्रालय के नये सचिव श्री एस. एस. धनोआ के नेतृत्व में, जो बिहार कैडर के हैं, और स्वयं भी हिन्दी में काम करते आए हैं, हिन्दी की प्रगति में और भी इजाफा होगा।

स्वास्थ्य मंत्री जी ने मंत्रालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विषयों पर हिन्दी में मूल रूप में लिखी किताबों पर पुरस्कार देने की योजना का जिक्र करते हुए बतलाया कि यद्यपि इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 अलग विषयों पर 5-5 हजार रूपये के 10 पुरस्कार देने की व्यवस्था है फिर भी 1984-85 में इस पुरस्कार के लिए आई 11 किताबों में से तीन पुस्तकों को पुरस्कार योग्य पाया गया है। ये किताबें और इनके लेखक इस प्रकार हैं:

(1) बच्चों का पालन-पोषण--डा. रेणु जोगी, (2) रति रोग--डा. केदार प्रसाद सिंह (3) शल्य क्रिया और आत्—डा. आर. सी. गुप्ता। इन विद्वान लेखकों का स्वागत करते हुए मंत्री जी ने आशा व्यक्त की कि ये विद्वान लेखक स्वास्थ्य

संबंधी विषयों पर हिन्दी में अपना लेखक कार्य आगे भी जारी रखेंगे और अच्छी-अच्छी पुस्तकें हम सबको पढ़ने के लिए इनसे मिलेंगी। पुरस्कार के लिए आई कम किताबों का जिक्र करते हुए मंत्री जी ने कहा कि हो सकता है योजना का पहला वर्ष होने के कारण किताबें कम आई हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक लेखक इस दिशा में आगे आएंगे। मंत्रालय के अधिकारियों से भी उन्होंने आग्रह किया कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा और कारगर ढंग से प्रचार- करें।

मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए की जा रही कोशिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी बाधा अधिकारियों की मानसिकता है। हिन्दी जानने वाले लोग भी अपना काम अंग्रेजी में करना पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के लिए जो भी कोशिशें की जा रही हैं वे तभी कामयाब होंगी जब अधिकारियों का यह मेंटल बैरियर दूर किया जा सके। इसके लिए उन्होंने सदस्यों के सुझाव आमंत्रित किये। उन्होंने कहा कि हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह या हिन्दी कार्यशाला आदि का आयोजन नियमित रूप से मंत्रालय में किया जा रहा है और इनमें अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को नकद पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र भी दिए जा रहे हैं। मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में वर्ष में हिन्दी में सर्वाधिक काम करने वाले अनुभागों को राजभाषा शील्ड देने का भी उन्होंने जिक्र किया और आशा व्यक्त की कि अधिक से अधिक अनुभाग इस प्रतियोगिता के लिए आगे आएंगे।

संयुक्त सचिव (डी) ने पुरस्कार योजना पर प्रकाश डाला और तत्पश्चात् पुरस्कृत विद्वानों को नकद पुरस्कार तथा सम्मानार्थ प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। पुरस्कार वितरण के बाद कार्यसूची पर विचार-विमर्श हुआ।

(क) चिकित्सा शिक्षा का माध्यम

पिछली बैठक की सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने कहा कि आयोग चिकित्सा विषयों की पुस्तकों का अनुवाद करा रहा है और उसने लगभग 150-200 पुस्तकें अब तक छाप भी ली हैं। उनका कहना था कि चिकित्सा शिक्षा के मीडियम की बात फिलहाल छोड़ी जा सकती है किन्तु पैरा-मेडिकल शिक्षा के मीडियम को हिन्दी में बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसके लिए काफी किताबें अब उपलब्ध हैं। श्री मुकुल चंद पाण्डेय और केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि ने भी इस पर जोर दिया कि पैरा-मेडिकल शिक्षा के मीडियम में हिन्दी का विकल्प देने में अब कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। संयुक्त सचिव (एस. के.) ने बतलाया कि विभिन्न राज्यों में नर्सिंग की शिक्षा हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाने लगी है अलबत्ता फार्मेसी शिक्षा अभी भी अंग्रेजी में दी जा रही है। व्यापक चर्चा के बाद यह तय हुआ कि इसके लिए एक समिति का गठन किया जाए और उससे अनुरोध किया जाए कि तीन-चार महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे।

(ख) मंत्रालय में निदेशक (रा. भा.) का पद बनाया जाना।

लगभग सभी सदस्यों ने मंत्रालय में निदेशक (राजभाषा) का पद बनाने में हो रही देरी के कारण जानने चाहे। उनका कहना था कि इतने बड़े मंत्रालय में, जिसके अधीन लगभग 150 कार्यलय हैं, ऐसे एक पद का न होना हिन्दी के प्रसार-प्रचार में बहुत बड़ा बाधक है। उनका कहना था कि ऐसे पदों पर प्रतिबंध से छूट होने के कारण इनको बनाने में मंत्रालय को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। संयुक्त सचिव ने समिति को यह बतलाया कि इसका एक प्रस्ताव मंत्री जी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और अब वह वित्त विभाग के पास भेजा गया है। अध्यक्ष महोदया ने संयुक्त सचिव (एफ. ए.) से अनुरोध किया कि वे इस कार्य में आगे कोई विलम्ब न करके मंत्रालय में अविलम्ब ऐसे पद के लिए स्वीकृति दिलाने की कार्यवाही करें।

(ग) हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को पहचान पत्र

हिन्दी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान-पत्र दिये जाने के बारे में चर्चा करते हुए सचिव राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार ने स्पष्ट किया कि इस दिशा में राजभाषा विभाग को कुछ नहीं कहना है। वह विभाग उनकी उपयोगिता नहीं समझता, वैसे, मंत्रालय ऐसे पहिचान-पत्र देना चाहे तो दे दे। श्री काशी नाथ उपाध्याय का विचार था कि सदस्यों को ऐसे पहिचान-पत्रों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हर कार्यान्वयन समिति की मीटिंग में सदस्यों को बुलाया ही जाए या सदस्य हर छोटे बड़े कार्यालय को देखने जायें। हिन्दी का प्रसार और प्रचार भावनात्मक संबंध से जुड़ा हुआ है। इसमें विभिन्न कार्यालयों में जाकर वहां से जानकारी लेने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। सलाहकार समिति के सदस्यों को जो जानकारी चाहिए वह इन बैठकों में मांगी जा सकती है। अध्यक्ष महोदया ने कहा कि ऐसे पहिचान-पत्रों की उपयोगिता पर हम विचार करेंगे और यदि उन्हें मंत्रालय के काम में उपयोगी समझा जाएगा तो ऐसे पहिचान-पत्र दे दिए जाएंगे।

(घ) राजभाषा कार्यान्वयन समिति में हिन्दी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन

राजभाषा कार्यान्वयन समिति में हिन्दी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन पर चर्चा करते हुए सभा को यह सूचित किया गया कि मंत्रालय की ओर से ऐसे आदेश सभी कार्यालयों को दिये जा चुके हैं।

(ङ) अस्पतालों में हिन्दी का प्रयोग

अस्पतालों में हिन्दी के प्रयोग का जिक्र करते हुए श्री काशी नाथ उपाध्याय ने कहा कि डाक्टर राममनोहर लोहिया अस्पताल में कुछ नाम पट्ट आदि केवल अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। इस संबंध में उन्होंने "विजिटर्स नाट अलाउड" संबंधी पट्ट का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदया के इस पर गौर करने का आश्वासन देते हुए कहा कि ऐसे पट्ट शीघ्र दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएं और अस्पतालों में उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए।

मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति पर विचार-विमर्श के दौरान श्री विट्ठल भाई एम. पटेल और श्री वी. तुलसीराम का विचार था कि मंत्रालय में अंग्रेजी टाइपराइटरों की तुलना में हिन्दी के टाइपराइटर बहुत कम हैं। उनका सुझाव था कि प्रशिक्षित स्टेनोग्राफरों/टाइपिस्टों से हिन्दी में भी काम लिया जाए। अध्यक्ष महोदया ने कहा कि हिन्दी के टाइपराइटरों की कमी के कारण हिन्दी का काम पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। प्रश्न यह है कि जो 55 टाइपराइटर मंत्रालय में हैं, क्या इनका पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर और अधिक टाइपराइटर खरीदने का भी आश्वासन दिया। इस संबंध में संयुक्त सचिव (एस. के.) ने बतलाया कि मंत्रालय में देवनागरी के दो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर भी खरीदे जा रहे हैं।

कार्यालयों का निरीक्षण

विभागीय टिप्पणी से संतुष्ट होते हुए भी कुछ सदस्यों का यह सुझाव था कि सीरस वैज्ञानिक कार्यालय, कलकत्ता में राजभाषा प्रयोग की स्थिति जानने के लिए उस कार्यालय का निरीक्षण किया जाए। अध्यक्ष महोदया ने सदस्यों को सूचित किया कि यह निरीक्षण फरवरी में करने का विचार किया जा रहा है। श्री मुकुल चन्द पाण्डेय का यह सुझाव भी था कि निरीक्षण की गति तेज की जाए।

सिगरेट के पैकेटों पर सांविधिक चेतावनी/प्रति-चिह्न

विभागीय टिप्पणी तथा संयुक्त सचिव (डी) द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति से संतुष्ट होते हुए भी सदस्यों का यह सुझाव था कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए।

आयुर्वेदिक और यूनानी परिषदों में हिन्दी का प्रयोग

विभागीय टिप्पणी से संतुष्ट होते हुए भी श्री मुकुल चन्द पाण्डेय का यह विचार था कि आयुर्वेदिक परिषद से जो पत्र विभिन्न यूनिटों को भेजे जा रहे हैं वे अभी भी अंग्रेजी में जा रहे हैं। हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित ऐसे कार्यालयों को परिषद अनिवार्य रूप से पत्र हिन्दी में भेजे। अध्यक्ष महोदया ने आयुर्वेद सलाहकार से इस पर तुरन्त कार्यवाही करने को कहा। इस सिलसिले में लखनऊ स्थित यूनानी यूनिट के नाम पट्ट का जिक्र करते हुए श्री मुकुल चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि यह अंग्रेजी और उर्दू में है जबकि इसे हिन्दी और उर्दू में होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदया ने इसे तुरन्त ठीक करने का आश्वासन दिया।

मेडिकल कालेजों में हिन्दी का वातावरण बनाना।

आयुर्विज्ञान संबंधी संगोष्ठियों/व्याख्यान हिन्दी में करना।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में हिन्दी का प्रयोग।

मंत्रालय के कुछ अनुभागों को हिन्दी में काम करने वाले अनुभाग घोषित करना।

सदस्य विभागीय टिप्पणी से संतुष्ट थे। फिर भी अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने बतलाया कि स्नातकोत्तर विज्ञान विषयों को पढ़ाने वालों के लिए आयोग में कार्यशालाएं चल रही हैं। यदि मेडिकल कालेजों में भाषणों की कोई व्यवस्था की जाए तो आयोग इसमें सहयोग दे सकता है। इस पर श्री मुकुल चन्द पाण्डेय ने सुझाव दिया कि जैसे अन्य क्षेत्रों में बच्चे अपने रिसर्च पेपर्स हिन्दी में प्रस्तुत कर रहे हैं, मेडिकल रिसर्च में भी हिन्दी में पेपर्स स्वीकार किये जाने चाहिए। इस पर संयुक्त सचिव (एस. के.) ने कहा कि इस कार्य में आई. सी. एम. आर. की सलाह लेनी जरूरी होगी। अध्यक्ष महोदया ने आई. सी. एम. आर. से पूछताछ करने का आश्वासन दिया।

कुछ सदस्यों का यह भी विचार था कि हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों के सेवा-रिकार्ड में एक ऐसी प्रविष्टि कर दी जाए जिससे यह मालूम हो कि ये अधिकारी अपना काम हिन्दी में कर रहे हैं। संयुक्त सचिव (एस. के.) ने बतलाया कि हमने अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भी इस प्रश्न पर विचार किया और ऐसा एक प्रस्ताव राजभाषा विभाग को भेजा भी है। सदस्यों ने सुझाव दिया कि एक ऐसा प्रस्ताव पुनः तैयार करके केन्द्रीय हिन्दी समिति में विचारार्थ राजभाषा विभाग को भेज दिया जाए।

सभा के अंत में श्री काशीनाथ उपाध्याय जी ने सभी सदस्यों की ओर से अध्यक्ष महोदया को नये वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए तथा उनके द्वारा बैठक का कुशलता और योग्यता पूर्वक संचालन तथा उनके सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार के लिए सभी सदस्यों की ओर से धन्यवाद दिया और बैठक विसर्जित हो गयी।

4. इस्पात और खान मंत्रालय

इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक इस्पात और खान मंत्री श्री कृष्णचन्द पन्त की अध्यक्षता में दि. 14 फरवरी 86 को सम्पन्न हुई।

समिति के अध्यक्ष इस्पात और खान मंत्री महोदय ने समिति को सम्बोधित करते हुए कहा, "मैं मंत्रालय की नवगठित हिन्दी सलाहकार समिति की इस पहली बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें नव वर्ष की बधाई देता हूं।

भारत सरकार के मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन का निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा वर्ष 1975 में किया गया था। तदनुसार इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का 17 नवम्बर, 1976 को गठन हुआ और जनवरी, 1977 को उसकी पहली बैठक हुई है - उसके बाद हर नई लोक सभा के समय इस समिति का पुनर्गठन हुआ और बैठकें हुई। नवम्बर, 1985 में चौथे पुनर्गठन के बाद इस समिति की पहली बैठक है।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा सितम्बर, 1976 में जारी निर्देशों के अनुसार हिन्दी सलाहकार समितियों का काम

मंत्रालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है। अगर कोई सलाहकार समिति राजभाषा नीति के बारे में बुनियादी परिवर्तन सुझाती है तो उन पर राजभाषा विभाग की सहमति लेकर ही अमल किया जा सकता है।

सरकार की राजभाषा नीति का खुलासा राजभाषा अधिनियम, 1976 में दिया गया है। इनमें हिन्दी राज्यों को "क" रीजन में, गुजरात, पंजाब, और महाराष्ट्र को "ख" रीजन में तथा बाकी राज्यों को "ग" रीजन में रखा गया है। इसके आधार पर केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए हिन्दी प्रयोग का वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है।

मोटे तौर पर सरकार की नीति यह है कि हिन्दी पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में दिये जाएं, हिन्दी-भाषी क्षेत्र के राज्यों और व्यक्तियों को प्रायः सभी पत्र हिन्दी में लिखे जाएं और अगर कोई पत्र अंग्रेजी में भेजना पड़े तो उसका हिन्दी पाठ साथ में लगाया जाए। द्विभाषी नीति के अन्तर्गत सभी सरकारी आदेश, परिपत्र, विज्ञप्तियां, अधिसूचनाएं, नोटिस, लाइसेंस, परमिट, संसद के सभी कागजात, रिपोर्ट आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी की जानी चाहिए।

सरकार ने हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को कम से कम मैट्रिक स्तर तक की हिन्दी सीखने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना शुरू की। इस योजना में विभिन्न हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर वेतन-वृद्धि और नकद राशि दी जाती है। हिन्दी आशुलिपि और टाइपिंग के लिए भी वित्तीय लाभ दिये जाते हैं। जिस कार्यालय में 80 प्रतिशत या अधिक कर्मचारी हिन्दी सीख लेते हैं, उसका नाम सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है।

सरकारी दफतरों में हिन्दी में काम करने के प्रसंग में उल्लेखनीय है कि नियमतः कोई भी कर्मचारी हिन्दी या अंग्रेजी में नोट व मसौदे लिख सकता है और उसे किसी एक भाषा में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर भी जो लोग अच्छी हिन्दी लिख-पढ़ लेते हैं उन्हें हिन्दी में काम करना ही चाहिए। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नकद पुरस्कार योजना शुरू की है और काफी कर्मचारी हिन्दी में काम कर भी रहे हैं।

जहां तक मंत्रालय में सरकार की राजभाषा नीति के पालन की बात है तो मंत्रालय के दोनों विभागों और उनके अधीन कार्यालयों और उपक्रमों में हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जा रहे हैं। जो सरकारी कागजात हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होने चाहिएं उनमें भी, कुछ कार्यालयों को छोड़कर अच्छी प्रगति है। "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। सभी कार्यालयों में जरूरत के अनुसार हिन्दी टाइपराइटर हैं।

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि 19 सितम्बर, 1985 को इस्पात विभाग के एक संस्थान मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (मेकन) के अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक श्री पी. सी. लाहा को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में 1984--85 में राजभाषा कार्यान्वयन में श्रेष्ठतम सहयोग एवम् निष्पादन के लिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री जी के कर-कमलों से शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। 2 फरवरी, 1985 को इसी संस्थान के अध्यक्ष-एवम्-प्रबंध निदेशक श्री लाहा को राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री द्वारा विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया था। 29--30-9-1985 को रांची में हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर बिहार के मुख्य मंत्री ने श्री लाहा तथा "सेल" के अनुसंधान एवम् विकास केन्द्र के निदेशक को हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया।

मंत्रालय के खान विभाग, हिन्दुस्तान जिंक लि. ने राजभाषा नीति का अपेक्षाकृत अच्छा पालन किया है और उन सभी को और उनके कई अधिकारियों को राजभाषा विभाग से अलग-अलग शील्ड, ट्राफी, पदक एवम् प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय के अर्द्धन्यायिक ट्रिब्यूनल द्वारा हिन्दी क्षेत्रों के खनन पट्टों आदि से सम्बन्धित मामलों पर अन्तिम आदेश (फैसले) हिन्दी में पारित किये जा रहे हैं और वर्ष 1981-82 से 1 जनवरी, 1986 तक ऐसे करीब 2560 आदेश हिन्दी में जारी किये जा चुके हैं। इसमें मंत्रालय के उप निदेशक का विशेष योगदान रहा है, जिसके लिए राजभाषा विभाग ने उन्हें "वर्ष 1985 के लिए राजभाषा शील्ड और श्रेष्ठता प्रमाणपत्र" प्रदान किया है।

उपर्युक्त के अलावा, इस मंत्रालय ने कुछ और उपलब्धियां भी हासिल की हैं जैसे--

1. मंत्रालय के दोनों विभाग इस्पात और खान, तथा दोनों विभागों के क्रमशः 38 और 20 यूनिट कार्यालय, 80% से अधिक कर्मचारियों के हिन्दी सीख लेने पर राजभाषा नियम 10 (4) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित हैं। लगभग सभी उपक्रमों ने अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए "लर्न देवनागरी" फिल्म खरीदी है तथा यथा जरूरत हिन्दी अध्यापक नियुक्त किये हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति महोदय के आदेश के अनुसार हिन्दी सिखाने की प्रगति बराबर जारी है।

2. मंत्रालय से सम्बन्धित तकनीकी व वैज्ञानिक विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इस्पात और खान दोनों विभागों ने प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस्पात से सम्बन्धित लगभग 5,000 तकनीकी शब्दों का पारिभाषिक कोश तैयार हो चुका है और यह कार्य आगे जारी है।

3. उपक्रमों द्वारा तैयार माल पर अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी विवरण दिये जा रहे हैं। उनके अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों द्वारा हिन्दी में गृह-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है तथा अनेक वार्षिक प्रकाशन यथा, **भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का वार्षिक कार्यक्रम**, खनिज वर्ष पुस्तक, आदि द्विभाषी निकाले जा रहे हैं।

4. मंत्रालय के अनेक उपक्रमों द्वारा राजभाषा सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं तथा सभी उपक्रमों द्वारा हिन्दी सप्ताह

और हिन्दी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों तथा हिन्दी नाटक, वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है और विजेताओं को पुरस्कार दिये जाते हैं।

5. खान विभाग और भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड में कर्मचारियों को हिन्दी में नोट और मसौदा लेखन हेतु प्रत्साहित करने के लिए 1981-82 से वार्षिक नकद पुरस्कार योजना लागू है और हर वर्ष 8-10 कर्मचारी पुरस्कार पाते हैं। इसके अलावा भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और खनिज गवेषण निगम में तिमाही नकद पुरस्कार योजना चल रही है। सेल तथा हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड सहित अनेक उपक्रमों में हिन्दी कर्यशालाएं चल रही हैं।

6. खान विभाग और भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा वेतन चेक/पत्रक हिन्दी में जारी किये जा रहे हैं। विभागीय कर्मचारियों को व्यवहारिक हिन्दी से परिचित कराने के लिए अनुभाग-वार दैनिक हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने को दी जाती हैं और कर्मचारीगण उत्साहित होकर विभिन्न आवेदन-पत्र हिन्दी में देते हैं।

7. वर्ष 1985 में खान विभाग सचिवालय के लिए अनुवादकों के दो नये पद और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिन्दी अधिकारी के दो पद तथा अनुवादकों के 10 पद मंजूर किये गये हैं।

8. सरकारी आदेशों के अनुसार मंत्रालय के दोनों विभागों द्वारा अपने कर्यालयों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति देखने के लिए निरीक्षण दल बनाए गये हैं, जो समय-समय पर निरीक्षण करके रिपोर्ट देते हैं।

मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की अमूल्य सलाह और प्रेरणा से मंत्रालय राजभाषा नीति के अनुसार अपने काम-काज में हिन्दी का और अधिक प्रयोग कर सकेगा।

इसके बाद बैठक की कार्यसूची पर चर्चा हुई और निम्नलिखित निर्णय लिये गये :--

1. देवनागरी (हिन्दी) टाइपराइटरों की संख्या में वृद्धि

सदस्य श्री विट्ठल भाई एम. पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालय तथा उसके कार्यालयों/उपक्रमों में राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद की जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में उन्होंने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का उदाहरण दिया, जहां 666 टाइपराइटरों में केवल 6 देवनागरी टाइपराइटर हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिस कार्यालय में काम की जरूरत को देखते हुए तथा अंग्रेजी टाइपराइटर के अनुपात में देवनागरी के टाइपराइटर बहुत ही कम हों, वहां और देवनागरी टाइपराइटर खरीदने की व्यवस्था की जाए।

2. मूल पत्राचार में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिन्दी में तैयार करना

श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल का कहना था कि मंत्रालय के अनेक कार्यालयों/उपक्रमों में हिन्दी में मूल-पत्राचार की स्थिति संतोषजनक नहीं है और इसमें सुधार करने की गुंजाइश है। उनका सुझाव था कि मूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिन्दी में तैयार की जाए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कुछ कार्यालयों, जैसे खान विभाग, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी और भारत रिफ्रैक्ट्रीज ने अपेक्षाकृत काफी मूलपत्र हिन्दी में भेजे हैं। कुद्रेमुखा आयरन ओर कम्पनी तथा स्टील अथारिटी आदि में इस बारे में कमी है और वहां सुधार होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय श्रीमती सिन्हा ने बताया कि खान विभाग ने हिन्दी क्षेत्रों को करीब 65 प्रतिशत मूलपत्र हिन्दी में भेजे हैं और पिछले एक साल में करीब 500 अंग्रेजी आवेदन पत्रों के भी उत्तर हिन्दी में दिये हैं।

उन्होंने आगे कहा कि समिति के सदस्य श्री भारद्वाज संसदीय समिति के साथ सितम्बर, 85 में खान विभाग का निरीक्षण कर चुके हैं और हिन्दी प्रयोग की बेहतर स्थिति देख चुके हैं। फलस्वरूप खान विभाग गत 3-4 सालों से राजभाषा शील्ड आदि पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। श्री भारद्वाज ने इससे सहमति व्यक्त की। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ अय्यर की राय थी कि इस्पात और खान मंत्रालय में तकनीकी विषय अधिक होने से हिन्दी में पत्र-व्यवहार आसान नहीं है, तथापि, जो कार्यालय हिन्दी में अधिक मूलपत्र भेज रहे हैं वे बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुझे बहुत से विभागों का अनुभव है, लेकिन जैसा इस्पात और खान विभाग का तकनीकी काम है, उसको देखते हुए इसमें प्रगति अच्छी हुई है और मुझे आशा है कि इसमें हम और तेजी लाएंगे। श्री सुधाकर प्रसाद राम तिवारी का कहना था, हिन्दी क्षेत्रों को मूलपत्र हिन्दी में जाते हैं और तकनीकी प्रकृति के कारण कुछ पत्र अंग्रेजी में भेजने होते हैं और उनका हिन्दी अनुवाद संलग्न किया जाता होगा। उनका सुझाव था कि सभी क्षेत्रों को पत्र हिन्दी में भेज जाएं और उन सभी के साथ अंग्रेजी पाठ संलग्न किया जाए। अध्यक्ष ने बताया कि सरकार की नीति और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सभी मूलपत्र, हिन्दी क्षेत्र के राज्यों आदि को ही हिन्दी में लिखे जाने के निर्देश हैं और फिलहाल इस पर ही जोर दिया जाना चाहिए।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिन्दी में लिखे जाने के प्रसंग में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि एक दो विभागों में ये रिपोर्ट हिन्दी में तैयार हो रही हैं। इसको करते हुए उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि भारतीय भू-सर्वेक्षण के कई क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अन्वेषण रिपोर्टें, भारतीय खान ब्यूरो की तकनीकी रिपोर्टें हिन्दी में बनायी जा रही हैं। इस पर श्री रामचन्द्र भारद्वाज ने कहा कि अन्य मंत्रालयों की तुलना में इस मंत्रालय में हिन्दी का काम अच्छा हुआ है। "ग" क्षेत्र हैदराबाद स्थित नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट निगम के निरीक्षण से भी पता चला है कि वहां प्रोजेक्ट रिपोर्टें हिन्दी में बन रही हैं।

3. हिन्दी पदों का सृजन और खाली पदों की भर्ती

श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल ने "सेल", भिलाई संयंत्र एवम् अन्य कार्यालयों/उपक्रमों में हिन्दी अनुवादकों, स्टेनों, आदि के

पद कम होने और खाली पदों को तत्काल न भरे जाने पर असंतोष व्यक्त किया। वे चाहते थे कि "सेल" में हाल ही में बने 11 हिन्दी पदों को शीघ्र भरा जाए। श्री सुधाकर रामप्रसाद तिवारी ने टिप्पणी की कि वैसे तो पदों के सृजन और भर्ती पर रोक है लेकिन पदोन्नति या अन्य किसी कारण से जो पद रिक्त हो जाते हैं, उनकी भर्ती पर कोई रोक नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मानकों के अनुसार पदों के सृजन और उनकी भर्ती पर, और विशेषतया सरकारी उपक्रमों के प्रसंग में, इस तरह की कोई रोक नहीं है। श्री तिवारी का यह भी सुझाव था कि हिन्दी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की कमी दूर करने हेतु पदों के विज्ञापन में यह साफ लिखा जाए कि अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी आशुलिपि और टाइपिंग जानने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी और यह राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुकूल होगा। श्री विश्वनाथ अय्यर का कहना था कि इन पदों की भर्ती करते समय इस्पात आदि से संबंधित विषयों के अनुवाद हेतु तकनीकी योग्यता (विज्ञान व इंजीनियरी) वाले व्यक्ति और दक्षिण क्षेत्र में स्थित उपक्रमों आदि में हिन्दीतर प्रदेश के व्यक्ति रखे जाएं। उपाध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि भारत गोल्ड माइन्स और भारतीय भू-सर्वेक्षण की दक्षिण क्षेत्र की यूनिट में हिन्दीतर प्रदेश के ही हिन्दी अनुवादक आदि हैं। इस पर श्री उमानाथ की टिप्पणी थी कि हिन्दी-अहिन्दी कर्मचारी के रूप में भेदभाव न करके सभी जगह योग्यता के आधार पर भर्ती की जाए। अध्यक्ष महोदय ने इससे सहमति व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर भी असंतोष प्रकट किया कि सेल के अधीन कुछ संयंत्रों यथा बोकारो, राउरकेला, केन्द्रीय विपणन संगठन, केन्द्रीय कोल आर्गेनाइजेशन द्वारा हिन्दी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों के आंकड़े नहीं दिये गये हैं, जो अगली बैठक में अवश्य दिये जाएं।

समिति के सदस्य सचिव ने बताया कि "सेल" में हिन्दी के 11 पद नवम्बर, 85 से सृजित किए गए थे और दो माह के अन्दर उनके भरे जाने की सम्भावना है।

4. गृह पत्रिकाओं का हिन्दी में प्रकाशन

श्री विट्ठल भाई एम. पटेल ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की मैगजीन केवल अंग्रेजी में दिये जाने पर आपत्ति की, इस पर उपाध्यक्ष ने कहा कि एक मैगजीन अंग्रेजी में है, तो जो ढेर सारी पत्रिकाएं हिन्दी में निकल रही हैं, उन्हें भी देखा जाए। श्री रामचंद्र भारद्वाज ने कहा कि हो सकता है अन्य पत्रिकाओं की तरह यह पत्रिका भी अंग्रेजी और हिन्दी में अलग छपती हो और यहां केवल अंग्रेजी अंक प्राप्त हुआ हो। अगर ऐसा नहीं है, तो यह राजभाषा के साथ दुर्व्यवहार है। इस प्रसंग में उन्होंने हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित "निर्माण" बुलेटिन में अंग्रेजी के नीचे हिन्दी रखे जाने तथा अंग्रेजी सामग्री के 32 पृष्ठ और हिन्दी सामग्री के केवल 3 पृष्ठ होने को भी राजभाषा के प्रति दुर्भावनापूर्ण माना और कहा कि हिन्दी को पहला स्थान दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा जो मैगजीन केवल अंग्रेजी में हैं उसे हम द्विभाषी कराने के बारे में देखेंगे तथा श्री भारद्वाज जी के दूसरे सुझाव पर भी ध्यान दिया जाएगा।

5. इस्पात उद्योगों से सम्बन्धित तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्यायों का संकलन

अध्यक्ष महोदय ने समिति के माननीय सदस्य डा. बाल सुब्रह्मण्यन से प्राप्त सुझावों का उल्लेख करते हुए कहा कि मंत्रालय द्वारा कोई बुलेटिन प्रकाशित नहीं किया जाता है। तथापि इस्पात उद्योग से सम्बन्धित पांच हजार शब्दों के हिन्दी पर्यायों का स्टील अथारिटी द्वारा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (जिसके अध्यक्ष डा. मलिक मोहम्मद इस समिति के सदस्य हैं) के सहयोग से, का निर्धारण किया जा चुका है और इस वित्त वर्ष में उसे प्रकाशित किया जाएगा। डा. बाल सुब्रह्मण्यन ने इसे सराहनीय माना और कहा कि इसकी प्रति सदस्यों को भी दी जाए तथा गैर-इस्पात विषयों की भी शब्दावली तैयार करने की सलाह दी। डा. बाल सुब्रह्मण्यन ने कार्यसूची में सेलम इस्पात संयंत्र का नाम शामिल न होने तथा वहां हिन्दी में काम नहीं होने की भी बात उठायी। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सेलम में भी हिन्दी में काम होना चाहिए। डा. बाल सुब्रह्मण्यन ने "ग" क्षेत्र में स्थित विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने सहित इस क्षेत्र में स्थित अन्य कार्यालयों/उपक्रमों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की प्रशंसा की तथा उसे और आगे बढ़ाने को कहा। श्री भूपेन्द्र नाथ शर्मा द्वारा भेजे गये सुझावों, जिनकी जानकारी तैयार थी, पर अगली बैठक में विचार करने का निर्णय हुआ।

6. कार्यसूची में सही शब्दों का प्रयोग और हिन्दी शिक्षण-प्रशिक्षण

श्री सुधाकर प्रसाद रामतिवारी ने कहा कि खान विभाग की तरह ही दूसरे विभागों द्वारा भी हिन्दी प्रगति की जाए। उन्होंने एजेण्डा का काफी अंश पठनीय न होने तथा कुछेक शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने की बात कही। उनका कहना था कि "अहिन्दी भाषी" शब्द का इस्तेमाल न किया जाए तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का हिन्दी में समावेश किया जाए। इस प्रसंग में श्री योगेन्द्र रोगावाल का सुझाव था कि हिन्दीतर मातृभाषा वाले पदाधिकारियों से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के बारे में समय-समय पर सुझाव लिये जाएं। प्रोफेसर दिग्विजय प्रताप सिंह का कहना था कि अब "हिन्दी भाषी" और "अहिन्दी भाषी" की बजाय भोजपुरी व मैथिली आदि क्षेत्र भी हैं, जिन्होंने हिन्दी को राष्ट्र भाषा मान लिया है। अतः "हिन्दी भाषी" और "अहिन्दी भाषी" शब्द न लिखे जाएं। अध्यक्ष महोदय ने कहा उक्त दोनों शब्द लिखे जाने के पीछे एक इतिहास है और मातृभाषा की परिभाषा के हिसाब से "हिन्दी मातृभाषा भाषी" और "अहिन्दी भाषी" शब्दों के प्रति कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए; स्कूल स्तर पर, हिन्दी सीखने-सिखाने की व्यवस्था त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत है, लेकिन दक्षिण में कुछ जगह से, जहां कि द्विभाषी फार्मूला है, जब ऐसे हिन्दी न जानने वाले लोग केन्द्र सरकार की सेवा में आते हैं, तो उनको राष्ट्रपति महोदय के आदेश के अनुसार, हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाने

की व्यवस्था है तथा सभी केन्द्र सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों में इस ओर पूरा ध्यान देने के लिए पहले से निर्देश हैं।

7. हिन्दी पुरस्कार/प्रोत्साहन प्राप्त पदाधिकारियों का गृह पत्रिकाओं में परिचय दिया जाना

श्री योगेन्द्र रोगावाल का सुझाव था कि हिन्दी की गृह पत्रिकाओं में उन अधिकारियों/कर्मचारियों के परिचय/चित्र छापे जाएं, जिन्होंने हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किये हैं। इससे अन्य कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी। उनका यह भी सुझाव था कि हिन्दी में अधिकाधिक काम करने वाले अहिन्दी भाषी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को दो वेतन वृद्धियां दी जाएं और उन्हें पदोन्नति में विशेष सुविधा दी जाए।

8. फाइलों में हिन्दी नोटिंग

श्री एस. एल. जैन जानना चाहते थे कि सेक्शन स्तर से उच्च अधिकारियों के स्तर तक फाइलें भेजे जाने पर अगर बीच के किसी अधिकारी को हिन्दी नहीं आती है तो क्या उपाय किया जाता है, क्या फाइल रुक जाती है या अंग्रेजी में नोटिंग शुरू हो जाती है, और ऐसी हालत में क्या हिन्दी में सही उत्तर जाएगा? अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी न जानने वाला अधिकारी अंग्रेजी में लिख सकता है। श्री जैन का कहना था कि लेकिन वह पहले से हिन्दी में हुई नोटिंग को कैसे समझेगा। इस पर उपाध्यक्ष श्रीमती सिन्हा ने स्पष्ट किया कि हिन्दी न जानने वाले अधिकारी को समझाने के लिए, आवश्यकता होने पर, उससे एकदम नीचे की कड़ी द्वारा हिन्दी नोटिंग का सारांश अंग्रेजी में दिया जा सकता है। खान विभाग में अधिकतर फाइलों में इस तरह की मिश्रित नोटिंग चल रही है। इससे न तो काम के निपटाने में विलम्ब की समस्या है और गलत उत्तर भी नहीं जाते हैं। अन्य कार्यालयों द्वारा भी इस पद्धति से हिन्दी में नोटिंग की जा सकती है। श्री जैन का दूसरा सवाल था, इस्पात संयंत्रों द्वारा अपनायी हुई "प्रतिदिन एक शब्द सीखिए" योजना शून्य के बराबर है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक शब्द सीखना कोई सीमा नहीं है तथा दो या अधिक शब्द सीखनेपर कोई दण्ड नहीं है। यह तो एक नारा है, जिसका अर्थ है कि रोजाना एकशब्द तो सीखिए ही, श्री रामचंद्र भारद्वाज और प्रोफेसर दिग्विजय प्रताप सिंह ने इससे सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में अंग्रेजी का प्रवेश भी दो चार अंग्रेजी शब्दों को सीख-सिखा कर ही हुआ था, अतः राष्ट्रीय योजना के परिप्रेक्ष्य में यह नारा हिन्दी को बढ़ावा देने वाला है और रोजाना एक हिन्दी शब्द सीखने-सिखाने से सभी कार्यालयों आदि में राजभाषा का पालन बढ़ेगा।

9. हिन्दी पढ़े-सीखे कर्मचारियों द्वारा अधिक संख्या में हिन्दी में काम करना

प्रो. दिग्विजय प्रताप सिंह ने इस्पात विभाग में 238 में 208 हिन्दी सीखे कर्मचारियों में से केवल 6 कर्मचारियों द्वारा, और वह भी केवल 25 प्रतिशत के लगभग काम; हिन्दी में किया जाना नगण्य माना। इस सम्बन्ध में सदस्य श्री सुरेन्द्र शर्मा का कहना था कि हिन्दी दिल और मन की भाषा तो है और उसे कोई नहीं हटा सकता, किन्तु पेट की भाषा नहीं है, इसलिए इसकी तरक्की में रुकावटें हैं और अंग्रेजी में काम हो रहा है। इस समस्या को मिश्रित शब्दावली अपना कर दूर किया जा सकता है। बड़े अधिकारी इसमें पहल करें तो मातहत अधिकारी हिन्दी में काम करने के प्रति अधिक उत्साहित होंगे। सदस्य श्री उमानाथ ने प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के उस सन्देश की ओर ध्यान दिलाया जिसमें उन्होंने सभी बड़े अधिकारियों को लक्ष्य करके कहा था कि आप पर बड़ी जिम्मेदारी है कि "आप अपने विभागों/कार्यालयों में यह सुनिश्चित करें कि सरकार की कार्यवाही हिन्दी में हो और जितनी जल्दी यह हो उतना ही अच्छा है। आपको यह भी देखना होगा कि जो हिन्दी नहीं जानते उन्हें इस तरह हिन्दी सिखाएं कि वे उसे अपने काम में भी अपनाएं"। अध्यक्ष महोदय ने इससे सहमति व्यक्त की कि हिन्दी जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करना चाहिए।

10. हिन्दी का प्रचार-प्रसार सरकारी स्वागत कक्षों में हिन्दी का प्रयोग

श्री उमानाथ ने प्रधान मंत्री जी के सन्देश का हवाला देते हुए यह भी कहा कि यह बात सभी मंत्रालयों/विभागों को स्वयं देखनी है कि छोटे से छोटे स्तर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस प्रसंग में उन्होंने कहा कि शास्त्री भवन के स्वागत कक्ष के रजिस्टर में उन्होंने अपना नाम आदि हिन्दी में भरा, परन्तु स्वागत अधिकारी ने "गेट पास" पर उनका नाम आदि अंग्रेजी में लिखा। वे चाहते थे कि ऐसे छोटे-छोटे कार्यों में हिन्दी के प्रयोग के प्रति पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

11. हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन के परिणामों का मूल्यांकन और प्राप्त लाभ का ब्यौरा

डा. बाल सुब्रह्मण्यन का कहना था कि जो हिन्दी कार्यशालाएं चलाई गई हैं उनके निष्कर्ष अर्थात् परिणामों का आकलन किया जाए और उन्हें अगली बैठक में रखा जाए।

12. हिन्दी सलाहकार समिति की उपक्रम स्तर पर बैठकें तथा समिति के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा मंत्रालय के कार्यालयों/उपक्रमों में निरीक्षण

श्री रामचंद्र भारद्वाज ने गौरव के साथ कहा कि इस्पात और खान मंत्रालय राजभाषा के काम में आज जो सबसे आगे हैं, वह इसलिए भी है कि इससे पूर्व इस मंत्रालय में जब श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्री तथा श्रीमती रामदुलारी सिन्हा राज्य मंत्री थीं, तब की हिन्दी सलाहकार समिति में यह निर्णय हुआ था कि समिति के सदस्य मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालयों/उपक्रमों में मौके पर जाकर हिन्दी प्रयोग की स्थिति देखें, क्योंकि अकेले राजभाषा विभाग के लिए यह सम्भव नहीं था कि सारे देश में घूम कर

निरीक्षण करें और मंत्रालयों के जो बड़े अफसर हिन्दी निरीक्षण पर जाते हैं वे भी निरीक्षण की खाना-पूरी करके केवल रिपोर्ट भरवा लाते थे। समिति के निरीक्षणों का अच्छा प्रभाव पड़ा और हिन्दी की प्रगति में वृद्धि हुई। परन्तु बाद में राजभाषा विभाग की सलाह पर ये निरीक्षण रोक दिये गये। ये ठीक नहीं है। ये निरीक्षण पुनः शुरू किये जाने चाहिएं। इसके अलावा, अन्य समितियों की तकनीकी बैठकें बंगलौर वगैरह में हो सकती हैं तो हिन्दी समिति की बैठक भी दिल्ली से बाहर उदयपुर आदि में रखी जा सकती है। अतः उनका कहना था कि उक्त दोनों सुझावों पर राजभाषा विभाग द्वारा अनुकूल रुख अपनाया जाए।

यह फैसला किया गया कि समिति की अगली बैठक मई, 1986 के तीसरे सप्ताह में रखी जाएं।

अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद देने के साथ बैठक का समापन हुआ।

बलजीत सिंह ताती
निदेशक

5. **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** की हिन्दी सलाहकार समिति की 26वीं बैठक सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री वि. न. गाडगील की अध्यक्षता में दि. 5, दिसम्बर 85 को पत्र सूचना कार्यालय के सम्मेलन कक्ष, नई दिल्ली में हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य और अधिकारी उपस्थित थे—

अध्यक्ष

1. श्री वि. न. गाडगील
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री

सदस्य

2. श्रीमती किशोरी सिन्हा
3. श्रीमती गीता मुखर्जी
4. श्री चतुरानन मिश्र
5. श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया
6. श्री एन. टोम्बी सिंह
7. प्रो. मंजूरूल अमीन
8. श्री प्रभात शास्त्री
9. श्रीमती शीला झुनझुनवाला
10. श्री गिरिजा कुमार माथुर
11. डा. रामदरश मिश्र
12. श्री कन्हैया लाल नन्दन
13. श्री वाई. जी. शिन्दे
14. कुमारी कुसुम लता मित्तल,
सचिव, राजभाषा विभाग और
भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार
15. श्री गिरीश मेहरा,
सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
16. श्री सुरेश माथुर,
महानिदेशक, आकाशवाणी
17. श्री आई. राम मोहन राव,
प्रधान सूचना अधिकारी,
पत्र सूचना कार्यालय
18. डा. श्याम सिंह शशि,
निदेशक, प्रकाशन विभाग
19. श्रीमती मालती तांबे वैद्य
प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
20. डा. एम. मलिक मोहम्मद,
अध्यक्ष,
वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग

सदस्य सचिव

21. श्री विजेन्द्र सिंह जाफा,
संयुक्त सचिव,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिकारी

1. श्री केसर सिंह बैदवान,
संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
2. श्री पी. के. सरकार,
संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
3. श्री केशव पाण्डेय,
उप महानिशक, दूरदर्शन
4. श्री अनुपम दास गुप्ता,
निदेशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
5. श्री सी.एल. आर्य,
उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
6. श्री ज.च. डंगवाल,
उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
7. कुमारी शहला हैदर,
निदेशक, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
8. श्री व. ना. माजगांवकर,
निदेशक, फोटो प्रभाग
9. श्री हरजीतसिंह,
निदेशक (प्रशासन-व-वित्त), आकाशवाणी महा-निदेशालय
10. श्री मनोहर लाल जुनेजा,
निदेशक, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग

11. श्री आर. एन. महादेवन,
निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय व गीत और नाटक प्रभाग

12. श्री वाई. वी. लक्ष्मण राव,
निदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान

13. श्री पुलिन विहारी राय,
उप प्रेस पंजीयक, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

14. श्री स. न. पाठक,
उप लेखा नियंत्रक, मुख्य लेखा कार्यालय

15. श्री पंचानन पाठक,
संयुक्त निदेशक, गीत और नाटक प्रभाग

16. श्री पी. के. डी. सरकार,
सहायक प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय।

17. श्री एस. डी. कुमार,
अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।

18. श्री ति. सु. सुन्दरेश्वरन,
उप निदेशक (प्रशासन), दूरदर्शन महानिदेशालय

19. श्री बी. एस. संधू,
उप निदेशक (प्रशासन), विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

20. श्री इन्दु भूषण कर्ण,
अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

21. श्री अरविन्द नारायण शर्मा,
सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय

22. डा. गिरिवरधारी सिंह,
उप निदेशक (राजभाषा), आकाशवाणी महानिदेशालय

23. श्री दयाल महेंदीरत्ता,
सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय

24. श्री सतीश चन्द्र शुक्ल,
सहायक निदेशक (राजभाषा), दूरदर्शन महानिदेशालय

25. श्री गोरख नाथ,
सहायक निदेशक (राजभाषा), पत्र सूचना कार्यालय।

26. श्री नरेन्द्र सिंह नेगी,
सहायक निदेशक (राजभाषा), भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय।

27. श्री गोरे लाल मण्डल,
हिन्दी अधिकारी, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

28. श्री मुनि लाल,
उप निदेशक (राजभाषा), सूचना और प्रसारण मंत्रालय।

सदस्यों का स्वागत करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की यह पहली बैठक है। इस पुनर्गठित समिति में हिन्दी के प्रति रुचि रखने वाले माननीय संसद सदस्य, जाने माने विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, सम्पादक, लेखक आदि शामिल हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनकी मूल्यवान सलाह और सुझाव मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में अत्यन्त सहायक सिद्ध होंगे। मंत्री महोदय ने बताया कि यह मंत्रालय सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, आदि के हिन्दी के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी को काफी बढ़ावा मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय सहित इसके 309 कार्यालयों के 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय तथा इसके विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के 274 पद सृजित हो चुके हैं तथा 58 अतिरिक्त हिन्दी पदों का सृजन करने के लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है।

बैठक की कार्यसूची की मदों पर चर्चा शुरू करने से पहले श्री चतुरानन मिश्र ने कहा कि 34 वर्ष के बाद भी हिन्दी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है जिससे कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोग इसे ज्यादा से ज्यादा अपना सकें। इस सम्बन्ध में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 351 की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि इसमें मिश्रित संस्कृति की बात कही गई है। यदि इस रूप में हिन्दी का विकास किया जायेगा तो लोग इसे स्वीकार करेंगे, अन्यथा वे यह समझेंगे कि हिन्दी उन पर लादी जा रही है। इसलिए हमें मिश्रित संस्कृति की बात लेकर आगे बढ़ना चाहिए और महानिदेशालय में एक ऐसा उप महानिदेशक नियुक्त किया जाना चाहिए जो केवल यह देखे कि हम इस दिशा में सही ढंग से जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रायोजित कार्यक्रमों के केप्शन अंग्रेजी में होते हैं तथा अधिकतर कार्यक्रमों को अंग्रेजी में कवर किया जाता है। प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं को भी ज्यादातर अंग्रेजी में ही कवर किया जाता है। इस प्रकार की यात्राओं को मूल रूप से हिन्दी में भी कवर किया जाना चाहिए। बच्चों के लिए भी अच्छे कार्यक्रम दिए जाने चाहिए तथा "क्विज" जैसे कार्यक्रम हिन्दी में भी होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दूरदर्शन को अपनी पारिवारिक पत्रिका निकालनी चाहिए। कार्यक्रम सलाहकार समितियों का गठन भी शीघ्र किया जाना चाहिए जो इन सब बातों को देखे। डा. एम. मलिक मोहम्मद ने कहा कि देश में भावात्मक एकता बढ़ाने के लिए दक्षिण की संस्कृति, रीति-रिवाजों, आदि पर कार्यक्रम हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित किए जाने चाहिएं। डा. एम. मलिक मोहम्मद ने यह भी कहा कि केरल में 40% लोग हिन्दी जानते हैं, किन्तु केरल स्थित आकाशवाणी के कालीकट और त्रिवेन्द्रम केन्द्रों के हिन्दी कार्यक्रमों की अवधि बहुत ही कम है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इन केन्द्रों के हिन्दी कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। श्री चतुरानन मिश्र ने

कहा कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकार से परामर्श करना उपयुक्त होगा।

मंत्री महोदय ने कहा कि केरल स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित होने वाले हिन्दी कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद निर्णय लिया जायेगा।

पिछली बैठक के सुझावों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

समिति की पिछली बैठक में दिए गए सुझावों पर की गई कार्रवाई की चर्चा करते हुए श्री कन्हैया लाल नन्दन ने कहा कि आकाशवाणी में चीफ प्रोडयूसर के दो पद खाली हैं। इसके अलावा, आकाशवाणी की भांति दूरदर्शन में भी चीफ प्रोड्यूसर (स्पोकन वर्ड) का पद होना चाहिए।

श्री सुरेश माथुर, महानिदेशक, आकाशवाणी ने बताया कि चीफ प्रोडयूसर के पद सिविल पद बना दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जानी है। उसके बाद इन पदों को भर दिया जाएगा। दूरदर्शन में चीफ प्रोडयूसर का पद बनाने के बारे में श्री केशव पांडेय, उप महानिदेशक, दूरदर्शन ने बताया कि दूरदर्शन में इन पदों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूरदर्शन का ढांचा ऐसा नहीं है जैसा कि आकाशवाणी का है। अभी हिन्दी के दो ही केन्द्र हैं अर्थात लखनऊ और दिल्ली। जब ऐसे केन्द्रों की संख्या बढ़ जायेगी तब इस प्रकार के पद का सृजन करने के बारे में विचार किया जा सकता है। श्री कन्हैया लाल नन्दन ने कहा कि चीफ प्रोडयूसर (स्पोकन वर्ड) का पद कार्यक्रमों की संख्या के आधार पर सृजित किया जाना चाहिए न कि केन्द्रों की संख्या के आधार पर। उन्होंने आगे कहा कि दूरदर्शन पर हिन्दी साहित्य या हिन्दी कविता की जो तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है उसको देखते हुए यह पद बहुत जरूरी है। श्री मंजरूल अमीन ने कहा कि पिछले 1½ वर्ष में दूरदर्शन का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि दूरदर्शन में हिन्दी के उच्च स्तरीय पद हों। श्री राम दरश मिश्र ने कहा कि दूरदर्शन से हिन्दी के जो कवि सम्मेलन, आदि होते हैं, वे अच्छे स्तर के होने चाहिएं। इसे देखने के लिए हिन्दी के उच्च पदाधिकारी का होना आवश्यक है। मंत्री महोदय ने कहा कि इसके बारे में विचार कर लिया जायेगा।

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के काफ़ी संख्या में खाली पड़े पदों के बारे में श्रीमती गीता मुखर्जी के एक प्रश्न के उत्तर में श्री सुरेश माथुर, महानिदेशक, आकाशवाणी ने बताया कि कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं तथा कर्मचारी चयन आयोग से जो उम्मीदवार मिलते हैं, उनको जब उस केन्द्र, जिस पर पद खाली होता है, के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाता है, तो वे वहां जाने के लिए तैयार नहीं होते। श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के नाम दिए जाएं जिनको हिन्दी अनुवादक के पद के लिए नियुक्ति-प्रस्ताव भेजा गया किन्तु, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया गया कि कर्मचारी चयन आयोग से एक पद के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल भेजने के लिए कहा जाए ताकि यदि पहला व्यक्ति ज्वाइन नहीं करे तो अगले व्यक्ति को नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सके। कुमारी कुसुम लता मित्तल ने कहा कि इन पदों को स्थानीय लोगों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी भरा जा सकता है।

दूरदर्शन केन्द्रों से हिन्दी पाठों को टेलीकास्ट करना

श्री मंजरूल अमीन ने कहा कि बी.बी.सी. से अंग्रेजी सिखाने का एक कार्यक्रम होता है। दूरदर्शन से भी अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी पाठ आरम्भ किए जाने चाहिएं। इससे हिन्दी न जानने वाले लोगों को हिन्दी सीखने में आसानी होगी।

मंत्री महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय नेटवर्क में सीमित प्रेषण समय होने के कारण हिन्दी पाठों को टेलीकास्ट करने के लिए समय निकालना बहुत कठिन है। किन्तु इस बात पर विचार कर लिया जायेगा कि क्या बम्बई जैसे अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों से इन्हें शुरू किया जा सकता है।

श्री चतुरानन मिश्र, श्री कन्हैया लाल नन्दन, कुमारी कुसुम लता मित्तल आदि ने कहा कि मंत्रालय से हिन्दी में जारी होने वाले पत्रों की संख्या कम है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। श्री कन्हैया लाल नन्दन ने यह भी कहा कि सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण करने वाली निरीक्षण समिति में गैर-सरकारी सदस्यों को भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में यह बताया गया कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं तथा मूल रूप से भेजे जाने वाले पत्रों को भी यथासंभव हिन्दी में भेजने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए अपना सरकारी काम हिन्दी में करने की छूट है और प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक काम हिन्दी में हो। जहां तक निरीक्षण समिति में हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करने का संबंध है, विभिन्न कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति बनी हुई है। मंत्रालय की निरीक्षण समिति में गैर-सरकारी व्यक्तियों को रखने का प्रावधान नहीं है।

श्री प्रभात शास्त्री ने कहा कि रेडियो पर संस्कृत में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग होता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आकाशवाणी पर संस्कृत में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

(मुनिलाल)
उप निदेशक (राजभाषा)

6. राजस्व और व्यय विभाग

राजस्व और व्यय विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति की 9वीं बैठक माननीय वित्त मंत्री श्री विश्वनाथप्रताप सिंह की अध्यक्षता में 23 दिसम्बर, 1985 को हुई।

बैठक में उपस्थित सदस्यों और सम्बद्ध विभागों के प्रतिनिधियों के नाम निम्नलिखित हैं—

1. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वित्त मंत्री
अध्यक्ष

2. श्री वी.सी. पाण्डे, सचिव (राजस्व)
सदस्य

3. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, सदस्य (राज्य सभा)
सदस्य

4. श्री कैलाशपति मिश्र, सदस्य (राज्य सभा)
सदस्य

5. श्री अजय नारायण मुशरान, सदस्य (लोक सभा)
सदस्य

6. श्री बालशौरि रेड्डी, सम्पादक, चन्दामामा, मद्रास
सदस्य

7. श्री उपेन्द्र पन्त, रीडर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
सदस्य

8. श्री कन्हैया लाल नन्दन, सम्पादक, दिनमान, नई दिल्ली।
सदस्य

9. श्री नारायण शिन्दे, नागपुर (महाराष्ट्र)।
सदस्य

10. श्री ए.सी. सल्डाना, अपर सचिव (प्रशासन)
सदस्य-सचिव

विभिन्न विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि

11. श्री सुधाकर द्विवेदी, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रतिनिधि।

12. श्री श्रीइन्द्र त्रिपाठी, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रतिनिधि।

13. श्री एम.एम. तिवारी, संयुक्त सचिव, के. प्र. कर बोर्ड
केन्द्रीय बोर्ड के प्रतिनिधि।

14. श्री सी.आर. महाजन, उप सचिव, राजभाषा विभाग।
संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि।

15. श्री आर.आर. झा, अवर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि

16. श्री पी.सी. अस्थाना, अपर उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक।
उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिनिधि

17. श्री पन्ना लाल शर्मा, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्।
अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि।

इस बैठक में सदस्यों से प्राप्त अभिमतों/सुझावों और उन पर चर्चा की टिप्पणियों तथा निर्णयों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1. हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों की संख्या, स्थान तथा दतदर्थ परिचालनार्थ सामग्री के संबंध में सामान्य अभिमत्त/सुझाव

सुझाव सं. (i) सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है कि हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य की जाय और बैठक की तारीख एकबार निश्चित हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन न किया जाय। तदनुसार मार्च, 1986 के अन्त तक हिन्दी सलाहकार समिति की चार बैठकें हो जानी चाहिएं। उन्होंने समिति की पिछली बैठकों में लिये गये इस निर्णय की ओर भी अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया कि जहां तक सम्भव हो इन बैठकों का आयोजन संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि में ही किया जाय।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा कुछ संसद सदस्यों को नामित करने में विलम्ब करने के कारण हिन्दी सलाहकार समिति को यथासमय पुनर्गठित नहीं किया जा सका था और इसी के परिणामस्वरूप 26 अक्तूबर, 1985 को निश्चित की गई बैठक को स्थगित करना पड़ा था। फिर भी समिति की अगली बैठक मार्च, 1986 में, सम्भवतः संसद में बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी समय की जा सकेगी। बैठक की पक्की तारीख तथा समय के बारे में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

सुझाव सं. (ii) समिति की बैठकें मावलंकर हाल तथा विज्ञान भवन/पार्लियामेंट एनैक्सी जैसे बड़े हालों में की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि समिति की बैठकें पार्लियामेंट एनैक्सी जैसे स्थानों में करना सम्भव होना चाहिए।

सुझाव सं. (iii) बैठकों में प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री द्विभाषिक रूप में न करके केवल हिन्दी में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए जिससे इस सामग्री का आकार कम से कम रखा जा सके और आंकड़ों सम्बन्धी जानकारी इस रूप में दी जानी चाहिए जिससे उनका तुलनात्मक अध्ययन इस दृष्टि से किया जा सके कि सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि हुई है या कमी।

2. राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सुझाव।

i बैंकिंग प्रभाग के लिए एक अलग हिन्दी सलाहकार समिति होनी चाहिए। जब तक ऐसा न हो, इसके विकल्प के रूप में बैंकिंग प्रभाग के 50% प्रतिनिधि राजस्व और व्यय विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति में तथा 50% प्रतिनिधि आर्थिक कार्य विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति में होने चाहिएं।

ii सदस्यों ने राजभाषा नीति से सम्बन्धित कार्य से जुड़े हुये पदों के सृजन करने के बारे में लगी हुई रोक के बारे में स्थिति बताने हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वे इस सम्बन्ध में मामले को देखने के लिये व्यय विभाग के संयुक्त सचिव (कार्मिक) को कहेंगे।

iii समिति के गैर सरकारी सदस्यों को उनके फोटोग्राफ सहित पहचान पत्र दिये जाने चाहिएं।

iv एक सदस्य ने इस विषय में और अधिक स्पष्टीकरण मांगा कि अनुभागों में नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग में मदद करने के लिये नियुक्त किये गये तीन अनुवादकों के पद क्यों समाप्त कर दिए गये।

सदस्य-सचिव ने बताया कि ये पद पिछली हिन्दी सलाहकार समिति की उप समिति की सिफारिशों के आधार पर समाप्त किये गये हैं।

v वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा अधिनियम को संक्षेप रूप में तैयार किया जाय और सभी अनुभागों में परिचालित किया जाय।

vi सभी विभागों/प्रभागों/कार्यालयों में कम से कम एक अनुभाग ऐसा नियत कर दिया जाय जहां सारा का सारा कार्य हिन्दी में ही किया जाय और उस अनुभाग में हिन्दी टाइपिस्ट/हिन्दी टाइपराइटर और हिन्दी में सहायक-साहित्य उपलब्ध कराया जाय।

vii सभी उच्च अधिकारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाय जिससे उनके अधीन कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने का प्रोत्साहन मिले। हिन्दी के साथ एक भावनात्मक लगाव किया जाय। इस सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि जो कर्मचारी हिन्दी में काम करें उनको यथोचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्होंने बैंकों के कुछ उदाहरण भी दिये यहां हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रबन्धकों द्वारा दंडित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने की कार्यवाही की जायेगी।

viii हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या तथा अन्य यांत्रिक सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिएं जैसा कि राजभाषा विभाग द्वारा सुझाव दिया गया है।

ix हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये मंत्रालय में अनुकूल वातावरण बनाने हेतु हिन्दी सप्ताह/हिन्दी दिवस मनाया जाना चाहिए।

x सदस्यों के साथ बेहतर सम्पर्क करने के लिये उप निदेशक (राजभाषा) के घर पर टेलीफोन उपलब्ध कराया जाय।

3. समिति को प्रस्तुत सामग्री के संबंध में उठाये गये मुद्दे/टिप्पणियां

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि ने समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण, प्रवर्त्तन निदेशालय, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, समझौता आयोग (आयकर व धनकर) इत्यादि से सम्बन्धित टिप्पणियों में कुछ असंगतियों की ओर संकेत किया। उन्होंने कुछ आंकड़ों के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा और राजभाषा नीति तथा कार्यक्रम के शत प्रतिशत पालन के बारे में कुछ सुझाव दिये।

बताई गई असंगतियों को दूर करने, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट देने के लिये उक्त कार्यालयों से कहा जा रहा है।

1. अन्य विविध मुद्दे

1. चूंकि प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में अधिकांश प्रशिक्षणार्थी हिन्दी भाषी क्षेत्रों से आते हैं, अतः 1985-86 के बैच के प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने के बारे में तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए।

2. वित्त मंत्रालय के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रचार सामग्री, जैसे डायरी, कैलेंडर और अन्य भेंट स्वरूप सामग्री, नये वर्ष के आरम्भ में हिन्दी में जारी की जाए क्योंकि इस तरह की सामग्री के लिये हिन्दी का प्रयोग पहले नहीं किया गया है। जारी की गई प्रचार सामग्री बैठक के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि हिन्दी दिवस के अवसर पर वित्त मंत्रीजी द्वारा दिये गये संदेश की एक प्रतिलिपि इस समिति के सदस्यों में परिचालित की जानी चाहिए।

हिन्दी दिवस के अवसर पर

वित्त मंत्री जी

का संदेश

इस देश के कार्णधारों ने जनसाधारण की भावनाओं को संविधान के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उन भावनाओं का आदर करना हमारा पावन कर्तव्य है। हमारी राजभाषा "हिन्दी" उन्हीं भावनाओं की प्रतीक है। आइये निष्ठापूर्वक सरकारी काम-काज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग से अपने इस कर्तव्य का पालन करें।

-वित्त मंत्री

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. तिरुवनन्तपुरम

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक तारीख 20-1-86, 11 बजे समिति के अध्यक्ष तथा संयुक्त निदेशक जनगणना कार्य श्री बी. टी. पिल्ले के कक्ष में संपन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय के अलावा निम्न लिखित सदस्य उपस्थित थे।

1. श्री एस. जयशंकर—सहायक निदेशक (तकनीकी)
2. श्री के. वी. रामस्वामी—सहायक निदेशक
3. श्री एन. मुरलीधरन नायर—हिन्दी अनुवादक (सचिव)

तारीख 29-10-85 को संपन्न हुई समिति के बैठक के कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया। अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि समिति के निर्णयों का पूर्णतः कार्यान्वयन हो रहा है। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट और उसकी संवीक्षा टिप्पणी, दोनों की चर्चा हुई। हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में समिति को यह सूचना दी गयी कि जनगणना स्कंध तथा आंकड़े प्रविष्ट एकक जहां इस कार्यालय के अधिकांश कर्मचारी कार्यरत हैं वहां फाइल का काम या पत्राचार संबंधी कोई काम नहीं होता। अध्यक्ष महोदय ने यह सूचना दी कि प्रशासन स्कंध एवं जनगणना स्कंध के अधिकाधिक कर्मचारी खुद हिन्दी में काम करने में कार्यरत हो रहे हैं।

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में दिनांक 20-1-85 को संपन्न हुई राजभाषा सम्मेलन के बारे में अध्यक्ष महोदय ने बताया। उन्होंने यह सूचना दी कि इस कार्यालय के लिए वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी टंकक के एक-एक पद की मंजूरी शीघ्र ही मिलने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय ने नई दिल्ली में होने के कारण वी. एस. एस. सी में दिनांक 18-12-85 को संपन्न हुई नगर राजभाषा समिति की बैठक में सहायक निदेशक तथा हिन्दी अनुवादक दोनों ने भाग लिया।

वर्ष 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम की चर्चा भी हुई। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं।

हिन्दी पुस्तकों के संबंध में यह सूचित किया गया कि कार्यालय के लिए 23 हिन्दी पुस्तकें खरीदी गयी हैं।

समिति ने इस विषय पर संतोष प्रकट किया कि हिन्दी में मूल पत्राचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।

बी. टी. पिल्ले
संयुक्त निदेशक जनगणना कार्य
तथा
अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति

2. मैसूर

मैसूर, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सातवीं बैठक दिनांक 20, जनवरी 1986 को भारतीय भाषा संस्थान मानसगंगोत्री मैसूर-6 के सभा भवन में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष प्रभारी निदेशक ने की।

सदस्यों के परिचय के साथ बैठक प्रारंभ हुई। मैसूर नगर के विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया :—

1. श्री ए. के. श्रीवास्तव, अध्यक्ष/प्रभारी निदेशक भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर-6
2. डा. शैलजा निकम, प्रोफेसर/अध्यक्ष, श्रवण शास्त्र विभाग, वाक् श्रवण संस्थान, मैसूर-6
3. डा. एस. एस. आर्य, उपनिदेशक, डी. एफ. आर. एल, मैसूर-11
4. डा. बी. अनुराधा, विज्ञानी, सी. एफ. टी. आर. आई, मैसूर-13
5. श्री एम. जी. कनकराम, सहा निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर-6
6. श्री के. के. जैन, प्रशासनिक अधिकारी, डी. एफ. आर. एल, मैसूर-11
7. डा. एस. केशवमूर्ती, हिन्दी प्राध्यापक, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर-6
8. श्री ई. एन. मस्क्रेनहास, लेखाकार, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर-6
9. श्री शमीम अहमद, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, मैसूर-5
10. शिवप्पा, सहायक अधीक्षक, डाकघर, मैसूर-20.
11. श्री आर. पार्थसारथी, कार्यालय अधीक्षक, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर-6
12. श्री रा. ना. रतन, वरिष्ठ कल्याण निरीक्षक, दक्षिण रेलें, मैसूर-21
13. श्री बी. जी. मंजुनाथ, जूनियर लेखाकार, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर-6
14. श्री के. एस. वेंकटाचलम, वरिष्ठ प्रबन्धक, मंडल कार्यालय, केनरा बैंक, मैसूर-10
15. श्री दिनकर राव, लेखाकार, - - वही - -

16. श्री वी. राजारामन, बैंक आफ इण्डिया, मैसूर-1

17. डा. जी. आर. वरदराज गुप्त, हिन्दी प्राध्यापक, हि. शि. पो., मैसूर-21

18. श्री एन. वेंकटावार, - - वही - - -

"राजभाषा भारती" और "वार्षिक कार्यक्रम" - 1985-86 की प्रतियां सदस्यों को दी गई।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक के महत्व के बारे में सदस्यों को अपने स्वागत भाषण में बताया। उन्होंने संघ की राजभाषा नीति के प्रभाव व शीघ्र कार्यान्वयन में मैसूर नगर-स्थित सरकार के विभागाध्यक्षों व सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्षों के सक्रिय सहयोग और भाग लेने की आवश्यकता पर बल दिया।

हिन्दी पदों के सृजन व भर्ती में हो रही देरी के बारे में अध्यक्ष-जी ने बताया कि ऐसी कठिनाई अनुभव करनेवाले सदस्य नगर राज-भाषा कार्यान्वयन समिति को फिर से लिख सकते हैं ताकि इस पर शीघ्र कार्रवाई के लिए राजभाषा विभाग को पुनः लिख सके। उन्होंने बताया कि हिन्दी पदों पर रोक के बारे में स्पष्टीकरण के लिए लिखा जाएगा। सदस्यों ने मैसूर नगर के केन्द्रीय सरकारी कर्म-चारियों के लिए सामान्य मंच पर हिन्दी प्रतियोगिताओं के चलाये जाने की आवश्यकता प्रकट की। सदस्यों ने अनुरोध किया कि ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए न. रा. भा. का. स. की बैठकों के लिए निर्धारित राशि में से 25% खर्च करने के लिए सहमति देने के लिए राज भाषा विभाग को लिखें। प्रतियोगिता का विवरण तैयार करने के लिए एक उपसमिति बनायी गई।

सी. एफ. टी. आर. आई. के विज्ञानी ने सलाह दी कि दक्षिण भारत में मेट्रिक स्तर तक पढ़ाई जानेवाली हिन्दी का स्तर बहुत कम होने के कारण, मेट्रिक तक हिन्दी पढ़े हुए कर्मचारियों को भी पुरस्कार योजना के लिए पात्र बनाया जाए। सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि राज भाषा विभाग एक प्राज्ञोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाए, ताकि कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग करने में कर्मचारी अधिक सक्षम हो सकें। इस पर अध्यक्षजी ने बताया कि प्राइवेट तौर पर उच्च स्तर पर हिन्दी अध्ययन करनेवाले कर्मचारियों को अधिकारी प्रोत्साहित करें।

मंडल कार्यालय, केनरा बैंक के प्रतिनिधि ने दो सुझाव दिये:

(अ) हफ्ते में, या माह में 2 बार दूरदर्शन पर हिन्दी शिक्षण का प्रबन्ध करें।

(अ) कर्मचारियों में हिन्दी को जन प्रिय बनाने के लिए दूरदर्शन सेट सस्ते भाव पर केन्द्रीय सरकारी कर्म-चारियों को उपलब्ध कराये जाए अथवा उनको दूरदर्शन सेट खरीदने के लिए बिना ब्याज ऋण का प्रबन्ध करें। बैठक के कार्यकलाप हिन्दी में होने के कारण सदस्यों ने प्रसन्नता प्रकट की। हिन्दी प्राध्या-पक डा. जी. आर. वरदराज गुप्ता ने धन्यवाद समर्पण किया।

टी. के. जयरामन
सचिव न. रा. का. स.

3. बोकारो

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम तिमाही की बैठक दिनांक 18 मार्च, 1986 को महाप्रबन्धक (कार्मिक) एवं समिति के अध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में 4 बजे अप-राह्न उनके कार्यालय-कक्ष में हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :--

1. श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय
महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन)
अध्यक्ष

2. श्री अमित मजूमदार
मुख्य अधीक्षक, प्रबन्ध निदेशक कार्यालय
उपाध्यक्ष

3. डा. वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र,
चिकित्सा अधीक्षक, बोकारो प्रधान अस्पताल
सदस्य

4. श्री संतोष कुमार मेहरोत्रा
प्रबन्धक (जन-सम्पर्क)
संयोजक

5. श्री तारकेश्वर तिवारी
उपमुख्य कार्मिक प्रबन्धक (प्लान्ट)
सदस्य

6. श्री राजेन्द्र कुमार भनोट
उप-प्रबन्धक (संकार्य-प्रशासन)
सदस्य

7. श्री सुखनन्दन सिंह
क्षेत्रीय अभियंता (सिविल नगर क्षेत्र)
सदस्य

8. श्री हरीश नारायण जौहरी
जन-सम्पर्क पदाधिकारी
सदस्य

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित थे :--

1. श्री कुमार अरुण प्रसाद सिंह
मुख्य अधीक्षक (हाट रोलिंग मिल)
सदस्य

2. श्री लक्ष्मी कांत ओझा
मुख्य वित्त प्रबन्धक
सदस्य

3 श्री मुरलीधर अस्थाना
मुख्य अधीक्षक (प्रशिक्षण)
सदस्य

4. श्री आर. नारायणन
अपर मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)
सदस्य

5. श्री एल. के. झा
अधीक्षक अभि यंता (परियोजना, महाप्रबंधक का कार्यालय)
सदस्य

6. श्री अलख कुमार सिन्हा
उप प्रबन्धक (हिन्दी)
सदस्य

बैठक की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए प्रारम्भ में बोकारो स्टील प्लान्ट के जन-संपर्क प्रबंधक एवं समिति के संयोजक श्री संतोष कुमार मेहरोत्रा ने अध्यक्ष सहित समिति के समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। नए वर्ष की प्रथम तिमाही की बैठक में पहली बार भाग लेने तथा संयोजन का सु-अवसर प्राप्त करने के उपलक्ष्य में श्री मेहरोत्रा ने समिति के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किया और समिति को इस बात की सूचना दी कि सत्रह सदस्यीय समिति के दो सदस्यों सर्वश्री धर्मेन्द नाथ गुप्त, सहायक महाप्रबन्धक (विपणन) तथा समिति के संयोजक एवं मुख्य जन-सम्पर्क पदाधिकारी, श्री ओंकार नाथ पंचालर के अवकाश ग्रहण करने तथा समिति के उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दत्त कपिल मुख्य कार्मिक प्रबन्धक के स्थानान्तरित होने के परिणाम स्वरूप समिति के तीन सदस्यों के स्थान रिक्त हैं जिन पर अन्य सदस्यों के मनोनयन की कार्रवाई की जाय। इस संक्षिप्त सूचना के साथ ही बैठक की विधिवत कार्यवाही शुरू हुई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

(क) राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा 1985-86 के लिए जारी वार्षिक-कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए समिति के संयोजक श्री संतोष कुमार मेहरोत्रा ने बोकारो स्टील में वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन की स्थिति की ओर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने समिति को अवगत कराया कि वैसे कार्यक्रम के सभी पन्द्रह मदों को निर्धारित अवधि में ही पूरा किया जाना चाहिए था परन्तु अभी तक इस दिशा में हमें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। समीक्षा के क्रम में कार्यक्रम की मद संख्या 2 (राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत आने वाले कागजातों का द्विभाषिक प्रयोग) एवं मद संख्या । (निर्धारित प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग) के सम्बन्ध में समिति द्वारा गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

1. हिन्दी प्रयोग के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों एवं निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने तथा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सरकारी आदेशों के अनुपालन के संबंध में समिति के अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को अर्द्ध-शासकीय पत्र लिखे जाय ।

2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले सामान्य आदेश (परिपत्र, सूचना, अपील आदि) की अनिवार्यता: हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जारी किया जाये । इसके लिए बनाए गए चेक प्वाइन्ट साइक्लोस्टाइल अनुभाग को और भी अधिक कार्यशील बनाया जाये और यह हिदायत दे दी जाय कि वह अपने स्तर से सुनिश्चित करे कि सम्बद्ध कागजात दोनों ही भाषाओं में जारी किए जायें ।

दूसरा चेक प्वाइन्ट के रूप में निर्धारित प्रेषण अनुभाग द्वारा भेजे जाने वाले हिन्दी एवं अंग्रेजी के पत्रों की अलग-अलग दर्ज करने के साथ-साथ उनका दैनिक एवं मासिक विवरण तैयार किया जाये तथा टेलेक्स एवं टी. पी. एम. सन्देश की डाक प्रतियों के लिए एक अलग से रजिस्टर रखा जाय ताकि हिन्दी में भेजे गये पत्रों की संख्या की सही-सही जानकारी प्राप्त हो सके।

समिति ने संगठन एवं प्रणाली विभाग को तीसरा चेक प्वाइन्ट बनाने का निर्णय किया जिसके अनुमोदन के बाद ही कारखाने के विभिन्न विभागों के उपयोग में आने वाले फार्मों का मुद्रण होता है। अत: संगठन एवं प्रणाली विभाग द्वारा अंग्रेजी के उन्हीं फार्मों अनुमोदन प्रदान किया जाये जिनके हिन्दी रूपांतर साथ-साथ संलग्न हों ।

3. हिन्दी प्रयोग के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तथा अभी हाल में ही संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा अपने निरीक्षण के अवसर पर किए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समिति ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से

पत्र व्यवहार हिन्दी में करने के लिए सभी विभागीय प्रधानों से मिलकर व्यापक स्तर पर एक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाय, साथ ही सभी विभागों की पर्याप्त मात्रा में संदर्भ-साहित्य (हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश, पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालय सहायिका आदि) सुलभ कराया जाये और इस पर होने वाले खर्च के लिए प्रबन्ध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायें ताकि इन्हें राजभाषा विभाग द्वारा खरीदकर यथाशीघ्र इनका वितरण कराया जा सके।

4. हिन्दी के शासकीय प्रयोग के लिए समिति ने यह निर्णय लिया कि सभी स्तर के प्रबन्धक प्रशिक्षुओं (मेनेजमेंट ट्रेनिंग) को भारत सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराने तथा हिन्दी में कामकाज करने की उनमें कुशलता एवं क्षमता विकसित करने के लिए राजभाषा विभाग की मदद से प्रति माह व्याख्यानों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

5. हिन्दी प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से समिति ने इस तथ्य पर भरपूर बल दिया कि अधीनस्थ सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग हो तथा तत्संबंधी प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध कराये जाये। साथ ही यह भी आंकड़ा रखा जाए कि कितने प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग जारी है।

6. बोकारो स्टील प्लान्ट के भीतर तथा बाहर और खदानों के कर्मचारियों की हिन्दी के कामकाज में झिझक मिटाने और हिन्दी के प्रयोग हेतु उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए समिति ने हिन्दी कार्यशालाओं के गठन को महत्वपूर्ण बतलाया और इस संबंध में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 1986-87 के वित्तीय वर्ष के दौरान बोकारो स्टील के मुख्यालय में दो तथा बाहर की खदानों में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाये। इस संबंध में यह निर्णय हुआ कि पहली कार्यशाला आगामी 21 से 26 अप्रैल के बीच स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित की जाए और इस पर होने वाले व्यय के लिए प्रबन्ध निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

7. कर्मचारियों में हिन्दी कामकाज के प्रति अभिरुचि जगाने एवं हिन्दी प्रयोग को बढ़ावा देने को मद्देनजर रखते हुए समिति ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि भारत सरकार की व्यवस्था के अनुसार यहां भी संयंत्र स्तर पर एक 'प्रबन्ध निदेशक चल-वैजयन्ती (रनिंग ट्राफी शील्ड)' चालू कराने की व्यवस्था की जाए जो 14 सितम्बर, हिन्दी-दिवस के अवसर पर हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने वाले विभाग को प्रदान की जायेगी (1) इसके लिए प्रबन्ध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये तथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित परिपत्र जारी कर व्यापक रूप से कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाये।

8. सभी विभागों में हिन्दी के कामकाज में हुई प्रगति एवं सरकारी आदेशों के अनुपालन की जानकारी के लिए विहित प्रपत्र में नियमित रूप से तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक विभाग से एक-एक हिन्दी समन्वयन पदाधिकारी विभागीय स्तर पर मनोनीत किये जायं ताकि 'सेल' एवं मंत्रालय को यहां से समेकित तिमाही प्रगति प्रतिवेदन भेजने में सुविधा हो।

9. नव वर्ष के अवसर पर बोकारो स्टील की ओर से छापे जाने वाले शुभकामना-पत्रों (ग्रिटिंग कार्ड) में से 50% शुभकामना-पत्र हिन्दी में तैयार किये जायें ताकि हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अभिवृद्धि हो।

10. समिति के अवकाश प्राप्त सदस्यों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया "राजभाषा कार्यान्वयन समिति अपने भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री धर्मेन्द्र नाथ गुप्त, पुरुषोत्तम दत्त कपिल एवं ओंकार नाथ पांचाल की सेवाओं को मुक्त कंठ से सराहना करती है जिन्होंने बोकारो में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में अपना महत्वपूर्ण सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

तत्पश्चात् समिति ने अवकाश प्राप्त सदस्य श्री धर्मेन्द्र नाथ गुप्त सहायक महाप्रबंधक (विपणन) के स्थान पर श्री यू. एन. झा, अधीक्षक (यांत्रिक) सिंटरिंग प्लान्ट, समिति के भूतपूर्व एवं अवकाश प्राप्त संयोजक एवं मुख्य जन-सम्पर्क पदाधिकारी श्री ओंकार नाथ पांचाल के साथ पर जन-संपर्क विभाग के वर्तमान प्रबंधक श्री संतोष कुमार मेहरोत्रा तथा समिति के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दत्त कपिल मुख्य कार्मिक प्रबंधक की जगह पर वर्तमान अपर मुख्य कार्मिक प्रबंधक श्री बलवीर सिंह को समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत करने का निर्णय लिया गया।

11. राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में कारखाने के सभी विभागों के उचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए समिति ने खान एवं खदान विभाग के प्रबंधक श्री के. के. ओझा को एक नये सदस्य के रूप में मनोनीत करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित लिया।

(ख) कारखाने के बहुसंख्यक विभागों द्वारा की गई देवनागरी टाइपराइटरों की मांगों तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को ध्यान रखते हुए समिति के सदस्यों ने राजभाषा विभाग के और अधिक देवनागरी टाइपराइटर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। अध्यक्ष की सहमति के बाद यह निर्णय लिया कि अभी वर्ष 86-87 में 10 टाइपराइटरों के लिए प्रबन्ध निदेशक का विशेष अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए जिससे हिन्दी में अनिवार्य रूप से किये जाने वाले कामों में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि

अन्य प्रकार की यांत्रिक सुविधाओं की आपूर्ति के संबंध में आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

(ग) बोकारो स्टील के कार्यालयों में हिन्दी कार्यान्वयन की गति प्रदान करने तथा अनुवाद कार्य में तेजी लाने के लिए समिति ने हिन्दी अनुवादकों के रिक्त तीन स्थानों (एक वरिष्ठ तथा दो अनुवादक) को अनुवादक स्तर पर (यदि वरिष्ठ अनुवादक उपलब्ध न हों) ही भरने के लिए शीघ्र कार्रवाई हेतु एक प्रस्ताव पारित किया।

(घ) हिन्दी की प्रगति के सभी पक्षों पर विचार करने के बाद समिति ने यह महसूस किया कि हिन्दी की प्रगति में अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हो जाने के बाद अगली तिमाही की बैठक में हिन्दी के कामकाज में हो रही प्रगति की नियमित जांच के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन पर विचार किया जाएगा।

अन्त में, अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का समापन हुआ।

संतोष कुमार सेहरावत
(प्रबन्धक जन-सम्पर्क
एवं
संयोजक, राजभाषा कार्यान्वयन समिति

4. गोवा

गोवा क्षेत्रीय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक दि. 12-3-86 को दोपहर के 3·00 बजे प्रभागीय प्रबंधक श्री चमनलाल की अध्यक्षता में उन्हीं के कमरे में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

श्री चमनलाल	प्रभागीय प्रबंधक	अध्यक्ष
श्री पी० पोन्नम्बलम	संयुक्त प्रभागीय प्रबंधक	सदस्य
श्री पी० रामलिंग मूर्ति	वित्त व लेखा प्रबंधक	सदस्य
श्री जे० पी० माथुर	उप प्रभागीय प्रबंधक	सदस्य
श्री जे० एन० शर्मा	उप प्रभागीय प्रबंधक (प्रशासन)	सदस्य
श्री निखिल चंद्रा	सहायक प्रबंधक (विधि)	सदस्य
श्री जे० जे० पिटर्स	कार्यालय प्रबंधक (हिंदी)	सदस्य-सचिव

सर्वप्रथम कार्यसूची के अनुसार सदस्य-सचिव ने दि. 13-12-85 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त को पढ़कर सुनाया तथा सभी मुद्दों पर विचार करने के पश्चात उनकी पुष्टि की गई।

सदस्य सचिव ने राजभाषा अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों की प्रति सभी सदस्यों के समक्ष रखी तथा राजभाषा अधिनियमों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हिन्दी को बढावा देने के लिए सभी उपलब्ध सुविधाएं की जा रही हैं तथा इसका सभी अधिकारी/कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कार्यालय के दैनंदिन कार्य में हिन्दी में बातचीत करने से हिन्दी के प्रति लगाव निर्माण हो जाता है तथा हिन्दी में काम करने में आसानी हो जाती है इसलिए यथा संभव हिन्दी में बातचीत करना चाहिएं। उन्होंने कहा कि मुख्यालय में अब हिन्दी प्रभाग गठित किया गया है तथा हिन्दी के कार्य में गति लाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिन्दी टंककों तथा हिन्दी अनुवादकों के अतिरिक्त पद स्वीकृत किए जा रहे हैं तथा हिन्दी कक्ष का विस्तार करने के बारे में उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

सदस्य सचिव ने बताया कि कार्यालय आदेश, परिपत्र द्विभाषिक रूप में जारी किए जाते हैं परन्तु इसके अलावा हिन्दी भाषी क्षेत्र में हमें हिन्दी में पत्र भी भेजना चाहिए। उन्होंने अध्यक्ष महोदय तथा अन्य अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे मुख्यालय को भेजे जानेवाले कुछ पत्र हिन्दी कक्ष को अनुवाद के लिए भेज दें ताकि वे पत्र हिन्दी में जारी किए जा सकें। इस पर सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।

हिन्दी दिवस के बारे में सदस्य सचिव ने सदस्यों को बताया कि भारत सरकार के राजभाषा नीति के अनुसार वर्ष में एक बार हिन्दी दिवस मनाना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1985-86 के लिए दि. 17-3-86 को "हिन्दी दिवस" मनाने के बारे में कार्यक्रम निश्चित किया गया। सदस्य-सचिव ने यह सूचित किया कि गोवा विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा. ए. के. पाण्डेजी को मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया है। इस के अलावा वास्को के अन्य हिन्दी अधिकारियों को भी निमंत्रित किया जाएगा तथा हिन्दी निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि कुछ कर्मचारियों को भी हिन्दी में भाषण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सदस्य सचिव ने आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। हिन्दी के कार्यक्रम के बारे में सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तथा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गयी।

सदस्य सचिव ने बताया कि गोवा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कुछ नए फील्ड कार्यालय सम्मिलित किए गए हैं तथा इससे गोवा क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इन कर्मचारियों का हिन्दी के बारे में कितना ज्ञान है इसके बारे रोस्टर तैयार करना, फील्ड कार्यालय के नाम पट्ट, स्टाफ कार के नाम पट्ट तथा अन्य लेखन सामग्री द्विभाषिक रूप में बनायी गयी है या नहीं इसका निरीक्षण करना आवश्यक है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने सदस्य सचिव को इनफील्ड कार्यालयों को भेंट देकर निरीक्षण करने का आदेश दिया। अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की समाप्ति की गई।

(जे. जे. पिटर्स)
सदस्य-सचिव

5. बरौनी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बरौनी रिफाइनरी की बैठक श्री ए. पी. चौधरी, महाप्रबंधक, अध्यक्ष न.र.का.स. की अध्यक्षता में दिनांक 24 जनवरी, 1986 को समाकक्ष में हुई।

सदस्य उपस्थित :—1. श्री ए. पी. चौधरी, महाप्रबंधक, 2. श्री के. सी. जोजफ, मुख्य कार्मिक एवं प्रशा. प्रबन्धक, सदस्य, 3. डा. (श्रीमती) जे. बिहारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य, 4. श्री आई. जे. आनन्द, अनुरक्षण प्रबन्धक (सिविल), सदस्य, 5. श्री ए. सी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी, सदस्य 6. श्री ए. पी. सिंह, "अनुज" पुस्तकाध्यक्ष, सदस्य, 7. श्री ए. पी. एन. झा, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सदस्य, 8. श्री जे. एन. झा, प्राध्यापक, हि. शि. योजना, सदस्य, 9. डा. हृदयेश कुमार पालीवाल, हिन्दी अधिकारी, सदस्य-सचिव।

विशेष आमंत्रित :—1. श्री एस. एम. दत्ता, उप महाप्रबंधक (सामान्य), 2. श्री आर. एन. साह, वरिष्ठ अनुरक्षण प्रबंधक, 3. मनोरंजन प्रसाद सिंह, वरिष्ठ सहायक (जन-सम्पर्क)

1- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 5 नवम्बर 1985 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा की गयी और कार्यवृत्त के विभिन्न मुद्दों पर की गयी कार्यवाही पर निम्नलिखित सविस्तार चर्चा की गयी;

(क) हिन्दी शिक्षण योजना

सचिव ने समिति को सूचित किया कि शेष 120 अहिन्दी प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों में से 35 अहिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों को जनवरी-मई 1986 के वर्तमान सत्र में प्रवीण और प्राज्ञ कक्षाओं के लिए नामांकित किया गया है। कक्षाएं 22 जनवरी, 1986 से प्रारम्भ हो गयी हैं। हिन्दी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण देने के लिए कक्षाएं चलायी जा रही हैं जिसके अन्तर्गत 7 टाइपिस्ट और 4 स्टेनोग्राफर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वर्ष 1987 के अन्त तक शेष समस्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण करने हेतु ठोस कार्य योजना की रूप रेखा तैयार की जाए।

(ख) देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद

देवनागरी टाइपराइटरों की पर्याप्त संख्या करने की दृष्टि से पांच नए देवनागरी टाइपराइटरों के खरीद के लिए इण्डेन्ट प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये टाइपराइटर 31 मार्च 1986 से पूर्व खरीद लिए जाने चाहिएं।

(ग) विजिटिंग कार्ड और रबर की मुहरें

सचिव ने समिति को सूचित किया कि आज-कल विजिटिंग कार्ड और रबर की मुहरें सम्बद्ध विभाग द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार तैयार करवाए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अब से आगे ये केवल जन-संपर्क विभाग के माध्यम से ही तैयार करवाये जाने चाहिए और इस संबंध में मुख्य कार्मिक एवं प्रशा. प्रबन्धक एक परिपत्र जारी करें।

(घ) साइनबोर्ड और नाम पट्टे

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस संदर्भ में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन 31 मार्च 1986 तक हो जाना चाहिए। जहांतक कार्यालय में लगे नाम पट्टों का प्रश्न है कार्य किसी एक पार्टी को मुख्य कार्मिक एवं प्रशासन प्रबन्धक द्वारा सौंपा जाना चाहिए। सम्मेलन कक्ष में प्रदर्शित फ्लो-डाइग्राम को द्विभाषित रूप में तैयार किया जाय और विभिन्न महाप्रबन्धकों के कार्यकाल को प्रदर्शित करने वाला बोर्ड हिन्दी में भी तैयार कर सम्मेलन कक्ष में लगाया जाए। प्रबन्धक प्रशिक्षण विभाग अपने यहां नियुक्त आर्टिस्ट के द्वारा इस बोर्ड को 31 मार्च 1986 के पूर्व तैयार करवाएं।

(ङ) हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर

सचिव ने समिति को सूचित किया कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के वांछित उत्तर हिन्दी में दिए जा रहे हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में सम्बद्ध विभागों द्वारा आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अब से आगे सभी विभाग अपने यहां हिन्दी में प्राप्त पत्र और उनके दिए गए उत्तरों का रिकार्ड रखें और इस संबंध में मासिक आंकड़े हिन्दी कक्ष को भेजा करें। मुख्य कार्मिक एवं प्रशासन प्रबन्धक इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को अन्तर कार्यालय ज्ञापन भेजें।

(च) अधिनियम की धारा 3(3) उल्लिखित दस्तावेज

सभी परिपत्र, सूचनाएं, सामान्य आदेश, संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुसार द्विभाषिक रूप में जारी होने चाहिए। इस संदर्भ में कोई भूल होने पर मुख्य कार्मिक एवं प्रशासन प्रबन्धक द्वारा इसका निराकरण किया जा सकता है।

(छ) फार्म एवं पंजियों के शीर्ष

सचिव ने समिति को सूचित किया कि मुख्यालय द्वारा सभी फार्मों और पंजियों के शीर्ष का मानकीकरण किया जा रहा है। मुख्यालय में यूनिट स्तर पर व्यवहार के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मानक फार्म प्राप्त हो जाने पर उन्हें द्विभाषी रूप में छपाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी कक्ष इस संदर्भ में मुख्यालय से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखे।

(ज) हिन्दी पुस्तकों की खरीद

समिति ने हिन्दी पुस्तक क्रय समिति द्वारा प्रस्तावित पुस्तकों की सूची की समीक्षा की और निर्णय लिया कि प्रथम चरण में 50 पुस्तकें 31 मार्च 1986 तक खरीदी जाएं। खरीदी जाने वाली पुस्तकों की सूची हिन्दी अधिकारी प्रस्तुत करें और अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के उपरान्त उन्हें खरीदा जाए।

(झ) हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन

सम्पादक मण्डल के सदस्य श्री एम. पी सिंह "अनुज" के सेवा-निवृत होने के कारण उनके स्थान पर नए सदस्य के नामांकन के सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी अधिकारी

अनुमोदनार्थ नाम प्रस्तावित करें। "तेल दर्शन" का अगला अंक पूर्ववत ही निकाला जाय तथा भावी प्रस्तावित विशेषांक के लिए अग्रिम रूप से सामग्रियों का संकलन किया जाए।

2- हिन्दी कार्यशाला

(क) अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मेकेनिकल मैनटेनेन्स के फीड बैक रिपोर्ट/लाग बुक इत्यादि 15-2-1986 से हिन्दी में तैयार की जाए। मार्च, 1986 में प्रस्तावित "ए" श्रेणी के अधिकारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला में मैकेनिकल मैन्टेनेन्स विभाग के अधिकतम अधिकारियों को नामांकित किया जाए।

(ख) **सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा संबंधी वार्ता** सचिव ने सूचित किया कि प्रबंधक प्रशिक्षण ने आश्वासन दिया है कि 1-2-86 के बाद होने वाले सभी कार्यक्रमों में ये वार्ताएं रखी जाएंगी।

(3) **अन्य सुझाव**

सचिव ने समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में पूरी तरह सहयोग दें। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य अपने विभाग विशेष में हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूरक भूमिका का निर्वाह करें।

(हृदयेश कुमार पालीवाल)
(हिन्दी अधिकारी-सह-सदस्य सचिव
राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
बरौनी रिफाइनरी।

6. **भावनगर :**

नगर राजभाषा कार्यानवयन समिति, भावनगर की 11वीं बैठक दिनांक 27-10-1986 को अपराह्न 3.00 बजे मंडल रेल कार्यालय, भावनगर परा के सभा कक्ष में मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में दिनांक 30-9-1985 को समाप्त छमाही में की गई हिन्दी प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, बम्बई से सहायक निदेशक श्री जयप्रकाशजी विशेष रूप से बैठक में उपस्थित थे।

समिति के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री सु. वेंकटरामन जी ने समिति के कार्यालयों के प्रमुखों/प्रतिनिधियों, एवं अन्य उपस्थितों का स्वागत करते हुए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई के सहायक निदेशक श्री जयप्रकाशजी का भी परिचय कराया और बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि समिति की गत बैठक इसी सभा कक्ष में दिनांक 24-5-85 को हुई थी। उसका कार्यवृत्त सभी संबंधितों को दिनांक 1-6-85 को भेज दिया गया था। आपने इंडियन एयर लाइन्स के यातायात अधीक्षक से हवाई बुकिंग में प्रयुक्त भाषा की जानकारी प्राप्त की। पता चला कि टिकट द्विभाषा में छपते हैं। टेलिप्रिंटर और अन्य उपकरण अंग्रेजी में हैं इसलिए स्थानीय तथा अन्तर-राष्ट्रीय बुकिंग में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। यदि यात्री टिकट में हिन्दी का प्रयोग चाहता है तो बुकिंग स्टाफ हिन्दी का प्रयोग करता है। संकलित विवरण की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाते हुए अध्यक्ष महोदय ने बैंकों के कुछ प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की संख्या छमाही के दौरान अपेक्षा से कम होने के कारण पूछे। स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के श्री पांडेजी ने बताया कि बैंकों में अपनायी गई प्रणाली अन्य कार्यालयों से कुछ भिन्न है। इस शंका के निवारण के लिए और अन्य महत्वपूर्ण मदों के बारे में मार्गदर्शन देने का श्री जयप्रकाशजी से अनुरोध किया गया।

श्री जयप्रकाशजी ने सदस्यों को बताया कि अन्य नगरों में बैंकों की समिति का गठन अलग से होता है, उनकी बैठकें अलग होती हैं और उनमें जो निर्णय लिए जाते हैं उनके तदनुसार कार्यान्वयन किया जाता है। आपने विशेष अनुरोध किया कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कार्यालय उत्साह और रूचि लेकर प्रयत्नशील रहें। जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं ऐसे कार्यालयों को नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करने के लिए कार्यवाही जरूरी है। इससे हिन्दी प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक कार्यालय को कम से कम 1 देवनागरी टाइप राइटर खरीदना चाहिए। जिन्होंने अभी तक न खरीदा हो, वे अपने आगामी बैठक तक इसकी व्यवस्था करें। सदस्यों ने प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए विशेष अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि रेल कार्यालय अपेक्षित सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। सदस्य कार्यालय इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। गृह मंत्रालय का पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक केन्द्र खोलने के लिए प्रशिक्षणार्थियों की पर्याप्त संख्या जरूरी है। जयप्रकाशजी राजभाषा विभाग द्वारा चलाये गये पत्राचार पाठ्यक्रम, अनुवाद प्रशिक्षण के संपूर्ण व संक्षिप्त प्रशिक्षण की जानकारी दी। हिन्दी अनुवादक तथा अधिकारी आदि के पद सृजन के बारे में आपने गृह मंत्रालय के दिनांक 20-11-85 को प्रकाशित ज्ञापन का हवाला दिया। हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग की विभिन्न पुरस्कार/प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी और उनसे लाभ उठाने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने चाहा कि नगर राजभाषा समितियों का गठन और प्रचार-प्रसार अभी-अभी शुरू हुआ है। काम करने वालों का उत्साह बढ़ाने के लिए और नये-नये कर्मचारियों को योजना की ओर आकर्षित करने के लिए इनको और उदार बनाना आवश्यक है, 50,000 की शब्द संख्या घटाकर कम करना और प्रोत्साहन/पुरस्कार की राशि बढ़ाना आवश्यक है। 5 दिन का सप्ताह होने से कार्य-दिवसों की संख्या काफी कम हो गई है। सहायक निदेशक ने परामर्श दिया कि समिति की ओर से सुझाव गृह मंत्रालय की संबंधित समिति को भेज दिया जाये। जयप्रकाश जी ने मण्डल रेल प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र और देना बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, को बम्बई में आयोजित दिनांक 14-6-85 को राजभाषा सम्मेलन में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया। इसका

उल्लेख किया और बधाई दी। जयप्रकाशजी ने अनुरोध किया कि प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी से संबंधित कार्य के निपटारे की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंप देनी चाहिए। कुछ फार्म, रूटिन पत्र विवरण आदि आसानी से हिन्दी में बनाये जा सकते हैं। केन्द्रीय तारघर के श्री गुरूकटाक्षमूजी ने कहा कि हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित हिन्दी परीक्षाएं लम्बी अवधि तक चलती हैं। इसमें सुधार होना चाहिए। सहायक निदेशक और अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रायः परीक्षाएं न्यूनतम समय में ही आयोजित की जाती हैं। किसी सत्र में अपरिहार्य कारण से परीक्षा का कार्यक्रम दीर्घ अवधि तक चलाया गया है। अध्यक्ष महोदय ने फिर एक बार सभी सदस्यों से विभिन्न परीक्षाओं में बैठनेवाले कर्मचारियों की सूची और फार्म समय पर इस कार्यालय को भेजने का अनुरोध किया। पर्याप्त संख्या होने पर भावनगर में ही परीक्षा केन्द्र खोलने के लिए इस कार्यालय से उचित कार्यवाही की जायेगी। श्री जयप्रकाशजी ने हिन्दी से संबंधित आवश्यक पदों के सृजन के लिए समिति के कार्यालयों को आग्रह किया। उन्होंने इसके लिए वित्त विभाग से गृह मंत्रालय द्वारा की गई व्यवस्था का उल्लेख किया और कहा कि हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए अनुवादक/हिन्दी सहायक के पदों की नितांत जरूरी है। आपने बताया कि अनुवाद कार्य बहुत जिम्मेदारी और कुशलता का काम है। उसे मामूली नहीं समझना चाहिए। उद्बोधक चर्चा में श्री महेन्द्र प्रसाद पाण्डे, सूर्यनारायण साह, गुरुकटाक्षम्, संजीव निगम, श्री आर. एम. धोलकिया आदि ने सक्रिय भाग लिया।

वि. ग. जोशी
कृते - मंडल रेल प्रबंधक
एवं
अध्यक्ष, नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति, भावनगर

7. रतलाम

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रतलाम की 12वीं बैठक दिनांक 3-2-86 को दोपहर 1.00 बजे रेलवे मंडल कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक श्री रविन्द्र नाथ गोयल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में केन्द्रीय कार्यालयों तथा बैंकों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष एवं मण्डल रेल प्रबंधक श्री गोयल ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। अपने उद्बोधन में आपने कहा "इस बात को ध्यान में रखकर हमें ऐसी हिन्दी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सभी की समझ में आ सके, विशेष रूप से हमारे अहिन्दी भाषा भाइयों को।

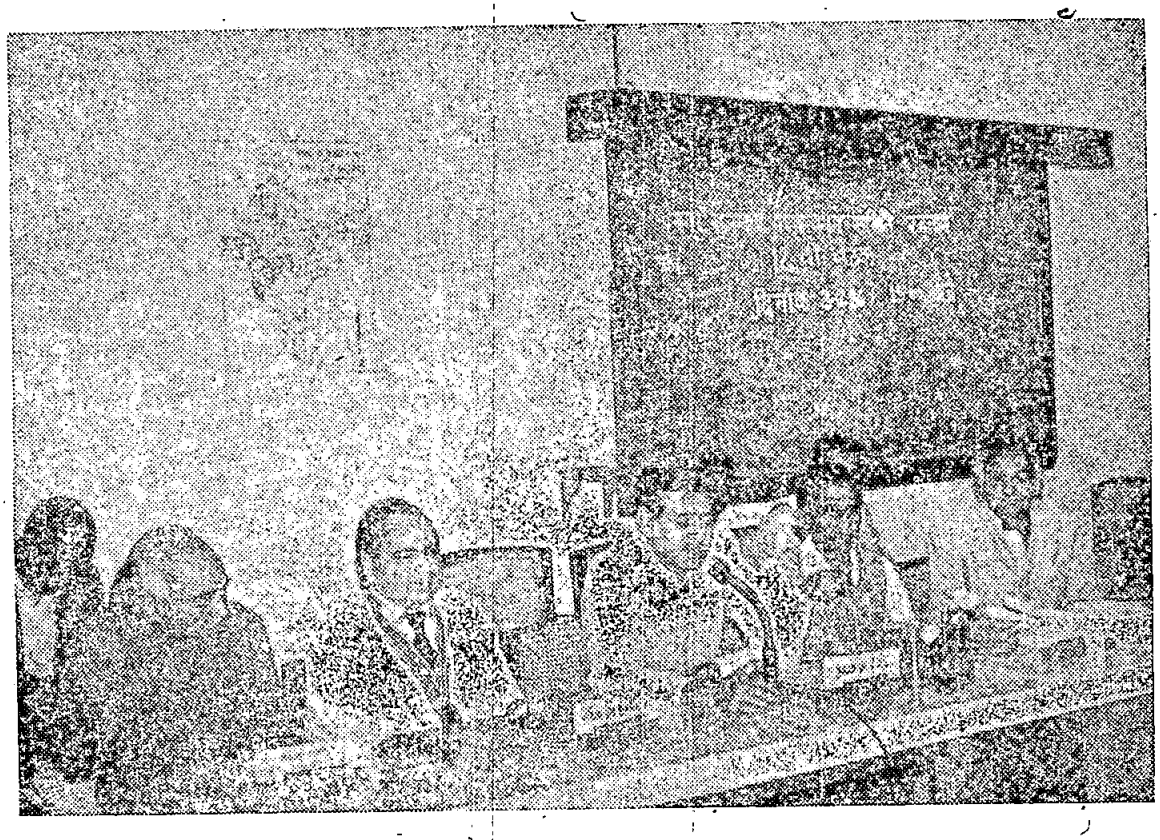

नगर रा. का. समिति रतलाम की बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष एवं मण्डल रेल प्रबंधक श्री रविन्द्र नाथ गोयल। उनकी दायीं ओर समिति के सचिव एवं अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्री तिलकराज बजाज तथा बायीं ओर हिन्दी अधिकारी श्री क. वी. प्रधान और राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री महेशचन्द्र पुरोहित

बम्बई से पधारे राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री महेशचन्द्र पुरोहित ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आप लोगों को उत्साह देख कर प्रसन्नता हो रही है। हमारी संसद ने जो नीति बना दी है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। कार्यान्वयन के संबंध में हमें जो कठिनाई महसूस होती है, उसे हमें शासन के सम्मुख रखना चाहिए।

धारा 3(3) के संबंध में आपने बताया कि अनुवाद मानदेय देकर भी कराया जा सकता है। नियम 11 में मोहरों को द्विभाषी बनाने का प्रावधान है। जैसे ही कोई मोहर द्विभाषी बनवा ली जाए वैसे ही अंग्रेजी की मोहर वापस ले ली जानी चाहिए।

सरकार भी चाहती है कि सरकारी कामकाज की भाषा सरल हो।

समिति के सचिव एवं अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्री तिलक राज बजाज ने समिति के समक्ष कार्यसूची विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि रतलाम के केन्द्रीय कार्यालयों में अशिक्षण के लिए कोई शेष नहीं और सभी कार्यालयों में राजभाषा के प्रति बड़ा उत्साह है। इस बात को बनाए रखने के लिए आपने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में एक स्थानीय शील्ड प्रारंभ करने का प्रस्ताव समिति के विचारार्थ रखा जो सर्वानुमति से पारित किया गया।

बैठक में डाकतार विभाग के प्रतिनिधि श्री रमेशचन्द्र चौहान सहायक इंजीनियर (सूक्ष्म तरंग), श्री के. एल. श्रीवास्तव यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक श्री टी. आर. सेठी, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के शाखा प्रबंधक श्री एम. के. मक्कड़ तथा सेण्ट्रल बैंक के अकाउण्टेंट श्री दत्तात्रय चव्हाण ने अपने विचार व्यक्त किये। श्री चव्हाण ने बताया कि हमारी बैंक की रतलाम तथा मन्दसौर जिलों की समस्त शाखाओं की 27वीं कार्यशाला आज से प्रारंभ हो रही है और हमने अप्रैल, 1986 से समस्त कार्य हिन्दी में करने का संकल्प लिया है।

तिलकराज बजाज
सचिव, न.रा.का. समिति एवं
अपर मण्डल रेल प्रबंधक, रतलाम

8. चंडीगढ़

दिनांक 3 फरवरी, 1986 को चंडीगढ़ में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय, चंडीगढ़ के अंचल प्रबंधक श्री स्वराज कुमार गुप्ता ने की और इसमें श्री पी. आर. कृष्णमूर्ति, संयुक्त मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़, श्री मोहन नारायण महाप्रबंधक (योजना), भारतीय स्टेट बैंक, चंडीगढ़, श्री प्रभु दयाल, अंचल प्रबंधक, स्टेट बैंक पटियाला, चण्डीगढ़, श्री एम. एल. मैत्रेय, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, गृह-मंत्रालय, भारत सरकार, श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, प्रबंधक-राजभाषा, प्रधान कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक सहित अनेक अधिकारियों ने भाग लिया। श्रीमती कविता चौधरी प्रबंधक-राजभाषा, पंजाब नेशनल बैंक अंचल कार्यालय, चंडीगढ़ समिति की सदस्य सचिव हैं।

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक का चित्र—बाएं से सर्वश्री मोहन नारायण शेबड़, महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक, एम. एल. मैत्रेय, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग (बैठक को सम्बोधित करते हुए), स्वराजकुमार गुप्ता, अध्यक्ष (पं. नै. बैंक), महेन्द्र कुमार शर्मा प्रबंधक (पं. नै. बैंक) एवं पी. आर. कृष्णमूर्ति, भारतीय रिजर्व बैंक ।

इस समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 24वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किया गया है। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 14 नगरों में बैंकों की अलग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए जो उक्त नगरों में बैंकों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करेंगी। इन समितियों की बैठकों के आयोजन की जिम्मेदारी विभिन्न बैंकों को सौंपी गई है। चंडीगढ़ के संबंध में यह दायित्व पंजाब नेशनल बैंक को सौंपा गया है।

समिति के अध्यक्ष पंजाब नेशनल बैंक के अंचल प्रबंधक श्री स्वराज कुमार गुप्ता ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को नव-वर्ष की शुभ-कामनाएं देते हुए पंजाब नेशनल बैंक की ओर से उनका अभिनन्दन किया। समिति के गठन की संक्षेप में पृष्ठ-भूमि बताते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके बैंक को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे वह सभी स्थानीय बैंकों के सहयोग से पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि बैंकों में सभी स्थानीय राष्ट्रीय-कृत बैंकों के क्षेत्रीय/अंचल प्रबंधक अथवा प्रशासनिक प्रबंधक एवं अनेक राजभाषा अधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस समिति की बैठकों में विचार-विमर्श करके हिन्दी के प्रयोग में जो कमियां अथवा कठिनाईयां हैं उनका हल ढूंढा जा सकेगा।

सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि इससे पूर्व सर-कारी कार्यालयों एवं बैंकों की यह बैठक भारतीय सर्वेक्षण कार्या-लय में आयोजित की जाती थी परंतु अब भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय के अनुसार बैंकों के लिए एक अलग से समिति गठित की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मार्ग-निर्देशन के अनुसार समिति की बैठकों में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा :--

1. राजभाषा अधिनियम/नियम और बैंकों के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिन्दी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा।
2. हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में किये जाने वाले उपायों पर विचार।
3. इन बैठकों में भाग लेने वाले/कार्यालयों/शाखाओं की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा।
4. हिन्दी के संदर्भ साहित्य, टाइपराइटरों, टाइपिस्टों, आशु-लिपिकों आदि की उपलब्धि की समीक्षा।
5. हिन्दी, हिन्दी टाइपराइटिंग तथा हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श।
6. बैंकों के काम-काज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन।
7. हिन्दी संबंधी पदों के सृजन की स्थिति।
8. बैंकों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सुझाव तथा उन्हें अमल में लाये जाने के उपाय।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री एम. एल. मैत्रेय ने कहा कि यह समिति इस नगर में पहले भी कार्यरत थी परंतु अब बैंकों के लिए अलग से यह समिति गठित की गयी है क्योंकि बैंकों पर भी हिन्दी के अनुपालन का विशेष दायित्व है। उन्होंने सूचित किया कि उनके द्वारा चंडीगढ़ के बैंकों के अनेक कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है तथा उन्होंने पाया है कि यहां राजभाषा नियमों के पालन में अभी कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया :

— कुछ बैंकों द्वारा हिन्दी में प्राप्त कुछ पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं।

— कुछ बैंकों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है।

— कुछ बैंकों में हिन्दी में मूल पत्राचार का प्रतिशत बहुत कम है।

— कुछ बैंकों में हिन्दी के टाइपराइटरों की संख्या बहुत कम है और कुछ में तो हिन्दी टाइपराइटर है नहीं।

विचार-विमर्श के पश्चात समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिए :—

— विभिन्न बैंकों के उच्चाधिकारियों द्वारा आपस में अधिक से अधिक पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाए जिससे कनिष्ठ अधिकारी तथा लिपिक वर्ग के कर्मचारी भी हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रेरित हों।

— शाखाओं द्वारा लेखा विवरण हिन्दी में बनाये जाएं।

— हिन्दी शाखाओं का चयन किया जाए।

— इस प्रकार के कुछ मोहर तथा स्टिकर इत्यादि बनाये जाएं जिससे बैंक कर्मचारी तथा जनता में हिन्दी में काम करने की भावना उत्पन्न हो।

— अंग्रेजी के टाइपराइटरों के अनुपात में हिन्दी के टाइप-राइटरों की संख्या भी बढ़ायी जाए।

समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी है। अध्यक्ष महोदय के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया कि समिति की अगली बैठक में दिसंबर 1985 तथा मार्च 1986 को समाप्त तिमाहियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये जाएं तथा उससे अगली बैठक में मार्च, 1986 तथा दिसंबर 1986 के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये जाएं। सर्व-सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि समिति की अगली बैठक जून 86 से पहले आयोजित कर ली जाए।

महेन्द्र कुमार शर्मा
प्रबंधक- राजभाषा

9. कसौली

संस्थान के निदेशक डा. एस. एन. सक्सेना की अध्यक्षता में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दि. 30 जनवरी, 1986 को बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे—

1. डा. एस. एन. सक्सेना, निदेशक — अध्यक्ष
2. डा. परिमल गुप्ता, उप निदेशक — सदस्य
3. डा. एच. थवानी, उप सहायक निदेशक — सदस्य
4. श्री महादेवन डी., फैक्ट्री मैनेजर — सदस्य
5. श्री कु. र. आहूजा, प्रशासकीय अधिकारी — सदस्य
6. श्री आर. एम. सरकार, लेखा अधिकारी — सदस्य
7. श्री हरिश चन्द्र, पुस्काध्यक्ष ग्रेड-1 — सदस्य
8. श्री प्रीतम सिंह, भण्डार अधिकारी — सदस्य
9. श्री ओम प्रकाश नैथानी, हिन्दी अधिकारी — सदस्य-सचिव

सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज कुछ व्यक्ति यह सोचते हैं कि अंग्रेजी बोलकर दूसरों पर अपना प्रभाव डाला जा सकता है जबकि यदि विचारों के प्रकटीकरण की दृष्टि से देखा जाये तो आज अधिकांश व्यक्ति हिन्दी में अपने भाव अधिक अच्छी तरह प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने दूसरे देशों की मातृभाषा का उदाहरण देते हुए बताया कि एक बार जब वे किसी बैठक में भाग लेने के लिए जर्मनी गये तो वहां पर सारे ही वक्ताओं ने जर्मनी में ही अपने-अपने विचार प्रकट किये। उनका कहना था कि हम भी इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं और कम से कम कार्यालय में तो केवल हिन्दी में बात कर सकते हैं। सदस्य-सचिव ने अध्यक्ष महोदय को उनकी भावनाओं के लिए धन्यवाद दिया और आशा प्रकट की कि उनके इन विचारों का सभी जगह स्वागत होगा और फलस्वरूप सरकारी काम में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग होगा। इसके पश्चात् उन्होंने सदस्य-सचिव से कार्यसूची की मदों पर क्रमवार चर्चा प्रारम्भ करने का आग्रह किया।

सदस्य-सचिव ने समिति को बताया कि सदा की भान्ति इस बार भी समिति की पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों/दिये गये सुझावों पर पूर्ण अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और जहां कहीं किसी भी प्रकार की कमी नजर आयी है उससे सम्बन्धित अनुभाग के प्रभारी अधिकारी को अवगत करा दिया गया है ताकि उसमें पायी जाने वाली कमी दूर हो सके। इसके साथ ही पिछली कार्यवाही की पुष्टि कर दी गयी।

सदस्य-सचिव ने अध्यक्ष महोदय को पिछली तिमाही की प्रगति रिपोर्ट बतायी और कहा कि इस बार राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत कुल 323 कागजात जारी किए गये हैं जिनमें से 316 हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में तथा केवल 7 अंग्रेजी में जारी किए गये हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दी में प्राप्त कुल 1377 पत्रों में से उत्तर दिए जाने वाले सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गये हैं और मूल पत्र लेखन तथा तारों के प्रेषण में भी हमारी प्रगति राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक रही है। तारों के मामले में संस्थान द्वारा जारी की गई कुल 116 तारों में से 72 तार हिन्दी में भेजी गई हैं जो संस्थान के कार्य स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए कहीं अधिक हैं। अध्यक्ष महोदय ने जहां बाकी दूसरी प्रगतियों पर सन्तोष व्यक्त किया वहीं दूसरी ओर 7 कार्यालय आदेश अंग्रेजी में जारी किए जाने के लिए अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। कारण पूछे जाने पर सदस्य-सचिव ने बताया कि वस्तुतः ये कार्यालय आदेश हमें अनुवाद के लिए दिए ही नहीं गये थे और इसलिए अब हमने सम्बन्धित अनुभाग से उन कारणों का उल्लेख करने को कहा है जिनके अधीन विवश होकर उन्हें ये आदेश केवल अंग्रेजी में भेजने पड़े। साथ ही साथ संबंधित अनुभाग को इस दिशा में पूर्णतः सतर्क रहने को कहा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने सदस्य-सचिव से आग्रह किया कि वे सम्बन्धित अनुभाग के स्पष्टीकरण को उन्हें भी बता दें ताकि यदि किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता हुई तो उसे किया जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों से इस दिशा में विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया और कहा कि अनुभाग की किसी भी प्रकार की कमी के लिए संबंधित प्रभारी अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे।

सदस्य-सचिव ने समिति को बताया कि संस्थान के जिन कर्मचारियों को विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया गया था उनसे इस जनवरी में परीक्षा दिलवा दी गयी है। इस कार्य के लिए राजभाषा विभाग द्वारा पुनः केन्द्र तथा परीक्षा संचालन के लिए राजस्थान के हिन्दी अधिकारी को ही नियुक्त किया गया था। इन कर्मचारियों का परिणाम मार्च, 1986 तक आ जाने की सम्भावना है और आशा की जाती है कि इस बार भी हमारे प्रशिक्षणार्थी अच्छे अंक लेकर अच्छा परिणाम दिखायेंगे। हिन्दी-टाइपिंग में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब संस्थान के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो-दो कर्मचारी हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हो गये हैं और अब हम कुछ कार्य उन्हें भी टाइप करने के लिए दे देते हैं ताकि उनका प्रशिक्षण व्यर्थ न जाने पाये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अनुभाग को बता दिया गया है कि वे ऐसे कर्मचारियों से अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करवायें ताकि उनके प्रशिक्षण का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके। अगले प्रशिक्षण के बारे में उनका कहना था कि सम्भाव्यतया दूसरा सत्र जुलाई, 1986 से आरम्भ किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय ने इस पर हिन्दी अधिकारी तथा अनुभाग की प्रशंसा की और कहा कि हिन्दी अधिकारी के आने से पहले इस संस्थान में हिन्दी जानने वाला एक टंकक नहीं था और हिन्दी में अप्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या काफी थी। राजभाषा विभाग की ओर से यहां पर कोई भी सुविधायें उपलब्ध नहीं थी और यहां से प्रशिक्षार्थियों को चण्डीगढ़ अथवा शिमला, जो कि काफी दूरी पर हैं, भेजना संभव नहीं था। हिन्दी अधिकारी ने राजभाषा विभाग से इन सब कार्यों को करने/करवाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया और कहा कि हम देखते हैं कि कालका तथा शिमला से भी प्रशिक्षार्थी इस केन्द्र पर परीक्षा देने आते हैं। यह

उनके परिश्रम का ही प्रतिफल है कि आज हमारे लगभग 28-30 अप्रशिक्षित कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और 17 निम्न श्रेणी लिपिक अब तक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिन्दी अधिकारी का यह प्रयास जारी रहेगा।

हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से सम्बन्धित गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम तथा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के कार्यान्वयन पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए सदस्य-सचिव ने बताया कि वार्षिक कार्यक्रम की प्रत्येक मद पर कार्यवाही की जाती है और इस बात का हर सम्भव प्रयास किया जाता है कि कार्यक्रम की हर मद पर पूर्ण कार्रवाई हो सके। कार्यालय द्वारा "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय और अन्य सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ लगभग 70 प्रतिशत पत्र-व्यवहार हिन्दी में हो रहा है। इसी प्रकार 40 से 50 प्रतिशत तारें हिन्दी में भेजी जा रही हैं। राजभाषा अधिनियम की सभी धाराओं का पालन किया जा रहा है और जहां कहीं कमी दिखाई देती है उसे दूर करने के लिए तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर ली जाती है।

कार्यालय में बनाये गये चैक प्वाइंटों के बारे में बताते हुए सदस्य-सचिव ने बताया कि संस्थान के सामान्य अनुभाग में बनाया गया चैक प्वाइंट प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है और कोई भी स्टेंसिल ऐसा नहीं जा पाता है जो केवल अंग्रेजी में टाइप किया हुआ हो। इसके साथ ही हिन्दी के पत्रों के उत्तर तथा मूल पत्रों के प्रेषण आदि पर भी पूरी-पूरी निगरानी रखी जाती है और जहां इनमें राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन दिखाई देता है उसे सम्बन्धित अनुभाग को वापस कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय ने इस पर कहा कि चैक प्वाइंट से सम्बन्धित कर्मचारियों को अपनी सतर्कता में किसी भी प्रकार की ढील नहीं देनी चाहिए और जहां कहीं राजभाषा अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन या उनकी पुनरावृत्ति दिखाई देती है उन पर तुरन्त कार्यवाही कर ली जानी चाहिए।

हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित अनुदेशों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों की बात चली तो अध्यक्षमहोदय ने पुनः यही दोहराया कि सबसे बड़ी कठनाई तो यही है कि हमारे भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी हिन्दी अधिकारी की सेवायें नियमित नहीं हो पायी है और यहां तक कि तदर्थ नियुक्ति की स्वीकृति भी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है। इस प्रकार एक अधिकारी को, जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा रहा है, परिहार्य कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से यद्यपि कई अनुरोध किए जा चुके हैं लेकिन अभी भी हमें इस दिशा में कोई सफलता नहीं मिल पायी है इसलिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे हिन्दी अधिकारी की सेवाओं को बिना किसी और विलम्ब के नियमित करने/करवाने का कष्ट करें।

हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण तथा अन्य विषयों पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए सदस्य-सचिव ने समिति को बताया कि अबकी बार कसौली स्थित डाकघरों से भी अप्रशिक्षित कर्मचारियों के नाम मंगवाये गये हैं ताकि सामूहिक रूप से जुलाई, 1986 से प्रारम्भ होने वाला प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ किया जा सके और अपने संस्थान के शेष अप्रशिक्षित कार्मिकों को इसी सत्र में प्रशिक्षण दिया जा सके।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए सभा विसर्जित हो गयी।

10. गुड़गांव

मारुति उद्योग लिमिटेड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी बैठक दिनांक 4 फरवरी, 1986 को प्रातः 11.30 बजे प्रबंध निदेशक महोदय के फैक्ट्री स्थित सम्मेलन कक्ष (मध्यतल-1 में प्रबंध निदेशक, श्री रवीन्द्र चन्द्र भार्गव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

1. श्री रवीन्द्र चन्द्र भार्गव, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष 2. श्री एस. नटराजन, निदेशक (वित्त), 3. डा. आर. बी. देशपांडे मुख्य महाप्रबंधक (इंजीनियरी), 4. श्री वी. के. माथुर, मुख्य महाप्रबंधक (क्रय), 5. श्री प. बा. घायलोद, महाप्रबंधक (विपणन एवं विक्रय), 6. श्री डा. एस. गुप्ता, विभागीय प्रबंधक (प्रबंध निदेशक कार्यालय), 7. कमांडर प्र. कु. सिन्हा, विभागीय प्रबंधक (कारखाना प्रशासन), 8. श्री सुशील कुमार राजपाल, विभागीय प्रबंधक (कार्मिक), 9. श्री राजेश कुमार खाण्डल, हिन्दी अधिकारी।

सर्वप्रथम पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। तत्पश्चात् पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के साथ-साथ कार्यसूची पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए:—

स्टेशनरी :—फाइल, फोल्डर, परिचय (विजिटिंग) कार्ड, रजिस्टर, कम्पनी के पत्रशीर्ष द्विभाषी रूप में छपकर आ चुके हैं, जबकि कम्पनी के प्रबंधकों के अर्धशासकीय (डी. ओ.) पत्रशीर्ष दो-एक दिन में छपकर आने की संभावना है।

फार्म : केवल अंग्रेजी में छपे फार्मों के स्टाक की खपत के बाद अब तक कुल सात फार्म हिन्दी-अंग्रेजी में छपकर आ चुके हैं। 48 फार्मों को द्विभाषी छपाई के लिए भेजा जा चुका है और बाकी फार्मों का अनुवाद कार्य जारी है।

साइनबोर्ड : पेंटशाप, एसेम्बली शाप, जिप्सी लाइन और प्रैस शाप में जो नए लगभग 400 साइनबोर्ड लगाए गए हैं उन्हें दोनों भाषाओं में लगाया गया है। जो साइनबोर्ड अभी केवल अंग्रेजी में लगे हैं उन्हें द्विभाषी रूप में तैयार कराने के संबंध में प्रशासनिक निर्देश दे दिए गए हैं। कम्पनी परिसर की सड़कों पर भी नए साइनबोर्ड द्विभाषी रूप में लगाए गए हैं।

रबड़ की मोहरें : प्रशासन प्रभाग, वित्त प्रभाग तथा इंजन एसेम्बली शाप की कुल 25 मोहरें द्विभाषी रूप में बनवा ली गई हैं और शेष विभागों की मोहरों के द्विभाषीकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

मैनुअल तथा प्रचार साहित्य :

1. ट्रांसपोर्ट मैनुअल दोनों भाषाओं में जारी की जा चुकी है।
2. कार्मिक विभाग के सेवा संबंधी नियमों कर अनुवाद करके उन्हें हिन्दी में जारी कराया जा चुका है।
3. प्रचार सामग्री के रूप में कार, वैन और जिप्सी के रंगीन ब्रोशरों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है और उसे छपने के लिए भेज दिया गया है।

तिमाही रिपोर्ट :

हिन्दी की प्रगति से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय और राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी जा रही है। पहली तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान 28 पत्र हिन्दी में भेजे गए और हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। हिन्दी पत्राचार के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कार्मिक प्रभाग को एक देवनागरी टाइपराइटर दिया जाए क्योंकि वहां दो टाइपिस्टों को हिन्दी की टाइपिंग आती है।

हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था : एक द्विभाषी आशुलिपिक का विज्ञापन अखबार में प्रकाशित किया जा चुका है। शीघ्र ही एक हिन्दी अनुवादक के पद का विज्ञापन भी प्रकाशित किया जा रहा है।

मारुति वाहनों पर हिन्दी का प्रयोग : इस संबंध में इंजीनियरी प्रभाग, मारुति वाहनों के स्टीयरिंग व्हील पर हिन्दी में "मारुति" अंकित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। साथ ही, जब मारुति वाहनों की चाबियां भारत में बनने लगेंगी तब उन पर भी हिन्दी में "मारुति" लिखवाया जाएगा।

अहिन्दी भाषी कर्मचारियों की नामावली (रोस्टर) : अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को कामकाजी हिन्दी का अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलाने के लिए उनका एक रोस्टर तैयार किया जा चुका है और कम्पनी को भारत सरकार के राजपत्र (गजट) में अधिसूचित कराने के लिए मंत्रालय को उक्त रोस्टर भेज दिया गया है। इस समय कम्पनी में 98 प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है अथवा हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है। शेष दो प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत फैक्ट्री में ही कामकाजी हिन्दी का प्रशिक्षण दिलाने के लिए गृह मंत्रालय से एक प्रशिक्षक की सेवाएं प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए उठाए गए आवश्यक कदम :

सदस्य सचिव ने बताया कि :

1. दिनांक 14 सितंबर, 1985 को "हिन्दी दिवस" के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
2. दिनांक 10 जनवरी व 14 जनवरी, 1986 को दो चरणों में एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
3. प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 दिसम्बर, 1985 को "जिप्सी" के विमोचन के अवसर पर प्रकाशित ब्रोशर द्विभाषी रूप में छपवाया गया।
4. सभी विभागों/प्रभागों को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित "समेकित प्रशासन शब्दावली" के दो सौ सेट (200) वितरित किए गए हैं।

अधिनियम की धारा 3(3) के कागजात : इस धारा के अन्तर्गत परिपत्र (सरकुलर) अधिसूचना (नोटिफिकेशन) सामान्य आदेश, संकल्प, विज्ञापन, ज्ञापन, प्रैस विज्ञप्ति, टेंडर, कांट्रेक्ट, करार (एग्रीमेंट) प्रशासनिक रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त कागजात आदि दोनों भाषाओं में साथ-साथ।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि समस्त परिपत्र (सरकुलर) अधिकांश विज्ञापन, कार्यालय-आदेश, टेंडर नोटिस, के नियम व शर्तें हिन्दी-अंग्रेजी में साथ-साथ जारी की जा रही हैं। साथ ही, कम्पनी के विभिन्न विभागों द्वारा जारी शेष समस्त विज्ञापनों को भी नियमित रूप से हिन्दी के दैनिक समाचार-पत्र में भी छपवाने का निर्णय लिया गया।

3. कम्पनी के प्रतीक चिन्ह (लोगों) का द्विभाषीकरण

कम्पनी के प्रतीक चिन्ह (लोगों) का हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में तैयार कराने के लिए उसका द्विभाषी डिजाइन तैयार कराने का सुनिश्चिय किया गया है।

4. अन्त में सदस्य-सचिव ने समिति को बताया कि वर्ष 85-86 का कार्यक्रम साइक्लोस्टाइल करवाकर विभागीय प्रबंधकों को भेज दिया गया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अधिनियम और नियमों का सारांश भी पृथकतः एक परिपत्र (सरकुलर) के माध्यम से जारी किया जाए।

राजेश कुमार मण्डल
सदस्य सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11. जयपुर

जयपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 11 वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर 85 को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान, जयपुर में श्री सुशील चन्द्र आनन्द महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें भारत सरकार, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली की ओर से श्री एम. एल. मैत्रेय, अनुसंधान अधिकारी सम्मिलित हुए तथा श्रीमती रजनी बत्रा, सदस्य सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इण्डियन एयरलाइन्स, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली विशेष रूप से पधारीं।

बैठक का शुभारम्भ, समिति के सचिव श्री असित कुमार मैत्र, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) ने अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि तथा उपस्थित विभागाधीक्षों, कार्यालयाध्यक्षों तथा अन्य प्रतिनिधि अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत किया और बताया कि राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री एम. एल. मैत्रेय हिन्दी की समस्याओं के समाधान तथा सुझावों आदि पर भी चर्चा करेंगे। श्री मैत्र ने समिति के अध्यक्ष महोदय से नगर के सदस्य कार्यालयों से प्राप्त हिन्दी की प्रगामी प्रगति से सम्बन्धी प्रतिवेदनों में दर्शायी गई स्थिति तथा वार्षिक कार्यान्वयन उपलब्धियों की समीक्षा करेंगे।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री सुशील चन्द आनन्द, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर ने छमाही प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस बार 91 सदस्य कार्यालयों में से मात्र 49 कार्यालयों से ही प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जो कि खेद का विषय है। पिछली बार इससे अधिक कार्यालयों ने अपने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे और आशा की गई थी कि अगली बार (इस बैठक हेतु) अधिक कार्यालय अपने प्रगति प्रतिवेदन भेजेंगे परन्तु ऐसा न होकर, इस बार प्रगति प्रतिवेदन भेजने वाले कार्यालयों की संख्या घट गई है। अध्यक्ष महोदय ने प्रगति प्रतिवेदन भेजने वाले कार्यालयों की घटती संख्या के अतिरिक्त सदस्य कार्यालयों से पधारे प्रतिनिधि अधिकारियों की अल्पसंख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सभी सदस्यों का ध्यान राजभाषा विभाग के उन आदेशों की ओर दिलाया जिनमें "नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों के सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और आशा व्यक्त की, कि अगली बैठकों में वरिष्ठ अधिकारी ही उपस्थित होंगे। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं जिनका कार्यान्वयन सदस्य कार्यालयों को करना होता है। इसलिये, यदि कार्यालयाध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित होंगे तो समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों पर ठीक रूप से अमल हो सकेगा।

इसके बाद प्रतिवेदनों के आधार पर सदस्य कार्यालयों में हिन्दी का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या, हिन्दी के आशुलिपिकों व टंककों की संख्या, सदस्य कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या, हिन्दी में भेजे गये मूल पत्रों की संख्या, हिन्दी व अंग्रेजी में दिये गये पत्रों की संख्या, हिन्दी में लिखे गये निरीक्षण प्रतिवेदनों आदि की संख्या तथा द्विभाषी जारी किये जाने हेतु अपेक्षित तथा जारी किये गये सामान्य आदेश, अधि-सूचनाएं विज्ञप्तियां, संविदाएं तथा निविदाओं आदि की संख्या तथा द्विभाषी नाम पट्ट, साइन बोर्ड रबड़ स्टाम्पस आदि की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मात्र लक्ष्य प्राप्त करना या संतोषजनक आंकड़े प्रस्तुत कर देना ही पर्याप्त नहीं है, उसके आगे भी कार्य करना, इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त रहेगा। उन्होंने विभागाध्यक्षों से आग्रह किया कि भविष्य में टाइपराइटर हिन्दी के ही क्रय करें और ध्यान रखें कि राजकाज में हिन्दी की प्रगामी प्रगति हेतु उनका अधिकाधिक प्रयोग भी हो।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने सदस्य कार्यालयों का ध्यान, भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.), राजस्थान, जयपुर में चलाये जा रहे हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र तथा हिन्दी शिक्षण योजना की ओर आकर्षित किया और समस्त सदस्य कार्यालयों से आग्रह किया कि वे -

(i) हिन्दी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु फरवरी 1986 से प्रारम्भ होने वाले सत्र में अधिकाधिक कर्मचारी भेजें तथा पूर्व प्रशिक्षित हिन्दी टाइपस्टों तथा आशुलिपिकों की सेवाओं का भरपूर लाभ उठायें तथा

(ii) हिन्दी न जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण तथा प्रबोध प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं हेतु अधिकाधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित/नामित कर योजना का भरपूर लाभ उठायें।

चूंकि वार्षिक कार्यक्रम में जयपुर नगर को राजकाम में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के सघन प्रयास हेतु चुना गया है, अतः हमारा दायित्व है कि जयपुर नगर स्थित कार्यालयों के राजकाज में हिन्दी का गहन प्रयोग किया जावे तथा राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को अधिक सक्रिय बनाया जावे। उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों आदि से पुन. अनुरोध किया कि वे भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु यथा सम्भव समुचित कदम उठायें और वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारण लक्ष्य यथाशीघ्र प्राप्त करें।

समीक्षा के बाद, अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा विभाग के विशेष प्रतिनिधि श्री एम. एल. मैत्रेय से सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में और गति लाने हेतु मार्ग दर्शन तथा इस संबंध में उच्च स्तरीय निवेदन/गतिविधियों आदि की जानकारी सुलभ कराने हेतु निवेदन किया परन्तु श्री मैत्रेय ने पहले आगन्तुक अधिकारियों से उनके सुझाव समस्यायें आदि रखने का आग्रह किया उनका उत्तर वे अपने समापन भाषण में दे सके।

विभिन्न सदस्य कार्यालयों से पधारे अधिकारियों में से सर्वप्रथम केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क सभाहर्तालय, जयपुर के हिन्दी अधिकारी श्री अश्विनी कुमार ने निराशा के साथ कहा कि राजभाषा विभाग न तो प्रश्नों के उत्तर देता है और न सुझावों पर ध्यान देता है। उन्होंने राजभाषा विभाग से प्रकाशित "राजभाषा संदेश" में छपे विवरणों के बारे में भी प्रश्न किये।

पश्चिम रेलवे मण्डल कार्यालय, जयपुर के हिन्दी अधिकारी श्री एम. एस. सांखला ने सुझाव दिया कि हिन्दी की प्रगति के लिए हमें कुछ हिन्दी की गतिविधियां, जैसे वाद-विवाद, प्रतियोगिता निबन्ध तथा आलेखन आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित करनी चाहिए तथा राजकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा रहे कार्यालयों के कार्य का मूल्यांकन कर प्रोत्साहित किये जाने हेतु पारितोषिक आदि दिये जाने की व्यवस्था भी की जावे।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर के हिन्दी अधिकारियों श्री महेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग हिन्दी

अधिकारियों के संस्तुति पत्र अंग्रेजी में भेजता है। संघ लोक सेवा आयोग, आजादी के 38 वर्षों बाद भी हिन्दी अधिकारियों के नियुक्ति पत्र अंग्रेजी में भेजकर राजभाषा विभाग के सामने चुनौती का कार्य कर रहा है।

क्षेत्रीय निदेशक, इन्डियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली कार्यालय में कार्यरत, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली की सदस्य सचिव, श्रीमती रजनी बत्रा, जो इन्डियन एयरलाइन्स, जयपुर के स्टेशन अध्यक्ष के साथ विशेष रूप से पधारी थी, ने शिकायत की कि आज की इस बैठक की सूचना उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उन्हें वार्षिक कार्यक्रम भी नहीं मिला, जिससे वे प्रगति प्रतिवेदन देने में असमर्थ रही। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा को अध्यक्ष महोदय ने पढ़ा है, उसकी एक एक प्रति उपस्थित अधिकारियों को दे दी जाती तो सभाव देने व कठिनाइयों का समाधान आदि पूछने में आसानी रहती।

श्री वेद प्रकाश ने बताया कि हिन्दी अधिकारियों के कभी एक पद, कभी 2-3 पद विज्ञापित होते हैं। क्यों नहीं, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में एक बार हिन्दी अधिकारियों की परीक्षा आयोजित करली जावें। इसी बीच एक सुझाव यह भी आया कि हिन्दी से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया जाये। उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाये, जिससे हिंदी की प्रगति राजभाषा विभाग के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र हो सके। अन्य आगन्तुकों ने हिन्दी भाषा को सरल बनाने पर जोर दिया। हिन्दी, संस्कृत का रूप न ले, इस ओर भी ध्यान आकर्षित कराया गया।

प्रश्न काल के पश्चात्, राजभाषा विभाग के विशेष प्रतिनिधि श्री एस. एल. मैत्रेय, अनुसंधान अधिकारी, ने स्पष्ट किया कि यह हर विभाग/कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी का दायित्व है कि वह देखे कि उसके विभाग/कार्यालय में हिन्दी में राजकाज कितना और कैसे हो रहा है। राजभाषा विभाग के आदेशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं। अत: उन्हीं से अपेक्षा की जाती है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक में वे स्वयं भाग लें। श्री मैत्रेय ने बताया कि अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी भाषी लोगों से ज्यादा राजकाज हिन्दी में करते हैं। हिन्दी भाषा क्षेत्रों में हिन्दी की प्रगति के बारे में चिन्ता व्यक्त की और कहा कि हिन्दी मात्र आंकड़ों में बढ़ रही है, कामकाज में नहीं उन्होंने अधिकाधिक कार्य हिन्दी में किये जाने हेतु प्रेरित किया।

राजकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति हेतु सुझावों, कठिनाइयों व अन्य समस्याओं आदि के लिये उन्होंने राजभाषा की ओर से आमंत्रित किया और विश्वास दिलाया कि कठिनाइयों का समाधान किया जावेगा, सुझाव पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जावेगा।

श्री मैत्रेय ने 19 सितम्बर, 1985 को दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न राजभाषा सम्मेलन की ओर आगन्तुकों का ध्यान आकर्षित कर बताया कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार इस सम्मेलन में विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, राष्ट्रीयकृत बैंकों के उच्च पदाधिकारी, भारत सरकार के सचिव, संयुक्त सचिव तथा अवर सचिव आदि स्तर के लगभग डेढ़ हजार उच्च अधिकारी उपस्थित थे। उस सम्मेलन में निश्चय किया गया कि लोग हिन्दी में काम करें, अधिक काम करें, शत प्रतिशत काम हिन्दी में करें। प्रधानमंत्रीजी की बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी की प्रगति रिकार्ड में न हो, वरन् साक्षात कामकाज में हो। रिकार्ड के अनुसार लोग 90 प्रतिशत काम हिन्दी में करते हैं जबकि सच माना जाए तो लोग इतना काम हिन्दी में नहीं करते। लोगों को राशि भत्ते के लिए हिन्दी में काम नहीं करना चाहिए वरन् राजभाषा की प्रगति के लिए हिन्दी में काम करना चाहिए। हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण में मिलने वाली राशि की चर्चा करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भत्ता उसे ही मिलेगा जो राजभाषा हिन्दी की प्रगति के लिए वास्तव में काम करते हैं। उन्होंने इस बात को दुहराया कि हिन्दी में काम काज के निरीक्षण का दायित्व सर्वोच्च अधिकारी का है। यदि रिकार्ड में हिन्दी में कामकाज हो रहा है और वास्तविकता इसके विपरीत है तो सर्वोच्च अधिकारी का दायित्व बनता है। आदेशों के क्रियान्वयन तथा योजना की असफलता के लिये सर्वोच्च अधिकारी का दायित्व बनता है।

उन्होंने हिन्दी तथा अंग्रेजी के कार्य का स्पष्ट उल्लेख किये जाने पर भी बल दिया। लोगों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इतना कार्य हिन्दी में करेंगे और इतना कार्य अंग्रेजी में करेंगे। अधिकारियों को भी हिन्दी में काम करने की मात्रा निश्चित करनी चाहिए। "क" क्षेत्र के लिए उन्होंने शत प्रतिशत काम हिन्दी में करने को कहा।

श्री मैत्रेय ने, भारत सरकार द्वारा हिन्दी को राजभाषा चुनने का कारण स्पष्ट करते हुए बताया कि हिन्दी अधिक लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है और भारत सरकार हिन्दी के प्रचार व प्रसार हेतु निरंतर प्रयत्नशील भी है।

विभिन्न सदस्य कार्यालयों से प्राप्त अर्द्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों का अवलोकन कर उन्होंने कहा कि कई कार्यालय राजभाषा विभाग के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रालयों में राजभाषा विभाग के आदेशों का अनुपालन शतप्रतिशत हो रहा है, जबकि विभागों में आदेशों के अनुपालन तथा हिन्दी में राजकाज की स्थिति सन्तोषजनक नहीं। हिन्दी मूल भाषा होनी चाहिए गोपनीय प्रतिवेदनों में भी कर्मचारी द्वारा हिन्दी के ज्ञान व कामकाज की स्थिति का उल्लेख होना चाहिए।

प्रगति प्रतिवेदनों को पूरा एवं स्पष्ट भरे जाने पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि प्रतिवेदन, प्रपत्र संशोधित किया गया है जो शीघ्र ही उपलब्ध होगा।

हिन्दी प्रशिक्षण के बारे में उन्होंने बताया कि लोग फार्म भरते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, कार्यालय से समय की छूट व भत्ता भी प्राप्त करते हैं परन्तु हिन्दी में कार्य नहीं करते।

सभी प्रशिक्षित व्यक्तियों को हिन्दी में ही कार्य करने हेतु श्री मैत्रेय ने प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि टाइपिस्टों व आशुलिपिकों को हिन्दी में कार्य करने पर जो प्रोत्साहन भत्ता मिलता था उसकी अवधि छः महीने और बढ़ा दी गई है।

हिन्दी के कामकाज से संबंधित पदों के सृजन के बारे में बताया कि हिन्दी के लिये 22 पद स्वीकार किये गये हैं। वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि जहां हिन्दी पदों की आवश्यकता है वहां प्राथमिकता के साथ हिन्दी पदों का सृजन हो सकता है।

उन्होंने मूल पत्राचार हिन्दी में ही किये जाने पर बल दिया। टिप्पण एवं आलेखन हिंदी में ही किया जाना चाहिए। उन्होंने सामान्य कार्यालयी कामकाज हिंदी में शत प्रतिशत किये जाने पर बल दिया। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जावे। सामान्य आदेश आदि द्विभाषी होने चाहिए। कार्यालयों में आदि निश्चित रूप से द्विभाषी होने चाहिए। कार्यालयों में वातावरण भी हिन्दी की प्रगति के अनुकूल होना चाहिए। अन्त में उन्होंने स्पष्ट किया कि हिन्दी में कामकाज से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को सीधे राजभाषा विभाग से जोड़ना मुश्किल बताया क्योंकि पूरे भारत में इस कार्य पर लगे सभी कर्मचारियों को सीधे निदेशन, मार्गनिदर्शन तथा मूल्यांकन कठिन होगा। तदुपरान्त लम्बे भाषण का समापन करते हुए श्री मैत्रेय ने सभी आगन्तुकों का आभार प्रदर्शित करते हुए उन्हें हिन्दी की प्रगति के लिए कार्य करते रहने हेतु प्रेरित किया।

अन्त में बैठक के अध्यक्ष श्री सुशील चन्द आनन्द, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ने इन्डियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली की श्रीमती बत्रा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हम मात्र जयपुर के लिये ही यह बैठक आयोजित करते हैं, किसी अन्य नगर के लिए नहीं।

अमित कुमार मैत्र
सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन
समिति जयपुर एवं
(प्रशासन)
वरिष्ठ उप महालेखाकार
प्रशासन

12. कोटा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कोटा की आठवीं बैठक मण्डल रेल प्रबन्धक श्री एम. के. कौल की अध्यक्षता में दि. 10/1/86 को मण्डल कार्यालय के बोर्ड रूम में सम्पन्न हुई।

बैठक में अध्यक्षीय भाषण में श्री कौल ने उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि बैठक में अनुपस्थिति अवांछित है और सभी कार्यालय प्रधान को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए कि वे बैठक में उपस्थित हों। आपने सभी सदस्यों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं तथा आशा व्यक्त की कि आप सभी नव वर्ष में नये उत्साह के साथ सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की गति में तेजी लायेंगे तथा हिन्दी के प्रसार में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेंगे।

अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबन्धक श्री एम. के. कौल, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोटा की 8वीं बैठक को सम्बोधित करते हुए।

श्री कौल ने उपस्थित अधिकारियों को आव्हान किया कि संविधान में हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है अतः हम सभी का परम कर्त्तव्य हो जाता है कि राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्य में दिलचस्पी लें। आपने इस सम्बन्ध में बने नियमों, अधिनियमों एवं उपबन्धों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

उपस्थित सदस्यों को सम्बोधन करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि हिन्दी की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी किया गया है और उसके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें हर सम्भव प्रयास करने हैं। हिन्दी की चर्चा करते हुए आपने कहा कि बहुत से कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग अच्छा रहा है किन्तु कुछ कार्यालयों में कमी है इसे हमें दूर करना है। आपने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग की अपेक्षा की।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे। श्री ओ. पी. अरोड़ा, अपर मण्डल रेल प्रबन्धक, श्री एस. पी. जैन, सूचना अधिकारी, गजेन्द्र जैन, उप प्रबन्धक (जन सम्पर्क) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., श्री के. पी. टण्डन प्रशासनिक अधि., आर.ए.पी.पी., श्री किशन रतनानी, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, श्री एस. आर. मीना, दुर्ग अभियन्ता, श्री एस. डी. शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा, श्री राजाराम, अधी. सेन्ट्रल व्हियर हाउसिंग कारपोरेशन, श्री गोपाल सिंह, प्रशासनिक अधि. भारी पानी संयंत्र, श्री पुरुषोत्तमदास खण्डेलवाल, सहायक भविष्यनिधि आयुक्त, श्री एस. वीरास्वामी, प्रशासनिक अधिकारी भूमि जल संरक्षण केन्द्र, श्री प्रेमचंद वैरवा, राजभाषा अधिकारी सेन्ट्रल बैंक, श्री जगदीश लाल माथुर, उपमुख्य इंजी. (स. नि.), श्री नर्गदेश्वर चौबे, कार्यपालक सहायक, श्री कहान सिंह, सहायक निदेशक प्रभारी लघु उद्योग सेवा संस्थान, श्री केशर लाल वैरवा, व. सहायक भारतीय खाद्य निगम, श्री सीताराम जे. दिवाकर, श्री कन्हैया लाल, उपाध्यक्ष, श्री रामचरण यादव, श्री ग्यारती लाल, वीरेन्द्र प्रसाद शर्मा, हिन्दी सहायक एवं श्री रामरतन मीना, व. लि. मण्डल कार्यालय, प. रे. कोटा। समिति में इस समय 50 सदस्य हैं।

अध्यक्षजी ने अधिकांश कार्यालयों द्वारा हिन्दी में काम करने पर सन्तोष जाहिर किया। उन्होंने धारा 3(3) से सम्बन्धित कागजात एवं हिन्दी तार नियमानुसार जारी करने को कहा। हिन्दी कार्य करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए उपमुख्य इंजी. (स. व. वि.) श्री माथुर ने केज्युअल टाइपिस्ट लगाने सम्बन्धी समस्या रखी। अध्यक्षजी ने इसे उचित स्तर पर उठाने को कहा। श्री जैन सूचना अधिकारी ने टाइपिस्ट व स्टेनो को हिन्दी प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया। भारी पानी संयंत्र के प्रतिनिधि ने हिन्दी के न्यूनतम पदों को भरा जाने को कहा। सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग के प्रतिनिधि ने अपना कार्य संतोषजनक बताया। गैरीशन इंजी. ने अपने कार्यालय में हिन्दी के टाइपिस्ट व स्टेनो. के पद न होना बताया। अध्यक्षजी ने सुझाव दिया कि पहले अधिक से अधिक हिन्दी में पत्र हाथ से लिख कर जारी किया करें। क्षेत्रीय अधिकारी श्री रतनानी ने बताया कि उनका विभाग प्रचार शाखा से सम्बन्धित है उनका विभाग समय-समय पर हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित करता रहता है। आर.ए.पी.पी. के प्रतिनिधि श्री टण्डन, इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि. के श्री जैन, एवं सेन्ट्रल बैंक के श्री प्रेमचंद वैरवा ने अपना कार्य संतोषप्रद बताया।

ताराचन्द

सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

13. नई दिल्ली

श्री आर. के. पोहानी की अध्यक्षता में दिनांक 20-2-86 को अपराह्न 3.00 बजे विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अठाहरवीं बैठक संपन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया :—

सर्वश्री

1. आर० के० पोहानी	कार्यपालक, इंजीनियर	अध्यक्ष
2. प्रकाश सिंह	सहायक इंजीनियर	सदस्य
3. ओ० पी० अरोड़ा	मुख्य नक्शानवीस	सदस्य
4. एस० पी० मेहरा	सहायक इंजीनियर	सदस्य
5. बेला सिंह	सूखापाल	सदस्य
6. कमल सिंह	सहायक निदेशक	अतिथि
7. अरूणा चावला	अ० श्रे० लि०	सदस्य

इस तिमाही में इस कार्यालय में हिन्दी पत्राचार में प्रगति 64% से 66% तक पहुंच गयी है जो, पिछली तिमाही में 2% अधिक एवं 60% के लक्ष्य से 6% अधिक है। निरन्तर हुई इस प्रगति पर अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की एवं सभी उपस्थित सदस्यों को निर्देश दिया कि वे सभी कर्मचारियों अधिकारियों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरित करें, जिससे इस प्रगति को और अधिक आगे पहुंचाया जाए।

अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि इस बार हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के फरवरी सत्र में श्री रघुबीर, अवर श्रेणी लिपिक को दिनांक 10-2-86 से प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। उक्त कथ्य पर श्री कमल सिंह, (1) सहायक निदेशक (हिन्दी) ने प्रस्ताव किया कि हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए अधिक सदस्यों को भेजा जाए। उपस्थितगणों ने इस सम्बन्ध में कहा कि मंडल में काम की अधिकता के कारण एक से अधिक व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिए भेजना उपयुक्त न होगा।

सहायक निदेशक (हिन्दी) ने यह भी प्रस्ताव पेश किया कि अंग्रेजी आशुलिपिक को भी हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए। इस सम्बन्ध में उन्हें सूचित कर दिया गया

कि अंग्रेजी आशुलिपिक को हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

श्री बेला सिंह, लेखापाल से एक्सटेन्शन आफ टाईम के पत्र को जारी के सम्बन्ध में पूछे जाने पर उन्होंने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि इस तिमाही में कोई भी ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ है। भविष्य में इस पत्र को हिन्दी में जारी किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा भविष्य में पचास हजार रुपये तक की राशि के सभी चैक हिन्दी में ही बनाए जाने की मांग की गई।

अध्यक्ष महोदय को हिन्दी टंकण यंत्रों की खरीद के बारे में परिमंडल कार्यालय के साथ हुए पत्राचार के बारे में बताया गया कि अनेक अनुस्मारकों के लिखे जाने के बावजूद भी वहां से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

इस सम्बन्ध में श्री कमल सिंह, सहायक निदेशक (हिन्दी) ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वह स्वयं यह जिम्मेदारी लें और अधीक्षक, इंजीनियर के कार्यालय में जाकर इस पर उचित कार्यवाही करवाएं।

सेवा पुस्तिकाओं में सभी प्रविष्टियों को हिन्दी में किये जाने पर श्री कमल सिंह ने कहा कि इन्हें भविष्य में भी हिन्दी में किये जाने का प्रयास जारी रखना चाहिए।

लेखापाल से पूछने पर कि क्या लेखा टिप्पणी हिन्दी में की जा रही है, उन्होंने उत्तर दिया कि लेखा टिप्पणी जहां जरूरत पड़ेगी, हिन्दी में की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि इस कार्यालय में इन्क्म्बेंसी टी एंड पी रजिस्टर, मस्टर रोल रजिस्टर, एम. बी. रजिस्टर और इन्डेन्ट रजिस्टर में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है।

श्री कमल सिंह, सहायक निदेशक (हिन्दी) ने सूचित किया कि यह आदेश है कि इन रजिस्टरों में शीर्ष द्विभाषी होने चाहिए, एवं इन्दराज (एंटरी) केवल हिन्दी में होनी चाहिए इस पर श्री एस.पी. मेहरा, सहायक इंजीनियर ने कहा कि साइट आर्डर बुक में हिन्दी में इन्दराज (एंटरी) नहीं हो सकती, ऐसा सम्भव नहीं है।

इसके अतिरिक्त श्री कमल सिंह, सहायक निदेशक (हिन्दी) ने कहा कि जिन कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकतम कार्य करने की प्रवीणता प्राप्त है उन्हें हिन्दी में काम करने वाला कर्मचारी घोषित कर दिया जाए।

हिन्दी में अधिकतम कार्य करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार, योजना के अन्तर्गत पुरस्कारों से सम्मानित करने के सम्बन्ध में सहायक निदेशक (हिन्दी) को सूचित किया कि इस मंडल तथा उपमंडलों से अभी तक किसी ने भी इस कार्य का ब्यौरा नहीं रखा है। भविष्य में इस का ख्याल रखा जाए।

आर. के. पोहानी
कार्यपालक इंजीनियर
लोक निर्माण विभाग मंडल-25
(दि. प्र.) नयी दिल्ली

14. इलाहाबाद

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद की पांचवीं बैठक (16-11-1984) में विभिन्न सदस्य कार्यालयों-प्रमुखों/अध्यक्षों की यह मांग थी कि इस समिति के अन्तर्गत एक "राजभाषा सम्पर्कदल" गठित किया जाए, जो विभिन्न सदस्य कार्यालयों में जाकर वहां पर हिन्दी प्रगति सम्बन्धी निरीक्षण करें और वहां पर पायी गई कमियों/समस्याओं के बारे में अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करें। इस बैठक में उपस्थित राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने भी इस निर्णय का स्वागत किया था और इसे अत्यन्त उपयोगी कदम बताया था।

उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार "राजभाषा सम्पर्क-दल" गठित करने के सम्बन्ध में दिनांक 4-7-1985 को विभिन्न सदस्य कार्यालयों के हिन्दी अधिकारियों/प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में "राजभाषा सम्पर्कदल" के कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य, सदस्यों की संख्या, सम्पर्कदल की स्थिति एवं अवधि तथा उसकी कार्य-प्रणाली आदि के सम्बन्ध में विधिवत् विचार किया गया। "राजभाषा सम्पर्कदल" की पहली बैठक (4-11-1985) के अनुसार सम्पर्कदल को, भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, क्रमशः नैनी क्षेत्र (पूर्वी क्षेत्र), इलाहाबाद शहर (मध्य क्षेत्र) व पश्चिमी क्षेत्र के रूप में 3 उपदलों में बांटा गया। प्रत्येक उपदल में विभिन्न सदस्य कार्यालयों के 5-5 सदस्य हैं। इनमें 1. श्री योगेश चन्द्र शुक्ल, हिन्दी अधिकारी, भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, 2. श्री रामअधार सिंह, हिन्दी अधिकारी, केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय, इलाहाबाद व 3. श्री चन्द्र पाल शर्मा, हिन्दी अधिकारी, नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, बमरौली, इलाहाबाद को क्रमशः पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र व पश्चिमी क्षेत्र के संयोजक के रूप में नामित किया गया है। उक्त 15 सदस्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के नगर समन्वय समिति, इलाहाबाद के नगर मंत्री श्री विद्याधर पाण्डेय को भी सहायक के रूप में नामित किया गया है। वे अपनी सुविधा अनुसार, "राजभाषा सम्पर्कदल" के निरीक्षण-कार्यों में यथोचित सहयोग प्रदान करते हैं। "राजभाषा सम्पर्कदल" जिन-जिन सदस्य कार्यालयों में जा रहा है वहां-वहां उसका काफी स्वागत किया जा रहा है। "राजभाषा सम्पर्कदल" द्वारा अब तक 9 विभिन्न सदस्य कार्यालयों में हिन्दी प्रगति संबंधी निरीक्षण किया जा चुका है। दिनांक 15-11-1985 को सम्पन्न हुई नगर राजभाषा कार्यान्वयन, समिति, इलाहाबाद की छठी बैठक में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के निदेशक श्री बी. एन. सिंह ने भी राजभाषा सम्पर्कदल के कार्य-कलापों के आधार पर इस नगर की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।

आशा है कि इस "राजभाषा सम्पर्कदल" द्वारा विभिन्न सदस्य कार्यालयों में हिन्दी प्रगति सम्बन्धी निरीक्षण से हिन्दी में कार्य करने सम्बन्धी कठिनाइयों का कुछ हद तक समाधान अवश्य हो सकेगा और हिन्दी की प्रगति और बढ़ सकेगी।

केवार नाथ
आयकर आयुक्त, इलाहाबाद

15. मथुरा

मथुरा रिफायनरी में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भारत सरकार के राजभाषा विभाग की ओर से मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से आये केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक श्री भैरव नाथ सिंह ने अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि हमें राजभाषा हिन्दी को सरकारी कामकाज में प्रयोग करना है। राजभाषा हिन्दी का स्वरूप नहीं बल्कि व्यावहारिक हिन्दी होगा जिसे जन साधारण समझ सके और अधिकारीगण भी आसानी से लिख सकें। शब्दों के लिये रुकें नहीं, अंग्रेजी, उर्दू व प्रांतीय भाषाओं के शब्दों को अपनाते हुये उनका निस्संकोच प्रयोग करें। उन्होंने मथुरा रिफाइनरी में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया।

श्री सिंह ने कहा कि समिति की ओर से संयुक्त हिन्दी कार्यशालायें आयोजित की जायें जिससे कि अधिकारियों को राजभाषा अधिनियम और नियमों की जानकारी प्राप्त हो सके। मथुरा तो हिन्दी का ही शुद्धतः हिन्दी भाषी क्षेत्र है और सरकार हमसे अधिक से अधिक कार्य की अपेक्षा करती है हमारा दायित्व भी हिन्दी भाषी क्षेत्र होने के नाते बहुत अधिक है। स्टेट बैंक, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक सिंडीकेट, तो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आयकर विभाग जो जनता से जुड़ा हुआ विभाग है; उसमें विधिक विभाग होते हुये भी कर निर्धारण आदेश, रिफंड वाउचर, नोटिस आदि हिन्दी में काफी मात्रा में हो रहे हैं।

नगर समिति की बैठक में सदस्य सचिव श्री ए. के. गोबिल मुख्य कार्मिक एवं प्रशासन प्रबन्धक ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये मथुरा रिफायनरी में हुयी हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का विवरण तथा समिति का संक्षिप्त परिचय दिया। इस बैठक में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों, बैंकों, भारतीय खाद्य निगम और रिफाइनरी के अधिकारी उपस्थित हुये और इंडियन आयल कमांडेन्ट के. ओ. सु. बल इकाई, राजकीय संग्रहालय, आयकर विभाग, डाकतार विभाग, स्टेशन अधीक्षक, मथुरा आदि की जानकारी और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

विशेष रूप से आमंत्रित आगरा नगर की समिति के सचिव एवं आयकर विभाग के सहायक निदेशक (रा. भा.) श्री रामचंद मिश्र ने आगरा नगर की राजभाषा सम्बन्धी प्रगति का उल्लेख करते हुये कहा कि इस दिशा में समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मथुरा रिफाइनरी में गठित यह समिति बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि यहां पर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है।

बैठक में अध्यक्ष पद से बोलते हुये मथुरा रिफाइनरी के महाप्रबंधक श्री राजेन्द्र सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिन्दी हमारी राजभाषा है और दफ्तरी कामकाज में इस्तेमाल में लाना न केवल कानूनन जरूरी है बल्कि हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि सरकार द्वारा तैयार किये गये वार्षिक कार्यक्रम पर अमल करने के लिये कार्य भी किये जा रहे होंगे।

"आजकल भारत में जो उलगाव की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, वह भाषा के ही कारण है। यदि सम्पूर्ण देश में एक भाषा का व्यवहार होने लगे तो हम सारे देशवासी एक हो जाएंगे और फिर हमारी भावात्मक एकता को तोड़ने वाला कोई भी तत्व सिर नहीं उठा सकेगा। भारत एक बड़ा देश है, जिसमें चौदह प्रमुख भाषाएं हैं। हमारा संविधान संघात्मक है, इसलिए संघ की एक भाषा आवश्यक है, और यह पात्रता एक हिन्दी में ही है"।

—काका साहब गाडगिल

हिन्दी दिवस/सप्ताह

1. मद्रास

कार्यालय मुख्य महालेखाकार (लेखा एवं हक) तमिलनाडु, मद्रास-18 के हिंदी सप्ताह समारोह दिनांक 26-2-86 से 6-3-86 तक सम्पन्न हुए। सप्ताह के विविध कार्यक्रम नीचे दिये गये हैं।

26-2-86 : को हिन्दी सप्ताह समारोह का उद्घाटन वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) श्री जेम्स जोसफ ने किया। उस दिन श्री के.पी. मिश्रा, उप-निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना (दक्षिण), मद्रास-6 मुख्य अतिथि थे। उसी दिन हिंदी में भाषण प्रतियोगिता हुई। भाषण प्रतियोगिता की समाप्ति पर श्री के.पी. मिश्राजी ने अपना भाषण दिया।

26-2-86 : को हिंदी सप्ताह समारोह का उद्घाटन वरिष्ठ वारों को दो वर्गों में बांटा गया-अवर एवं प्रवर कोटि। जो उम्मीदवार हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाओं या दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें अवर एवं अन्यों को प्रवर समझा गया। निबंध लेखन के लिए अवर प्रवरों को अलग-अलग विषय दिये गये।

28-2--86 : को टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता की गयी। प्राज्ञ तक प्रशिक्षण लिये हुए उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया।

3-3-86 : को अनुवाद प्रतियोगिता का प्रबंध किया गया। लेखांश एवं सरल वाक्य हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के लिए दिये गये।

4-3-86 : कविता पाठ प्रतियोगिता का प्रबंध किया गया। श्री पी.आर. रूक्मांजी राव "अमर" (हिंदी के लेखक, कवि, नाटककार, आलोचक एवं पत्रकार (मुख्य अतिथि रहे। प्रतियोगिता की समाप्ति पर मुख्य अतिथि ने भाषण दिया।

6-3-86 : हिंदी संगीत प्रतियोगिता हुई। डा. एस.एन. गणेशन, अध्यक्ष हिंदी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय एवं हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हमारे मुख्य अतिथि रहे। उपर्युक्त सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को श्री के.पी. रंगस्वामि, मुख्य महालेखाकार ने पुरस्कारों का वितरण किया।

हिंदी के महत्व के बारे में मुख्य अतिथि ने भाषण दिया। कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत के साथ समाप्त हुए।

जेम्स जोसफ
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

2. हैदराबाद

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में वर्ष 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के हैदराबाद में स्थित चार निदेशालयों—प्राक मानचित्र उत्पादन संयंत्र, सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास निदेशालय तथा दक्षिण मध्य सर्किल में हिन्दी कार्यशाला तथा हिन्दी दिवस का दिनांक 4 नवम्बर, 1985 से 8 नवम्बर, 1985 तक संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्र उत्पादन केन्द्र के वरिष्ठ निदेशक कर्नल शिवराज किशोर ने किया।

इस कार्यशाला में कुल 52 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। विभाग के अनुभवी अधिकारियों व कर्मचारियों ने उक्त कार्यशाला में प्रशासन, लेखन एवं भंडार से संबंधित शब्दावली तथा अन्य दैनिक प्रयोग में आने वाली टिप्पणियों को हिन्दी में लिखने का प्रशिक्षण दिया।

अपने उद्घाटन भाषण में कर्नल शिवराज किशोर, वरिष्ठ निदेशक, सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्र उत्पादन केन्द्र ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा हिन्दी कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लेने के प्रति हर्ष व्यक्त किया तथा देश की एकता, प्रगति तथा तकनीकी विकास के लिए राजभाषा हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री अजीत कुमार भाटिया, उप निदेशक ने कार्यशाला का उद्देश्य बताते हुए सभी उपस्थित व्यक्तियों से आग्रह किया कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करना हम सबका कर्तव्य है। हमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए हिन्दी में टिप्पण और आलेखन लिखने में कोई झिझक या हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए।

कार्यशाला के अंतिम दिवस 8-11-1985 को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया। हिन्दी में काम करने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए हिन्दी शब्दावली एवं हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने काफी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर श्री विपिन बिहारी सिन्हा, उप निदेशक, ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के हैदराबाद स्थित कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग संबंधी रिपोर्ट पढ़ी। हिन्दी कार्यशाला के संचालक श्री एस.पी. गोयल, अधीक्षक सर्वेक्षक ने हिन्दी कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य से सभी उपस्थित व्यक्तियों को अवगत कराया। श्री जे. सी.

रखी, अधिकारी सर्वेक्षण ने हिन्दी की हास्य कविताएं सुनाकर समारोह को और भी जीवन्त बना दिया।

हिन्दी दिवस के अवसर पर डा. रामकुमार खण्डेलवाल, प्रोफेसर उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, मुख्य अतिथि थे। उन्होंने हिन्दी कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्तियों तथा हिन्दी शब्दावली एवं हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संक्षिप्त किन्तु प्रेरणादायक भाषण में कहा कि हम सभी हिन्दी बोलते हैं, परस्पर बातचीत हिन्दी में करते हैं, हिंदी संगीत आदि में रुचि रखते हैं। अतः हमें कार्यालय में टिप्पण और आलेखन में हिन्दी का प्रयोग करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हिन्दी में काम करना आसान है। हमें राजभाषा के प्रति जागरुकता की धारणा को प्रज्वलित करना चाहिए।

अंत में ले. कर्नल आर.एन. श्रीवास्तव, उप निदेशक द्वारा मुख्य अतिथि तथा सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को इस समारोह में उपस्थित होने तथा हिन्दी में काम करने के प्रति उत्साह प्रकट करने के लिए धन्यवाद देने के पश्चात् समारोह का समापन हुआ।

लक्ष्मणसिंह गोसांई
हिन्दी अधिकारी
कृते भारत सरकार के महासर्वेक्षक

3. वालतेरु

दक्षिण पूर्व रेलवे के वालतेरु मंडल में दिनांक 7-3-86 को श्री श्रीनिवास कल्याण मंडलप/द.पू. रेलवे/वालतेरु के सभागार में श्री आर. रंगराजन, मंडल रेल प्रबन्धक की अध्यक्षता में हिन्दी सप्ताह मनाया गया, इस अवसर पर श्री मं. विश्वनाथम, राजभाषा अधिकारी ने हिन्दी की प्रगति से सम्बन्धित वार्षिक रपट प्रस्तुत करते हुए प्रशिक्षण, अनुवाद एवं कार्यान्वयन से सम्बन्ध विभिन्न कार्यक्रमों एवं उनसे प्राप्त सफलताओं पर प्रकाश डाला। आन्ध्र विश्वविद्यालय के प्रो. कर्ण राजशेषगिरिसागर 'विद्यासागर' ने मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देते हुए कहा कि

हिन्दी सप्ताह समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देते हुए आन्ध्र विश्वविद्यालय के प्रो. कर्ण राजशेषगिरि राव "विद्यासागर"

देश में चाहे स्वतंत्रता आन्दोलन रहा हो या कार्मिक आन्दोलन रहा हो या समाज सुधार आन्दोलन रहा हो एवं जब जनसाधारण को उनकी मुख्य धारा में लाना हुआ, तब देश के मनीषियों धर्माध्यक्षों तथा समाज सुधारकों ने हिन्दी का ही आश्रय लिया। महात्मा गांधी ने तो हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी के विकास में सभी भाषा भाषियों का योगदान है। दक्षिण भारत के बहुत से कवियों एवं लेखकों के नामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी बहुत बड़ी संख्या में अहिन्दी भाषा भाषी हिन्दी की सेवा कर रहे हैं। हिन्दी को क्षेत्र विशेष की भाषा न कह कर देश की भाषा कहना ही उचित है और इसीलिए इसे सम्पर्क भाषा एवं राजभाषा की गरिमा प्राप्त है। श्री पी.वी. रत्नम्, मुख्य राजभाषा अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों/अधिकारियों में हिन्दी के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने एवं उसके प्रयोग में गति लाने के लिए यह समारोह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि विशाखापत्तणम् में रेलवे के अलावा भी बहुत यूनिट हैं, जिनमें हिन्दी को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। ऐसे समारोहों में सभी शामिल होते हैं और हिन्दी के लिए अनुकूल माहौल बनता है। श्री आर. रंगराजन, मंडल रेल प्रबन्धक ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा कि रेलवे का जन साधारण से सीधा सम्बन्ध है। एक रेल कर्मी को तरह-तरह की भाषा बोलने वालों से काम पड़ता है। उसके लिए यह संभव नहीं है। कि

वह देश की सब भाषाओं को जाने. अतः एक सम्पर्क भाषा की आवश्यकता पड़ती है और वह अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी ही है, यह बहुत ही सरल है, इसे सीख कर देश के किसी भाग में भी काम करने में असुविधा नहीं होती है। तत्पश्चात् श्रीमती गीता रंगराजन ने हिन्दी में प्रशंसनीय कार्य करने वाले 11 कर्मचारियों/अधिकारियों को तथा मुख्यालय, विजयनगर टिटिगढ़ एवं जगदलपुर में आयोजित हिन्दी वाक, टिप्पण एवं आलेखन निबंध तथा टंकण प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर डा. पी. आदेश्वरराव, विभागाध्यक्ष (हिन्दी), आन्ध्र विश्वविद्यालय, श्री डी. मेश्राम, मंडल परिचालन अधीक्षक (संरक्षा), श्री डी.आर. कोष्ठी, सहायक निदेशक, हि.शि.यो. विशाखापट्टणम तथा श्री मदनमोहन ठाकुर, स.हि.अ./गार्डेनरीच ने कविता पाठ से वातावरण को सरस बनाया, वाणिज्य विभाग के श्री आई. काली प्रसाद एवं अन्य रेल कर्मियों ने बांसुरी वादन एवं विश्वविद्यालय के एम.ए. (द्वितीय वर्ष) की छात्रा कु. एन. शशि रेखा तथा राधवीपंची आर्केस्ट्रा ने, जिसमें सहायक कार्मिक अधिकारी की सुपुत्री कु. वी. उषा बाला एवं वाणिज्य विभाग के श्री आर. लक्ष्मणराव ने सक्रिय भाग लिया, मीरा, तुलसी एवं सूर के भजन एवं राष्ट्रीय गानों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण कार्यक्रम विशेष रूप से अहिन्दी भाषी रेल कर्मियों, उनके बच्चों तथा नगर के विद्वानों एवं कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये।

4. गुंतकल

दक्षिण मध्य रेलवे के गुंतकल मंडल पर दिनांक 28-2-86 से 7-3-86 तक राजभाषा सप्ताह मनाया गया, जिसका उद्घाटन "रेल कल्याण" तिरुपति स्टेशन में श्री डी. दस्तगिरि, रीडर, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने किया। उद्घाटन भाषण में डा. दस्तगिरि ने कहा कि जब तक हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया नहीं जाता तबतक हम सही मायने में इस देश को प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में नहीं मान सकते हैं। इस अवसर पर श्री आर. अनंतकृष्णन, मंडल रेल प्रबंधक/गुंतकल ने गुंतकल मंडल की ओर से तिरुपति के विख्यात विद्वान श्री एम. संगमेशम जी का सम्मान किया। श्री संगमेशम जी ने रेल प्रशासन को अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए दक्षिण क्षेत्र के लोगों से आशा की कि वे अपने उत्तरोत्तर प्रयोग में भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी को अपनाने में अग्रणी होंगे। प्रधान कार्यालय, सिकन्दराबाद से आये हुए श्री विजयकुमार मल्होत्रा, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी ने कर्मचारियों से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गई सुविधाओं का समुचित लाभ उठाएं ताकि वे रेलवे के दैनंदिन कार्यों खासकर जनता के संपर्क में आने वाले अवसरों पर अपने हिंदी ज्ञान का उपयोग कर सकें।

मंडल पर कार्यरत राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पाकाला स्टेशन, नंदलूर, द्रोणाचलम, नंवाल, गुत्ती डीजल शेड में भी राजभाषा सप्ताह मनाया गया और उसके एक अंग के रूप में समितियों की बैठकें भी बुलाई गईं। 5-3-86 को रेलवे इन्स्टिट्यूट गुंतकल और अधिकारी क्लब गुंतकल में हिन्दी फीचर फीलम "उपकार" का प्रदर्शन किया गया। दि. 7-3-86 को राजभाषा सप्ताह समापन समारोह के दिन मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। समापन समारोह रेलवे इन्स्टिट्यूट, गुंतकल में सम्पन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री आर. अनंतकृष्णन, मंडल रेल प्रबंधक/गुंतकल ने की। श्री सुदर्शन खन्ना, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी प्र. का सिकन्दराबाद ने विशिष्ट वक्ता के रूप में भाग लिया। हिंदी परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर्मचारियों को श्रीमती लक्ष्मी अनंतकृष्णन ने पुरस्कार वितरित किये। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत "हिंदी एकांकी" का मंचन किया गया।

मंडल राजभाषा अधिकारी
गुंतकल

5. कांडला गोदी (कच्छ)

"ख" क्षेत्र के लिए वर्ष 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम की मद सं. 10 के अनुपालन के रूप में दिनांक 17 मार्च, 1986 को "हिन्दी दिवस" मनाया गया।

2. "हिन्दी दिवस" पर कार्यालय का समस्त कार्य हिन्दी में किया गया था। जिन कर्मचारियों को हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान नहीं था, उन्होंने भी इस दिन एक-एक टिप्पणी या प्रारूप हिन्दी में तैयार किए थे।

3. "हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में कर्मचारियों के लिए हिन्दी निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित विषय रखे गए थे।

1. हिन्दी और राष्ट्रीय एकता
2. हिन्दी की प्रगति में देश की प्रगति है
3. राजभाषा हिन्दी के प्रसार के उपाय
4. राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए राष्ट्रभाषा
5. कार्यालयीन हिन्दी कैसी होनी चाहिए?

4. प्रतियोगिता में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम तीन कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

1. श्री एच० टी० बुधाजाणी सहायक प्रशासकीय अधिकारी	: प्रथम
2. श्री कोमल प्रसाद कर्दम वरिष्ठ लिपिक	: द्वितीय
3. श्री एल० सी० रूपचंदानी बुकिंग लिपिक	: तृतीय

5. "हिन्दी दिवस" के अवसर पर हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत ली गई "प्राज्ञ" परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने

वाले प्रथम तीन कर्मचारियों को भी पुरस्कार प्रदान कि गए, जिनके नाम इस प्रकार हैं :-

क्र० सं०	नाम	अंक	पुरस्कार
1.	कु० सरोज एन० टेकवाणी, कनिष्ठ लिपिक	246	प्रथम
2.	श्री कोमल प्रसाद कर्दम, वरिष्ठ लिपिक	215	द्वितीय
3.	श्री सुशील कुमार अग्रवाल, लेखाकार	213	तृतीय

उपरोक्त पुरस्कारों के वितरण के लिए कार्यालय के उपाध्यक्ष महोदय श्री म. प. रामचन्द्र रेड्डी की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

समारोह का प्रारंभ "वंदे मातरम्" से किया गया। तत्-पश्चात कार्यालय के सहायक सचिव श्री म. क. भम्भाणी ने स्वागत प्रवचन किया था। उन्होंने अपने वक्तव्य में "हिन्दी दिवस" के आयोजन का उद्देश्य समझाते हुए हिन्दी के महत्व की चर्चा की थी।

इस अवसर पर सचिव एवम् कार्मिक अधिकारी श्री क. प. शहाणी तथा सहायक प्रशासकीय अधिकारी श्री ह. तु. खुशालाणी ने प्रासंगिक प्रवचन किए।

कर्मचारियों की ओर से भी विचार व्यक्त किए गए और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए।

कार्यालय के उपाध्यक्ष महोदय श्री म. प. रामचन्द्र रेड्डी ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए पुरस्कारों का वितरण किया।

उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में सुझावों को ध्यान में लेकर उन पर उचित कार्यवाही करने के बारे में आश्वासन दिया और कहा कि आज का आयोजन हिन्दी की प्रगति की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है और अब से हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है।

समारोह का संचालन और आभार दर्शन हिन्दी अनुवादक कु. पारूल शाह द्वारा किया गया। अंत में राष्ट्रगीत के साथ समारोह संपन्न हुआ।

म. क. भम्भाणी
सहायक सचिव

6. बम्बई

दिनांक 10-2-86 से 14-2-86 तक आयोजित "हिन्दी सप्ताह" संबंधी विवरण (रिपोर्ट) :-

1. प्रगति प्रदर्शनी :—हमारे केन्द्र के पुस्तकालय में दिनांक 10-2-86 से 14-2-86 तक हिन्दी की विविध पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिनमें मुख्यतः साहित्य, काव्य, बाल-मनोविज्ञान, आहार शास्त्र, परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य से संबंधित पुस्तकें एवं पत्रिकाएं रखी गई। केन्द्र के सभी वर्ग के कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया।

2. लेखन प्रतियोगिता :—सभी वर्ग के अहिन्दी भाषियों के संबंधी कार्यों के कर्मचारियों द्वारा दिखायी गई दिलचस्पी की नामक शीर्षक पर एक "अनिवार्य-निबंध लेखन" का आयोजन किया गया।

3. माननीय प्रभारी अधिकारी (डा. इन्दिरा कपूर) की अध्यक्षता में सप्ताह का समापन दि. 14-2-86 को काफी उत्साह पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर केन्द्र के सभी कर्मचारियों ने सहर्ष भागलेकर समारोह को सफल बनाया। इस अवसर पर कई लोगों ने स्वरचित कवितायें पढ़ी। कई लोगों ने सुमधुर गीत प्रस्तुत किये तथा कुछ लोगों ने स्वतः लिखे हुए निबंध पढ़े। इसके अलावा प्रोत्साहन के रूप में इसमें भाग लेने वालों में से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्रमशः एक-एक पुरस्कार भी वितरित किये गये।

समारोह के अंत में हिन्दी के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए सभी लोगों ने इसके विकास के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि करने के लिए समुचित प्रयासों के प्रति संकल्प लिये।

इ. कपूर
प्रभारी अधिकारी
परिवार कल्याण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र

7. पूना

दिनांक 16 जनवरी, 86 से 31 जनवरी, 86 तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विभिन्न स्थानीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन पूना के उप क्षेत्रीय कार्यालय में किया गया। हिन्दी पखवाड़े का उद्घाटन पूना टेलिफोन्स के हिन्दी अधिकारी श्री किशोर वासवानी द्वारा किया गया। अपने प्रभावी भाषण में उन्होंने दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों से आग्रह किया।

यह एक योगायोग की बात है कि हिन्दी पखवाड़े के आरंभिक दिन ही इस कार्यालय में हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रवीण वर्ग का आरंभ हुआ इसमें 15 कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत दि. 20 जनवरी, 86 को निगम के कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना का परिचय कराया। पखवाड़े के दौरान हिंदी में टिप्पण, आलेखन, अनुवाद तथा दैनंदिन काम में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके अलावा विभिन्न शाखाओं में जा कर संबंधित सहायकों/प्रधानलिपिकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके शाखाओं में हिंदी में हुए काम का जायजा लिया गया तथा कर्मचारियों को हिंदी में काम करने को प्रेरित/प्रोत्साहित किया गया।

पखवाड़े के सिलसिले में हिन्दी निबंध प्रतियोगिता के आयोजन के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों से निबंध मंगवाये गये थे जिसे कर्मचारियों से अच्छा प्रतिसाद मिला। पखवाड़े समापन समारोह के अवसर पर आमंत्रित प्रमुख अतिथि आकाशवाणी पूना केन्द्र के हिंदी अधिकारी श्री राजाराम नलगे ने पखवाड़े के सिलसिले में आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता तथा अन्य हिंदी संबंधी कार्यों के कर्मचारियों द्वारा दिखायी गई दिलचस्पी की

सराहना की। निदेशक महोदय ने भी इस अवसर पर हिन्दी के विभिन्न कार्यों में अपना सहयोग देते रहने का आश्वासन दिया।

शांतिस्वरूप शर्मा
हिन्दी अधिकारी

8. इन्दौर

सरकारी कामकाज में हिन्दी की गति को तेज करने के सिलसिले में, मध्यप्रदेश समाहर्तालय में 6 जनवरी से 14 जनवरी 1986 तक (11 व 12 जनवरी 1986 की छुट्टियों को छोड़कर) हिन्दी-सप्ताह मनाने का निश्चय किया गया।

सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मध्यप्रदेश समाहर्तालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस सप्ताह के दौरान, अधिकतम काम हिन्दी में करेंगे तथा राजभाषा नीति की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

इस सप्ताह में, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करके हिन्दी प्रगति की समीक्षा की जाए तथा वार्षिक कार्यक्रम में बतलाये गये लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सच्चे मन से प्रयास किए जाएं। प्रतियोगिताएं या अन्य कार्यक्रम आयोजित करके कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए।

कार्यालय द्वारा भेजे जाने वाले पत्र, तार व अन्य विवरणियां हिन्दी में भेजें। अपने हस्ताक्षर हिन्दी में करेंगे। सरकारी कामकाज में बोलचाल की सरल हिन्दी का प्रयोग करेंगे। हिन्दी में काम करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे।

हिन्दी-सप्ताह को सफल बनाने के लिए सभी मिल-जुलकर प्रयास करेंगे ताकि राजभाषा नीति को कार्यान्वयन किया जा सके और हिन्दी के प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

सभी प्रभाग इस संबंध में समुचित कार्रवाई करेंगे तथा की गई कार्रवाई/किए गए प्रयासों/आयोजनों की विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 30 जनवरी 1986 तक निर्विवाद रूप से भेजेंगे।

राहुल गोयल
उप समाहर्ता (कार्मिक एवं स्था.)

9. वाराणसी

गत 3 से 7 मार्च 1986 तक वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाना में हिन्दी की उत्तरोत्तर प्रगति को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन डी. रे. का. हिन्दी समिति द्वारा किया गया। इसमें विभागीय बैठकों के अतिरिक्त हिन्दी टंकण, आशुलिपि, टिप्पण एवं मसौदा लेखन आदि प्रतियोगितायें आयोजित की गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 5 मार्च को डीरेका रंगशाला में तीन नाटकों "जीवन चक्र", "आदाब" और "सिफारिश" का मंचन किया गया।

सात मार्च 86 को डीरेका प्रेक्षागृह में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चांसलर डा. विभूतिनारायण सिंह की अध्यक्षता में "सप्ताह" का मुख्य उत्सव मनाया गया। विशेष वक्तव्य देते हुए राजभाषा निदेशक (रेलवे) श्री शिवसागर मिश्र ने महाभारत और पुराणकाल की सामूहिक चेतना की चर्चा करते हुए कहा कि हम देशवासी आज अपनी पहचान भूल रहे हैं तथा इस कदर व्यस्त और मशगूल हैं कि सामूहिक चिन्तन की ओर ध्यान नहीं जाता। जितने लोग समाज और देश में हैं उनकी एक जीवन दृष्टि नहीं बन पा रही है। कारखाने के महाप्रबंधक श्री सत्यमित्र भार्गव ने रेलों को राजभाषा का वाहक बताया। आपने कहा कि रेलों की तरह हिन्दी भी देशवासियों को निकट लाने में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है।

अध्यक्षीय सम्बोधन में डा. सिंह ने कहा कि हिन्दी हमारी विरासत है, हिन्दी और रेल को जोड़ना सुन्दर कल्पना है रेल की तरह हिन्दी भी "लिंक" करती है। डा. सिंह ने वर्तमान समय में कवियों और लेखकों की भूमिका को रेखांकित करते हुए इस बात पर बल दिया कि दिशाहीनों को सार्थक दिशा देने का कार्य, उसमें प्रेरणा और उमंग भरने का कार्य साहित्यकारों का है। डीजल रेल इंजन कारखाना के उत्तरोत्तर प्रगति की आपने कामना की। "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री प्रमोद चंद्र वर्मा की देखरेख में हुआ। अंतिम दिन रात्री में विशिष्ट कवि सम्मेलन का आयोजन भी हुआ।

सूर्यकांत त्रिपाठी
पत्र सूचना ब्यूरो,
पिपलानी कटरा, कबीर मार्ग

10. लखनऊ

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल पर सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 17 से 21 फरवरी, 86 तक हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। सप्ताह का समापन समारोह लखनऊ स्थित मण्डल कार्यालय में दिनांक 21-2-86 को सुप्रसिद्ध कथा-लेखिका पद्मश्री श्रीमती गौरा पंत सिवानी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। श्रीमती सिवानी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया कि गुलाम नागरिक को दूसरे की भाषा, दूसरे का शिष्टाचार पसंद आने लगता है। यही कारण है कि यहां के लोग अंग्रेजी मोह आज भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। आवश्यकता यह है कि हम उन्मुक्त हृदय से भारतीय

बने और हिन्दी को उसका अपेक्षित गौरव प्रदान करें। हमारी भाषा की नीति निश्चित रूप से सहिष्णुता की होनी चाहिए और हमें सभी भाषाओं का आदर करना चाहिए। शिवानी जी ने मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना करते हुए कहा कि जो बच्चा अपनी भाषा को हेय दृष्टि से देखता है वह एक न एक दिन अपनी मां को भी हेय दृष्टि से देख सकता है। इसलिए अपने बच्चों में अपनी भाषा के प्रति समुचित सम्मान की भावना उत्पन्न करना आवश्यक है। श्रीमती शिवानी ने जोर देकर कहा कि स्वधर्म स्वभाषी के प्रति आस्था सरकार का उत्तरदायित्व है।

रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य डा. बिन्दा प्रसाद मिश्र ने इस अवसर पर अपने सार गर्भित भाषण में लखनऊ मण्डल के कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्य की सराहना की। आपने कहा कि यहां के लोगों में हिन्दी के प्रति एकभावना है, एक लगन है। आवश्यकता यह है कि हिन्दी के प्रति अपनी भावनाओं को हम राष्ट्रीय स्तर पर उन्मुक्त करें। बिना राष्ट्र-भाषा के राष्ट्र गूंगा होता है। एक होने के लिए भी भाषा की एकता आवश्यक है।

लखनऊ मण्डल के मण्डल रेल प्रबन्धक श्री अनिरुद्ध मित्तल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए स्पष्ट किया कि भाषा का प्रयोग एक दूसरे को समझने, समझाने के लिए होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सरल भाषा का प्रयोग करें। यह एक विडम्बना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी अपनी भाषा को वह स्थान प्राप्त नहीं जो उसे मिलना चाहिए। श्री मित्तल ने आगे कहा कि लखनऊ मण्डल के अधिकारी और कर्मचारी इस दिशा में पूरी तरह सजग हैं और हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा अधिकाधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में होने लगे। हिन्दी सप्ताह के संबंध में जानकारी देते हुए आपने बताया कि 19-2-1986 को सीतापुर में श्री जयशंकर प्रसाद जयंती आयोजित की गयी और इस अवसर पर प्रसाद जी की स्मृति में कवि सम्मेलन भी सम्पन्न हुआ।

लखनऊ मण्डल के अपर मण्डल रेल प्रबन्धक/मण्डल राजभाषा अधिकारी श्री धनंजय पति त्रिपाठी ने अपने वक्तव्य में कहा कि श्रीमती शिवानी सर्वाधिक लोकप्रिय कथालेखिका हैं। आपने श्रीमती शिवानी एवं डा. बिन्दा प्रसाद मिश्र के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि लखनऊ मण्डल में हम राजभाषा का प्रयोग प्रसार निश्चित रूप से बढ़ायेंगे।

हिन्दी सप्ताह के उद्घाटन पर गोपाल सिंह नेपाली रचित "हिन्दी है भारत की बोली" नामक कविता का कविता पाठ करती हुई श्रीमती सुषमा रायजादा। बाएं से बैठे हैं श्री कृष्ण लाल, मंडल रेल प्रबन्धक, एवं मंडल राजभाषा अधिकारी, तथा श्री एम. एस. सिंगला, सं. हिन्दी अधिकारी।

11. शिमला

आकाशवाणी शिमला में हमारी अपनी पहल पर एक फरवरी से 15 फरवरी तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान केन्द्र का लगभग पूरा कार्य हिन्दी में हो रहा है। सभी अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी में नोटिंग कर रहे हैं और पत्र इत्यादि हिन्दी में ही जा रहे हैं।

इस सिलसिले में 11 फरवरी को यहां एक कवि गोष्ठी हुई जिस में केन्द्र निदेशक और हिन्दी अधिकारी समेत 12 व्यक्तियों ने अपनी रचनायें सुनाईं। केन्द्र निदेशक और हिन्दी अधिकारी ने अपने को प्रतियोगिता से बाहर रखा। शेष 10 कविताओं में से तीन सर्वश्रेष्ठ कविताओं के लिए डा. कामिल बुल्के के अंग्रेजी-हिन्दी शब्द कोष पुरस्कार स्वरूप दिये गये। केन्द्र के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इस कवि गोष्ठी में श्रोता रूप में उपस्थित थे।

देवेन्द्र प्रसाद शर्मा
हिन्दी अधिकारी
कृते केन्द्र निदेशक

12. जयपुर

राष्ट्रीय नव वर्ष शक 1908 के शुभ अवसर पर जयपुर मण्डल पर हिंदी सप्ताह आयोजित किया गया।

हिन्दी सप्ताह से संबंधित कार्य (अर्थात लाइन पर हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन) एक महीने पहले शुरू कर दिया गया था परन्तु सप्ताह का उद्घाटन 20 मार्च, 1986 को दिया गया। उद्घाटन अपर रेल प्रबंधक एवं राजभाषा अधिकारी श्री कृष्ण लाल ने किया। अपर मंडल रेल प्रबन्धक ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हिन्दी सप्ताह हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमारे ऊपर संविधान का दायित्व है। आपने आगे कहा कि हिन्दी सप्ताह हमेशा देवी सरस्वती की साक्षी में सम्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में हमें विधिक दायित्वों की अपेक्षा नैतिक उद्देश्यों की ओर जागरूक रहना चाहिए। उद्घाटन समारोह में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से 'हिन्दी को और अधिक अपनायें' यह आवह्न करते हुए आपने हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन किया।

सप्ताह के दौरान नीचे लिखी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं :—

(क) लाइन के श्रेणी 3 कर्मचारियों के लिए आलेखन-टिप्पण और भाषा ज्ञान प्रतियोगिताएं।

(ख) मंडल कार्यालय, जयपुर के श्रेणी 3 कर्मचारियों के लिए हिंदी आलेखन-टिप्पण और भाषा ज्ञान प्रतियोगिताएं।

(ग) जयपुर मंडल के टाइपिस्टों के लिए हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता।

(घ) जयपुर मंडल के अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता।

लाइन के 49 और मंडल कार्यालय से 16 कर्मचारियों ने उक्त दो प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 8 टाइपिस्टों ने टाइप प्रतियोगिता में और 8 अधिकारियों ने अधिकारियों के लिए रखी गयी प्रतियोगिता में भाग लिया। अधिकारियों में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी, सीकर डा. गुप्ता को प्रथम, श्री एम. पी. श्रीवास्तव, सहायक सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, जयपुर के द्वितीय तथा श्री एस. एस. रंधावा, सहायक मंडल लेखा अधिकारी, जयपुर को तृतीय पुरस्कार दिया गया।

यूनियन की स्थायी बात चित्र बैठक के कारण समय न रहने से हिन्दी स्टेनों प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो सकी। फलतः इस बार सप्ताह के लिए वंटित पूरी राशि का उपयोग नहीं हो सका।

22-3-86 को शनिवार की छुट्टी होने के कारण हिन्दी सप्ताह सांस्कृतिक कार्यक्रम नव वर्ष की पूर्व संध्या 21-3-86 को आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम उपस्थित दर्शकों को नव वर्ष की बधाई के साथ आरंभ हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य रूप से रेलवे प्राथमिक विद्यालय (हिन्दी माध्यम), फूलेरा की बालिकाओं का कार्यक्रम प्रशंसनीय रहा। सांस्कृतिक, कार्यक्रम में अधिकांश आइटम हिन्दी से जुड़े थे और रोचक थे जैसे स्वागत गीत, भाषा एकांकी सप्ताह परिचय, भाषा विषयक व्यंग आदि।

समारोह की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक श्री वी. के. रायजादा ने की और श्री आर. एन. वर्मा, संयुक्त मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर मुख्य अतिथि थे।

अध्यक्षीय भाषण में भी रायजादा ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हुआ हूं। कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कलाकारों को 200-00 रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की। आपने अपने भाषण में इस बात का भी उल्लेख किया कि श्री सिंघल इस मंडल पर पिछले 3 महीने से आये हैं और उनकी देखरेख में हिंदी की आशातीत प्रगति हुई है तथा इस कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। आपने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी काम-काज में हिंदी को और अधिक अपनाने की अपेक्षा की। आपने कहा कि हिंदी अपनाते समय हमें शब्दों के लिए अटकना नहीं चाहिये। सब से बड़ी बात यह है कि यदि हम हिन्दी के प्रति जागरूक रहेंगे तो हम उसे अवश्य अपना सकेंगे।

श्री वर्मा ने राजभाषा अधिनियम और नियमों का हवाला देते हुए कहा कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन में कठिनाई इस लिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें हिन्दी अनुभाग का योगदान रहता है। जहां तक राजभाषा नियमों का सवाल है, साधारण पत्राचार हिन्दी में करने में कोई कठिनाई नहीं है। जब साधारण पत्र व्यवहार हिन्दी में होने लगेगा तो

तकनीकी कठिनाई भी दूर होने लगेगी। इस प्रकार वस्तुत: कुल मिलाकर यदि मन की कमजोरी न रखी जाए तो हिंदी के अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कार्यक्रम की सराहना करते हुए आपने कहा कि हिन्दी सप्ताह में सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होते हैं परन्तु प्राय: उनका सम्बन्ध हिन्दी से जुड़ा नहीं होता, जबकि इस कार्यक्रम में यह विशेषता रही कि ये हिंदी से जुड़े हैं, रोचक हैं और बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत हैं। आपने इस बात का भी उल्लेख किया कि कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिताएं भी ऐसी रखी गई थीं जो हिंदी के राजभाषा स्वरूप को पुष्ट करती हैं।

समारोह में हिंदी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि श्री आर.एन. वर्मा ने किया।

हिन्दी के माध्यम से इस विशाल देश के लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे और मिल कर काम कर सकेंगे। हिन्दी को न केवल इस क्षेत्र के बीच, बल्कि सब वर्गों के बीच एक-जीवित भाषा बनाना है। हम एक ऐसे भारत की कल्पना नहीं करते जहां केवल एक भाषा बोली जाती हो, न ऐसे भारत की जहां एक ही धर्म का बोलबाला हो, लेकिन मुझे आशा है कि भारत के लोग अधिक से अधिक हिन्दी सीखेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा सीखें, राष्ट्र की सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी सीखें और अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखें। सरकार सतत प्रयत्नशील है कि हिन्दी राजभाषा और अन्तरप्रान्तीय भाषा के रूप में प्रभावकारी हो।

--बासप्पा दानप्पा जत्ती

हिन्दी कार्यशालाएँ

1. हैदराबाद

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के उद्यम "भारत डायनामिक्स लिमिटेड" कंचनबाग, हैदराबाद में दिनांक 20 एवं 21मार्च, 1986 को द्वि-दिवसीय हिन्दी-कार्यशाला का आयोजन हुआ। दिनांक 20-3-86 को प्रातः 9.00 बजे भारत डायनामिक्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक, श्री जेड. पी. मार्शल द्वारा कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि "सिर्फ कार्यक्रम करने या प्रशिक्षण पाने तक ही हिन्दी में उत्साह दिखाना काफी नहीं है बल्कि रोजमर्रा के कामों में इसका उपयोग किया जाना चाहिए"। कु. प्रतिभा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-गीत के बाद श्री एन. सांबमूर्ति, उप महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस कार्यशाला में उप महाप्रबन्धक स्तर से लेकर लिपिक वर्ग तक के 36 कर्मचारियों ने भाग लिया। श्री नरहर देव, हिन्दी अधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि का परिचय दिया गया तथा कार्यशाला की पूर्व-पीठिका और रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

उस्मानिया विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष, प्रो. भीमसेन "निर्मल", जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने "राजभाषा हिन्दी का मौलिक परिचय" नामक विषय पर अपने भाषण में कहा कि "राजभाषा का कार्य तब ही आगे बढ़ सकता है जब लोग अपने कामकाज में खुलकर हिन्दी का प्रयोग करें, इस विषय में निर्देशों की प्रतीक्षा न करें।" उन्होंने यह भी कहा कि क्या अंग्रेजी में काम करने के लिए कोई आदेश है? हम जिस तरह सरकारी कामकाज को जरूरी चीज समझते हैं उसी तरह हिन्दी में काम करना भी उतना ही आवश्यक समझें। कार्यशाला की संचालन व्यवस्था का भार श्री के. रामचन्द्र, उप प्रबन्धक (प्रशासन) द्वारा वहन किया गया।

भारत डायनामिक्स लिमि० हैदराबाद में हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए श्री जेड० पी० मार्शल, प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष रा० भा० का० समिति—उनके दायें बैठे हैं—प्रो० भीमसेन निर्मल, मुख्य अतिथि, उस्मानिया विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष

उद्घाटन सत्र के बाद प्रो. निर्मल ने प्रथम सत्र भी संचालित किया। इस द्वि-दिवसीय कार्यशाला में व्याख्यान देने वाले तथा संचालन करने वाले अन्य विशेषज्ञ थे—डा. शशि मुदिराज, हैदराबाद विश्वविद्यालय, श्री आघानाथ पाण्डेय, सरकार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, शिवरामपल्ली, हैदराबाद, श्री अर्जुन कुमार गीतें, इण्डियन बैंक, कु. मिथिलेश शर्मा, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा श्री एस. देवीदास, हिन्दी शिक्षण योजना।

कार्यशाला का समापन दिनांक 21-3-86 को अपराह्न 5-00 बजे सम्पन्न हुआ। दो दिन की इस अवधि में सम्पन्न 8 सत्रों का संक्षिप्त समालोचन श्री नरहर देव द्वारा प्रस्तुत किया गया। कर्मचारियों की ओर से श्रीमती नलिनी तथा अधिकारियों की ओर से श्री बी. पाण्डुरंगम् जी ने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। समापन भाषण प्रस्तुत करते हुए उप महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) श्री एन. सांबमूर्ती, ने आश्वासन दिया कि भविष्य में कार्यशाला की अवधि तथा आवर्तन बढ़ा दिया जायेगा। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव द्वारा आभार प्रदर्शन प्रस्तुत करने के बाद यह उत्साहपूर्ण कार्यक्रम समाप्त हुआ।

—नरहरदेव सदस्य सचिव

2. विशाखापट्टणम

विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना के हिन्दी कक्ष ने 19 फरवरी 86 से 22 फरवरी 86 तक चार दिन की अवधि के लिए एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। इस परियोजना में यह कार्यशाला अपने किस्म की दूसरी कार्यशाला है, जिसमें हिन्दी का सामान्य ज्ञान रखने वाले कुछ कार्य पालकों को प्रशिक्षित किया गया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए इस परियोजना के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक दिलबाग राय अहूजा ने भारत जैसे बहुभाषी देश में हिन्दी जैसी संपर्क भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में भाग लेने वाले कार्यपालकों को अपने कार्यालयीन काम में हिन्दी के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन को चेतना प्रदान की।

उद्घाटन समारोह में उपस्थित सज्जनों का स्वागत करते हुए इस परियोजना के राजभाषा अधिकारी श्री सी. एल. नारायण ने सरकारी उपक्रमों के अंतर्गत राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की दिशा में हिन्दी कार्यशालाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित श्री पी. आदेश्वर राव, आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में हिन्दी के राजनैतिक एवं ऐतिहासिक विकास और उसकी वर्तमान स्थिति पर बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया।

उद्घाटन समारोह के पश्चात, विशाखापट्टणम के सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के अन्य उपक्रमों के राजभाषा अधिकारियों ने चार दिन के लिए राजभाषा संबंधी भाषण और सामग्री देकर प्रशिक्षणार्थियों के हिन्दी ज्ञान को बढ़ाने का सफल प्रयास किया। पहले पहल ड्रेजिंग कार्पोरेशन के हिन्दी अधिकारी श्री रामनारायण ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला। 19 फरवरी 1986 के अपराह्न वाले सत्र में हिन्दी शिक्षण योजना के अवकाश प्राप्त सहायक निदेशक तथा आन्ध्र विश्वविद्यालय के प्रौढ़ शिक्षा विभाग में चलाये जाने-वाले व्यावहारिक अनुवाद पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक, श्री पी. एस. राठोर ने राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम के विविध प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए हिन्दी में टिप्पण तथा प्रारूप लेखन की एक व्यावहारिक भूमिका बांधी।

दिनांक 20 फरवरी 1986 के पूर्वाह्न को हिन्दी कक्ष के कार्यालय अधीक्षक डा. एस. कृष्ण बाबू ने प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दी में प्रशासनिक शब्दावली का ब्यौरा देते हुए कार्यालय में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले नेमी कार्यालय टिप्पणियों के हिन्दी रूपांतरों के बारे में समझाया। उस के बाद उन्होंने व्यावहारिक अनुवाद के कुछ नमूने भी दिए, जिसे प्रशिक्षणार्थी कभी कभी अंग्रेजी में सोच कर भी उसका हिन्दी में अनुवाद करके लिख सकते हैं। उसी दिन शाम को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, विशाखापट्टणम के राजभाषा अधिकारी, श्री वी. ए. चार्यलु ने हिन्दी में टिप्पण तथा प्रारूप लेखन के व्यावहारिक पक्ष को प्रस्तुत किया जिससे प्रशिक्षणार्थियों ने छोटी-छोटी टिप्पणियां हिन्दी में लिखना सीख लिया।

दिनांक 21 फरवरी 1986 के पूर्वाह्न को ड्रेजिंग कार्पोरेशन के हिन्दी अधिकारी श्री जी रामनारायण ने पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन जैसे विविध कार्यालयीन कागजों के प्रारूप हिन्दी में तैयार करने की प्रविधि को स्पष्ट किया और व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षणार्थियों द्वारा इस प्रकार के कागजों के कुछ नमूने तैयार करवाये। उसी दिन अपराह्न वाले सत्र में हिन्दी शिक्षण योजना के अवकाश-प्राप्त प्राध्यापक श्री विश्वबंधुदत्त गौड ने आचरण एवं अपील नियमावली, छुट्टी संबंधी नियमावली, अनुशासनिक मामले आदि विषयों पर भाषण दिया।

कार्यशाला के अंतिम दिन पर अर्थात् 22 फरवरी 1986 पूर्वाह्न को पूर्वी नव सेना कमाण्ड के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री जी वी सत्यनारायणराव ने बिलों का भुगतान, लेखा आपत्तियां, पेशगियां आदि विषयों पर हिन्दी में टिप्पण तथा प्रारूप लेखन की पद्धति को समझाया और कार्यालय में आम तौर पर प्रयुक्त होने वाले द्विभाषी फार्मों को हिन्दी में भरने की प्रक्रिया में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया।

दिनांक 22 फरवरी 1986 के अपराह्न को प्रोजेक्ट आफिस के सम्मेलन कक्ष में इस कार्यशाला का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाषण देते हुए इस परियोजना के राजभाषा अधिकारी श्री सी एल नारायण जी ने यह आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला में प्राप्त राजभाषा संबंधी अपने ज्ञान को इस में भाग लिए हुए सभी कार्यपालक प्रशिक्षणार्थी आगे जाकर अपने कार्यालयीन काम में यथासंभव प्रयोग करते रहेंगे और हिन्दी के कार्यान्वयन की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर कार्यशाला के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करते हुए श्री एस कृष्णमूर्ती, अभिकल्प अभियंता और श्री भरत भूषण पंचल प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी ने हिन्दी कक्ष द्वारा आयोजित इस कार्यशाला को बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली स्वीकार किया। इस मौके पर उन्होंने यह सलाह भी दी कि चार दिन के स्थान पर यदि यह कार्यशाला छः दिन की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी तो और भी उपयोग एवं प्रयोगात्मक हो पाएगी। उनकी राय में जब तक किसी प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक हिन्दी के कार्यान्वयन में गति का आना असंभव तो नहीं, बल्कि मुश्किल

अवश्य है। प्रशिक्षणार्थियों ने यह आश्वासन भी दिया कि इस कार्यशाला में उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसका अपने कार्यालयीन काम में प्रयुक्त करने का यथासम्भव प्रयास करेंगे।

इस के पश्चात् इस परियोजना के उप महा प्रबंधक (सामग्री) श्री सी.एस. एन. राजू ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया। हिन्दी कक्ष के कार्यालय अधीक्षक, डा. एस कृष्ण बाबु के आभार निवेदन से वी. एस. पी. की द्वितीय हिन्दी कार्यशाला का समापन संपन्न हो गया।

सो. कृष्ण बाबू
कार्यालय अधीक्षक

3. बम्बई

दूरदर्शन केन्द्र बम्बई में दिनांक 17-2-86 से 19-2-86 तक सम्पूर्ण तीन दिवसीय द्वितीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजभाषा विभाग द्वारा निर्देशित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1985-86 में केन्द्र में आयोजित यह दूसरी कार्यशाला थी—तथा दूरदर्शन केन्द्र बम्बई में आयोजित कार्यशाला—संगोष्ठी कार्यक्रमों में चौथा कार्यक्रम। यह कार्यशाला राजभाषा कार्यान्वयन समिति दूरदर्शन केन्द्र बम्बई के तत्वाधान में एवं केन्द्र के उपमहानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

दूरदर्शन केन्द्र बम्बई में आयोजित वर्ष 1985-86 के सितम्बर में आयोजित कार्यशाला की तरह इस कार्यशाला का स्वरूप भी विशिष्ट था। केन्द्र के प्रशासन एवं बजट तथा लेखा अनुभागों की सभी कर्मचारियों ने संपूर्ण तीन दिनों के लिए इसमें भाग लिया एवं इन तीन दिनों में अपना सारा काम हिन्दी में किया। इन अनुभागों के दोनों अनुभाग—प्रमुख एवं केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी इसमें विशेषज्ञ की हैसियत से सम्मिलित हुए एवं उन्होंने कार्यशाला के प्रशिक्षणार्थियों को सफल मार्गदर्शन प्रदान किया। इस प्रकार कार्यशाला में 19 लिपिक श्रेणी 1, 6 लिपिक श्रेणी II, 1 वरिष्ठ सामान्य सहायक, 3 सामान्य सहायक अर्थात् कुल 20 प्रशिक्षणार्थियों ने तथा 3 मार्गदर्शन अधिकारियों एक प्रधान लिपिक, एक लेखापाल एवं एक प्रशासनिक अधिकारी ने भाग लिया। अनुभाग प्रमुखों ने अपने अनुभाग के कर्मचारियों को पूर्ण समय के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया तथा प्रशासनिक अधिकारी महोदय ने इन तीन दिनों में समय पर कर्मचारियों की टेबल पर उनकी कठिनाईयां जानकर उनको हल करके उन्हें अपना मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला के संपूर्ण समय में केन्द्र के हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी अधिकारी ने कर्मचारियों को हिन्दी टिप्पण—आलेखन के काम में सहायता दी। हिन्दी एकक में इसके लिए अनुवाद, मूल टिप्पण आलेखन और टंकण का काम अनवरत रूप से चला। दोनों अनुभागों के कर्मचारी भी हिन्दी टंकण का काम करते रहे। काम में सहायता के लिए "कार्यालय सहायिका" "समेकित प्रशासन शब्दावली" हिन्दी अंग्रेजी एवं अंग्रेजी—हिन्दी कोश अनुभागों को दी गई। साथ ही कई कर्मचारियों को छोटी-छोटी हिन्दी पुस्तिकाएं तथा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की "नेमी कार्यालय टिप्पणियां" "चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सम्बन्धी प्रारूप", "सामान्य प्रशासन—टिप्पणियां तथा प्रारूप" दी गई। हिन्दी एकक द्वारा दी गई हिन्दी संदर्भ साहित्य पुस्तिकाओं का उपयोग भी प्रशासन ने किया। पच्चीस-तीस पुस्तकें कार्यशाला के दौरान एवं बाद में हमेशा के लिए उनके उपयोग के लिए उनमें वितरित की गई।

दिनांक 17-2-86 को सुबह 10 बजे कार्यशाला के लिए नामित मार्गदर्शक प्रशासनिक अधिकारी श्री सि. ब. शिंगे ने हिन्दी अधिकारी के साथ अनुभागों में जाकर हिन्दी में प्रारंभ हो चुके काम को देखना, सुझाव देना एवं कर्मचारियों को सहायता देना प्रारम्भ किया। जैसा कि पहले ही कार्यशाला संबंधी उप-महानिदेशक महोदय एवं उपनिदेशक (प्रशासन) महोदय के आदेश जारी किये गये थे—काम 17-2-86 को सुबह से ही प्रारंभ हुआ। इसके लिए कोई औपचारिक सभा नहीं की गई—प्रशासनिक अधिकारी एवं हिन्दी अधिकारी ने प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य दो अनुभाग प्रमुख मार्गदर्शकों के साथ इस कार्यशाला का काम प्रारंभ किया। इन तीन दिनों के संपूर्ण कार्यसमय में सभी प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अपने टेबल का सारा काम हिन्दी में किया। प्रशासन अनुभाग में समस्त केन्द्र के विभागीय कलाकारों, अभियान्त्रिकी कर्मचारियों, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों, से संबंधित सभी प्रकार का कार्य यथा स्थापना, छुट्टी एवं अन्य विविध मामले इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक विवरणों, परिपत्रों, ज्ञापनों आदि का कार्य, डायरी एवं पुराने रिकार्ड के रख-रखाव से संबंधित कार्य, अर्थात् दूरदर्शन केन्द्र बम्बई के अधिकतम प्रशासनिक कार्य से संबंधित विविध कार्य होता है। इसी प्रकार बजट एवं लेखा अनुभाग में यात्रा भत्ता/छुट्टी यात्रा रियायत भत्ता/स्थानांतरण बिल आदि से संबंधित सभी काम तत्संबंधी वेतन एवं लेखा अधिकारी से सम्पर्क एवं तदनुसार कार्यवाही, प्रोफार्मा लेखा, राजपत्रित अधिकारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थापना कार्य, छुट्टी एवं अन्य सभी कार्य एवं अन्य लेखा कार्य किया जाता है। कार्यशाला के तीन दिनों के दौरान यह सभी प्रकार का कार्य हिन्दी में हुआ। कर्मचारियों ने अपना टिप्पण आलेखन हिन्दी में किया। मूल पत्र हिन्दी में तैयार किये गये। रजिस्टरों फाइलों के शीर्ष, उपशीर्ष एवं अन्य विवरण हिन्दी में लिखे गये। लगभग 30-35 मूल पत्र इन तीन दिनों के दौरान हिन्दी के केन्द्र से बाहर भेजे गये एवं जारी किये गये। मार्गदर्शक अधिकारियों के अलावा सम्पूर्ण प्रशासन अनुभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने भी इसमें अपना सम्पूर्ण योगदान दिया क्योंकि सभी काम एक दूसरे से सम्बन्धित थे—अतः वे हिन्दी में ही किये गये। दिनांक 17-2-86 के अनुसार दिनांक 18-2-86 एवं 19-2-86 को इसी क्रम से कार्यशाला के लिए नामित दोनों अनुभागों ने अपना सारा काम हिन्दी में किया।

प्रस्तुत कार्यशाला अत्यंत सफल रही और इसकी वजह से अनेक कर्मचारियों ने कार्यशाला के पश्चात् हिन्दी में ही काम करना जारी रखा। कार्यशाला समापन के बाद प्रशिक्षणार्थियों को दी गई प्रश्नावली के उत्तर देते हुए उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया।

दिनांक 20-2-1986 को प्रातः 11.30 बजे केन्द्र के प्रमुख माननीय उपमहानिदेशक की अध्यक्षता में कार्यशाला का समापन समारोह संपन्न हुआ। समारोह में कार्यक्रम, प्रशासन, अभियान्त्रिकी शाखाओं के अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए। हिन्दी अधिकारी द्वारा कार्यशाला की कार्य-निष्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया गया। श्री सि. ब. शिंगे, प्रशासनिक अधिकारी ने अपने हिन्दी में कार्य करने के उत्साहपूर्ण अनुभव एवं कार्यशाला की सफलता की चर्चा की। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि हम लोग माननीय उपमहानिदेशक की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में केन्द्र में हिन्दी कार्य के विस्तार का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने हिन्दी अधिकारी की कार्यशाला संयोजना एवं हिन्दी एकक के सदस्यों के परिश्रम का गौरवपूर्ण उल्लेख किया। तत्पश्चात्, माननीय उपमहानिदेशक श्री. ए. एस. तातारी साहब ने उत्साहवर्धक तालियों के बीच कार्यशाला सदस्यों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर ही दूरदर्शन केन्द्र बम्बई में लागू की गई सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के लिए पुरस्कार योजना वर्ष 1985 के तहत पुरस्कार प्राप्त कर्मचारी श्री बी. व्ही. वराडकर, लिपिक श्रेणी-।। को पुरस्कार राशि रु. 400/- एवं प्रमाण-पत्र देकर माननीय उपमहानिदेशक महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। संपूर्ण समारोह में स्फूर्ति आनंद और उत्साह का वातावरण व्याप्त था। अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपमहानिदेशक श्री तातरी साहब ने समस्त उपस्थित कर्मचारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करें और अधिक से अधिक पुरस्कार जीतें। इसी प्रकार हिन्दी कार्यशालाओं में किये गये हिन्दी काम के आधार पर रोजमर्रा का कामकाज भी हिन्दी में करने का पूरा प्रयत्न करें। केन्द्र में हो रही हिन्दी की प्रगति एवं उसके प्रसार, प्रचार पर उन्होंने गहरा संतोष और हर्ष प्रकट किया। समारोह के अंत में केन्द्र की हिन्दी अधिकारी एवं कार्यशाला कार्यक्रमों की संयोजिका संचालिका डा. विजयमाला पण्डित द्वारा धन्यवाद एवं आभार प्रदर्शन किया गया। चाय पान एवं अल्पोहार के साथ समारोह सम्पन्न हुआ---तथा कार्यशाला के समापन की घोषणा की गई।

डा. विजयमाला पण्डित
हिन्दी अधिकारी
कृते उपमहानिदेशक

[illegible]ारी ने हिन्दी कार्य-
[illegible]982 को किया था।

इस कार्यशाला के माध्यम से अपने अधिकारियों तथा प्रशासनिक कर्मचारियों को हिन्दी में मूल काम करने के लिए प्रशिक्षित करने तथा उनकी झिझक दूर करने का यह रचनात्मक प्रयास था। 1982 के बाद निरन्तर हिन्दी कार्यशाला के आयोजन की श्रृंखला जारी रही और दिनांक 24-2-1986 से 26-2-1986 को 7वीं हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया और 26 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री वी. एम. पटेल, मुख्य उत्पादन प्रबंधक (स्थानापन्न) ने किया और समारोह में वरिष्ठ अनुरक्षण प्रबंधक श्री जी. वी. पंगारकर ने सहभागियों को मार्गदर्शन दिया।

कार्यशाला के विषयों का सावधानी से चुनाव करके उसे अपनी रिफाइनरी के मौजूदा कामकाज तथा शब्दावली से सघन रूप से परिचित कराने के लिए हिन्दी अनुभाग ने "कार्यशाला अभ्यास माला" तैयार की है जो सहभागियों को अभ्यास करवाने में अत्यंत ही सफल रही है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस अभ्यासमाला की उपादेयता की प्रशंसा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बडोदरा ने भी की और प्रतिलिपि सभी सदस्य कार्यालयों को भेजने की सिफारिश की। जहां तक विभागाध्यक्षों को नीति तथा कार्यान्वयन के विविध उपायों से परिचित करवाने का प्रश्न है, हमने 1984 के जनवरी माह में कार्पोरेशन स्तर पर पहली केवल विभागाध्यक्षों की कार्यशाला का आयोजन किया था। यह आयोजन अपने आप में प्रथम तथा "माइल स्टोन" साबित हुआ। अब तक गुजरात रिफाइनरी में सात हिन्दी कार्यशालाओं के माध्यम से कुल 128 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

डा. सतीशचन्द्र
हिन्दी अधिकारी

5. अहमदाबाद

अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र अहमदाबाद द्वारा जनवरी 7, 1986 से जनवरी 9, 1986 तक अहमदाबाद में "उपग्रह संचार प्रणाली तथा भारत में इसका उपयोग" विषय पर अखिल भारतीय संगोष्ठी एवं "तकनीकी हिन्दी का विकास" पर कार्यशाला का आयोजन, किया गया। माननीय राज्यमंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) की अनुपस्थिति में उनकी ओर से निदेशक, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने इस संगोष्ठी एवं कार्यशाला में देश के विभिन्न संस्थानों/विभागों से आए लगभग 180 प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करते हुए उन्हें अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र की स्थापना से लेकर वर्तमान तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से परिचित कराया। श्री ओ. पी. एन. कल्ला ने माननीय राज्यमंत्री जी की ओर से उद्घाटन भाषण पढ़ा जिन्होंने अपने सारगर्भित भाषण का आरम्भ भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के अधिष्ठाता स्वर्गीय डा. विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया और कहा, "हिन्दी में आयोजित यह संगोष्ठी उपग्रह संचार जैसे विषय को जनसाधारण तक पहुंचाएगी और

अन्य संस्थानों में आयोजन के लिए प्रेरणादायक होगी''। ''तकनीकी हिन्दी के विकास'' पर आयोजित कार्यशाला के संबंध में उनके प्रेरणादायक शब्दों में ''भाषा, प्रयोग से उदार दृष्टिकोण से समृद्ध होती है'' उन्होंने व्यावहारिक हिन्दी अपनाने पर बल दिया और आशा प्रकट की कि इस तरह की संगोष्ठियां और कार्यशालाएं तकनीकी हिन्दी को समृद्ध करने में उपयोगी सिद्ध होंगी।

इस सुअवसर पर ''अंतरिक्ष में भारत'' नामक एक हिन्दी पुस्तक का भी विमोचन किया गया, और निम्नलिखित विषयों पर हिन्दी में 37 तकनीकी लेख/निबंधादि प्रस्तुत किए गए :—

1. विश्व तथा भारत में उपग्रह संचार प्रणाली का विकास।
2. संचार-उपग्रह के विभिन्न घटक।
3. संचार की आधार बैण्ड तकनीक।
4. उपग्रह के प्रसारण एवं अन्य उपयोग।

''तकनीकी हिन्दी का विकास'' कार्यशाला में निम्नलिखित मुख्य आधार बिन्दुओं पर हिन्दी में 17 लेख-निबंधादि प्रस्तुत किए गए :—

1. हिन्दी में अभियांत्रिकी तथा तकनीकी शिक्षा समस्याएं व समाधान।
2. शोध की नई दिशाएं।
3. हिन्दी में तकनीकी लेखन एवं अभिव्यक्ति।

अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र के पुस्तकालय में हिन्दी में उपलब्ध विज्ञान एवं तकनीकी ग्रंथों की ''ग्रंथ सूची'' का प्रकाशन भी सराहनीय रहा। इस संगोष्ठी और कार्यशाला के आयोजन को अहमदाबाद के प्रमुख समाचार पत्रों (इण्डियन एक्सप्रेस/टाइम्स आफ इण्डिया 81–86) ने भी सुर्खियों में प्रकाशित किया।

राष्ट्र को चहुंमुखी विकास द्वारा उन्नति के शिखरों की ओर अग्रसर करने का संकल्प लिए है अंतरिक्ष विभाग। हमें गर्व है कि महान भारत की गौरवमयी राष्ट्रभाषा हिन्दी अन्तरिक्ष में पहुंच चुकी है।

श्याम सिंह
हिन्दी अधिकारी

6. पुणे

भारत मौसम विज्ञान के अधीनस्थ पुणे स्थित मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान) के कार्यालय में सरकारी काम-काज में कर्मचारियों को टिप्पण और मसौदा आलेखन में हिन्दी के प्रयोग का प्रशिक्षण देने के लिए दिनांक 17 से 21 फरवरी, 1986 तक पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के सभी चारों कार्यालयों से कुल 20 कर्मचारियों ने हिन्दी टिप्पण और आलेखन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। हिन्दी कार्यशाला प्रातः 9-30 बजे से सायं 5-30 बजे तक चलाई गई। हिन्दी कार्यशाला का प्रारम्भ हिन्दी शिक्षण योजना पुणे के सहायक निदेशक श्री उंधेराम सिंह जी के पाठ 'राजभाषा हिन्दी सम्बन्धी सरकारी नीति' से हुआ। हिन्दी कार्यशाला में कुल 18 सामान्य पाठ और 12 तकनीकी पाठ पढ़ाए गए। व्याख्याता श्री राजेन्द्र प्रसाद, मौसम विज्ञानी श्रेणी-1 ने सामान्य पाठ आवेदन डाक्टरी परीक्षा, चरित्र तथा पूर्ववत सत्यापन,, सेवापंजी सम्बन्धी मामले और इस कार्यालय के तकनीकी विषयों से सम्बन्धित टिप्पणी एवं मसौदा लेखन के तकनीकी पाठ पढ़ाए। श्री. आर. डी. वशिष्ठ, मौसम विज्ञानी श्रेणी-। ने बिलों का भुगतान आदि सामान्य तकनीकी विषयों से सम्बन्धित टिप्पणी और मसौदा लेखन पढ़ाए। श्री रामचन्द्र दुबे, मौसम विज्ञानी श्रेणी-II ने अनुशासनिक मामले, यात्रा सम्बन्धी सामान्य पाठ तथा तकनीकी पाठ पढ़ाए। डा. लक्ष्मण सिंह राठौर, मौसम विज्ञानी श्रेणी-।। ने तार, पेशगियां सम्बन्धी सामान्य पाठ और कृषि मौसम विज्ञान सम्बन्धी तकनीकी विभिन्न विषयों तर हिन्दी में टिप्पणी और मसौदा लेखन पढ़ाए। डा. ओमप्रकाश सिंह, मौसम विज्ञानी श्रेणी-।। ने सामान्य पाठ पदों का सृजन, भर्ती, आरक्षण आदि और मौसम पुर्वानुमान के कार्यालय में तकनीकी विषयों से सम्बन्धित टिप्पणी और मसौदा लेखन पढ़ाए। श्री. सतीशचन्द्र नागरथ, सहायक मौसम विज्ञानी ने साईकिल, फर्नीचर, टेलिफोन लेखन सामग्री सम्बन्धी सामान्य पाठ पढ़ाए। श्री. प्रबोध कुमार जैन, सहायक मौसम विज्ञानी ने नियुक्ति तैनाती, पदोन्नति स्थायिर्वता आदि सामान्य पाठ और तकनीकी सम्बन्धी टिप्पणी एवं मसौदा लेखन पढ़ाए। डा. प्रमिल लता भल्ला हिन्दी अनुवादक और श्री. सत्यनारायण सिमारी निम्न श्रेणी लिपिक ने क्रमशः छुट्टियां और साधारण टिप्पणियां नामक सामान्य पाठ पढ़ाए। सभी प्रशिक्षणार्थियों ने बड़ी लगन और उत्साह साथ अध्ययन एवं हिंदी में टिप्पणी एवं मसौदा लिखने का अभ्यास किया। कार्यशाला के अन्त में श्री. राजेन्द्र प्रसाद मौसम विज्ञानी, श्रेणी-। ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को धन्यवाद देते हुए यह आशा व्यक्त की, कि वे लोग अपने-अपने अनुभाग में जाकर हिन्दी में अधिक से अधिक कामकाज करने का प्रयत्न करेंगे। प्रेम और सद्भावना के साथ हिन्दी कार्यशाला समाप्त हुई।

वि. बि. चक्रवर्ती
सहायक मौसम विज्ञानी (प्रशासन)
कृते मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान)

7. पुणे

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार पुणे टेलीफोन[illegible] में पांच दिवसीय हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया ग[illegible]

दि. 21-3-86 को कार्यशालाओं का उद्घाटन क[illegible] टेलीफोन्स के उप महा प्रबंधक (पी. एन्ड [illegible] मूर्ति ने इन कार्यशालाओं में कर्मचारि[illegible] स्वरूप को जानने, समझ[illegible] प्रयोग करने हेतु प्रे[illegible]

दि. 31-3-86 को हुए कार्य शालाओं के समापन के अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों ने अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए इन कार्यशालाओं को काफी उपयोगी बताया।

समापन समारोह के अध्यक्ष के रूप में बोलते हुए पुणे टेलिफोन्स के सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) श्री प्र. ह. टिलल ने कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए पुणे टेलीफोन्स के हिंदी अधिकारी डा. किशोर वासवानी को बधाई देते हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपना कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर हिन्दी कक्ष के प्रधान प्रभारी श्री पी. के. लोंढे (म.अ.ए.टी.) भी उपस्थित थे।

हिन्दी अनुवादक श्रीमती सरोज जोशी के धन्यवाद प्रस्ताव से हिन्दी कार्यशालाओं का समापन समारोह सम्पन्न हुआ।

किशोर वासवानी
हिन्दी अधिकारी
पुणे टेलिफोन्स

8. नई दिल्ली

राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना में अंशकालिक प्रशिक्षण, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा पत्राचार माध्यम से हिन्दी शिक्षण तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा त्रिमासीय तथा द्विमासीय पूर्णकालिक गहन हिन्दी प्रशिक्षण। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रशिक्षण अवधि, सेवारत कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण सामान्य कार्य में होने वाले व्यवधान को कम करने एवं प्रशिक्षण की प्रभावोत्पादकता को बढाने के लिए कार्यशाला पद्धति का भी प्रयोग किया जाता रहा है। 30 कार्य-दिवस कार्यशाला के प्रारम्भिक प्रयोग के बाद पिछले कुछ वर्षों में दो, तीन या चार दिन की पूर्णकालिक अथवा पांच-छह दिन की अंशकालिक कार्यशालाएं चलने लगी हैं। ऐसी कार्यशालाओं की अभिवृत्ति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि राजभाषा के प्रसारोन्मुखी कार्यक्रम को सार्थक रूप देने के लिए कार्यशाला पद्धति एक प्रभावी तकनीक के रूप में स्वीकार्य हो चुकी है। दूसरी ओर, कार्यशालाओं के कार्यान्वयन में पाए जाने वाले वैभिन्न से यह भी स्पष्ट है कि इस तकनीक के सैद्धांतिक, संकार्यात्मक तथा शैक्षणिक पक्षों की सुविधारित समीक्षा करने की आवश्यकता है।

राजभाषा के कार्यान्वयन में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान भी अपना योगदान करता रहा है जैसे हिन्दी शिक्षण योजना की शिक्षण तथा पाठ्यचर्या का निर्माण, हिन्दी शिक्षण योजना के अध्यापकों तथा सहायक निदेशकों के लिए नवीकरण पाठ्यक्रमों का आयोजन, निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम में कार्यरत मूल्यांककों तथा अन्य अधिकारियों को अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान डिप्लोमा के अन्तर्गत प्रशिक्षण, आदि। राजभाषा के प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला पद्धति को एक प्रभावी तकनीक के रूप में स्वीकार करते हुए, संस्थान अपने दिल्ली केन्द्र के प्रांगण में एक दो-दिवसीय संगोष्ठी - तथा - कार्यशाला आयोजित कर रहा है जिसमें कार्यशाला तकनीक को सम्यक रूप देने के लिए निम्नलिखित पक्षों पर विचार किया जाएगा :

1. विभिन्न कार्यक्षेत्रों में कार्यशालाओं का वर्तमान स्वरूप

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, बैंकों, निगमों तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने यहां आयोजित कार्यशालाओं का विवरण प्रस्तुत करेंगे जिसमें कार्यशालाओं की अवधि, प्रविधि, विषयों का चयन, प्रतिभागी-स्तर, चयन-पद्धति, लक्ष्य, आवृत्ति, मूल्यांकन तथा अनुवर्ती कार्यक्रम के बारे में समीक्षा-परक विवेचन किया जाएगा।

2. कार्यशालाओं का प्रभावी स्वरूप

कार्यशाला पद्धति को प्रभावशाली बनाने के लिए एक आधारभूत तथा विस्तृत पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्धारण, परिचर्चा-तथा-कार्यशाला द्वारा किया जाएगा। इसमें विषयों का सापेक्षिक महत्व, कार्यशाला में प्रतिभागी-योगदान के आयामों का निर्धारण, तथा संकार्यात्मक पक्षों (जैसे अवधि, प्रविधि, आवृत्ति आदि) पर विचार करने के बाद शैक्षणिक दृष्टि से समरूपी किंतु प्रयोक्ता तथा संस्था-सापेक्ष अनुस्तरित रूपरेखा तैयार की जाएगी।

इसके अतिरिक्त कार्यशालाओं की उपलब्धि का आकलन करने के लिए वस्तुनिष्ठा तथा तर्कसंगत निर्धारक-तत्वों के चयन पर विचार किया जाएगा।

उक्त विषयों पर चर्चा को ठोस रूप देने के लिए प्रतिभागी संस्थाओं से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने यहां प्रयुक्त शैक्षणिक तथा अन्य सामग्री भी लाएं। ऐसी सामग्री की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

प्रो. बालगोविन्द मिश्र
निदेशक

9. नई दिल्ली

लघु उद्योग विकास संगठन की "हिन्दी संवर्द्धन योजना" के अधीन लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली (क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, नई दिल्ली सहित) में 5 दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन 3 मार्च से 7 मार्च, 1986 तक किया गया। इस कार्यशाला को और अधिक जागरूक एवं प्रभावी बनाने के लिए हमारे अनुरोध पर केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) दिल्ली केन्द्र ने अपना बहुमूल्य शैक्षिक सहयोग प्रदान किया और इस काम के लिए उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। कार्यशाला का समय प्रतिदिन अपराह्न 2 से 4 बजे रखा गया। इसमें कार्यालयी टिप्पण और मसौदा लेखन आदि का प्रशिक्षण हिन्दी में दिया गया। यह प्रशिक्षण संस्थान में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए दिया गया। टिप्पण और मसौदा लेखन से सम्बन्ध रखने वाले संस्थान के 30 सदस्यों ने इस कार्यशाला में नियमित रूप से भाग लिया। उद्घाटन एवं समापन के अवसर

पर संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित थे। विभिन्न स्थानों पर हिन्दी विषयक पोस्टरों के अलावा संस्थान के मुख्य द्वार पर "हिन्दी कार्यशाला" का एक बैनर भी लगाया गया था।

3. मार्च, 1986 को इस कार्यशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली के महाप्रबन्धक श्री बी.एल. मल्होत्रा ने किया, जो इस सत्र के मुख्य अतिथि थे। सत्र की अध्यक्षता केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, दिल्ली केन्द्र के प्रभारी एवं प्रो. एम. जी. चतुर्वेदी ने की। इस अवसर पर हिन्दी कार्यशाला में आए प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए लघु उद्योग सेवा संस्थान के निदेशक श्री मू.रा. ब्रह्मराक्षस ने कहा—

"आज हमारे इस लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित हिन्दी कार्यशाला के अवसर पर आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। लघु उद्योग विकास की "हिन्दी संवर्द्धन योजना" के अधीन हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी संगोष्ठियों की तरह हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के अनुकूल वातावरण बनाने में इस तरह की संगोष्ठियों, हिन्दी कार्यशालाओं और हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का विशेष महत्व है। कार्यशालाओं का उद्देश्य न तो कर्मचारियों को देवनागरी लिपि सिखाना है और न अनुवाद की कला ही। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी काम-काज में प्रयुक्त होने वाली व्यावहारिक हिन्दी का अभ्यास करवाना है जिससे कार्यशालाओं में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति मौलिक रूप से हिन्दी में मसौदे और टिप्पणियां लिख सकें।"

हिन्दी के प्रति लगाव और उनमें प्रतियोगिता की भावना पैदा करने के उद्देश्य से संस्थान में 9 और 10 दिसम्बर, 1985 को हिन्दी वाक् और हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र और लघु उद्योग सेवा संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया था। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण-पत्र तथा पुरस्कार भी इस कार्यशाला के समापन के दिन बांटे जाएंगे।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा चालू की गई मूल टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना के अधीन भी क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र एवं लघु उद्योग सेवा संस्थान के कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इस योजना के अधीन इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को एक वर्ष में अपने सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के कम से कम 50,000 शब्द लिखने होते हैं। इस प्रतियोगिताओं में प्रथम चार स्थान पाने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 400-400 रु. के दो तथा 200-200 रु. के दो पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं।

लघु उद्योग विकास संगठन ने भी इस योजना को हूबहू लागू किया है, जिसके अधीन दो प्रतियोगियों को 100 और 50 रु. के दो पुरस्कार दिए जा रहे हैं।

इस कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली के महाप्रबन्धक श्री बी.एल. मल्होत्रा ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकाल कर हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया, मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं।

मैं, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, दिल्ली केन्द्र के प्रभारी प्रो. एम. जी. चतुर्वेदी जी का भी अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने इस कार्यशाला को अधिक जागरूक बनाने के लिए अपना पूर्ण शैक्षिक सहयोग देने के साथ-साथ इस कार्यशाला के इस सत्र की अध्यक्षता भी सहर्ष स्वीकार की। मैं उनका और उनके स्टाफ का हार्दिक स्वागत करता हूं और विशेष रूप से डा. कृष्ण कुमार गोस्वामी जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। अन्त में, मैं उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

निदेशक श्री ब्रह्मराक्षस के स्वागत भाषण के बाद केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के डा. कृष्ण कुमार गोस्वामी ने हिन्दी कार्यशाला सम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के महाप्रबन्धक तथा इस सत्र के मुख्य अतिथि श्री बी. एल. मल्होत्रा ने अपना अमूल्य भाषण दिया, जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है :—

"जब भी कभी हिन्दी की कार्यशाला जहां भी कभी हुई है, चाहे वह हमारे संस्थान में हुई हो या अब यहां हो रही है, अक्सर हम एक मूल प्रश्न उठाते हैं कि हिन्दुस्तान के नागरिक होते हुए, घर में हिन्दी बोलते हुए, उसके बावजूद यह फर्क क्यों आता है कि हमें हिन्दी को एक फार्मूला रूप में पढ़ना पड़ता है। बहुत से हम में से ऐसे लोग भी हैं जिनका किसी ने किसी कक्षा में हिन्दी का विषय अवश्य रहा है, चाहे वह मैट्रिक में रहा हो, चाहे ग्रेजुएशन में रहा हो। इसके बावजूद भी हम लोग हिन्दी में कार्य करने से हिचकते हैं और अंग्रेजी जोकि विदेशी भाषा है उसमें काम करना चाहते हैं और उसमें काम करना हमें सरल लगता है, ऐसा क्यों है? चाहे वे हिन्दी भाषी हों या अहिन्दी भाषी हों, वे हिन्दी बोलने से कतराते हैं। हमें स्वतंत्र हुए 40 वर्ष अगले साल हो जाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी हिन्दी को बढ़ोतरी देने के लिए एक्ट की सहायता लेनी पड़ती है। मूल रूप से मैं नहीं जानता कि उस दौर में कोई ऐसी उन्नति हुई होगी कि हिन्दी को हमने राजभाषा के रूप में अपनाया। यह जो एक किस्म की मानसिकता है या रुकावटें हैं, ये किन कारणों से हैं? यह भी सोचने की बात है कि बाहरी देशों में उनकी टेक्नीकल उनकी अपनी भाषाओं में होती हैं, परन्तु एक हमारा देश ही ऐसा है जहां ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे यहां ये बुक्स इंगलिश में होती हैं या दूसरी भाषा में होती हैं। यह प्रश्न काफी मूल है। इस कार्यशाला में भी अगर इस प्रश्न का शायद कोई समाधान हो सके तो इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी और इसी कारण जैसा कि पहले आपको बता चुका हूं कि हिन्दी को बढ़ावा देने

के लिए हमें एक्ट का सहारा लेना पड़ता है और हिन्दी के काम को सुचारू रूप से करने के लिए यदि हम केवल हस्ताक्षर से शुरू करें, हम जो भी साइन करते हैं या नोटिंग के बाद साइन भी हम करते हैं उससे भी अगर प्रारम्भ किया जाए तो मेरे विचार में यह भी काफी होगा। ये छोटी-छोटी चीजें हैं जिन्हें हम हिन्दी में करने के बजाय अंग्रेजी में करते हैं। इन्ही शब्दों के साथ में इस कार्यशाला का भाषण समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इस कार्यशाला से सभी लाभ उठाएंगे।''

तत्पश्चात केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के प्रभारी एवं प्रोफेसर तथा इस सत्र के अध्यक्ष श्री एम. जी. चतुर्वेदी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि ''यह प्रसन्नता की बात है कि हिन्दी के कदम चाहे लड़खड़ा रहे हों, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दी का मसला उन लोगों ने उलझाया जो भाषा नामक चीज को नहीं जानते। और यह उलझाने वाली कहानी आज से करीब 100 वर्ष पुरानी है। हिन्दुस्तान में अंग्रेजी सरकार जब आई तब उस समय हिन्दुस्तान में साक्षरता 80% थी और जब वो गई 60% थी। ये गिरावट क्यों आई? इस विषय पर हमें सोचना चाहिए''। अन्त में जलपान के साथ प्रथम सत्र की कार्यवाही समाप्त हो गई।

प्रथम दिवस के दूसरे सत्र में प्रो. एम. जी. चतुर्वेदी ने कार्यशाला के प्रतिभागियों की कक्षा ली और प्रयोजन मूलक हिन्दी विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

4 मार्च, 1986 को डा. कृष्ण कुमार गोस्वामी ने हिन्दी कार्यशाला की प्रथम सत्र की कक्षा ली और उन्होंने ''संविधान में राजभाषा हिन्दी'' विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

दूसरे सत्र की कक्षा डा. मोहन लाल ने ली। इन्होंने मानक वर्तनी विषय पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित मानक वर्तनी नामक पुस्तक की एक-एक प्रति भी सभी प्रतिभागियों में बांटी गई।

5 मार्च, 1986 को डा. कृष्ण कुमार गोस्वामी ने ''सरकारी कामकाज में पत्राचार'' विषय पर कक्षा ली। इसमें उन्होंने कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, अर्द्धसरकारी पत्र, पृष्ठांकन, अर्धि-सूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट आदि के बारे में जानकारी दी।

दूसरे सत्र की कक्षा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के प्राध्यापक श्री शेर बहादुर झा ने ली। इन्होंने ''तकनीकी शब्दावली और मसौदा लेखन'' का अभ्यास करवाया।

6 मार्च, 1986 को प्रथम सत्र की कक्षा प्रोफेसर अशोक कालरा ने ली। इन्होंने अंग्रेजी हिन्दी शैली संरचना के बारे में प्रतिभागियों को समझाया।

दूसरे सत्र की कक्षा श्री श्रीश चन्द जैसवाल ने ली। इन्होंने प्रतिभागियों को मसौदा लेखन का अभ्यास करवाया।

7 मार्च, 1986 को प्रथम सत्र में श्री श्रीश चन्द जैसवाल ने टिप्पण लेखन अभ्यास पर कक्षा ली।

दूसरे सत्र में हिन्दी कार्यशाला का समापन समारोह किया गया, जिसका संचालन विकास आयुक्त, लघु उद्योग कार्यालय के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री नाहर सिंह वर्मा ने किया। संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :—

समापन समारोह के मुख्य अतिथि केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, के निदेशक प्रोफेसर बाल गोविन्द मिश्र थे और ये समस्त कार्यक्रम विकास आयुक्त, लघु उद्योग कार्यालय के हिन्दी निदेशक श्री मदन गुप्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। सबसे पहले क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के निदेशक, श्री जी. एस. कश्यप ने सभी अतिथियों व प्रतिभागियों का स्वागत किया। तत्पश्चात् प्रतिभागियों को इस पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला के बारे में अपने विचार व प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहा गया। इस पर श्री एस. पी. पाण्डे, उच्च श्रेणी लिपिक, श्री मनोज कुमार, अवर श्रेणी लिपिक और श्री ए. एन. शर्मा, प्रारूपकार ने अपने विचार प्रकट करते हुए इस कार्यशाला की बहुत प्रशंसा की और इसके आयोजकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने भविष्य में भी ऐसी ही कार्यशालाएं और अधिक समय के लिए आयोजित करने की मांग भी की।

इसके बाद श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी ने इस कार्यशाला के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

तत्पश्चात् मुख्य अतिथि महोदय प्रो. बाल गोविन्द मिश्र ने लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा चालू की गई ''हिन्दी संवर्द्धन योजना के अधीन'' हिन्दी वाक् प्रतियोगिता, हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता, सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र वितरित किए, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

1. हिन्दी वाक् प्रतियोगिता

प्रतियोगी का नाम व पदनाम	स्थान	पुरस्कार की राशि
1. श्री स्वदेश कुमार, सहायक निदेशक लघु उद्योग सेवा संस्थान	प्रथम पुरस्कार	50/- रु०
2. श्री एस० पी० पाण्डे, उच्च श्रेणी लिपिक, लघु उद्योग सेवा संस्थान	द्वितीय पुरस्कार	30/- रु०
3. श्री गिरीश चन्द्र चन्दोला, अन्वेषक क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र	तृतीय पुरस्कार	20/- रु०

2. हिन्दी निबंध प्रतियोगिता

1. कु० जयन्ती जोशी, अन्वेषक लघु उद्योग सेवा संस्थान	प्रथम पुरस्कार	100/- रु०
2. श्री जे० सी० पसरीजा, सहायक निदेशक, लघु सेवा संस्थान	द्वितीय पुरस्कार	70/- रु०
3. श्री पन्ना लाल, कुशल कामगार लघु उद्योग सेवा संस्थान	तृतीय पुरस्कार	30/- रु०

3. सांत्वना पुरस्कार

वर्ष 1985 के दौरान ''क'' क्षेत्र में एक अहिन्दी भाषी कर्मचारी को हिन्दी में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए श्री एस.

रंगनाथन, अवर श्रेणी लिपिक को 50/- रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया।

4. सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

1. श्रीमती कृष्णा कुमारी, उच्च श्रेणी लिपिक, लघु उद्योग सेवा संस्थान	प्रथम पुरस्कार	100/- रु०
2. श्रीमती कमला देवी, निम्न श्रेणी लिपिक, लघु उद्योग सेवा संस्थान	द्वितीय पुरस्कार	50/- रु०

इसी प्रकार राजभाषा विभाग द्वारा चालू की गई "सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना" के अधीन प्रथम चार विजेताओं को निम्न प्रकार से पुरस्कृत किया गया। इस योजना के अधीन प्रत्येक प्रतिभागी को वर्ष भर में कम से कम 50,000 शब्द लिखे जाने अपेक्षित हैं :—

प्रतियोगी का नाम व पदनाम	स्थान	पुरस्कार की राशि
1. श्री मनोज कुमार, अवर श्रेणी लिपिक लघु उद्योग सेवा संस्थान	प्रथम पुरस्कार	400/- रु०
2. श्रीमती उमा रावत, अवर श्रेणी लिपिक लघु उद्योग सेवा संस्थान	द्वितीय पुरस्कार	400/- रु०
3. श्री जी० डी० पाण्डे, उच्च श्रेणी लिपिक क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, नई दिल्ली	तृतीय पुरस्कार	200/- रु०
4. श्रीमती ममता मरवाह, अवर श्रेणी लिपिक, लघु उद्योग सेवा संस्थान	चतुर्थ पुरस्कार	200/- रु०

इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय श्री मदन गुप्त ने हिन्दी कार्यशाला में सम्मिलित प्रत्येक प्रतिभागी को हिन्दी कार्यशाला के प्रमाण-पत्र वितरित किए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा—"मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यहां आकर दो मिनट बात करने का मौका दिया। मुझे खेद है कि मुख्यालय से बाहर रहने के कारण मैं इस कार्यशाला में पांचों दिन न आ सका। पहले तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि आप लोग ट्रांसलेशन की हिन्दी पर निर्भर न रहें। हिन्दी बहुत सूक्ष्म, प्रभावी, गतिशील, सुन्दर और अच्छी भाषा है। इस भाषा में आपमें से 3/4 (तीन चौथाई) लोग पत्र भी लिखते हैं। अंग्रेजी के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आप केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि और भी बहुत-सी भाषाएं सीखें। यह एक अच्छी बात है, परन्तु राजभाषा हिन्दी में काम करने की आदत भी डालिए, और जरूरत पड़े तो अंग्रेजी के शब्द भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उसकी हिन्दी आप ठीक न समझें तो।" आगे उन्होंने कहा "दक्षिण भारतीय अंग्रेजी में नोटिंग लिखने में इतने सिद्धहस्त हैं कि एक बार तो उनकी नोटिंग का कायल हो जाना पड़ता है। कहीं ऐसा न हो कि वे हिन्दी में लिखने लगें तो हिन्दी भाषियों को भी मात कर दें"।

अन्त में इस पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला के संयोजक श्री चंद्र मोहन मधरा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए उन सबका धन्यवाद किया।

(ज. प्र. निगम)
उप निदेशक

10. नई दिल्ली

नैशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, लोधी रोड, नई दिल्ली में दिनांक 10 फरवरी से 14 फरवरी, 1986

ने० वि० क० का० विलमि० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एस० सी० कपूर कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए

तक पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। एनबीसीसी के सम्मेलन कक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 36 कर्मचारियों व अधिकारियों ने सोत्साह भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एस. सी. कपूर द्वारा हुआ। उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य प्रशासनिक प्रबंधक एवं सचिव श्री एस. सी. धवन ने हिन्दी कक्ष द्वारा तैयार की गई "सरल राजभाषा" की प्रति अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय को भेंट की। इस दौरान सभी शिक्षार्थियों को भी "सरल-राजभाषा" नामक पुस्तिका की प्रतियां वितरित की गईं।

इस पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य राजभाषा नीति एवं हिन्दी प्रारूपण व टिप्पण, सामान्य पत्र-व्यवहार का ज्ञान देना व इस संबंध में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना था ताकि अधिकारी व कर्मचारी अपनी शंकाओं व संकोच से मुक्त होकर विश्वास के साथ अपना रोजमर्रा का काम हिन्दी में कर सकें।

अपने उद्घाटन भाषण में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एस. सी. कपूर ने प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हिन्दी हम सब की भाषा है, वह किसी क्षेत्र प्रदेश की भाषा नहीं और इसी कारण उसे राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हम सबका यह दायित्व है कि उसे सरकारी कामकाज की भाषा बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना ही हमारा योगदान होगा। मैं आशा करता हूं कि कार्यशाला के आयोजन से कर्मचारियों व अधिकारियों में हिन्दी के प्रति रुचि उत्पन्न होगी।

इसके उपरान्त कोयला विभाग के हिन्दी अधिकारी श्री एस. एन. अग्निहोत्री ने राजभाषा नीति व उसके वार्षिक क्रियान्वयन कार्यक्रम की सम्पूर्ण जानकारी दी। कार्यशाला के दूसरे दिन श्री महेशचन्द्र गुप्त, निदेशक, राजभाषा ने "इंजीनियरिंग कार्यों में हिन्दी का प्रयोग तथा तकनीकी विषयों में नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग" सम्बन्धी जानकारी दी व शिक्षार्थियों को इस सम्बन्ध में अभ्यास भी करवाया। तीसरे दिन केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के महामंत्री श्री रघुनन्दन प्रसाद ने विभिन्न प्रकार के आवेदनों के प्रारूप, पत्र व्यवहार के प्रकार तथा हिन्दी में तार विषय पर व्याख्यान दिया व शिक्षार्थियों को अभ्यास कराया। चौथे दिन आई.आर.सी.सी. के हिन्दी अधिकारी श्री ब्रज नंदन सिंह ने छुट्टी, पेशगियों सम्बन्धी आवेदन पत्र एवं साधारण टिप्पणियों पर अपने विचार रखे। पांचवें दिन इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के हिन्दी अधिकारी श्री हरशरण गोयल ने सेवा पुस्तिकाओं में हिन्दी प्रविष्टियां, बिलों का भुगतान, लेखा जांच तथा आपत्तियां सम्बन्धी अभ्यास कराया।

इस पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला के समापन कार्यक्रम में निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष व मुख्य अभियंता श्री एम. एस. राव ने शिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए व इस बात पर बल दिया कि कार्यशाला में शिक्षार्थियों ने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका वह प्रयोग करेंगे और बिना किसी हिचकिचाहट के, स्वतंत्र रूप से हिन्दी में कार्य करेंगे।

अन्त में एनबीसीसी की हिन्दी अधिकारी श्रीमती डा. किरण कुमार ने श्री एम. एस. राव, अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का आभार प्रकट करते हुए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे सरल व सुबोध शब्दों में अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने की आदत डालें।

डा. किरण कुमार
हिन्दी अधिकारी
नैशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि.
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

11. नई दिल्ली

कार्यालय : मुख्य अभियन्ता (उ. क्षे.), आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, नई दिल्ली में 17 फरवरी, 1986 से 21 फरवरी, 1986 तक तीसरी हिन्दी कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कार्यालय के सात कर्मचारियों ने हिन्दी नोटिंग, ड्राफ्टिंग तथा दूसरे कार्यालयों से हिन्दी में पत्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला में निम्नलिखित विद्वानों एवं अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया :—

1. डा. पांडुरंग राव, निदेशक (रा. भा.), संघ लोक सेवा आयोग।
2. डा. गिरिधरधारी सिंह, उप-निदेशक (रा. भा.), आकाशवाणी महानिदेशालय।
3. श्री भरत सिंह, भदौरिया, उप-निदेशक (रा. भा.), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय।
4. श्री जी. एन. त्यागी, सहायक निदेशक (राजभाषा), संघ लोक सेवा आयोग।

दिनांक : 17-2-86 को कार्यालय के वरिष्ठ निदेशक श्री एच. एम. जोशी ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री जोशी ने कहा कि हिन्दी में कार्य करने में सक्षम सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयीन हिन्दी, नोटिंग/ड्राफ्टिंग आदि में प्रशिक्षित करना ही हिन्दी कार्यशालाओं का एक प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कार्यालय के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से हिन्दी में ही कार्य करने का आह्वान किया तथा विश्वास व्यक्त किया कि कार्यशाला के आयोजन से कार्यालय के कर्मचारियों का हिन्दी में कार्य करने का मनोबल बढ़ेगा तथा हिन्दी में कार्य करने की उनकी झिझक भी दूर होगी।

तत्पश्चात् उस दिन आमंत्रित मुख्य वक्ता डा. पांडुरंग राव, निदेशक (राजभाषा), संघ लोक सेवा आयोग ने अपने सारगर्भित भाषण में हिन्दी के राष्ट्रीय एवं राजभाषागत महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिन्दी भाषा में चरम समंजनशीलता एवं लोच है। यह एक ऐसी भाषा है जो खुद टूट कर और अन्य भाषाओं

के शब्दों को अपने में समाहित करते हुए आगे बढ़ी है और यही इसकी उल्लेखनीय विशेषता है।

तत्पश्चात् विगत कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा आयोजित 19वीं अखिल भारतीय टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को मुख्य वक्ता डा. राव द्वारा प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

अन्त में अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री एम. एस. करमलकर, निदेशक (अभि.) ने कार्यालय में हिन्दी कार्य के क्षेत्र में हुई प्रगति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए उपस्थित लोगों से अपील की कि हम सबको हिन्दी में कार्य करने में किसी भी प्रकार का संकोच अथवा हीनभाव न अनुभव करके गौरव का अनुभव करना चाहिए।

आगामी चार दिन उपरिलिखित अन्य विद्वज्जनों ने कार्यालयीन हिन्दी एवं नोटिंग/ड्राफ्टिंग के विविध क्षेत्रों में कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया, उनसे अभ्यास कराया और उनकी कठिनाइयों का निराकरण किया। सभी वक्ताओं ने कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि हिन्दी में कार्य करते समय अंग्रेजी में न सोचा जाए, सम्बन्धित विषय पर जो भी भाव जैसी भी हिन्दी में मन और मस्तिष्क में आ रहे हों उन्हें उसी रूप में फाइल पर प्रस्तुत कर दिया जाए भले ही इस प्रक्रिया में कुछ शब्द अंग्रेजी, उर्दू, आदि के भी क्यों न आ जाएं। शब्दा-भाव में हिन्दी की गाड़ी कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए। कार्यालय के प्रशिक्षणार्थियों को कार्यशाला के आयोजन से काफी प्रेरणा मिली और उन्होंने भविष्य में यथासम्भव अपना सारा सरकारी कार्य हिन्दी में ही करने का संकल्प लिया।

हरि शरण आर्य
हिन्दी अधिकारी

12. नई दिल्ली

केनरा बैंक द्वारा नई दिल्ली में 13–15 मार्च, 1986 तक अपने अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 25 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन सांसद कैलाशपति मिश्र द्वारा किया गया। उन्होंने उद्घाटन सत्र में अधिकारियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए बैंकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आम आदमी बैंक के महत्व को समझ पा रहा है या नहीं। आम आदमी प्रशिक्षित हो और बैंकों की कार्यप्रणाली को समझे इसके लिए आम आदमी की भाषा का प्रयोग जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी को सम्पर्क के लिए बाधा मानते हुए कहा कि देश की एकता के लिए और एक छोर से दूसरे छोर तक एक दूसरे से जुड़े और देश की आर्थिक प्रगति के लिए हिन्दी का प्रयोग बहुत जरूरी है। यदि हम हिन्दी में काम करने लगें तो पूरे भारत के साथ सम्बन्ध जुड़ेंगे। स्वाभिमान का आधार हृदय में बनना चाहिए। अतः हिन्दी को व्यवहार में लाना चाहिए।

तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला में अधिकारियों को कामकाजी हिन्दी का प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह में प्रख्यात साहित्यकार डा. प्रभाकर माचवे ने अधिकारियों को सम्बोधित किया और प्रमाण-पत्र वितरित किए। डा. प्रभाकर माचवे ने बैंक अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हरेक मुल्क की एक लिपि, एक अस्मिता, एक जबान होती है। किन्तु हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जा रही है। दरिद्रनारायण की सेवा के लिए उनकी भाषा का प्रयोग करना होगा। भाषा ही नहीं अपितु पाश्चात्य संस्कृति को भी अंधाधुंध अपना रहे हैं। सभी भाषाओं को जोड़ने के लिए एक भाषा की जरूरत है और हिन्दी पूर्णतः इसके लिए उपयुक्त है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो इस एकता की भाषा का प्रयोग जरूरी है, उन्होंने अन्त में कहा कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है तो हिन्दी से है।

रमेश चन्द्र
हिन्दी अधिकारी

13. आगरा

क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा कक्ष द्वारा दिनांक 27-1-86 से 28-1-86 तक अपनी शाखाओं में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन केनरा बैंक, आगरा के कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र पर किया गया। उद्घाटन अवसर पर श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय, आयकर आयुक्त एवम् अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आगरा, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। सौभाग्यवश भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक—श्री शशि कुमार सप्रू भी उक्त अवसर पर उपस्थित रहे तथा उक्त समारोह की अध्यक्षता की। अन्य उपस्थित सज्जनों में श्री एच. डी. सूडा—मंडल प्रबंधक, केनरा बैंक, आगरा श्री रामचन्द्र मिश्र—सहायक निदेशक (राजभाषा) आयकर आयुक्त कार्यालय, आगरा, श्री अनिल कपूर—राजभाषा अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, श्री उपेन्द्र नारायण सेवक पाण्डेय—राजभाषा अधिकारी, केनरा बैंक, डा. रामानुज भारद्वाज—राजभाषा अधिकारी, सिंडीकेट बैंक, श्री विलायती राम गोयल—प्राध्यापक हिन्दी शिक्षण योजना (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) सी. ओ. डी. आगरा. श्री एन. के. साहनी—शाखा प्रबन्धक, बेलगंज आगरा शाखा. श्री एम. के. वर्मा—शाखा प्रबंधक, ताजगंज आगरा, श्रीप्रेम नारायण चतुर्वेदी—सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, आगरा तथा आंचलिक कार्यालय, लखनऊ के उप मुख्य अधिकारी (राजभाषा) श्री मोहनसिंह राठौर की उपस्थिति उल्लेखनीय है। सर्वप्रथम श्री सैयद वकील अहमद कादरी—राजभाषा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा ने अतिथियों एवं आगन्तुकों का स्वागत किया तथा परिचय कराया। मुख्य अतिथि श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय, आयकर आयुक्त द्वारा मां सरस्वती को माल्यार्पण कर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया।

उप मुख्य अधिकारी (राजभाषा) श्री मोहन सिंह राठौर ने कार्यशाला आयोजन के उद्देश्य एवं सेन्ट्रल बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन में भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री एच. डी. सूडा, मण्डल

प्रबन्धक, केनरा बैंक ने कहा कि हिंदी कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक संस्था को आगे आना चाहिए जिससे हिंदी के प्रयोग और व्यवहार में और सुधार आयेगा। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए आयकर आयुक्त श्री त्रिलोकीनाथ पाण्डेय ने कहा कि हम लोग हिन्दी में पढ़ते हैं, घर में भी हिन्दी बोली जाती है, आपस में भी हिंदी में बात-चीत करते हैं फिर सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग में संकोच क्यों है, इसका कोई ठोस कारण मेरी समझ में नहीं आता है। जनसम्पर्क की संस्थाओं में हिंदी का व्यवहार आवश्यक है। अब हिंदी का विपुल साहित्य मौजूद है जिससे हिंदी काम-काज सुगम हो गया है। हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाय, अब यह बताना अच्छा नहीं लगता है, अब तो लक्ष्य और लगन से हिन्दी प्रयोग को बढ़ाया जा सकता है। अब हिंदी में कार्य करने का व्रत लेने का समय आ गया है। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि कार्यशाला के आयोजन से हम बहुत प्रभावित हुए हैं और आशा करते हैं कि प्रशिक्षार्थी अधिक से अधिक लाभ उठाकर ग्राहकों की बेहतर सेवा करेंगे।

तत्पश्चात् अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री शशि कुमार सप्रू, मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक (आगरा क्षेत्र), भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि इसी प्रकार लगे रहे तो मुझे आशा है कि शीघ्र ही हम कार्यालयों में सम्पूर्ण काम-काज हिंदी में करने में सक्षम हो जायेंगे। उक्त अवसर पर श्री प्रेम नारायण चतुर्वेदी, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

सैयद वकील अहमद कादरी
राजभाषा अधिकारी

14. लखनऊ

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल पर सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 17 से 21 फरवरी, 86 तक हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। सप्ताह का समापन समारोह लखनऊ स्थित मण्डल कार्यालय में दिनांक 21-2-86 को सुप्रसिद्ध कथा-लेखिका पद्मश्री श्रीमती गौरा पंत शिवानी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। श्रीमती शिवानी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आगे बताया कि गुलाम नागरिक को दूसरे की भाषा, दूसरे का शिष्टाचार पसन्द आने लगता है। यही कारण है कि यहां के लोग अंग्रेजी मोह आज भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। आवश्यकता यह है कि हम उन्मुक्त हृदय से भारतीय बनें और हिन्दी को उसका अपेक्षित गौरव प्रदान करें। हमारी भाषा की नीति निश्चित रूप से सहिष्णुता की होनी चाहिए और हमें सभी भाषाओं का आदर करना चाहिए। शिवानी जी ने मेकाले की शिक्षा नीति की आलोचना करते हुए कहा कि जो बच्चा अपनी भाषा को हेय दृष्टि से देखता है वह एक न एक दिन अपनी मां को भी हेय दृष्टि से देख सकता है। इसलिए अपने बच्चों में अपनी भाषा के प्रति समुचित सम्मान की भावना उत्पन्न करना आवश्यक है। श्रीमती शिवानी ने जोर देकर कहा कि स्वधर्म, स्वभाषा के प्रति आस्था सरकार की पहली जिम्मेदारी है।

रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य डा. बिन्दा प्रसाद मिश्र ने इस अवसर पर अपने सारगर्भित भाषण में लखनऊ मण्डल के कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्य की सराहना की। आपने कहा कि यहां के लोगों में हिन्दी के प्रति एकांभावना है, एक लगन है। आवयश्कता यह है कि हिन्दी के प्रति अपनी भावनाओं को हम राष्ट्रीय स्तर पर उन्मुक्त करें। बिना राष्ट्र-भाषा के राष्ट्र गूंगा होता है। एक होने के लिए भी भाषा की एकता आवश्यक है।

लखनऊ मण्डल के मण्डल रेल प्रबन्धक श्री अनिरूद्ध मित्तल ने अतिथियों का स्वागत हुए स्पष्ट किया कि भाषा का प्रयोग एक दूसरे को समझने, समझाने के लिए होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सरल भाषा का प्रयोग करें। यह एक विडम्बना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी अपनी भाषा को वह स्थान प्राप्त नहीं है जो उसे मिलना चाहिए। श्री मित्तल ने आगे कहा कि लखनऊ मण्डल के अधिकारी और कर्मचारी इस दिशा में पूरी तरह सजग हैं और हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा अधिकाधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में होने लगे। हिन्दी सप्ताह के संबंध में जानकारी देते हुए आपने बताया कि 19-2-86 को सीतापुर में श्री जयशंकर प्रसाद जयंती आयोजित की गयी और इस अवसर पर प्रसाद जी की स्मृति में कवि सम्मेलन भी सम्पन्न हुआ।

लखनऊ मण्डल के अपर मण्डल रेल प्रबन्धक/मण्डल राजभाषा अधिकारी श्री धनंजय पति त्रिपाठी ने अपने वक्तव्य में कहा कि श्रीमती शिवानी सर्वाधिक लोकप्रिय कथा लेखिका है। आपने श्रीमती शिवानी एवं डा. बिन्दा प्रसाद मिश्र के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि लखनऊ मण्डल में हम राजभाषा का प्रयोग प्रसार निश्चित रूप से बढ़ायेंगे।

उक्त समारोह का शुभारम्भ श्री किशोर चतुर्वेदी द्वारा सरस्वती वन्दना से किया गया। कार्यक्रम का सुरुचिपूर्ण संचालन लखनऊ मण्डल के प्रवर हिन्दी अधिकारी श्री कामता प्रसाद अवस्थी ने किया।

मंडल रेल प्रबन्धक

विविधा

(1) कालीकट विश्वविद्यालय में अनुवाद-संगोष्ठी का आयोजन

कालीकट विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग के अनुवादक मंच के तत्वाधान में सेनट भवन में तारीख 5-3-1986 को आयोजित एकदिवसीय संगोष्ठी अनुवाद के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने में सहायक हुई। परिचर्चा का उद्घाटन "अनुवाद और संस्कृति" पर एक विस्तृत भाषण देते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार डा. एम. जी. एस. नारायण ने किया। उन्होंने बताया कि अनुवाद ऐसा एक माध्यम है जो इतिहास के विभिन्न मोड़ों पर सांस्कृतिक नवजागरण का उपाय बना है। अतः मानव संस्कृति के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री एम. जी. एस. ने कहा कि पाश्चात्य पंडितों ने यहां पर धार्मिक प्रभुता जमाने के लिए अनुवाद का सहारा लिया था जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए सहायक बना। अरबी एवं उर्दू के विद्वान एहल्शाम अहमद नदवी की अध्यक्षता में संपन्न सभा में डा. वेणुगोपाल पणिकर एवं डा. राघव वारियम ने अनुवाद के सांस्कृतिक एवं समाज-भाषा वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष ने अरब और भारत के आपसी सम्बन्धों में अनुवाद के योगदान पर प्रकाश डालते हुए मामूनल रशीद और हारूनो रशीद के जमाने से लेकर टोलड़ो तक के अनुवाद केन्द्रों में अनुवाद की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया विकसित की गई, उसकी ओर इशारा किया। वैदिक ऋचाओं में प्राप्त अर्थभेदों को जाने बिना अंग्रेजों का किया अनुवाद तथा प्रत्येक युग के आरम्भ से अंत तक अर्थ में आने वाले परिवर्तनों से अनभिज्ञ व्यक्तियों के, अनुवाद की त्रुटियों की ओर डा. राघववारियन ने सबकी दृष्टि आकर्षित की। शाब्दिक अनुवाद और भावानुवाद के योगदान को कहां तक सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में आंका जा सकता है, इस विषय पर वेणुगोपाल पणिकर का वक्तव्य उल्लेखनीय था। परिचर्चा में भाग लेते हुए श्री सी. पी. वी. विजयकुमार ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए मुगलकालीन अनुवाद की भूमिका की ओर संकेत किया।

दोपहर की "अनुवाद और साहित्य" विषयक गोष्ठी में अध्यक्ष पद पर आसीन होते हुए मद्रास विश्वविद्यालय के मलयालम विभागाध्यक्ष प्रो. प्रभाकर वारियन ने द्रविड़ भाषाओं के इतने घनिष्ठ सम्बन्ध होने पर भी तमिल और मलयालम के पारस्परिक अनुवाद की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। जैसे अंग्रेजी में अनुवाद संबंधी अनेक ग्रन्थ निकले हैं, वैसे ही मलयालम और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक समस्याओं पर किताबें रचने की, उन्होंने विद्वानों से अपील की।

संस्कृत साहित्य के अनुवाद के संबंध में डा. राजेन्द्रन ने यह प्रस्ताव रखा कि मूल रचना को संपादन करने का एक अनुवादक को दिया जाना चाहिए जहां लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत प्रसंग अरोचक लगे। "मृच्छकटिकम" जैसे संस्कृत नाटक तथा "कूटियाट्टम" जैसे लोकनाट्यों के उदाहरण से उन्होंने अपने कथन की पुष्टि की।

"काव्यानुवाद" पर विस्तृत भाषण डा. सी. पी. शिवदासन ने दिया तथा "नाटकानुवाद" पर डा. एम. एस. विश्वंभरन ने अपने अनुभव के आधार पर प्रकाश डाला। डा. शिवदास ने काव्यानुवाद के सौन्दर्यशास्त्रीय पक्ष को अनुवादक की कच्ची से होने वाली क्षति की ओर इशारा किया। डा. विश्वंभरन ने नाटकों के अनुवाद में सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने को कहा क्योंकि वह सिर्फ पठनीय ही नहीं, दर्शनीय भी है। उनके अनुसार न तो संवाद अनुवाद में जोड़ा-तोड़ा जाये या न किसी रंगविधान का आयोजन मूल से हटकर अनुवादक की मर्जी पर किया जाये। जहां लोकाचार अनुष्ठान संबंधी दृश्य या कथापकथन होगा तो लक्ष्य भाषा में विस्तृत पाद टिप्पण से उसे सुबोध भी बना दिया जाये।

बंगाली से मलयालम में उपन्यास साहित्य के अनुवाद में बड़े अनुभवी श्री एम. के. एन. पोट्टटी ने अपनी भाषा और साहित्य पर मिथ्याभिमान करने वाले अनुवादकों से सतर्क रहने को कहा क्योंकि वह जो मौलिक समझता हो; वही शायद दूसरी भाषा में सबसे पहले रचा गया होगा। तब अनुवाद के प्रकाशन में भी दिक्कत हो जाती है। इस गोष्ठी की परिचर्चा अत्यंत सजीव रही। अध्यक्ष ने यह निष्कर्ष निकाला कि अनुवादक को भाषा की संरचना का जहां तक हो सके लाभ उठाना चाहिए और कोई भी अनुवाद पूर्ण नहीं बनता, केवल पूर्णता की ओर बढ़ने की कोशिश की जा सकती है।

अनुवादक-मंच के अध्यक्ष प्रो. जी. गोपीनाथन का स्वागत भाषण हुआ और उपसचिव पी. के. पद्मनाभन ने धन्यवाद दिया।

विजयकुमार सी. पी. वी.,
उप सचिव, अनुवादक मंच, हिन्दी विभाग
कालिकट विश्वविद्यालय।

(2) असम में राजभाषा का कार्यान्वयन और जनमानस

असम राज्य अभी अधिक समृद्ध नहीं है। यहां के अधिकांश लोग राजभाषा (हिन्दी) को राजनीतिज्ञों, समृद्ध लोगों, रिक्शा चालकों और दुकानदारों की भाषा मानते हैं। यहां के पढ़े-लिखे लोगों का कहना है कि—"हमने जो कुछ हिन्दी सिका(सीखा) है, वह दुकानदारों से और रिक्शा वालों से सिका (सीखा) है। हम अंग्रेजी जानता है। हमारी मातृभाषा असमी है। जब हम बाहर में जाता है तो अंग्रेजी से काम चलाता है और यहां जब रहता है तो असमिया में काम करता है। वैसे असमी लोग बाहर कम जाता है। हम हिन्दी क्यों सिकेगा (सीखेगा)? पार्लियामेंट में सारा एम. पी., बिहार, यू. पी., हिमाचल का है। वो जो करता है, वैसा हो जाता है। यहां (असम) का लोग भूका (भूखा) है, जब पेट भर जाएगा तो हम हर कुछ सीकेगा (सीखेगा)"

मैंने कहा कि "अंग्रेजी विदेशी भाषा है, हमें एक ऐसी भाषा को उन्नत करना चाहिए, जिसको हर एक भारतवासी समझ सके। यहां पर सबसे ज्यादा लोग हिन्दी को जानते हैं। इसलिए हिन्दी को राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में माना है।" इस कथन की प्रतिक्रिया में उनका कहना था—"संविधान की बात छोड़िए (छोड़िये)। यह तो सीकना का बात है न। जो पार्लियामेन्ट में 150–200 एम.पी. ने हाथ उठाया तो वह लागू हो गया। हिन्दी भी ऐसा ही हुआ है। जितना पैसा सरकार हिन्दी का सिकाने (सिखाने) में लगाता है। उतना पैसा इदर (इधर का प्रोग्रेस में लगाना चाहिए। इदर (इधर) का आदमी जब तो खाने को मिलेगा कूब सीकेगा (खूब सीखेगा)। हिन्दी क्या वो जो सिकायेगा (सिखायेगा) सिकेगा (सीखेगा), किन्तु पेत (पेट) बरने (भरने) का बाद।"

मैंने पुनः कहा कि "बिहार के लोग जिन्हें आप 'रिक्शावाला' कहते हो, वे बहुत मेहनती हैं। वे आराम से बैठकर खाना नहीं चाहते। रोटी के लिए और प्रोग्रेस के लिए मेहनत और बुद्धि चाहिए। जब कोई दोनों का उपयोग करेगा तो स्वयं ही खुशहाल बन जाएगा किन्तु मैं कह रहा था कि राजनीति दूसरी ओर है सभी लोगों का आपसी ताल-मेल, मिलना, बातें करना दूसरी ओर। राजनीति कोई मरी हुई चीज नहीं है, जो एक जगह खड़ी रहेगी। इसको चलाने वाली, इसमें प्राण फूंकने वाली तो जनता ही है न, हम लोग ही हैं। अतः हम सब भारतवासी अपनी-अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकेंगे, अपनी ज्यादतियों व्यथाओं को सभी स्थानों के लोगों से कह सकें; चाहे वह कश्मीर से कन्या कुमारी के किसी भी भाग का हो, तब हम किसी भी अन्याय को आसानी से मिटा सकेंगे। सब लोग एक दूसरे की कठिनाई को महसूस कर सकेंगे और इन्सान-इन्सान के करीब आएगा। वरना, सभी अपनी-अपनी भाषा में खिचड़ी पकाते रहेंगे। इतना बड़ा देश जिसमें अनेकों राज्य हैं, अनेकों भाषाएं हैं, वहां एक मंच पर आने के लिए अपनी राजभाषा को अच्छी तरह सीखना और उसमें काम करना चाहिए।"

इतनी चर्चाओं एवं विचार-विमर्श के बाद यह निष्कर्ष था कि, "हम यह मानता है कि एक भाषा का सिकना (सीखना) आवश्यक है। हम जरूर सिकेगा (सीखेगा), किन्तु सरकार को हिन्दी का साथ-साथ यहां का लोगों को रुजगार (रोजगार) और पेट भर खाना का बन्दोबस्त करना चाहिए न।" मैंने कहा कि आपकी यह बात ठीक है सभी के लिए रोजगार और खाना जरूरी है इसके लिए हम सब को एक होकर काम करना चाहिए। सरकार की योजनाएं जनता के लिए बनती हैं। उन्हें ठीक से लागू करना और उनका लाभ उठाना हम पर निर्भर करता है। हमें सोच-समझकर उन्हें अपनाना है और उनका लाभ उठाना है। हमें बैंकों से पैसे की सहायता मिलती है। हम रोजगार के लिए वह सहायता ले सकते हैं और अपना कोई कारोबार या व्यापार चला सकते हैं, तो हम अपने आप आगे बढ़ते चले जायेंगे।

तब एक सज्जन का कथन था—"हां सरकार का यह सब तो टीक (ठीक) है। हम सरकार का वजह से पिछड़ रहा है।" मैंने कहा यह बात तो काफी लम्बी हो जाएगी। हम अब राजनीति की बातें नहीं कर रहे। हमें तो अब केवल एक बात देखनी है कि हम सब राज्यों, प्रान्तों के लोग एक मंच पर आने की कोशिश करें सभी प्रेम-पूर्वक रहें और आ रही कठिनाइयों और समस्याओं को मिल-जुल कर दूर करें। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम सबकी अपने विचारों को व्यक्त करने वाली एक भाषा हो—और वह हिन्दी है। अतः इसका अधिक-से-अधिक विस्तार करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अपनी क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति जहां अपनी धरोहर है वहां हिन्दी अपने समूचे देश की भाषा है जिसका हमें आधुनिक परिस्थितियों को देखते हुए विस्तार करना है। इसके लिए सरकार ने बहुत सी सुविधाएं देने की योजनाएं बनायी है। उन सुविधाओं का हमें पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए।" अब उन सब का कहना था कि—"इसके लिए हमें हिन्दी का सिकना (सीखना) जरूरी है। हम हिन्दी जरुर-जरुर में सिकेगा (सीखेगा)।"

निष्कर्ष यह निकलता है कि असम के पढ़े-लिखे लोग राजनीति से अत्यधिक भयभीत हैं। वे अपनी पिछड़ी आर्थिक स्थिति के मूल में राजनीति को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। जब यहां कोई समृद्धि एवं सौहार्द को बढ़ाने की योजनाओं को देखता है तो वह एकदम उसे राजनीति से प्रेरित समझ बैठता है। यह राजनीति का भय उनका संकुचित सीमाओं में सिकुड़ जाने का मुख्य कारण है। अतः वे ऐसा अनुभव करते हैं कि इस प्रकार की योजनाएं हमें आगे बढ़ाने के लिए नहीं हमारे शोषण के लिए हैं। इस प्रकार यदि सबसे पहले उनके मन में बैठा राजनीति का आतंक दूर होगा तभी उनके मन में बैठी पारस्परिक मिलन की झिझक दूर हो पायेगी जो एक समूचे देश की भाव विनिमय की भाषा को समुन्नत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

डा. यज्ञव्रत
हिन्दी अधिकारी
बी. आर. पी. एल.
धालीगांव
असम

3. मध्य रेल मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय के परिवहन निरीक्षक का हिन्दी में विशेष योगदान :—

श्री श्याम उमोठ

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में श्री श्याम उमाठे, परिवहन निरीक्षक, वर्धा का बड़ा योगदान है। श्री श्याम उमाठे की जन्मतिथि

16-7-1938 तथा नियुक्ति तिथि 8-8-1959 है। श्री श्याम उमाठे अच्छे एकांकी लेखक भी हैं। इन्हें लेखन के लिये निम्न-लिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं :—

(1) "विकृति" (एकांकी) हरियाणा राज्य शासन का पुरस्कार।

(2) और: प्राण: पत्थर: (तीन अंकी) एल.टी.जी. 70 अवार्डलिटिल थिएटर ग्रुप नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत।

(3) छोटे छोटे आवर्त (तीन अंकी) महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव द्वारा पुरस्कृत।

(4) "सीढ़ी-दर-सीढ़ी" (तीन अंकी) महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव द्वारा पुरस्कृत

(5) "एक लहर तूफान की" (तीन अंकी) समांतर नाट्य संस्था कलकत्ता द्वारा पुरस्कृत।

श्री उमाठे परिवहन निरीक्षक के रूप में अपना सभी कार्य हिन्दी में करते हैं। "पचास हजार शब्द" वर्ष में लिखने वाली वर्ष 1984 की प्रतियोगिता में इन्हें द्वितीय पुरस्कार मिला है।

इसके अलावा इन्होंने सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल.डी.सी.ई.) में भी अपना प्रश्न पत्र हिन्दी में हल किया था और उसमें सफलता पाई है।

नागपुर मंडल हिन्दी के प्रचार प्रसार में इनके और अधिक योगदान की अपेक्षा करता है।

मंडल राजभाषा अधिकारी
नागपुर

4. यूनियन बैंक, चंडीगढ़ में राजभाषा अधिकारियों की वार्षिक समीक्षा बैठक—

यूनियन बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जे. एस. भटनागर ने आज 13-2-86 यहां बैंक राजभाषा अधिकारियों की वार्षिक समीक्षा बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि हिन्दी के विकास के लिए किसी प्रकार का संकोच नहीं किया जाना चाहिए। द्वि-दिवसीय इस बैठक में सारे देश के लगभग 55 हिन्दी अधिकारियों ने भाग लिया, जिन पर बैंक में हिन्दी के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव डा. देवेन्द्र चरण मिश्र बैठक के मुख्य अतिथि थे। श्री भटनागर ने इस बात पर बल दिया कि हिन्दी को कार्यालयीन भाषा के रूप में अपनाने के लिए बैंक कर्मियों को सही दृष्टिकोण और रुचि दिखानी चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बैंक हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ा कर पहले की भांति आगे भी अपनी श्रेष्ठता बनाए रखेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री मिश्र ने बैंक को अपने दैनिक कार्य व्यवहार में अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग करने का आह्वान किया ताकि बैंक उद्योग सही अर्थों में जनता की सेवा कर सके।

सरकारी योजनाओं को वित्तीय सहायता

'वि. प्र.' के अनुसार श्री भटनागर ने आज यहां मुख्यमंत्री के प्रिंसीपल सेक्रेटरी श्री जे. एस. गिल, उद्योग सचिव श्री ए. एस. चट्ठा और पंजाब के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की और बैंक की पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र को व्यापक सहायता देने और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में व्यापक संलिप्ता की रुचि को प्रदर्शित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि बैंक पंजाब सरकार की स्कीमों और प्रोजेक्टों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

5. बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रवर्तित वार्षिक टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता इस मुद्रणालय में पिछले कई वर्षों से लागू है। इन योजनाओं का यह सार्थक प्रभाव हुआ है कि अनेक अनुभाग अपना काफी काम हिन्दी में करने लगे हैं।

लेखा-अनुभाग का समस्त कार्य हिन्दी में किया जाता है। मजदूरी वेतन बिल हिन्दी में बनाए जाते हैं। चैक हिन्दी में लिखे जाते हैं। सतर्कता अनुभाग में परिचय पत्र हिन्दी में जारी किए जाते हैं। समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाही हिन्दी में की जाती है। समूह "ग" और "घ" तथा औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा-पंजिकाओं में हिन्दी में प्रविष्टि की जाती है। समूह "क", "ख" के राजपत्रित अधिकारियों सहित सभी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश आवेदन हिन्दी में जारी किए जाते हैं।

भारतीय गणतंत्र की 37वीं बेला में तिरंगा फहराते हुए बैंक नोट मुद्रणालय के उप महाप्रबन्धक श्री जे. सी. गुलाटी ने कहा कि "प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसके निशान और उसकी जुबान से होती है। हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है। सरकारी कामकाज में हिन्दी को अधिक से अधिक इस्तेमाल कर कर्मचारियों ने स्वयं के लिए नकद पुरस्कार के अवसर जुटाने के साथ-साथ इस संस्थान को भी गौरवान्वित किया। आशा है कि आने वाले वर्ष में और अधिक कर्मचारी साथी इस दिशा में सार्थक प्रयत्न कर इस संस्थान की गरिमा को और बढ़ायेंगे।"

डा. आलोक कुमार रस्तोगी
हिन्दी अधिकारी
बैंक नोट मुद्रणालय, देवास-455003

6. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में 25 कार्य दिवसीय गहन हिन्दी प्रारम्भिक पाठ्यक्रम सम्पन्न

निदेशानुसार 15-1-1986 से 18-2-1986 तक गहन हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री पी. ए. संगमा के कर कमलों द्वारा दिनांक 6-1-1986 को ही सम्पन्न हो चुका था। इस पाठ्यक्रम के लिए कुल 20 प्रतिभागी आये किन्तु स्पोर्ट्समैन होने के कारण एक प्रतिभागी लम्बे समय के लिए बाहर चला गया इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया गया। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कुल 19 कर्मचारियों ने नियमित रूप से इस पाठ्यक्रम में भाग लिया और परीक्षा में बैठे। परीक्षा सलाहकार समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 100-100 अंक के 2 लिखित प्रश्न-पत्रों के अतिरिक्त 50-50 अंक मौखिक और आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के लिए रखे गये। हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन

नियमित प्रशिक्षणार्थियों के लिए मौखिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता किन्तु संस्थान द्वारा आयोजित उपर्युक्त पाठ्यक्रम में इसकी आवश्यकता को देखते हुए मौखिक परीक्षा की भी व्यवस्था की गई। इस मौखिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के अंक भी अन्तिम परीक्षाफल में सम्मिलित किए जायेंगे और मौखिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में भी 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

25 कार्य दिवसीय यह पाठ्यक्रम काफी सफल रहा। प्रतिभागियों ने भी स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त किया है कि यह पाठ्यक्रम अधिक उपयोगी रहा है। उन्होंने अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि चारों पाठ्यक्रम (प्रारम्भिक, माध्यमिक, प्राज्ञ और कामकाजी हिन्दी की कार्यशाला) एक साथ चलाए जाते तो वे निश्चय ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेते और सरकारी कामकाज हिन्दी में निपटाने में समर्थ हो जाते।

समापन के दिन प्रतिभागियों की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बंगला, तमिल, तेलुगु, और हिन्दी भाषाओं के गीत प्रस्तुत किए गए और प्रतिभागियों को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की विवरण पत्रिका के साथ समन्वित प्रशासन शब्दावली की 1-1 प्रति भी उपहारस्वरूप भेंट की गई। प्रतिभागियों ने अपनी ओर से भी एक चाय-पार्टी का आयोजन किया। इस तरह पाठ्यक्रम का समापन एक जीवन्त वातावरण में सम्पन्न हुआ। अवर सचिव (हिन्दी) श्री सी. एल. भाटिया इस अवसर पर विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे।

सचिव महोदया के निदेशानुसार माध्यमिक (20 कार्य दिवसीय) और प्राज्ञ (15 कार्य दिवसीय) पाठ्यक्रम एक साथ 2-4-1986 से 25-5-1986 तक चलाने का प्रस्ताव है, ताकि बजट सत्र के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिए प्रतिभागी आसानी से उपलब्ध हो सकें।

एच. पी. द्विवेदी
पाठ्यक्रम निदेशक

7. नैशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड में वाद-विवाद प्रतियोगिता

नैशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, लोधी रोड, नई दिल्ली में दिनांक 7 मार्च, 1986 को निगम परिसर पर निगम की केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें निगम के अनेक अधिकारियों व कर्मचारियों ने वक्ता एवं श्रोता के रूप में भाग लिया। उक्त आयोजन की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष श्री दलजीत सिंह मुख्य (कान्ट्रैक्ट इंजी.) ने की। उन्होंने उद्घाटन करते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के आयोजनों से कर्मचारियों व अधिकारियों में राजभाषा हिन्दी के प्रति रुचि एवं उत्साह जागृत होगा।

इस प्रतियोगिता में 14 वक्ताओं ने निम्नलिखित दो विषयों में से किसी एक विषय के पक्ष व विपक्ष पर अपने विचार प्रकट किए।

1. 21वीं शताब्दी का भारत, अथवा
2. संयुक्त परिवार प्रथा

श्री डी. एन. अग्रवाल, मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) व श्री आर. आर. बैंसंतरी, सहायक प्रबन्धक (ट्रेनिंग) ने निर्णायक के रूप में उक्त आयोजन के लिए पद ग्रहण किया। अध्यक्ष

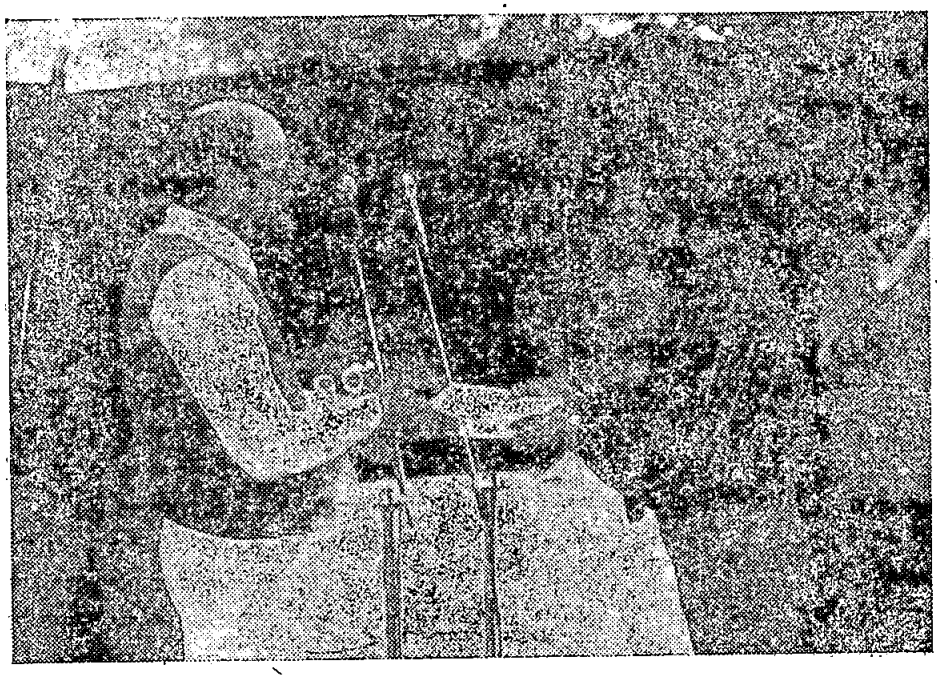

23 श्री दलजीत सिंह, मुख्य कांट्रेक्ट इंजीनियर से वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए पालम वर्क्स के सहायक लेखाकार श्री मनोहर लाल।

महोदय ने उक्त आयोजन में विजयी घोषित होने वाले प्रतियोगिओं को पुरस्कारों से सम्मानित किया। पालम वर्क्स के सहायक लेखाकार श्री मनोहर लाल को 100 रुपए का नकद प्रथम पुरस्कार, वेतन विभाग के का. सहायक श्री रामनिवास शर्मा को 75/- रुपए का नकद द्वितीय पुरस्कार व निविदा कक्ष के कनिष्ठ अभियंता श्री टी. के. बसु को 50/- रुपए का नकद तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त सभी प्रतियोगियों को केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा मुद्रित "प्रशस्ति पत्र" भी दिए गए।

अन्त में एन.बी.सी.सी. की हिन्दी अधिकारी श्रीमती डा. किरण कुमार ने केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के अध्यक्ष श्री दलजीत सिंह व उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद करते हुए सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई दी। इस प्रकार "हिन्दी वाद-विवाद" प्रतियोगिता अत्यन्त रोचक तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई।

डा. किरण कुमार
हिन्दी अधिकारी

8. सिंडीकेट बैंक, नई दिल्ली में ग्राहक सम्मेलन एवं राजभाषा शील्ड वितरण समारोह

"आज जिस प्रकार हमारे देश में हिन्दी की दुर्दशा हो रही है वह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है और क्योंकि इस स्थिति के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं अतः इतिहास हमें हरगिज माफ नहीं करेगा।" ये शब्द सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक एवं कांग्रेस(ई) संसद सदस्य श्री राम प्यारे सुमन ने गत दिनों सिंडीकेट बैंक के दिल्ली आंचलिक कार्यालय द्वारा आयोजित हिन्दी प्रेमी ग्राहकों के एक सम्मेलन एवं राजभाषा शील्ड वितरण समारोह का उद्घाटन करते हुए व्यक्त किये। श्री सुमन ने आगे कहा कि हम राजनीतिक तौर पर तो स्वतंत्र ज़रूर हैं किन्तु अंग्रेजी की मानसिक गुलामी से आज भी मुक्त नहीं हो पाए। दुनिया के किसी भी स्वतंत्र देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। इसके लिए केवल सरकार को ही जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है बल्कि वास्तव में उत्तरदायी वे सभी लोग हैं जो आज भी अंग्रेजीयत को ओढ़े हुए हैं तथा हिन्दी को तिरस्कृत किये हुए हैं।

श्री सुमन ने सिंडीकेट बैंक द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दिये जाने के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि देश की अन्य संस्थानों को भी इस मामले में सिंडीकेट बैंक से प्रेरणा लेनी चाहिए। बैंक के हिन्दी प्रेमी ग्राहकों का यह सम्मेलन निश्चय ही एक अभूतपूर्व और प्रशंसनीय प्रयास है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए हिन्दी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं विश्व विख्यात साहित्यकार श्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि वास्तव में बैंक जैसे संस्थानों में हिन्दी का प्रयोग तभी सार्थक ढंग से बढ़ सकता है जब इसी प्रकार ग्राहकों को बुलाकर उनसे बैंकिंग कारोबार में इस्तेमाल होने वाले हिन्दी के व्यावहारिक शब्दों के बारे में विचार-विमर्श हो तथा उन्हें ग्रहण किया जाए। श्री यादव ने यह भी कहा कि आज कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी का अधिक प्रयोग इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि पारिभाषिक तथा तकनीकी शब्दों के हिन्दी अनुवाद बहुत कठिन बना दिए गए हैं। अतः यह जरूरी है कि, यदि हिन्दी को जन भाषा के रूप में मान कर राजभाषा का दर्जा दिया गया है तो, सरकारी कामकाज में भी जन-जीवन के घुले-मिले शब्दों को प्रयोग किया जाए।

सम्मेलन में भाग लेने वाले ग्राहकों एवं मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए बैंक के कार्यवाहक सहायक महाप्रबन्धक श्री ई. आर. शेषाद्रि ने कहा कि सिंडीकेट बैंक, दक्षिण क्षेत्र का बैंक होते हुए भी हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अग्रसर है। आज भी हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने में किसी भी अन्य बैंक या संस्थान से पीछे नहीं रहेंगे।

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बैंक के दिल्ली अंचल के उप महाप्रबंधक श्री गारनेट ए. रेगो ने कहा कि हमारा बैंक शुरू से ही छोटे किसानों, उद्यमियों एवं साधनहीन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। यह वास्तव में हमारे व्यापारिक हितों के अनुकूल है कि हम देश की बहुसंख्यक जनता की भाषा - हिन्दी में बैंकिंग कामकाज को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमें ग्राहकों का भी सहयोग मिलना जरूरी है। श्री रेगो ने कहा कि हम जल्दी ही अपनी कुछ शाखाओं को नामित करने जा रहे हैं जहां केवल हिन्दी में सारा बैंकिंग का काम किया जाएगा। प्रारम्भ में सम्मेलन का संचालन करते हुए बैंक के दिल्ली अंचल के राजभाषा अधिकारी डा. देशबन्धु राजेश ने बताया कि बेहतर और त्वरित ग्राहक सेवा के लिए यह जरूरी समझा गया है कि सिंडीकेट बैंक हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाएं। इस ग्राहक सम्मेलन में हिन्दी के माध्यम से ग्राहकों की सेवा करने के उपायों पर विचार-विमर्श कर उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा तथा भविष्य में भी बैंक द्वारा ऐसे सम्मेलनों को आयोजित करने का इरादा है।

सम्मेलन में दिल्ली में स्थित बैंक की विभिन्न शाखाओं के लगभग 30 प्रतिनिधि-ग्राहकों ने भाग लिया। इसमें सर्वश्री जवाहर लाल मेहरा, श्री पी. डी. शुक्ल, श्री पुरी, प्रोफेसर जे. पी. तिवारी आदि ने अपने विचार व्यक्त किये और बैंक की सराहना की कि उसने हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक सम्मेलन का आयोजन कर एक अच्छी पहल की है।

सम्मेलन का शुभारम्भ महाप्राण निराली की सरस्वती वन्दना 'वीणावादिनी वर दे' के गायन से हुआ तथा राष्ट्रीय गान के साथ सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर सिंडिकेट बैंक के दिल्ली आंचलिक कार्यालय को बैंक के "क" क्षेत्र में स्थित अन्य प्रशासनिक के मध्य हुए राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 1984-85 में, प्रथम स्थान मिलने के उपलक्ष में राजभाषा शील्ड भी प्रदान की गई। यह शील्ड बैंक के उप महाप्रबंधक श्री रेगो ने राजभाषा अधिकारी डा. राजेश को भेंट की।

9. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवं उनका युग - विचार गोष्ठी सम्पन्न हिन्दी अकादमी, दिल्ली एवं हिन्दी विभाग, जामिया

मिलिया इस्लामिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित "भारतेन्दु-हरीशचन्द्र एवं उनका युग" विचार गोष्ठी 20 व 21 मार्च, 1986 को सम्पन्न हुई। अकादमी के सचिव डा. नारायण दत्त पालीवाल ने अपने स्वागत भाषण में भारतेन्दु के विविध विषयों पर विचार करने के लिए हिन्दी-उर्दू संगम केन्द्र जामिया के औचित्य का जिक्र किया। उनका कहना था कि भारतेन्दु काल में हिन्दी-उर्दू गजलों की रचना भी हुई थी। सत्र का उद्घाटन करते हुए इस्पात एवं खान राज्यमंत्री, भारत सरकार, श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने भारतेन्दु युग को नवजागरण की संज्ञा दी और भारतेन्दु को नवजागरण का अग्रदूत बताया। उन्होंने भारतेन्दु की कविताओं के उद्धरण देकर उनके काव्य की सराहना की।

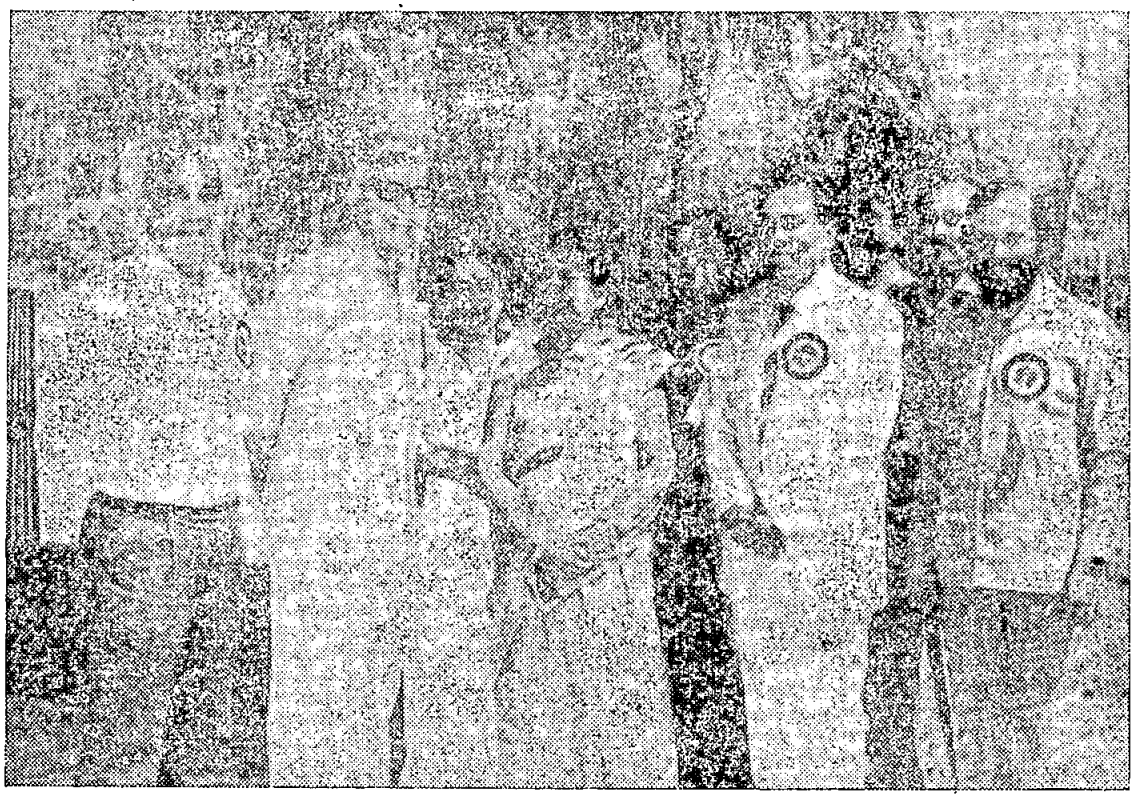

24 विचार-गोष्ठी के अवसर पर बांए से दांए—जामिया मिलिया इस्लामिया के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो० मुजीब रिजवी एवं कुलपति प्रो० अली अशरफ, इस्पात एवं खान राज्य मंत्री, भारत सरकार श्रीमती रामदुलारी सिन्हा और हिन्दी अकादमी के सचिव डा० नारायण दत्त पालीवाल।

प्रो. मुजीब रिजवी ने अपने संबोधन में भारतेन्दु के अध्ययन को वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि भारतेन्दु साहित्य को केवल हिन्दी साहित्य के संदर्भ में ही समीक्षा और आलोचना का विषय न बनाया जाए बल्कि उन रचनाओं के भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक सन्दर्भों में मूल्यांकित करने की जरूरत है। अपने अध्यक्षीय भाषण में जामिआ के कुलपति प्रो. अली अशरफ ने भारतेन्दु के जमाने की राजनीति का ब्यौरा देते हुए भारतेन्दु के व्यक्तित्व और कृतित्व की विशेषतायें रेखांकित की। उनके अनुसार भारतेन्दु का अधिकांश साहित्य हिन्दी-उर्दू का जातीय साहित्य स्वीकारा जा सकता है।

उद्घाटन सत्र के उपरान्त पहले सत्र में 'भारतेन्दु युग' चर्चा का विषय था। प्रो. रवीन्द्र श्रीवास्तव ने अपने आलेख में 'भारतेन्दु युगीन भाषायी चेतना' पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार भारतेन्दु युग में खड़ी बोली को गद्य स्तरीय भाषा के स्तर पर नहीं लिया गया बल्कि खड़ी बोली गद्य का संस्कार किया गया। इस काल की भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर नहीं लिया जा सकता। भारतेन्दु युग की भाषा चेतना जन पदीय बोलियों के सामन्ती प्रभाव को तोड़कर उद्योग-व्यापार के वृहत्तर आयाम में प्रकट हो रही थी। इसके लिए खड़ी बोली को संस्कार-संस्करण की भाषा स्वीकार किया गया। उन्होंने सावधान किया कि फोर्ट विलियम की पाठ्यपुस्तकीय हिन्दी, हिन्दी संस्कार की भाषा नहीं थी जब कि भारतेन्दु युग के गद्य लेखकों की भाषा संस्कार की भाषा थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए उर्दू भाषा के अलगावी प्रयत्नों का भी साक्ष्य प्रस्तुत किया।

हिन्दी के प्रतिष्ठित पत्रकार एवं वयोवृद्ध चिन्तक श्री बांकेबिहारी भटनागर ने अपने आलेख 'भारतेन्दु युगीन पत्रकारिता' में खोजपूर्ण जानकारियां देने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने उदय काल के प्रथम चरण को नवजागरण का युग बताया। इस युग की पत्रकारिता में राजा राममोहन राय, पण्डित युगल किशोर शुक्ल, श्री श्यामसुन्दर सेन, पं. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, श्री द्वारिकानाथ आदि विद्वानों का उल्लेख किया। द्वितीय

चरण अर्थात् विकास को उन्होंने शुद्ध राष्ट्रीयता का युग बताया। इस काल खण्ड के प्राणदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र थे—अतः भारतेन्दु युग कहने की बात भी उन्होंने स्वीकार की। तीसरे चरण को द्विवेदी युग और चौथे चरण को मुक्ति आन्दोलन का युग तथा इसके बाद का युग स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता पर विशुद्ध विचार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने भारतेन्दु जी की पत्रिकाओं का तिथि उल्लेख के साथ सोदाहरण महत्व प्रस्तुत किया। भारतेन्दु के प्रभाव को उद्घाटित करते हुए उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित छोटी-बड़ी पत्रिकाओं का दस्तावेजी विवरण प्रस्तुत किया जिसे विचारकों ने भटनागर जी के खोजपूर्ण प्रयास का प्रतिफल बताया।

प्रो. मुजीब रिजवी ने संक्षेप में "भारतेन्दु और अंग्रेजी राज्य" विषय पर विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने भारतेन्दु युग के अंग्रेजी राज्य की स्थापना और 1857 की क्रांति के असफल हो जाने के सन्दर्भ में अध्ययन करने की जरूरत पर बल दिया। उनके अनुसार यह काल सामाजिक-राजनैतिक स्तर पर पराजय झेलने और सम्भलने का चिन्तनपरक काम था। इस चिंतन का तकाजा था कि अंग्रेजी राज्य सत्ता की स्वीकृति का पोल भी खोले और समाज को संगठित और संवारने के लिए प्रेरणा भी दे। यह काम हिन्दी और उर्दू ही नहीं भारत की अन्य भाषाओं में भी देखा जा सकता है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में डा. विजयेन्द्र स्नातक ने 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के साहित्य में चित्रित समाज' को रेखांकित किया। उनके अनुसार वह समाज पराधीनता के पाश में जकड़ा हुआ, अंधविश्वासों में भटका हुआ, आत्मगौरव और स्वदेशाभिमान को भूला हुआ समाज था। उन्होंने इस के साक्ष्य में भारतेन्दु की 'हिन्दी उन्नति, विजयनी विजय वैजयन्ती, भारत वीरत्व, दैन्य प्रलाप' आदि कविताओं का हवाला दिया और कुछ काव्यांश भी उद्धृत किए। प्रो. स्नातक ने 'समाज का धर्म-टका धर्म' के उद्धरण से समाज में जाति और धर्म के नाम पर व्याप्त पाखण्ड को भी उद्घाटित किया। भारतेन्दु अंग्रेजों के आधुनिक चलन से प्रभाव-प्रकाश लेने की वकालत भी करते थे लेकिन सावधानी का संकेत भी देते थे। अन्ततः प्रो. स्नातक का मत था कि भारतेन्दु की साहित्य साधना का उद्देश्य मुख्यतः समाज सुधार और देशोद्धार ही है।

इसी दिन दूसरे सत्र में 'भारतेन्दु काव्य' विचार-विमर्श का विषय था। प्रो. विश्वनाथ शुक्ल ने भारतेन्दु की काव्य-चेतना पर प्रकाश डालते हुए उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का विवरण दिया। उनके अनुसार उनकी काव्य चेतना भावनामयी है जो उनके नाटकों में किरण-भोर की तरह प्रकाशवान है। भारतेन्दु की रचना-चेतना नवजागरण का संदेश देती है। अंग्रेजी राज की प्रशंसा उक्तियां भी राष्ट्रीय चेतना को उकेरने के लिए अभिव्यक्त हुई हैं। डा. रवीन्द दरगन ने अपने आलेख में 'भारतेन्दु के काव्य में प्रयोगधर्मिता' पर विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने प्रारम्भ में 'प्रयोग' की व्याख्या की। उनके अनुसार वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात के पुनः परिचय तथा नवीन तथ्यों के अनुसंधान की प्रक्रिया 'प्रयोग' है। उन्होंने जीवन की निरन्तर गतिशीलता के साथ-साथ परिवर्तन होते रहने को भी स्वीकार किया। उन्हीं के शब्दों में—"कलाकार का लोकानुभव तथा उन्हें कालानुभव में रूपांतरित करने का उपकरण—दोनों स्तरों पर परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। उनके अनुसार प्रयोगधर्मिता का सही रूप यही है। इस सिद्धान्त चर्चा के बाद डा. दरगन ने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की कविताओं के उद्धरणों से उनकी प्रयोगधर्मिता सिद्ध की। यह अलग बात है कि काव्य कला का प्रयोगधर्मी होना अपेक्षित है।

दूसरे सत्र के तीसरे पर्चे में डा. सुधेश ने राष्ट्रीय जागरण के विशेष सन्दर्भ में 'भारतेन्दु काल की हिन्दी और उर्दू कविता' पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने हिन्दी और उर्दू कविताओं की समानताओं का जिक्र करने के बाद भारतेन्दुकालीन हिन्दी कविताओं पर आलोचकों द्वारा लगाए गए आरोपों का खण्डन किया। उन्होंने शिवदान सिंह चौहान का हवाला दिया। जिन्होंने भारतेन्दुयुगीन हिन्दी लेखकों को राष्ट्रवादी नहीं अंग्रेज भक्त तथा हिन्दू पुनरुत्थान-वादी सिद्ध करने की कोशिश की। दूसरी ओर श्री चौहान ने उर्दू साहित्य में गालिब से लेकर इकबाल को अंग्रेज विरोधी और राष्ट्रवादी घोषित किया। डा. सुधेश ने अपने दलीलों और उर्दू रचनाकारों के अंग्रेज-भक्ति के काव्य-उल्लेख करते हुए श्री चौहान की स्थापनाओं को सप्रमाण गलत सिद्ध किया। उन्होंने हिन्दी-उर्दू कविता को अंग्रेज-भक्ति अंग को देश-विरोधी नहीं माना। उन्होंने कहा कि यह युग की विवशता थी। उन्होंने भगवानदास माहौर के एक कथन का उल्लेख किया—"अवधी देशभक्ति की क्षीण तलवार औपचारिक राजभक्ति की म्यान में बंद है।" डा. सुधेश ने हिन्दू पुनरुत्थानवाद की भी परख की।

अपने अध्यक्षीय भाषण में डा. महेन्द्र ने भारतेन्दु के काव्य को उचित परिप्रेक्ष्य तथा युगीन सन्दर्भों में जमाने और परखने का आग्रह किया। राजनीति प्रेरित तथा साम्प्रदायिक दृष्टि से भारतेन्दु काव्य की आलोचना आलोचक को ही नीचे गिराती है क्योंकि भारतेन्दु काव्य लोकप्रियता तथा राष्ट्रीय चेतना के विविध बिन्दुओं से तर सका है। काव्यात्मा की सही पहचान हिन्दू शब्दों के अभिधा अर्थ में न लें बल्कि लक्षणा-व्यंजना के स्तर पर लें तो उपयोगी अध्ययन सम्भव है।

21 मार्च को तीसरे सत्र में 'भारतेन्दु नाटक' विषय पर पर्चे पढ़े गए। श्रीमती साधना भटनागर ने भारतेन्दु के नाटकों की उपादेयता बताते हुए उनके रंग नाटकों के विविध पक्षों पर विचार प्रस्तुत किए। नाटक के प्रभाव का महत्व बताते हुए उन्होंने भारतेन्दु के मौलिक नाटकों, अनूदित नाटकों तथा रूपांतरित नाटकों पर सतही विचार किया। उनकी निष्पत्ति कि भारतेन्दु के नाटक अभिनेय कम और ग्रंथ अधिक हैं? विवादास्पद उक्ति मानी गई। डा. सत्येन्द्र तनेजा ने अपने आलेख में भारतेन्दु और उनकी रंग दृष्टि पर अनेक संदर्भों में विचार प्रस्तुत किए। नाटक का लोकोन्मुख मंचन उनके नाटक की विशेषता बताई गई। उन्होंने स्वीकार किया कि नाट्य दृष्टि के अनुरूप भारतेन्दु जी को लोक नाट्य की अच्छी जानकारी थी और उसके रंग प्रयोग के गुण-दोष से भी वे वाकिफ थे। डा. तनेजा ने भारतेन्दु के नाट्य कला

धर्मी तीन आयामों को भारत के नव जागरण संदेश के लिए उपयोगी बताया।

प्रो. अशोक कालरा ने अपने पर्चे में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को हिन्दी में अनुवाद का पहला मर्मज्ञ घोषित किया। उनके विचार में गद्य और काव्य अनुवाद की रचनाधर्मी संस्कृति का चिन्तन भारतेन्दु जी में विद्यमान था। उन्होंने अपने पर्चे को शेक्सपीयर के मर्चेन्ट आफ वेनिस के अनुवाद 'दुर्लभ बंधु' तक सीमित रखा। अनुवाद के लिए शील और अशील विवेक भारतेन्दु जी में अद्वितीय कोटि का था। डा. कालरा ने मूल अंग्रेजी के अंश और अनूदित अंश पढ़कर स्पष्ट किया कि वे अनुवाद की सांस्कृतिक सीमा से परिचित थे। डा. कालरा ने अनुवा सिद्धान्त की दृष्टि से भारतेन्दु को सिद्धान्तकार भी साबित किया और भारतीय अनुवाद विशेषज्ञों की तत्सम्बन्धी उपेक्षा पर खेद प्रकट किया। डा. कालरा के अनुसार भारतेन्दु के अनुवाद सिद्धान्त और व्यवहार दोनों दृष्टियों से अध्ययन का विषय है।

डा. कृष्णदत्त पालीवाल ने 'भारतेन्दु और नव जागरण' विषय पर पर्चा प्रस्तुत किया। उन्होंने आधुनिक नव जागरण की निर्माणात्मक, जन संवेदनात्मक, सांस्कृतिक तथा रचनात्मक शक्ति का प्रबल विस्फोट भारतेन्दुयुगीन सृजनात्मकता के रेशे-रेशे में व्यक्त बताया। डा. पालीवाल ने उनके रचना बिन्दुओं के उद्धरण तथा युगीन परिस्थितियों की संगति के सन्दर्भ में भारतेन्दु को जन-जागरण का जनक कहा। उन्होंने उनके रचना कर्म के विविध पक्षों को रेखांकित करते हुए एक पीड़ा भरी आह भी व्यक्त की। उन्हीं के शब्दों में---दुख की बात है कि आज सौ वर्ष से अधिक समय हो जाने पर भी भारतेन्दु का हर सपना अधूरा है। कहने की जरूरत नहीं कि अंग्रेजी के सामने आज हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति दांव पर लगी हुई है।

स्वनामधन्य सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि साहित्यिक विधाओं में केवल नाटक ही ऐसी विधा है जो जनसम्पर्क और श्रोता संवाद पर टिकी है। किसी भी आन्दोलन एवं प्रसार का महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान नाटक से ही सम्भव है। प्रभाकर जी ने समालोचकों तथा समीक्षकों को चेतावनी दी कि वे भारतेन्दु के साहित्य (नाटकों) को आरोपित न करें। उन्होंने देश-विदेश के सन्दर्भ देते हुए स्थापित किया कि भारतेन्दु ने अतीत को ग्रहण कर वर्तमान को पदच्युत कर अनिष्ट के लिए तैयार करने की जा भूमिका रची सार संक्षेप में वही सच्चे अर्थों में नव जागरण का सन्देश है।

इस दिन का द्वितीय सत्र यानि कि चौथा सत्र 'भारतेन्दु विविध' पर विचार-विमर्श के लिए निर्धारित था। प्रो. रमेश कुंतल मेघ ने अपने आलेख---'उपनिवेशवादी सवाल और भारतेन्दु' में विषय की गहनता पर पाठक/श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने भारतेन्दुयुगीन परिस्थितियों के अनुरूप लोक-जागरण के लिए सम्भव प्रयासों की भूमिका में भारतेन्दु के योगदान को ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी बताया। डा. मेघ की मान्यता है कि भारतेन्दु युग की धमनियों में जिस साहित्यिक सांस्कृतिक ऊर्जा की अपेक्षा की वह उन्होंने अभिव्यक्त किया और रचनात्मक स्तर पर स्थापित किया। उनके साहित्य भी व्यक्तित्व पर आरोप-दृष्टि एकांगी एवं वैज्ञानिक दृष्टि से खण्डनीय है। राजनीति, समाज, संस्कृति और अभिव्यक्ति की विवशता को ध्यान में रखकर जो रचनाधर्मी प्रयास संभव थे---भारतेन्दु ने उनको व्यक्त करके युग प्रवर्तक की भूमिका निभायी।

प्रो. सुरेशचन्द्र गुप्त ने अपने आलेख में 'भारतेन्दु की निबंधन कला' पर विवरण प्रस्तुत किया। निबंध की परिभाषा तथा कथा के आधार पर निबंधों का वर्गीकरण उनका उद्देश्य था। भारतेन्दु के निबन्धों की समीक्षा से उन्होंने भारतेन्दु के युग बोध को समाज-सुधार और राष्ट्रवाद से जोड़कर प्रस्तुत किया।

डा. ओमप्रकाश सिंहल की पैनी दृष्टि विधागत विवेचन की रही है। उन्होंने अपने आलेख---'नयी विधाओं के विकास में भारतेन्दु का योगदान' में डा. गुप्त द्वारा निबन्ध कहे जाने वाली रचनाओं पर प्रश्न-चिह्न लगाया गया। उन्होंने आधुनिक विधाओं-जीवनी-संस्मरण, रिपोतार्ज प्रवर्तक के रूप में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को स्थापित किया। उन्होंने प्रश्नोत्तर के दौरान स्वीकार किया कि भारतेन्दु जी ने इन क्रियाओं का परिचय नहीं दिया बल्कि काल-क्रम में विकसित होने वाली विधाओं के अध्येताओं को जब गद्य की नयी विधाओं के मूल की तलाश होगी तो उसका संकेत भारतेन्दु में मिलेगा।

इसी सत्र में डा. महेन्द्रपाल शर्मा का आलेख भी वितरित हुआ। उनकी अनुपस्थिति में वह आलेख स्वीकार किया गया। उन्होंने भारतेन्दु रचनाओं की भाषा के पद्य एवं गद्य के आधार पर उद्धरणों की सहायता से प्रस्तुत किया और संकेत दिया कि साहित्य में प्रयोग होने वाली भाषा की सम्भावनाओं का भारतेन्दु ने जी खोलकर मार्गदर्शनीय प्रयोग किया।

अंतिम सत्र के अध्यक्ष हिन्दी साहित्य आलोचना के समर्थ विद्वान प्रो. नामवर सिंह ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए विद्वत समाज को सावधान किया कि भारतेन्दु की समीक्षा वर्तमान समीक्षा के बचकानापन से नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने सारगर्भित एवं विचारोत्तेजक वक्तव्य में प्रश्न किया कि क्या कारण है कि भारतेन्दु अपने युग में लोक-प्रशास्ति प्राप्त कर सके? डा. सिंह के अनुसार भारतेन्दु की मृत्यु के बाद श्रद्धांजलियों का अम्बार लगा ? वेश्यालयों से लेकर प्रबुद्ध स्नातनी मण्डलों तक ने उनकी मृत्यु पर श्रद्धा सुमन क्यों चढ़ाये ? उनकी बहुआयामी लोकप्रियता का कारण तलाशने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा---भारतेन्दु समाज एवं राष्ट्र समर्पित व्यक्तित्व का गहन अध्ययन की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने भारतेन्दु साहित्य के आरोपियों को साहित्य-अध्ययन की दिशा में जागरूक रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे वैष्णव थे। अतः क्रांतिकारी संदेशवाहक थे। डा. नामवर सिंह ने विद्वानों को स्मरण दिलाया कि भारतेन्दु कालीन साहित्य को इतिहासकारों की भांति अभिधार्थ कर लेने की जरूरत नहीं है। उसके लक्ष्यार्थ तथा व्यजनार्थ में उनके संदेश निहित हैं। लोक ने इन्हीं अर्थों में

उन्हें ग्रहण किया। अत: आलोचकों को रचना की समीक्षा करते समय केवल रचना-अभिव्यक्ति पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि रचना ग्रहण (समाज-श्रोता-पाठक) को भी अपनी समीक्षा का संदर्भ बनाना होगा। उन्होंने युगीन एवं आजकल के अनेक उदाहरण देकर भारतेन्दु को युग पुरुष और युग प्रवर्तक साहित्यकार माना और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

इस विचार गोष्ठी का प्रबंध-संचालन डा. नारायणदत्त पालीवाल के स्वागत भाषण और पुष्पांजलि समर्पण के अतिरिक्त भारतेन्दु साहित्य पर सम्यक टिप्पणियों से सरोकार करने में रचनाधर्मी बना रहा केवल रस्मी नहीं रहा।

धन्यवाद ज्ञापक के सन्दर्भ में डा. माजदा असद का आभार व्यक्तिवादी न रहकर साहित्यिक रहा जिसे भारतेन्दु पर समाहार-टिप्पणियों को सुभाषित सार भी कहा जा सकता है। भारतेन्दु और उनके युग के विषय में अधिक-से-अधिक जानकारी के विमर्श का यह मेला साहित्य अध्येताओं को उपयोगी और नये अध्ययन की ओर उकसाने वाला रहा।

10. आकाशवाणी, नई दिल्ली में पुरस्कार वितरण

आकाशवाणी, नई दिल्ली में वर्ष 1985 के लिए लागू की गयी उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत, मूल्यांकन समिति ने उसके समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर इस कार्यालय के निम्नलिखित तीन कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की सिफारिश की थी :—

क्र० सं०	नाम	मातृभाषा	नकद पुरस्कार की देय राशि
1.	श्रीमती सुमनलता शर्मा, लिपिक ग्रेड-II प्रशासन अनुभाग	हिन्दी	रु० 200/- का द्वितीय पुरस्कार
2.	श्री दलीप कुमार बालानी, लिपिक ग्रेड-I प्रशासन अनुभाग	सिन्धी	रु० 200/- का द्वितीय पुरस्कार
3.	श्री के० सी० उन्नी, लिपिक ग्रेड-I, प्रशासन अनुभाग	मलयालम	रु० 150/- का तृतीय पुरस्कार

इन तीनों कर्मचारियों को उपर्युक्त नकद पुरस्कार 1-2-86 को कार्यालयाध्यक्ष, श्री शिवकुमार शर्मा, केन्द्र निदेशक महोदय ने स्वयं पी.टी.आई. भवन में जाकर अपने कर-कमलों से दिए। इस अवसर पर पी.टी.आई. भवन में काम करने वाले इस कार्यालय के प्रशासन, सामान्य तथा लेखा अनुभाग, श्रोता अनुसंधान एकक आदि के कर्मचारी भी उपस्थित थे। सहायक केन्द्र निदेशक (श्री मुति अहमद), वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (श्री कन्हैया लाल सचदेव) तथा हिन्दी अधिकारी (श्री देसराज नाग) भी इस अवसर पर उपस्थित हुए।

केन्द्र निदेशक महोदय ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए यह आशा व्यक्त की कि पुरस्कार विजेता तीनों कर्मचारी वर्ष 1986 में अपना सारा कामकाज हिन्दी में ही करेंगे और वर्ष 1986 की प्रोत्साहन योजना में भी वे पुन: भाग लेंगे।

केन्द्र निदेशक महोदय ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि हालांकि इस कार्यालय में पर्याप्त संख्या में अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में काम करते हैं परन्तु सरकार द्वारा चलाई गयी इस प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। फलस्वरूप, हमें जहां दस व्यक्तियों को पुरस्कार देने थे वहां केवल तीन व्यक्तियों को ही पुरस्कृत कर पाए क्योंकि अन्य किसी भी अधिकारी/कर्मचारी ने हिन्दी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस समारोह से प्रेरणा प्राप्त करके वर्ष 1986 के लिए आरम्भ की गयी "प्रोत्साहन योजना" का लाभ उठाने के लिए अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी भी आगे आएंगे और ऐसे सभी व्यक्ति हिन्दी में किए गए अपने काम-काज का लेखा-जोखा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में 1-1-86 से नियमित तौर पर रखेंगे तथा 31-12-86 के तुरन्त बाद मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत कर देंगे जिससे अगले वर्ष हमें इस कार्यालय के दस व्यक्तियों को पुरस्कार दे पाना सम्भव हो सके।

उन्होंने अधिकारियों/इंचार्जों से विशेष अनुरोध किया कि वे अपने अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें और उनका समुचित मार्गदर्शन भी करें ताकि वर्ष 1986 में सभी कर्मचारी अधिक-से-अधिक काम हिन्दी में कर सकें।

मुति अहमद
सहायक केन्द्र निदेशक

11. आकाशवाणी, नई दिल्ली में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने का अनुरोध

आप सभी जानते हैं कि हमारा कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है। नियम 10(4) के अंतर्गत के कार्यालय अधिसूचित किए जाते हैं जिनमें नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हों। मोटे तौर पर, जिस कर्मचारी ने कम-से-कम मैट्रिक या उसके बराबर की कोई परीक्षा हिन्दी विषय के साथ पास की हो उसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी माना जाता है। हमारे कार्यालय में लगभग 92 प्रतिशत अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। केवल 8 प्रतिशत ही ऐसे हैं जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) में यह व्यवस्था की गयी है कि जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हों उन्हें कहा जा सकता है कि वे नोटिंग, ड्राफ्टिंग जैसे विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए केवल हिन्दी का ही प्रयोग किया करें। मोटे तौर पर, वे सभी कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त माने जाते हैं जिन्होंने मैट्रिक या उसके बराबर की कोई परीक्षा हिन्दी माध्यम से पास की हो या जिन्होंने बी.ए. या उसके बराबर की

किसी परीक्षा में हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ी हो। हमारे कार्यालय में ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या लगभग 75 प्रतिशत है।

3. उपर्युक्त की दृष्टि से, सभी अधिकारियों/इंचार्जों से अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि :—

(क) जो-जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हों वे सभी नोटिंग, ड्राफ्टिंग आदि सरकारी काम-काज हिन्दी में ही किया करें।

(ख) जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का केवल कार्यसाधक ज्ञान रखते हों वे भी अपना 50 प्रतिशत से अधिक काम हिन्दी में ही करने की हरसंभव कोशिश किया करें। हमारे कार्यालय में ऐसे कर्मचारी केवल 17 प्रतिशत ही हैं।

(ग) यह ध्यान रखा जाए कि हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों की फाइलों में 75 प्रतिशत से अधिक नोटिंग हिन्दी में ही दिखाई दे।

शिव कुमार शर्मा
केन्द्र निदेशक

12. बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में हिन्दी निबंध प्रतियोगिता

दिनांक 12 जनवरी, 1986 से दिनांक 19 जनवरी, 1986 तक देश में युवक सप्ताह मनाया गया था। इस संदर्भ में बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में भी हिन्दी कक्ष ने एक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। विषय था "राष्ट्रीय निर्माण और युवा वर्ग।" प्रतियोगिता में पावर स्टेशन के जिन कर्मचारियों ने भाग लिया उन्हें दो वर्गों में बांटा गया। एक वर्ग हिन्दी भाषियों का था और दूसरा वर्ग हिन्दीतर भाषियों का। दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग प्रथम पुरस्कार (रुपए 101), द्वितीय पुरस्कार (रुपए 51), तृतीय पुरस्कार (रुपये 31) और एक-एक प्रोत्साहन पुरस्कार (रुपए 21) रखे गये थे। प्रतियोगिता पावर स्टेशन के प्रशासनिक भवन में स्थित सम्मेलन कक्ष में दिनांक 18 जनवरी, 1986 को 3.00 बजे अपराह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक हुई।

प्रतियोगिता में सफल उम्मीदवारों की सूची निम्नलिखित है:—

हिन्दी भाषी प्रतियोगी

प्रथम—श्री बिमल किशोर सिंह
द्वितीय—श्री आखे राम
तृतीय—श्री सुधीर कुमार गुप्ता
प्रोत्साहन—श्री अनिल कुमार

अहिन्दी भाषी प्रतियोगी

प्रथम—श्रीमती इन्दु बधवा
द्वितीय—श्रीमती पुष्पा सुमरानी
तृतीय—श्रीमती सुरेन्द्र कौर
प्रोत्साहन—श्री अशोक कुमार विज

शशि कान्त
राजभाषा अधिकारी

13. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के 49वें सत्र का समापन

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 49वें सत्र का समापन समारोह दिनांक 31-3-86 को सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर राजभाषा विभाग के उप सचिव (नीति) श्री गोविन्द दास बेलिया मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। इस सत्र में 43 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुख्य अतिथि श्री बेलिया ने सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और सबसे अधिक अंक प्राप्त करने पर जनगणना निदेशालय, चण्डीगढ़ के अनुवादक श्री अरुण कुमार मोंगिया को रजत पदक प्रदान किया। श्री बेलिया ने प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए उन्हें अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई दी और कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनका उत्तरदायित्व और उनकी दक्षता बढ़ गई है। अतः वे अपने कार्यालयों में जाकर राजभाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें।

इस सत्र को मिलाकर, दिल्ली केन्द्र में अब तक 1448 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

2. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद प्रशिक्षण के बम्बई केन्द्र में पांचवें सत्र का समापन समारोह भी 31-3-86 को ही सम्पन्न हुआ। इस सत्र में 20 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर इंडियन आयल कारपोरेशन के मुख्य जनशक्ति योजना प्रबंधक श्री के. एन. बकाया को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने सभी सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और सबसे अधिक अंक लेने पर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. के बड़ौदा प्रोजेक्ट डिवीजन के श्री जे. वी मालवीय को रजत पदक प्रदान किया। मुख्य अतिथि श्री के.एन. बकाया ने अपने अभिभाषण में सभी सफल प्रशिक्षणार्थियों को बधाई दी और उन्हें सरल और सहज भाषा में अनुवाद करने की सलाह दी।

इस सत्र को मिलाकर बंबई केन्द्र में अब तक 92 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है।

3. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद प्रशिक्षण के बेंगलूर केन्द्र के दूसरे सत्र का समापन समारोह भी 31-3-86 को सम्पन्न हुआ इस सत्र में 29 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. के उप प्रबंधक (हिंदी) श्री राजेश्वर सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि ने सभी सफल प्रशिक्षणार्थियों का प्रमाण पत्र प्रदान किए सबसे अधिक अंक प्राप्त करने पर भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के अनुवादक श्री कृष्ण नाथ पाण्डेय को रजत पदक

प्रदान किया। अपने दीक्षान्त भाषण में श्री राजेश्वर सिंह ने सभी सफल प्रशिक्षणार्थियों को बधाई दी तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण की सराहना की। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालय में जाकर राजभाषा के प्रचार प्रसार में अधिकाधिक योगदान दें। उन्होंने एच. एम. टी. की ओर से इस प्रशिक्षण के लिए सभी प्रकार की सहायता और सहयोग का भी आश्वासन दिया।

इस सत्र को मिलाकर बेंगलूर केन्द्र में अब तक 56 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

तीनों केन्द्रों में अब तक कुल 1596 प्रशिक्षणार्थी यह प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

विनोद कुमार बजाज
उप निदेशक

14. हिन्दुस्तान जिंक लि., उदयपुर में हिन्दी विद्वान डा. अय्यर के सम्मान में गोष्ठी

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के माननीय सदस्य डा. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर के सम्मान में प्रधान कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन दिनांक 21-3-1986 को किया गया जिसकी अध्यक्षता निदेशक (खनन प्रचालन) श्री ह. वि. पालीवाल ने की। गोष्ठी में एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली के सहायक प्राध्यापक डा. शर्मा भी उपस्थित थे। गोष्ठी में कई अधिकारियों एवं कामगारों ने भाग लिया।

गोष्ठी के पूर्व में निदेशक (खनन प्रचालन) महोदय ने कम्पनी में चल रही हिन्दी गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए आगंतुकों का स्वागत किया और उन्हें स्मृति-चिह्न भेंट किये। श्री पालीवाल ने अपने भाषण में कहा कि हिन्दी के संबंध में केवल आंकड़ों की प्रगति ही काफी नहीं है। इसे जीवन के हर क्षेत्र में अपनाना जरूरी है। इसके लिये हमें मानसिक तौर पर तैयार होना चाहिए।

डा. अय्यर ने अपने उद्बोधन में कहा कि कम्पनी के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग वस्तुतः सराहनीय है। उन्होंने कहा- "मैंने यहां प्रत्यक्ष रूप से पाया है कि सभी अधिकारी व कर्मचारी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं। राजभाषा के क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में कम्पनी की जिंकवाणी सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है"। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी सर्वाधिक सरल भाषा है और इसे बहुत शीघ्र ही सीखा जा सकता है। इसके लिये अभ्यास की जरूरत रहेगी। इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए डा. शर्मा ने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी के संबंध में फैली हुई भ्रांतियों को प्रेमाग्रह से दूर करें। उन्होंने कहा कि हिन्दी का कहीं भी विरोध नहीं है। देश के कोने कोने में हिन्दी बोली और समझी जाती है। फिर भी, हिन्दी के कार्यान्वयन के कार्य को रोच समझकर करना होगा। गोष्ठी के अंत में हिन्दी विद्वानों ने श्रोताओं की जिज्ञासाओं की संतुष्टि की। गोष्ठी का संचालन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री पुरूषोत्तम छंगाणी ने किया।

पुरूषोत्तम छंगाणी

15. पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल के 12वें हिन्दी पुस्तकालय का उद्घाटन

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार की योजना के अन्तर्गत लखनऊ मंडल में 12वें हिन्दी पुस्तकालय का उद्घाटन 23 जनवरी, 86 को डीजल शेड, गोण्डा में किया गया। पुस्तकालय के उद्घाटन के लिए नेताजी सुभाषचन्द्र जयंती का दिन विशेष रूप से चुना गया था। इस अवसर पर आयोजित समारोह में प्रवर मंडल यांत्रिक इंजीनियर श्री बलराम सिंह ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण किया। श्री सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश के लिए राजभाषा की आवश्यकता पर बल दिया और कर्मचारियों से अपने सरकारी कामकाज में यथासंभव हिन्दी के प्रयोग का आग्रह किया।

गोण्डा के हिन्दी सम्पर्क अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबंधक श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुस्तकालय डीजल शेड के कर्मचारियों के लिए विशेष उपयोगी होगा।

लखनऊ के हिन्दी अधिकारी श्री कामता प्रसाद अवस्थी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में चाहे जितना विकास हुआ हो परन्तु पिछले दशक में मानवीयता का ह्रास हुआ है। उन्होंने पुस्तकों को व्यक्ति का सर्वोत्तम मित्र बताते हुए आग्रह किया कि कर्मचारी पुस्तकालय का अधिकाधिक उपयोग करें।

कार्यक्रम के आरंभ में कस्तूरबा बालिका विद्यालय की बालिकाओं ने आकर्षक स्वागतगान, सरस्वती वन्दना एवं देशगान प्रस्तुत किया। पुस्तकालय के उद्घाटन का कार्य श्री बलराम सिंह के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ।

का. प्र. अवस्थी
कृते मंडल रेल प्रबन्धक (राजभाषा)
लखनऊ

16. केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क मुख्यालय, इन्दौर में पुरस्कार वितरण समारोह

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नगर समन्वय समिति, इन्दौर के तत्वावधान में, वसंत पंचमी, निराला जयंती और राजा भोज जयंती के अवसर पर दिनांक 13 फरवरी 1986 को, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सीमाशुल्क मुख्यालय, इन्दौर के सभाकक्ष में अन्तरविभागीय वाद-विवाद प्रतियोगिता, हिन्दी सेवियों का सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

प्रारम्भ में, अतिथि, समाज सेवी एवम् उद्योगपति श्री दिनेश रणधर ने दीप प्रज्वलित किया तथा सीमाशुल्क एवम् केन्द्रीय उत्पाद

शुल्क के समाहर्ता श्री एस.वी. रामकृष्णन ने सरस्वती और महाकवि निराला के चित्रों पर माल्यार्पण किया। समारोह की अध्यक्षता "नवभारत" के प्रबंध संपादक श्री जगन्नाथ चौधरी ने की।

अतिथि श्री हीरालाल शर्मा, सहायक संपादक "दैनिक भास्कर" ने वसंत पंचमी और राजा भोज के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव एवम् केन्द्रीय उत्पाद विभाग के हिन्दी अधिकारी श्री राज केसरवानी ने महाकवि निराला की काव्यगत विशेषताएं बतलाते हुए उनके जीवन के मार्मिक एवम् रोचक संस्मरण सुनाए।

इस अवसर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सीमाशुल्क, मध्यप्रदेश समाहर्तालय के समाहर्ता श्री एस.वी. रामकृष्णन ने पिछले दिनों सम्पन्न विभागीय 7 हिन्दी प्रतियोगिताओं के 21 विजयी प्रतियोगियों को नगद पुरस्कार प्रदान किए तथा राजभाषा विभाग हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित हिन्दी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पांच कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए।

"हिन्दी राष्ट्रभाषा का उत्तरदायित्व निभाने में पूर्ण सक्षम है" विषय पर आयोजित अन्तरविभागीय वाद-विवाद प्रतियोगिता में इन्दौर के अनेक केन्द्रीय कार्यालयों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के श्री बी.ए. अलवारिस, प्रथम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क विभाग के श्री हर्षवर्द्धन शर्मा, द्वितीय तथा कुमारी रशपाल कौर भुल्लर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार सर्वश्री-- एस.के. शुक्ला, जिनेन्द्र जैन तथा अरुणकुमार जैन को मिला। समाज सेवी व उद्योगपति श्री दिनेश रणधर ने वाद-विवाद में प्रथम स्थान प्राप्त श्री अलवारिस को चल वैजयन्ती (रनिंग शील्ड) प्रदान की।

इस अवसर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय रूप से योगदान देने वाले हिन्दी-सेवियों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले हैं--नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इन्दौर के सचिव एवम् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सीमाशुल्क के हिन्दी अधिकारी श्री राज केसरवानी, भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय की वरिष्ठ हिन्दी अनुवाद का डा. (श्रीमती) चंद्रा सायता और केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की अखिल भारतीय हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता के महिला-वर्ग में लगातार दो वर्ष प्रथम पुरस्कार पाने वाली कुमारी संगीता राठौर। इन्हें सम्मान स्वरूप ग्रन्थों के सेट भेंट किए गए।

समारोह में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवम् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क के समाहर्ता श्री एस.वी. रामकृष्णन, समाजसेवी उद्योगपति श्री दिनेश रणधर और समन्वय समिति के अध्यक्ष डा. योगेन्द्र मोहन उपाध्याय ने अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम का संचालन समन्वय समिति के सचिव श्री गोपीचंद्र मिश्र ने किया तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क के हिन्दी अधिकारी श्री राज केसरवानी ने आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सीमा शुल्क विभाग तथा लघु उद्योग सेवा संस्थान इन्दौर द्वारा एक विशद एवम् आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसकी सभी ने सराहना की। प्रदर्शनी में परिषद के विविध प्रकाशन हिन्दी के सहायक साहित्य की उपयोगी पुस्तकें, विभागीय प्रकाशन की किताबें, पत्र व्यवहार के नमूने तथा पत्रिकाएं प्रदर्शित की गईं।

उक्त समारोह में इन्दौर स्थित अनेक केन्द्रीय कार्यालयों के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राजकुमार केसरवानी
हिन्दी अधिकारी,
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, इन्दौर

17. केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद्, वाराणसी का वार्षिक अधिवेशन

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नगर समन्वय समिति वाराणसी के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयोजित राजभाषी गोष्ठी को उद्घाटन करते हुए माननीय कुलपति प्रो. रघुनाथ प्रसाद रस्तोगी ने अपने उद्बोधन में कहा कि अपनी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा को संस्कारों से जोड़ा जा सकता है। इसीलिए हमारे लिये राजभाषा हिन्दी का महत्व सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भाषा का संस्कारों से जुड़ना भाषा की गतिशीलता का द्योतक है। आपने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रभाषा का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया यह खेदजनक बात है। उन्होंने कहा कि यह विडम्बना ही है कि 1947 के बाद जो लक्ष्य प्राप्त करना था वह नहीं प्राप्त हो सका। प्रो. रस्तोगी ने बताया कि विश्वविद्यालय का इस दिशा में यह ध्यान देने का प्रयास होगा कि शिक्षा के माध्यम में अपनी भाषा को उचित महत्व दिया जाये। प्रो. रस्तोगीजी ने इस अवसर पर कहा कि केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के उद्देश्यों एवं गोष्ठी में उल्लिखित विषय की परिकल्पना विश्वविद्यालय के मूल उद्देश्यों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भाषा में प्राण लाना होगा। उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि मातृभाषा हिन्दी होने के कारण केवल उसे बोल लेना ही हमारे लिये काफी नहीं है, बल्कि अन्य कुछ भारतीय भाषाओं की विशेषताओं को लेकर इसे गतिशील बनाना होगा। भाषा में नये-नये प्रयोगों के सृजन से ही भाषा की गतिशीलता का पता चलता है। अतः हमें इसके लिये भी जागरूक होना है। प्रो. रस्तोगी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अच्छी हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के पठन-पाठन में आम आदमी की रुचि की कमी देखी जा रही है लोगों की मानसिकता, सस्ते साहित की तरफ आकृष्ट होने की बन गई है, क्योंकि ऐसा वातावरण नहीं रह गया है। इसलिए स्वस्थ वातावरण एवं स्वस्थ तथा रुचिकर साहित्य का सृजन करना होगा। अपनी भाषा चिन्तन की भाषा होना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विधि, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग होना आवश्यक है। जबतक ऐसा नहीं होता है, हमारा देश प्रगति

नहीं कर सकेगा। इन क्षेत्रों में हिन्दी के विशेष प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। केवल पुस्तकें लिख देने से ही काम नहीं चलेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रो. रस्तोगी ने रविशंकर विश्वविद्यालय में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय केमिस्ट सम्मेलन में उस भाषण की चर्चा की जिसे उन्होंने हिन्दी में प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि डेढ़ घंटे तक धरप्रवाह हिन्दी में प्रस्तुत भाषण भी श्रोताओं को भार नहीं मालूम हुआ और लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे, इसका कारण उन्होंने स्पष्ट बतलाया कि अपनी भाषा में होने के कारण यह भाषण लोगों के लिये अधिक ग्राह्य था।

नगर परिषद के प्रधान श्री राम अवध पाण्डेय, अपर रेल मंडल प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेल, ने कहा कि प्रो. रस्तोगी ने भाषा के प्रति जिस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त किया है और वातावरण बनाने का हमें जो गुरुतर भार सौंपा है उसे हम निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। श्री पाण्डेजी ने बताया कि रेलों में हिन्दी के प्रयोग में एक कड़ी और जुड़ गई है और वह यह कि अब रेलों के प्रशिक्षण कालेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से हिन्दी हो गया है। तकनीकी कार्यों की चर्चा करते हुये श्री पाण्डेय ने कहा कि रेल विभाग में हर कार्य लगभग तकनीकी होता है फिर भी वहां अधिकांश कार्य केवल हिन्दी में हो रहा है। हिन्दी में चिन्तन एवं उसकी गतिशीलता की बात पर चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि जब तक हम इसे अनुवाद की भाषा बनाकर चलते रहेंगे, तब तक गतिशीलता नहीं आयेगी। अतः हमारा चिन्तन मौलिक होना चाहिये, ताकि भाषा में मौलिकता और गतिशीलता आ सके। अतः मूल लेखन को प्रोत्साहन देना चाहिये। श्री पाण्डेय ने कहा कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रशिक्षण से अधिक उसके उपयोग की आवश्यकता है। हिन्दी में प्रयोग के दौरान आनेवाली कठिनाइयां अभ्यास से स्वयं दूर हो जायेंगी। नगर राजभाषा अध्यक्ष श्री के. के. राय की उपस्थिति का लाभ उठाते हुये उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे कार्यालय प्रमुखों से आग्रह करें कि वे स्वयं हिन्दी में कार्य करें जिससे उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी इसके लिये उत्साहित हों। आपने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्यालय प्रमुख यदि हिन्दी में स्वयं कार्य नहीं करते हैं तो कम से कम उन लोगों को हतोत्साहित तो न करें जो हिन्दी में कार्य करना चाहते हैं। श्री पाण्डेय ने गोष्ठी में उपस्थित वक्ताओं के विचारों को प्रेरणाप्रद एवं मार्गदर्शक बताते हुये कहा कि हमें उन्हें हृदयंगम कर कार्यरूप में परिणत करना है।

गोष्ठी को सम्बोधित करते हुये नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री के. के. राय, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, ने कहा कि "क" क्षेत्र के लगभग सभी कार्यालय-प्रमुख हिन्दी जानते और समझते हैं, अतः उन्हें हिन्दी में कार्य करना चाहिये। श्री राय ने लोगों को आश्वासन दिया कि नगर के केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के निगमों, कम्पनियों, बैंकों, तथा स्वायत्तशासी संगठनों में राजभाषा हिन्दी सम्बन्धी आदेशों को क्रियान्वित करने हेतु पूरा प्रयास किया जायेगा।

गोष्ठी को सम्बोधित करते हुये निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त श्री चन्द्रमाल राय ने कहा कि आज हमें कवियों, लेखकों, साहित्यकारों से प्रेरणा लेते हुये यह सोचना है कि मुगल काल में राजतंत्र के बावजूद हिन्दी में अनेक विद्वान पैदा हुये और उनके द्वारा उत्कृष्ट साहित्य की रचना की गई फिर, आज जब हमें हर प्रकार का प्रोत्साहन मिल रहा है, तो भी हम हिन्दी में काम क्यों नहीं करते। हमें राजभाषा के रूप में हिन्दी को सुनिश्चित् करना है और जनमानस की भावना के अनुरूप ही कार्य करना है।

श्री काशी नाथ उपाध्याय "बेधड़क बनारसी" ने अपनी हास्य विनोदपूर्ण शैली में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में चर्चा करते हुये बताया कि पिछली बार हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. टी. रामाराव ने पैंतालिस मिनट तक उनसे हिन्दी में बात की और श्री रामाराव ने बताया कि आन्ध्र में उन्होंने हर कार्य के लिये तेलगू को प्रथम स्थान पर, हिन्दी को दूसरे स्थान पर और अंग्रेजी को तीसरे स्थान पर रखा है। श्री बेधड़कजी ने राजभाषा पर आधारित अपनी कविताओं का सस्वर पाठ भी किया।

गोष्ठी को सम्बोधित करते हुये "कहानीकार" के सम्पादक डा. कमल गुप्त ने कहा कि आजादी की प्राप्ति शरीर के बंधन को तोड़ने के समान थी परन्तु शरीर में प्राण का संचार राष्ट्रभाषा या स्वभाषा से ही सम्भव हो सकता है। स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा करते हुये श्री गुप्त ने कहा कि स्वतंत्रतापूर्व भाषा की समस्या उतनी नहीं थी जितनी आज है। समस्या तो हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण पैदा कर दी है। डा. गुप्त ने कहा कि आज हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि यदि देश की अस्मिता को बचाना है तो हमें राष्ट्रभाषा को अपनाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि हमें "हिन्दी दिवस" की जगह "राष्ट्रभाषा दिवस" मनाना चाहिये। आज के आयोजन की महत्ता को बताते हुये डा. गुप्त ने कहा कि यह आयोजन महामना की तपोभूमि में हो रहा है। आज इलाहाबाद में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मेलन हो रहा है, साथ ही, इस वर्ष भारतेन्दुजी की जन्मशती भी मनायी जा रही है। डा. गुप्त ने गांधीजी के हिन्दी सम्बन्धी प्रेरणादायक विचारों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुये हिन्दी को बेहिचक अपनाने का अनुरोध किया।

कवि लेखक एवं पत्रकार श्री श्रीकृष्ण तिवारी ने अपने ओजस्वी भाषण में राजभाषा के प्रति हमारी मानसिकता को स्पष्ट करते हुये कहा कि स्वतंत्रता के पहले हमारी मानसिकता बिल्कुल ठीक थी। उस समय हम हिन्दी व हिन्दुस्तान के लिये सोचते थे। हमारी मानसिकता स्वतंत्रता के बाद बदली है। बार-बार हिन्दी लादने की बात की जाती है, जबकि हिन्दी नहीं अंग्रेजी हम पर लादी हुई है। दूसरे, हमारी मानसिकता के कारण हिन्दी की प्रगति में रुकावट आ रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों के सरकारी कार्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के प्रभारी अधिकारी यह घोषणा कर दें कि उन्हें भारत की किसी भी भाषा में काम करना आता है परन्तु अंग्रेजी में नहीं तो भारत की सभी भाषाएं हिन्दी के साथ-साथ अपना वांछित पद प्राप्त कर लेंगी। श्री तिवारी ने कहा कि भर्ती तथा पदोन्नति सम्बन्धी सभी

परीक्षाओं व राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में राजभाषा हिन्दी में उत्तर का विकल्प दे दिया जाये तो हिन्दी के प्रयोग में कोई व्यवधान न होगा। यदि कम से कम हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोग अंग्रेजी में होने वाली परीक्षाओं के विरोध में खड़े हो जायें तो सारी परीक्षाएं तुरन्त हिन्दी माध्यम से होने लगेंगी। उन्होंने कहा कि राजभाषा नियमों के पालन के लिये जब तक कठोर कदम नहीं लिया जायेगा तब तक इस दिशा में सुधार नहीं हो सकता है और लोग मनमानी करते रहेंगे। भाषा के मामले में मनमानी करने की छूट देना अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना है। अतः कार्यालय प्रभारी स्वयं इस अनुशासनहीनता को रोकें।

कु. पुष्पा अवस्थी, प्रवक्ता वसंत कालेज एवं सहसम्पादिका "कहानीकार" ने कहा कि आज हमें यह विचार करने की जरूरत है कि हमारे मन में हिन्दी के प्रति कितनी आस्था है। केवल पद और धन के लिये ही हम हिन्दी का नाम न लें, बल्कि हिन्दी को मन से स्वीकार करें और जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रयोग करें। हिन्दी के व्यवहार में कमी का कारण आस्था की कमी बताते हुये उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में लोगों में हिन्दी के प्रति लगाव पैदा करने की जरूरत है। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के वाराणसी के कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुये उन्होंने कहा कि जितनी कठिनाइयों में रहकर इन लोगों ने "स्मारिका" प्रकाशित की है यह उनके लिये गौरव की बात है।

डा. गोपीचन्द्र शुक्ल, प्रभारी राजभाषा अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, ने अपनी कविता :

"विगत तो गत हो गया, वर्तमान का ध्यान करें ।
अपने देश अपनी संस्कृति और भाषा का सम्मान करें ।।"

से अपना भाषण प्रारम्भ करते हुये कहा कि राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठापित करने का उत्तरदायित्व, साहित्यकारों तथा लेखकों की अपेक्षा सरकारी काम करने वाले लोगों पर अधिक होता है। सरकारी कार्य करने वाले लोगों को साहित्यिक हिन्दी के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका कामकाज तो साधारण बोलचाल की भाषा में ही सम्पन्न होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें राजभाषा का मान करना है।

इसके पूर्व नगर समन्वय समिति के मंत्री श्री जगदीश नारायण राय ने उपस्थित लोगों के समक्ष शक सम्वत् 1906 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जिसे सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। शक सम्वत् 1907 के लिये पदाधिकारियों का चुनाव भी सर्वसम्मति से सम्पन्न हुआ जिसमें प्रधान पद पर श्री राम अवध पाण्डेय, अपर रेल मंडल प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेल एवं मंत्री पद श्री जगदीश नारायण राय, भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय, वाराणसी चुने गये।

कु. यस. कमला, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यक्रम के प्रारम्भ में प्रस्तुत सरस्वती वन्दना अत्यन्त भावपूर्ण रहा। इस अवसर पर अनेकानेक कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारी गण तथा परिषद् कार्यकर्ता उपस्थित थे। विश्वविद्यालय शाखा द्वारा आयोजित सुन्दर व्यवस्था एवं आतिथ्य सराहनीय रहा।

जगदीश नारायण राय
मंत्री

18. पटना में हिन्दी सम्मान समारोह

बिहार सरकार के राजभाषा विभाग के तत्वावधान में पटना में विराट पैमाने पर हिन्दी-सेवी-सम्मान-समारोह का आयोजन दिनांक 30 मार्च, 1986 को किया गया। भारतीय नृत्यकला मंदिर, पटना के कलात्मक मंच पर आयोजित एक भव्य समारोह में पांच दर्जन से कुछ अधिक यानी 62 हिन्दी सेवियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित कर, बिहार सरकार ने साहित्यिक लेखन को बढ़ावा देने की दिशा में स्तुत्य कार्य किया है। विशिष्ट हिन्दी सेवी सम्मान योजनान्तर्गत पांच व्यक्तियों सर्वश्री गंगा शरण सिंह (हिन्दी प्रचार), श्रीकान्त ठाकुर विद्यालंकार (पत्रकारिता), कृष्ण कुमार श्रीवास्तव (प्रशासन), डा. स्वामी सत्य प्रकाश (विज्ञान) एवं विमल मिश्र (अनुवाद) को 15-15 हजार रु. से सम्मानित करने तथा "राजभाषा" त्रैमासिकी के प्रवेशांक के विमोचन के बाद बिहार के मुख्य मंत्री श्री बिन्देश्वरी दुबे ने अपना उद्गार प्रकट करते हुए कहा "हिन्दी राष्ट्र की समवेत वाणी है। इस भाषा में ही वह सामर्थ्य है, जो भारत को कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पंजाब से असम तक को एक सूत्र में बांधकर रख सकती है। सरल एवं सुबोध हिन्दी भाषा को आश्रय मिलना ही चाहिए। हालांकि कानून और अन्य तकनीकी विषयों में हिन्दी में पुस्तकें निकल रही हैं, फिर भी इस ओर अभी और प्रयास अपेक्षित है।" उन्होंने हिन्दी सेवियों से हिन्दी के भण्डार को और अधिक समृद्ध करने में अपने को समर्पित करने की अपील की।

अपने अध्यक्षीय भाषण में बिहार के शिक्षा एवं राजभाषा मंत्री श्री लोकेश नाथ झा ने सरकार द्वारा भविष्य में हिन्दी के विकास के लिए हर सम्भव कदम उठाने का आश्वासन देते हुए कहा कि हिन्दी के विकास के लिए विभिन्न कदमों में हिन्दी सेवी सम्मान पुरस्कार समारोह भी एक कदम है कि हिन्दी सेवियों को चाहे वे विद्वान, कवि, लेखक, हिन्दीतरभाषी या विभागीय कर्मचारी हों, सबों को उनकी हिन्दी सेवा के लिए सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाए।

राजभाषा मंत्री ने पुरस्कार समारोह को एक अद्वितीय घटना बताते हुए सरकारी स्तर पर हिन्दी के विकास के लिए हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र प्रसाद "तरुण" ने कहा कि सरकार राजभाषा हिन्दी के विकास के लिए हर सम्भव कदम उठाएगी।

प्रारम्भ में डा. भगवती शरण मिश्र, निदेशक, राजभाषा विभाग, बिहार ने पुरस्कार वितरण पर प्रकाश डाला और समारोह का संचालन किया। समारोह में उत्तर एवं दक्षिण भारत के

वरिष्ठ साहित्यकार एवं विद्वान सम्मिलित हुए। तीन हिन्दीतर-भाषियों सर्वश्री डा. अम्बा शंकर नागर (गुजरात), डा. एस. एन. गणेशन (तमिलनाडु) एवं श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा "धिमिर" (नेपाल), जिन्हें हिन्दी की निश्छल सेवा के लिए इस अवसर पर

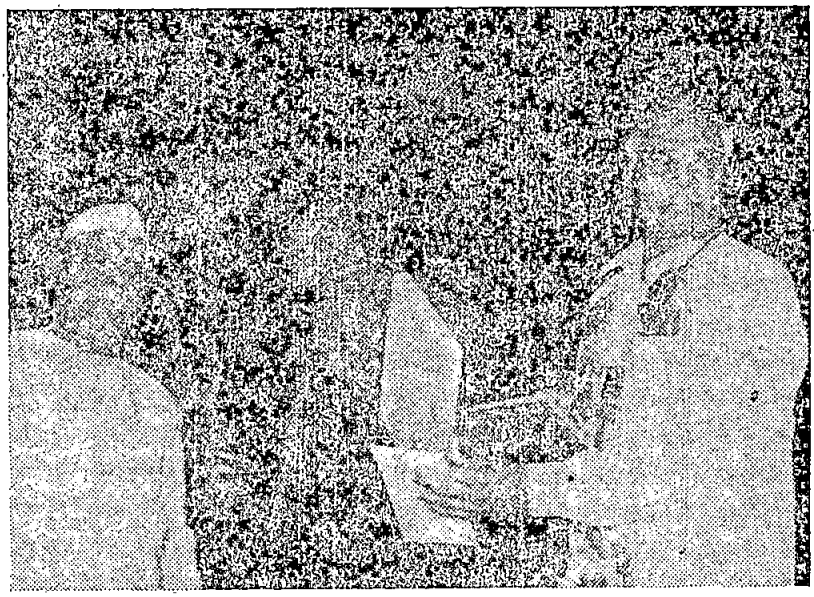

मुख्य मंत्री श्री बिन्देश्वरी दुबे, बिहार के मुख्य सचिव श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए

ग्यारह-ग्यारह हजार रु. का चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, ने बिहार के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित पुरस्कार-समर्पण-समारोह की सराहना की तथा हिन्दी की अभिवृद्धि की कामना की।

समारोह का प्रारम्भ जन-सम्पर्क विभाग, बिहार के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत मंगल गान से हुआ। हिन्दी प्रगति समिति, बिहार के नए अध्यक्ष, डा. कुमार विमल ने कृतज्ञता ज्ञापन किया। श्री अरुण प्रसाद, आयुक्त-सह-सचिव, राजभाषा ने हिन्दी के विकास के लिए न्यायपालिका से सहयोग हेतु सचेष्ट रहने की आवश्यकता पर बल दिया। राजभाषा उर्दू परामर्शदात्र समिति के अध्यक्ष श्री शमायले नवी ने देश की एकता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए हिन्दी को जीवन के हर क्षेत्र में उतारने, खास तौर से प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी को प्रमुखता देने की सलाह दी। डा. नागर ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी का दीप नहीं जलेगा, तब तक भारत का स्वरूप नहीं उभर सकेगा।

इस समारोह का एक विशेष आकर्षण यह रहा कि रामकथा मर्मज्ञ डा. फादर कामिल बुल्के की स्मृति में प्रायोजित "रामकथा" पुरस्कार से पहली बार बिहार की सारस्वत साधना के जीवन्त महाकाव्यकार पोद्दार रामावतार "अरुण" को उनके मौलिक काव्य ग्रंथ "अरुण रामायण" पर 15 हजार रु. तथा अयोध्या के लक्ष्मणकिलाधीश एवं रामकथा विश्लेषक आचार्य सीताराम शरण को उनके अनूदित ग्रंथ "श्रीमद्वाल्मीकि रामायण एक मीमांसा" पर दस हजार रु. के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

भारतीय ग्रंथ पुरस्कार योजना (1984-85) के अन्तर्गत डा. ए. एल. श्रीवास्तव (भारतीय कला), डा. धर्मदेव तिवारी (हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन), श्रीमती हर्ष नन्दिनी भाटिया (भारतीय संस्कृति), डा. वी. कृष्णस्वामी आयंगर (भारतीय विद्या), गणेश तुलसीराम अष्टेकर (आधुनिक भारतीय साहित्य) को 5-5 हजार रु. के पुरस्कार से उनके ग्रंथों को आधार मानकर, सम्मानित किया गया। पांच हजार रु. का बिहार विषयक ग्रंथ पुरस्कार श्री देवकुमार मिश्र को उनके ग्रंथ "सोन के पानी का रंग" पर दिया गया। विभिन्न विधाओं के लिए ग्यारह हिन्दीसेवियों में प्रत्येक को 5 हजार रु. का नामित पुरस्कार पानेवाले में सर्वश्री राधाकृष्ण प्रसाद, उदयराज सिंह, डा. सिद्धनाथ कुमार, डा. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, डा. योगेन्द्र मिश्र, डा. रविशंकर उपाध्याय, डा. दशरथ सिंह, डा. सच्चिदानंद सहाय, देवनारायण सिंह एवं डा. लक्ष्मण प्रसाद सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। दिनकर काव्य पुरस्कार से सम्मानित होनेवाले कविवर आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री अपनी अस्वस्थता के कारण समारोह में भाग न ले सके। युवा लेखन प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत श्रीमती अनामिका को उनके उपन्यास "मन कृष्ण : मन अर्जुन" तथा श्री सुरंजन को उनके काव्य-संग्रह "तुम्हीं कोई शीर्षक दो न" पर दो-दो हजार रु. के दो पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिन्दी में उत्कृष्ट टिप्पणी लेखन के लिए पुरस्कृत होने वाले अधिकारियों एवं सरकारी कर्मचारियों में सर्वश्री डा. एस. पी. ठाकुर, तारकेश्वर प्रसाद, बृजेश, सुरेन्द्र प्रसाद, अशोक कुमार चौधरी, बी. एन. लाल दास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। हिन्दी के प्रयोग एवं विकास के लिए सर्वश्री एन. एस. माधवन, ताराकांत मिश्र, नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, बलदेव सिंहा और अरुण कुमार वर्मा को प्रशस्ति पत्र समर्पित किए गए।

इस प्रकार राजभाषा विभाग का यह समारोह अपने ढंग का अनूठा एवं विलक्षण रहा।

प्रस्तुति : सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर
राजभाषा पदाधिकारी
(प्रचार एवं प्रकाशन)

19. इस्पात एवं खान मंत्री द्वारा रांची में "राजभाषा सौरभ" का उद्घाटन

दिनांक 5 जनवरी, 1986 को प्रातः सेल की इकाई अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के हिन्दी कक्ष के अन्तर्गत "राजभाषा सौरभ" (राजभाषा क्लब) का उद्घाटन माननीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त द्वारा किया गया। इस अवसर पर बिहार राज्य के मुख्य मंत्री श्री बिन्देश्वरी दूबे तथा सेल के अध्यक्ष श्री कृष्णमूर्ति भी थे।

माननीय इस्पात एवं खान मंत्री ने फीता काट कक्ष में दीप प्रज्वलित कर राजभाषा क्लब का उद्घाटन किया। श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने राजभाषा क्लब के कार्यकलापों के प्रति जिज्ञासा प्रकट की। संस्थान की हिन्दी अधिकारी श्रीमती पुष्पा सक्सेना ने राजभाषा सौरभ के कार्यकलापों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रोचक एवं सुरुचिपूर्ण पुस्तकें तथा पत्रिकाएं कार्मिकों के मध्य हिन्दी की लोकप्रियता एवं प्रयोग बढ़ाने में सफल होंगी। राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए क्लब के सदस्यों के लिए समय समय पर विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। क्लब का मुख्य उद्देश्य संस्थान के कार्मिकों के हृदय में हिन्दी के प्रति अपनत्व एवं स्नेह भावना की वृद्धि करनी है।

इस अवसर पर केन्द्र निदेशक डा. शैबाल कान्ति गुप्त ने माननीय इस्पात एवं खान मंत्री को एक अभिनन्दन पत्र भेंट किया। अभिनन्दन पत्र द्वारा राजभाषा सौरभ की स्थापना से संस्थान के कर्मियों की लेखन प्रतिभा को प्रोत्साहन एवं हिन्दी के प्रति अनुराग बढ़ाने की भावना को प्रश्रय देने का विश्वास दिलाया गया। इस्पात एवं खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में माननीय इस्पात एवं खान मंत्री का स्वागत् करते हुए केन्द्र निदेशक ने विश्वास प्रकट किया कि श्री पन्त की अध्यक्षता एवं निर्देशन में राजभाषा हिन्दी का सतत विकास होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त तथा श्री बिन्देश्वरी दूबे ने उपस्थित अतिथियों के साथ राजभाषा क्लब के पुस्तकालय एवं चित्रों का निरीक्षण कर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री बिन्देश्वरी दूबे ने रांची स्थित सेल इकाई के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के हिन्दी कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा की।

अन्त में श्री पन्त, श्री दूबे तथा अन्य उपस्थित अतिथियों ने राजभाषा सौरभ की अतिथि सन्देश पुस्तिका में शुभकामना संदेश के साथ हस्ताक्षर किए।

'राजभाषा सौरभ' संस्थान में गौरव के साथ चल रहा है।

पुष्पा सक्सेना
हिन्दी अधिकारी

"संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किए जाने के बाद किसी को उसके विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार नहीं है"।

—वी. के. कृष्णामेनन

आदेश-अनुदेश

सं. 12017/1/85-हिन्दी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी, 1986

अधिसूचना

सा. आ. सं. केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :

1. कार्यालय, कमांडेंट, 75 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, खानापारा, गोहाटी-22, असम।
2. कार्यालय, कमांडेंट, 5वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नागपुर-19 ।
3. कार्यालय सिगनल ग्रुप सेंटर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मद्रास।
4. कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली।
5. कार्यालय, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आवड़ी, मद्रास।
6. कार्यालय, प्रिंसिपल, रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र-2, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आवड़ी, मद्रास।
7. कार्यालय, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आवड़ी, मद्रास।
8. कार्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज-2, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आवड़ी।
9. कमांडेंट 64वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
10. जनगणना कार्य निदेशालय, असम, शिलांग।
11. जनगणना कार्य निदेशालय, सिक्किम, गंगटोक।
12. कमांडेंट, 10वीं बटालियन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, मिर्थि जिला पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश।
13. कमांडेंट सिगनल ग्रुप केन्द्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नीमच (मध्य प्रदेश)।
14. कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, चण्डीगढ़।
15. कमांडेंट एच. एफ. सी. लिमिटिड केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, दुर्गापुर-12, पश्चिम बंगाल।
16. अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
17. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, जयपुर (राजस्थान)।

मदन मोहन शर्मा
उप सचिव, भारत सरकार

सं.-20034/6/85-पत्रिका एकक

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1986

विषय:- मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक/निगम तथा केन्द्रीय सरकारी संस्थाओं आदि को पुस्तकों की खरीद के लिए संस्तुति।

राजभाषा हिन्दी में मानक पुस्तकों और विशेष रूप से विज्ञान तथा तकनीकी विषयों की पुस्तकों की कमी को दूर करने के लिए राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/6/79-रा. भा. दिनांक 28-5-79 के द्वारा सभी मंत्रालयों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने संबंधित विषयों की मौलिक पुस्तकें हिन्दी में लिखने वालों को प्रोत्साहन देने के बारे में विचार करें, जिससे इन विषयों की अच्छी स्तर की मौलिक पुस्तकें हिन्दी में उपलब्ध हो सकें, तदनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने अच्छे स्तर की मौलिक पुस्तकों को लिखने के लिए पुरस्कार योजना प्रारम्भ की है। इस पुरस्कार योजना के अन्तर्गत उच्चस्तरीय मौलिक पुस्तकें सामने आई हैं। यह उचित होगा कि इन पुस्तकों को पुस्तकालयों के लिए खरीदा जाये, इससे एक ओर उच्चस्तरीय मानक पुस्तकों की वृद्धि होगी और दूसरी ओर तकनीकी तथा वैज्ञानिक विषयों पर लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

इस कार्यालय ज्ञापन के साथ पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत पुस्तकों की एक सूची देने का प्रयास किया गया है। सूची के अन्त में कुछ तकनीकी तथा वैज्ञानिक विषयों पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों की भी सूची दी गई है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/बैंकों आदि से अनुरोध है कि इन पुस्तकों की अपने पुस्तकालयों में खरीद की व्यवस्था करें।

गोविन्द दास बोलिया
उपसचिव, भारत सरकार

सं. 20033/1/85-रा. भा. (ख-1)

लोकनायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 1986

विषय :—हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित तिमाही प्रगति रिपोर्ट का नया प्रोफार्मा।

सन्दर्भ :—राजभाषा विभाग का दिनांक 20 सितम्बर, 1980 का का. ज्ञा. सं. 20033/6/79-रा. भा. (ख-1)।

भारत सरकार द्वारा संघ के राजभाषा सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन की प्रगति देखने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों से एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगवाई जाती रही है। इस रिपोर्ट की समीक्षा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में की जाती है। भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार तथा राजभाषा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 4-3-86 को केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में रिपोर्ट के प्रोफार्मा में संशोधन पर विचार किया गया। उस समय गठित उप समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रोफार्मा की प्रति संलग्न है। अनुरोध है कि सभी मंत्रालय, विभाग और कार्यालय हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित रिपोर्ट अब नए प्रोफार्मा में भेजें। यह प्रोफार्मा मार्च, 1986 को समाप्त होने वाली तिमाही से लागू होगा। यह रिपोर्ट पहले की भांति प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के पश्चात् एक महीने के भीतर राजभाषा विभाग को भेज दी जानी चाहिए।

मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी किन्तु सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और निगमों/कम्पनियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग अथवा मुख्यालय द्वारा की जाएगी तथा रिपोर्ट में पाई गई कमियों के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा जाएगा।

यह कृपया नोट कर लिया जाए कि सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/कम्पनियों/निगमों आदि की समेकित प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय/विभाग द्वारा राजभाषा विभाग को तिमाही के स्थान पर छमाही भेजी जाए तथा उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि राजभाषा विभाग को सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

महेश चन्द्र गुप्त
निदेशक

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही रिपोर्ट का प्रोफार्मा

मंत्रालय/विभाग का नाम————————————————

तारीख————————————को समाप्त तिमाही।

भाग–1 : अधिकारियों/कर्मचारियों संबंधी ब्यौरा (समूह "घ" के कर्मचारियों को छोड़कर)

	राजपत्रित	अराजपत्रित
क. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या:		
ख. जिनको हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है :		
ग. जो अपना 25 प्रतिशत या अधिक कार्य हिन्दी में करते हैं :		
घ. जो अपना 50 प्रतिशत या अधिक कार्य हिन्दी में करते हैं :		

1.1	कार्यालय	अनुभाग
क. कितने कार्यालय/अनुभाग हैं :		
ख. उनमें कितने हिन्दी में काम करने के लिए अधिसूचित हैं :		

2. प्रशिक्षण (हिन्दी)	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
क. अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या जिन्हें हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाना शेष है :			
ख. इनमें से कितनों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है अथवा प्रशिक्षण पा रहे हैं :			

2.1 कार्यशालाओं का विवरण :	कार्यशालाओं की संख्या	अधिकारी	कर्मचारी
क. वर्ष में कुल कितनी कार्यशालाएं आयोजित हुई और उनमें प्रशिक्षित होने वालों की संख्या :			
ख. प्रत्येक तिमाही में कितनी कार्यशालाएं आयोजित हुई और उनमें प्रशिक्षित होने वालों की संख्या :			
ग. कार्यशालाओं में प्रशिक्षित कितने अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में काम कर रहे हैं :			

2.2 मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों का विवरण जो हिन्दी में प्रशिक्षित हैं और हिन्दी में काम करते हैं :	हिन्दी में प्रशिक्षित	हिन्दी में काम करने वाले
1. सचिव		
2. संयुक्त सचिव		
3. निदेशक		
4. उप सचिव		
5. अवर सचिव		
6. अनुभाग अधिकारी		

3. प्रशिक्षण (आशुलिपि/टंकण) — आशुलिपि — टंकण

क. कुल कर्मचारियों की संख्या जो टंकण अथवा आशुलिपि जानते हैं :
ख. इनमें से हिन्दी आशुलिपि/टंकण जानने वालों की संख्या :
ग. जिनसे हिन्दी आशुलिपि टंकण का काम लिया जाता है :
घ. जिनको आशुलिपि/टंकण में प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है :
ङ. जिनको प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है अथवा प्रशिक्षण पा रहे हैं :

4. यांत्रिक सुविधाओं संबंधी ब्यौरा : — हिन्दी — रोमन — द्विभाषी — जोड़

1. क. टाइपराइटर
   ख. पिछले वर्ष की संख्या
2. क. इलेक्ट्रिक टाइपराइटर
   ख. पिछले वर्ष खरीद की संख्या
3. क. टेलीप्रिंटर
   ख. पिछले वर्ष खरीद की संख्या
4. क. पता लेखी मशीन
5. क. वर्ड प्रोसेसर
   ख. पिछले वर्ष खरीद की संख्या
6. क. कंप्यूटर
   ख. पिछले वर्ष खरीद की संख्या

5. कोड मैनुअल फार्म आदि का अनुवाद : — कोड मैनुअल प्रक्रिया साहित्य — फार्म

क. कुल संख्या :
ख. कितने द्विभाषी रूप में छपवा/साइक्लोस्टाइल करा लिए गए हैं :
ग. कितनों का हिन्दी अनुवाद अभी बाकी है :
घ. कितनों का अनुवाद हो चुका है लेकिन द्विभाषी रूप में छपे नहीं हैं :
ङ. अनुदित सामग्री के वितरण का प्रतिशत :

भाग–2 : राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति

6. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन जारी किए जाने वाले कागजात — हिन्दी–अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में जारी — केवल अंग्रेजी में जारी

क. सामान्य आदेश अनुदेश परिपत्र ज्ञापन आदि :
ख. संकल्प अधिसूचनाएं नियम :
ग. प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन :
घ. प्रेस विज्ञप्तियां :
ङ. अन्य :

7. हिन्दी पत्राचार

क. कुल प्राप्त पत्रों/आवेदनों आदि की संख्या :
ख. जिनका हिन्दी में उत्तर दिया गया :
ग. जिनका अंग्रेजी में उत्तर दिया गया :

8. मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजे गए मूल पत्रों/तारों का ब्यौरा
(अंग्रेजी में प्राप्त पत्र के उत्तर में भेजा गया पत्र भी मूल पत्राचार में शामिल है)। — हिन्दी में पत्र तार — अंग्रेजी में पत्र तार

क. क्षेत्र के लिए

क. "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे गए पत्रादि
ख. "क" क्षेत्र के गैर सरकारी व्यक्तियों को भेजे गए पत्रादि
ग. "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि
घ. "ख" क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि
ङ. "ग" क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि
योग :

ख. क्षेत्र के लिए

क. "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे गए पत्रादि
ख. "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि
ग. "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि
घ. "ग" क्षेत्र में केन्द्रीय कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि
योग :

ग. क्षेत्र के लिए

क. "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे गए पत्रादि

ख. "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि

ग. "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि

घ. "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि

योग :

9. मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों से संबंधित स्थिति (इनमें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन कंपनियों/निगमों के कार्यालय शामिल हैं)।

	संबद्ध कार्यालय	अधीनस्थ कार्यालय	कंपनी/निगम
क. कुल कार्यालयों की संख्या :			
ख. जिनको राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया गया है :			
ग. कितने अभी अधिसूचित किए जाने बाकी हैं :			
घ. जिनको राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत केवल हिन्दी में कार्य करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं :			
ङ. कितने अभी बाकी हैं :			
च. कितनों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं :			
छ. कितनों में अभी गठित होनी हैं तथा प्रयत्नों का ब्यौरा :			
ज. कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकों का ब्यौरा तथा अंतिम बैठक की तिथि :			
झ. मंत्रालय/विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन हुआ है अथवा नहीं :			
ट. समिति की तिमाही बैठकों का ब्यौरा तथा अंतिम बैठक की तिथि :			

10. प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनों को पुरस्कृत किया गया :

	** अधिकारियों के लिए		** कर्मचारियों के लिए	
	रा० भा० द्वारा	अपने विभाग द्वारा	रा० भा० द्वारा	अपने विभाग द्वारा
क. टिप्पण/आलेखन संबंधी प्रोत्साहन पुरस्कार :				
ख. टंकण/आशुलिपि संबंधी प्रोत्साहन पुरस्कार :				
ग. अन्य पुरस्कार :				

11. पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के बारे में जानकारी

क. क्या कोई पत्रिका प्रकाशित की जाती है ?

ख. यदि हां तो क्या इसका हिन्दी संस्करण अथवा द्विभाषी रूप छपता है ?

ग. यदि नहीं तो कब तक प्रकाशित करने का प्रस्ताव है ?

घ. क्या अंग्रेजी और हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीय स्टाफ और उनके वेतनमान आदि में एकरूपता है ?

12. राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग सम्बन्धी निरीक्षण :

1. राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा तिमाही में कितने निरीक्षण किए गए :
2. मंत्रालयों/विभाग के अधिकारियों द्वारा तिमाही में कितने निरीक्षण किए गए :
3. राजभाषा विभाग तथा मंत्रालय/विभाग द्वारा तिमाही में संयुक्त रूप से कितने निरीक्षण किए गए :

13. अनुपालन की स्थिति :

क. क्या मंत्रालय/विभाग में 50% के लगभग हिन्दी में काम हो रहा है :

ख. यदि नहीं हो रहा है तो क्या सचिव स्तर पर निदेश जारी किए गए :

ग. आदेशों के अनुपालन न करने पर क्या किसी अधिकारी को जिम्मेवार ठहराया गया :

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन कार्यालयों/उपक्रमों/कंपनियों आदि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट

(मंत्रालय/विभाग अपने कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि की समेकित रिपोर्ट राजभाषा विभाग को केवल छमाही भेजेंगे)

तारीख——————

(क) कार्यालय/उपक्रम/कंपनी का नाम——————

(ख) नियंत्रण करने वाले मंत्रालय/विभाग का नाम ——————

(ग) कहां स्थित है——————नगर——————जिला——————राज्य

(घ) कार्यालय का स्तर : प्रधान कार्यालय/संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय

**(जिनमें समूह "घ" कर्मचारियों को छोड़कर कम से कम 25 कर्मचारी हों)

भाग–1 : अधिकारियों/कर्मचारियों संबंधी ब्यौरा (समूह "घ" के कर्मचारियों को छोड़कर)

	राजपत्रित	अराजपत्रित
क. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या :		
ख. जिनको हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है :		
ग. जो अपना 25 प्रतिशत या अधिक कार्य हिन्दी में करते हैं :		
घ. जो अपना 50 प्रतिशत या अधिक कार्य हिन्दी में करते हैं :		

1.1

	कार्यालय	अनुभाग
क. कितने कार्यालय/अनुभाग हैं :		
ख. उनमें कितने हिन्दी में काम करने के लिए अधिसूचित हैं :		

2. प्रशिक्षण (हिन्दी)

	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
क. अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या जिन्हें हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाना शेष है :			
ख. इनमें से कितनों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है अथवा प्रशिक्षण पा रहे हैं			

2.1 कार्यशालाओं का विवरण :

	कार्यशालाओं की संख्या	अधिकारी	कर्मचारी
क. वर्ष में कुल कितनी कार्यशालाएं आयोजित हुई और उनमें प्रशिक्षिण होने वालों की संख्या :			
ख. प्रत्येक तिमाही में कितनी कार्यशालाएं आयोजित हुई और उनमें प्रशिक्षित होने वालों की संख्या :			
ग. कार्यशालाओं में प्रशिक्षित कितने अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में काम कर रहे हैं :			

2.2 मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों का विवरण जो हिन्दी में प्रशिक्षित है और हिन्दी में काम करते हैं :

	हिन्दी में प्रशिक्षित	हिन्दी में काम करने वाले
1. सचिव या समकक्ष		
2. संयुक्त सचिव ,,		
3. निदेशक ,,		
4. उप सचिव ,,		
5. अवर सचिव ,,		
6. अनुभाग अधिकारी ,,		

3. प्रशिक्षण (आशुलिपि/टंकण)

	आशुलिपि	टंकण
क. कुल कर्मचारियों की संख्या जो टंकण अथवा आशुलिपि जानते हैं :		
ख. इनमें से हिन्दी आशुलिपि/टंकण जानने वालों की संख्या :		
ग. जिनसे हिन्दी आशुलिपि टंकण का काम लिया जाता है :		
घ. जिनको आशुलिपि/टंकण में प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है :		
में जिनको प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है अथवा प्रशिक्षण पा रहे हैं :		

4. यांत्रिक सुविधाओं संबंधी ब्यौरा :

	हिन्दी	रोमन	द्विभाषी	जोड़
1. क. टाइपराइटर				
ख. पिछले वर्ष खरीद की संख्या				
2. क. इलेक्ट्रीक टाइपराइटर				
ख. पिछले वर्ष खरीद की संख्या				
3. क. टेलीप्रिंटर				
ख. पिछले वर्ष खरीद की संख्या				
4. क. पतालेखी मशीन				
ख. पिछले वर्ष खरीद की संख्या				
5. क. वर्ड प्रोसेसर				
ख. पिछले वर्ष खरीद की संख्या				
क. कंप्यूटर				
ख. पिछले वर्ष खरीद की संख्या				

6. कोड, मैनुअल, फार्म आदि का अनुवाद :

	कोड मैनुअल प्रक्रिया साहित्य	फार्म
क. कुल संख्या :		
ख. कितने द्विभाषी रूप में छपवा/साइक्लोस्टाइल करा लिए गए हैं :		

ग. कितनों का हिन्दी अनुवाद अभी बाकी है :

घ. कितनों का अनुवाद हो चुका है, लेकिन द्विभाषी रूप में छपे नहीं हैं :

ङ. अनूदित सामग्री के वितरण का प्रतिशत :

भाग–2 : राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन जारी किए जाने वाले कागजात	हिन्दी–अंग्रेजी में द्विभाषा रूप में जारी	केवल अंग्रेजी में जारी
क. सामान्य आदेश, अनुदेश, परिपत्र, ज्ञापन आदि :		
ख. संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम :		
ग. प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन :		
घ. प्रेस विज्ञप्तियां :		
ङ. अन्य :		

क. हिन्दी पत्राचार

क. कुल प्राप्त पत्रों/आवेदनों आदि की संख्या :

ख. जिनका हिन्दी में उत्तर दिया गया :

ग. जिनका अंग्रेजी में उत्तर दिया गया :

8. मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजे गए मूल पत्रों/तारों का ब्यौरा
(अंग्रेजी में प्राप्त पत्र के उत्तर में भेजा गया पत्र भी मूल पत्राचार में शामिल है)।

	हिन्दी में		अंग्रेजी में	
क. क्षेत्र के लिए	पत्र	तार	पत्र	तार
क. "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकार को भेजे गए पत्रादि				
ख. "क" क्षेत्र के गैर सरकारी व्यक्तियों को भेजे गए पत्रादि				
ग. "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि				
घ. "ख" क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि				
ङ. "ग" क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि				
योग :				
ख. क्षेत्र के लिए				
क. "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे गए पत्रादि				
ख. "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि				
ग. "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि				
घ. "ग" क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि				
योग				
ग. क्षेत्र के लिए				
क. "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे गए पत्रादि				
ख. "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि				
ग. "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि				
योग :				

9. मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों से संबंधित स्थिति इनमें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन कंपनियों/निगमों के कार्यालय शामिल हैं)।

	संबद्ध कार्यालय	अधीनस्थ कार्यालय	कंपनी/निगम
क. कुल कार्यालयों की संख्या :			
ख. जिनको राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया गया है :			
ग. कितने अभी अधिसूचित किए जाने बाकी हैं :			
घ. जिनको राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत केवल हिन्दी में कार्य करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं :			
ङ. कितने अभी बाकी हैं :			
च. कितनों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं :			
छ. कितनों में अभी गठित होनी हैं तथा प्रयत्नों का ब्यौरा :			
ज. कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकों का ब्यौरा तथा अंतिम बैठक की तिथि :			
झ. मंत्रालय/विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन हुआ है अथवा नहीं :			
ट. समिति का तिमाही बैठकों का ब्यौरा तथा अंतिम बैठक की तिथि : (जिनमें समूह "घ" कर्मचारियों को छोड़कर कम से कम 25 कर्मचारी हों)			

घ. "ग" क्षेत्र – स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे गए पत्रादि ।

10. प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनों को पुरस्कृत किया गया :

	अधिकारियों के लिए		कर्मचारियों के लिए	
	रा० भा० द्वारा	अपने विभाग द्वारा	रा० भा० द्वारा	अपने विभाग द्वारा
क. टिप्पण/आलेखन संबंधी प्रोत्साहन पुरस्कार :				
ख. टंकण/आशुलिपि संबंधी प्रोत्साहन पुरस्कार :				
ग. अन्य पुरस्कार :				

11. पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन के बारे में जानकारी

क. क्या कोई पत्रिका प्रकाशित की जाती है ?

ख. यदि हां तो क्या इसका हिन्दी संस्करण अथवा द्विभाषी रूप छपता है ?

ग. यदि नहीं, तो कब तक प्रकाशित करने का प्रस्ताव है ?

घ. क्या अंग्रेजी और हिन्दी पत्र–पत्रिकाओं के संपादकीय स्टाफ और उनके वेतनमान आदि में एकरूपता है ?

12. राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग सम्बन्धी निरीक्षण :

1. राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा तिमाही में कितने निरीक्षण किए गए :
2. मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों द्वारा तिमाही में कितने निरीक्षण किए गए :
3. राजभाषा विभाग तथा मंत्रालय/विभाग द्वारा तिमाही में संयुक्त रूप से कितने निरीक्षण किए गए :

13. अनुपालन की स्थिति :

क. क्या मंत्रालय/विभाग में 50% के लगभग हिन्दी में काम हो रहा है :

ख. यदि नहीं हो रहा है तो क्या सचिव स्तर पर निदेश जारी किए गए :

ग. आदेशों के अनुपालन न करने पर क्या किसी अधिकारी को जिम्मेवार ठहराया गया :

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री जयपाल सिंह द्वारा, लोकनायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार, मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।